लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
Go.C.(A.)
Date 16.11.7

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 52, बुधवार, 6 मई, 1970/16 वैशाख, 1892 (शक)
No. 52, Wednesday, May 6, 1970/Vaisakha 16, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1441. एशियाई देशों के मामलों में बाह्य हस्तक्षेप के बारे में इन्डोनेशिया के साथ बातचीत	Talks with Indonesia on Interference by outsiders in Asian Affairs ..	1—4
1443. आयात में कमी	Fall in Imports ..	4—7
1444. उपलब्ध साधनों को एकत्र करके सैनिक उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन	Development of Indigenous Production of Military Hardware by pooling Available Resources ..	8—10
1446. कम्बोडिया के मामलों में चीन का हस्तक्षेप	Chinese Interference in Cambodian Affairs ..	10—14
1447. लोहे की छीलन का निर्यात	Export of Iron Scrap ..	14—15
1450. फरक्का के मामले को पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाना	Farakka issue to be raised by Pakistan in U. N. O. ..	16—17
अ०सू०प्र०संख्या S. N. Q. No.		
29. बलिया-बेरिया बांध	Ballia Bariya Bandh ..	18—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1442. 1970 में आरम्भ होने वाले दशक में हिन्द महासागर में अमरीका, रूस तथा चीन के बीच त्रिपक्षीय शक्ति प्रतियोगिता	Traingular Power Contest among U.S.A., U.S.S.R. and China in Indian ocean in 70's ..	20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1445. नाइलोन धागे की मांग और पूर्ति	Demand and Supply of Nylon Yarn ..	21
1448. भारत अमरीकी व्यापार के के बारे में अमरीकी राजदूत का वक्तव्य	U. S. Ambassador's Statement Re: Indo-U. S. Trade ..	21—22
1449. चुने हुए उद्योगों का निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन	Performance of Selected Industries in Export Performance ..	22
1451. महाराष्ट्र में पैठन के निकट गोदावरी परियोजना के लिए धन नियत करना	Allocation of Funds for Godavari Project near Paithan in Maharashtra ..	22—23
1452. मास्को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये भारत-रूस मैत्री सोसायटी के सदस्य विद्यार्थियों को वरीयता देना	Preference to Students who are Members of Indo-Soviet Friendship Society for Admission in Moscow University	23
1453. ताईवान तथा दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार	Trade with Taiwan and South Korea ..	23
1454. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई	Power supply in Rural Areas of West Bengal under Rural Electrification Scheme	24
1455. भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल का पाकिस्तान के साथ व्यापार	Nepal's Trade with Pakistan through Indian Territory ..	24
1456. अन्तः क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था	Intra-Regional Trade Arrangements	25
1457. भारत की समुद्री सीमा	Territorial Waters of India ..	25
1458. निर्यात के लिये प्रोत्साहन	Incentive for export	26
1459. निर्यात किये जाने वाले कपड़े वाली मिलों की दशा में सुधार करना	Rehabilitation of Export-Oriented Textile Mills ..	26
1460. छोटे हथियारों के स्फोटकों के लिए कॉरडाइट का प्रयोग	Use of Cordite as propellant for Small arms Ammunition	27
1461. हज यात्रियों के लिये राज्यों का कोटा	Quotas to States for Haj Pilgrims ..	27—28
1462. सुपारी का निर्यात	Export of Arecanut ..	28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1463. गोदावरी नदी पर सर आर्थर काटन बांध की नींव रखना	Foundation of Sir Arthur Cotton Barrage on River Godavari ..	28—29
1464. नदियां के फालतू जल का उपयोग करने की योजना	Plan to utilize surplus water of Rivers ..	29
1465. यमुना नदी पर बांध का निर्माण	Construction of a Dam on River Yamuna ..	30
1466. पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का समाचार आकाशवाणी से प्रसारित करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का विरोध	Pakistan's Protest against A.I.R. Broadcast on Atrocities on Minorities in East Pakistan ..	30—31
1467. जातिवाद तथा जातीय भेदभाव को मिटाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष	International year for combating Racism and Racial Discrimination ..	31
1468 राजस्थान नहर का पूरा होना	Completion of Rajasthan Canal ..	31—32
1469. चौथी पंजवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर	Employment Potentials of Fourth Plan ..	32
1470. संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में परिवर्तन	Change in United Nations Charter ..	33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8647. मांसाहार का निर्यात	Export of Non-Vegetarian Food ..	33
8648. विदेश में अध्ययन के लिये डाक्टरों के आवेदन पत्र	Application from Doctors for Studies ..	34
8649. अनधिकृत करघों की स्थापना	Installation of Unauthorised Looms ..	34
8650. भारत अमरीकी सम्बन्धों का बिगड़ना	Deterioration in Indo-U. S. relations ..	35
8651. फ्रांस को भेड़ की खाल का निर्यात	Export of Sheep Skin to France ..	35
8652. आंखों की कृत्रिम पलकों के निर्यात के सम्बन्ध में करार	Agreement for Export of False Eyelashes ..	36—37
8653. भारत में किराये के मकानों में रह रहे रूस के मिशनों के कर्मचारी	U.S.S.R.'s Mission Employees living in Rented Houses in India ..	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8654. बम्बई तथा सूरत में फर्मों द्वारा जाली निर्यात	Bogus exports by firms in Bombay and Surat ..	37
8655. रूसी दूतावास द्वारा चलाये जा रहे स्कूल	Schools run by Soviet Embassy	37—38
8656. विदेशों में हेलीकाप्टरों की खरीद	Purchase of Helicopters from Foreign Countries ..	38
8657. राज्यों को बाढ नियंत्रण के लिये दी गई धनराशि	Amount given to States for Flood control ..	38—39
8658. व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के सदस्य देशों के साथ करार और अन्य व्यवस्था	Agreement and other Arrangements with G.A.T.T. ..	39—40
8659. एशिया सुरक्षा सम्मेलन के लिये श्रीलंका का प्रयत्न	Ceylonese move for Asian Security meet ..	40—41
8660. भारत द्वारा चीन पाकिस्तान के कब्जे में अपने क्षेत्र को खाली करवाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से संघर्ष का किया जाना	Agitation in International forums by India on Sino-Pak vacation of her Territory ..	41
8661. पंजाब में बड़े पैमाने के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना न किया जाना	Non-establishment of large scale Public Sector Undertakings in Punjab ..	41
8662. सिक्किम में कागज की लुग्दी बनाने वाला कारखाना स्थापित करना	Setting up of Pulp factory in Sikkim ..	42
8663. राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for special problems of States ..	42—43
8664. भारत द्वारा रोडेशिया को मान्यता दिये जाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से रोष व्यक्त किया जाना	Agitation in international forums by India for Barring Recognition of Rhodesia ..	43—44
8665. वर्ष 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में पटसन उद्योग का विस्तार तथा प्रगति	Expansion and growth of Jute Industry during Seventies ..	44—45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8666. मोरक्को और जोर्डन में राजदूत नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय	Decision Re : Posting of Ambassadors to Morocco and Jordan ..	45
8667. राज्य स्तर पर योजना आयोग की स्थापना	Setting up of Planning Commission at State Levels ..	45
8668. पश्चिम जर्मनी को इन्जीनियरी सामान का निर्यात	Export of engineering goods to West Germany ..	45—46
8669. चौथी पंचवर्षीय योजना में पम्प सेटों की व्यवस्था	Provision for pumping sets under Fourth Five Year Plan ..	46—47
8670. सिंगापुर तथा पूर्व एशियाई देशों में राज्य व्यापार निगम के शाखा कार्यालय खोलना	Opening of branch office of S. T. C. in Singapore and East Asian Countries ..	47—48
8671. पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Five Year Plans ..	48
8672. बिहार में सोन नहर परियोजना अथवा उत्तर कोपल परियोजना	Sone Canal Project or North Kopal Project in Bihar ..	49
8673. सिन्धु नदी जल करार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पाकिस्तान को पानी की सप्लाई	Water Supply to Pakistan after expiry of Indus Water treaty ..	49
8674. रावतभाटा परमाणु शक्ति परियोजना में श्रमिकों के दो गुटों में मुठभेड़	Clash between two groups of workers in Rawatbhata Atomic Power Project ..	49—50
8677. सुकाता सिंचाई योजना	Sukata Irrigation Scheme ..	50
8678. देशी दूतावासों के साथ दिल्ली की संस्थाओं के सम्बन्ध	Contacts of Delhi Associations with Foreign Embassies ..	50
8679. हज यात्रा के लिये आवेदन पत्र तथा उनको दी गई सुविधायें	Applications for Haj Pilgrimage and amenities Provided therefor ..	50—51
8680. मध्य प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास	Development of Bundelkhand area in Madhya Pradesh ..	51—52
8681. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों को रिहायशी प्लाटों तथा खेती योग्य भूमि का दिया जाना	Ex-Servicemen allotted residential plots and cultivable land in Andaman and Nicobar Islands ..	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8682.	विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के अर्जन तथा संचालन पर सरकार द्वारा व्यय	Cost of acquiring and running Foreign Cultural Centres by Government ..	52
8683.	प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का आन्दोलन	Agitation by released Emergency Commissioned Officers in front of Prime Minister's residence ..	52—53
8684.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore by M. M. T. C. ..	53
8685.	पिछड़े राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Backward States ..	54
8686.	फिल्मों का निर्यात	Export of Films ..	54—55
8687.	ताप संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Thermal Plants ..	55—56
8688.	जापान की यात्रा पर गये इंजीनियरिंग निर्यात संबर्धन परिषद् के प्रतिनिधिमण्डल का प्रतिवेदन	Report by Delegation of Engineering Exports Promotion Council of Japan ..	56—57
8689.	रूस को दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicrafts to U. S. S. R. ..	57
8690.	टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये लाइसेंस का दिया जाना	Grant of Licences for Manufacture of T. V. Sets ..	57—58
8691.	राजस्थान में विद्युत चालित करघे	Powerlooms in Rajasthan ..	58—59
8692.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति को बनाने के बारे में राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन का वक्तव्य	Statement by Chairman of State Trading Corporation re. strengthening of India's International Trade ..	59—60
8693.	एक्सपो-70 में भारतीय मंडप	Indian Pavillion at EXPO'70 ..	60
8694.	निकल का आयात	Import of Nickel ..	60—61
8695.	पोचमपाद परियोजना	Pochampad Project ..	61—62
8696.	एक्सपो-70 में योगासनों का प्रदर्शन	Display of Yogic Asanas at Expo'70 ..	62

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
8697. गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के बारे में यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री से वार्ता	Talks with Yugoslavia's Foreign Minister on Non-Aligned meet ..	62—63
8698. हाथ से बनी दरियों (कारपेटों) का मानकीकरण	Standardisation of hand made carpets ..	63
8699. तमिल नाडु में थोरियम निक्षेप	Thorium deposits in Tamil Nadu ..	63—64
8700. मेरीन डीजल इंजनों का निर्माण	Production of Marine-Diesel Engine ..	64
8701. राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की नीलामी	Auction of Cars by the State Trading Corporation	64—65
8702. विदेशी भाषाओं के लिये एक संस्था की स्थापना	Setting up of an Institute for foreign languages ..	65
8703. यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार	Trade with European Economic Community ..	65—66
8705. भारत में 'मेन केम्प' के प्रकाशन का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाने का इसरायली प्रस्ताव	Israeli move to raise issue of publication of "Mein Kamp" in India in U. N. O. ..	66
8706. उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिवीजन में बड़ी रिग मशीनों की कमी	Shortage of big rig machines in Jaunpur Division of U. P. ..	66—67
8707. विश्व निर्यात व्यापार में भारत का अंश	India's share in World export trade ..	67—68
8708. नायलोन धागे का आयात	Import of Nylon Yarn ..	68—69
8709. मोटर गाड़ी फैक्टरी की स्थापना	Setting up of an automobile factory ..	69
8710. फ्रांस, इंगलैंड, अमरीका तथा रूस में भारतीय दूतावासों में विदेशी कर्मचारियों को दी गई राशि	Payment made to foreign employees in Indian Embassies in France, England America and U. S. S. R. ..	69—70
8711. नासिक तथा उड़ीसा में कोरापुट में मिग एककों के निर्माण कार्य में पायी गई त्रुटियां	Defects noticed in construction Works of MIG units at Nasik and Koraput in Orissa ..	70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8712. भारत में अमरीका सूचना सेवा के पुस्तकालयों को बन्द करना	Winding up of U. S. I. S. Libraries in India ..	71
8713. दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन	Violation of diplomatic privileges by U. S. Embassy in Delhi ..	71
8714. व्यावसायिक कर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा विरोध	Protest by defence workers in U. P. against Imposition of professional tax ..	71—72
8715. न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर	New Victoria Mills Ltd, Kanpur ..	72
8716. कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on export of certain items ..	72—73
8717. कालीन-अस्तर (कारपेट बेकिंग) का निर्यात	Export of carpet backing ..	73
8719. विशेषज्ञ सेवा-अभिकरण तथा औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र स्थापित करना	Establishment of Export Service Agency and Industrial Raw Material Centre ..	73—75
8720. त्रिवेन्द्रम सांस्कृतिक केन्द्र के भवन को पूर्ण करने के लिये रूसी दूतावास का निवेदन	Soviet Embassy's request for completion of Trivandrum cultural centre building ..	75
8721. वर्ष 1967 से 1969 तक विदेशी मुद्रा की आय	Foreign exchange earned during 1967 to 1969 ..	75
8722. गांवों में बिजली लगाना तथा नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन	Elecrified villages and connections to Tubewells ..	75—76
8723. बाटा के जूतों का निर्यात	Export of Bata Shoes ..	77
8724. दानापुर छावनी के निकट मुबारकपुर गांव में अर्जित की गई भूमि के लिये मुआवजा	Compensation for land acquired in village Mubarakpur near Danapur cantonment ..	77—78
8725. बिहाटा हवाई अड्डे के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against officers of Bihata Air-port ..	78
8726. ऊषा पंखों और सिलाई मशीनों का निर्यात	Export of Usha fans and sewing machines ..	78—79
8727. प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Missiles ..	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8728.	मेलरझार, भेलाडांगा और रजारहाट के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये डिजाइन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	Preparation of design and project report for flood control works Malerjhar, Bheladanga and Rajarhat ..	79—80
8729.	कलकत्ता बन्दरगाह से जहाज द्वारा पाकिस्तान माल नेपाल ले जाना	Transhipment of Pakistan goods to Nepal through Calcutta port ..	80
8730.	मध्य प्रदेश के विकलांग सशस्त्र सैनिकों के भरण पोषण सम्बन्धी अनिर्णीत मामले	Cases of maintenance of disabled armed personnel Madhya Pradesh pending for settlement ..	80—81
8731.	मध्य प्रदेश से प्रादेशिक सेना में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of persons from Madhya Pradesh Enrolled in Territorial Army ..	81
8732.	'पीस इंडिगो' परियोजना के अन्तर्गत सीमा क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार के लिये अमरीका द्वारा सहायता	Assistance by U. S. A. for improvement of Communication in Border areas under 'peace indigo' project ..	81
8733.	काश्मीर और पाकिस्तान के बीच व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations between Kashmir and Pakistan ..	82
8734.	भारतीय स्थल सेना तथा नौ सेना के हिन्दी प्रकाशनों में हिन्दी समानार्थी शब्दों का प्रयोग	Use of Hindi Equivalents of Indian Army and Indian Navy ; in Hindi publications ..	82
8735.	सेना-मुख्यालयों के सुपरिन्टेन्डेन्टों के साथ संबद्ध चपरासी	Number of peons attached with Superintendents in Army Headquarters ..	82
8737.	एमरजेंसी तथा शोर्ट सर्विस कमीशन सेवा-मुक्त अधिकारियों को ऋण देने की योजना	Scheme for Grant of Loans to released Emergency Short Service Commissioned Officers ..	83
8738.	एक भारतीय फर्म द्वारा पश्चिम जर्मनी में कार्यालय खोलना	Opening of Office by an Indian Firm in West Germany ..	83
8739.	रूस द्वारा लाओस में शांति स्थापना सम्बन्धी प्रयत्नों में भाग लेने से इंकार करना	Soviet Refusal to peace move in Laos ..	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8740.	कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार	Extension of Kamala Embankment up to Sisapani ..	84
8741.	अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U. S. A. ..	84—85
8742.	कपास का वितरण	Distribution of Cotton ..	85
8743.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को पृथक करना	Taking away of National Sample Survey from Indian Statistical Institute ..	86
8744.	मेरठ में हिंडन नदी पर एक नये बांध का निर्माण	Construction of a New Barrage on River Hindon in Meerut ..	86
8745.	ऋषिकेष में कोतानी विहाल में गंगा पर बांध का निर्माण	Construction of a Dam on Ganga at Kotani Bihal in Rishikesh ..	86
8746.	इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods ..	86—87
8747.	संयुक्त राष्ट्र संघ में कम्बोडिया का प्रतिनिधित्व	Cambodia's Representation in U. N. O. ..	87
8748.	कम्बोडिया के राजदूत के साथ बातचीत	Talks with Cambodian Ambassador ..	87—88
8749.	मास्को रेडियो के सम्वाददाताओं द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का प्रयोग	Use of Diplomatic Privileges by correspondents of Moscow Radio ..	88
8751.	माही नदी पर कदना बांध	Kadana Dam on River Mahi ..	88
8752.	नांगल स्थित उर्वरक कारखानों को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Fertilizer Factory at Nangal from Bhakra ..	89
8753.	वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा विदेश यात्रा	External Affairs Minister's visit abroad ..	89—90
8754.	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles ..	90
8755.	प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत कारखानें तथा सहायक कारखानें	Factories including ancillary units under Department of Defence Production ..	91
8756.	भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित गोला बारूद	Ammunition manufactured in Indian Ordnance Factories ..	91—92
8757.	प्रतिरक्षा कारखानों में काम कर रहे मान्यताप्राप्त संघ	Recognised Union functioning in Defence Factories ..	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8758.	पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in West Bengal ..	92—93
8759.	दक्षिण वियतनाम से विदेशी सेना को हटाने के बारे में नेपाल लिबरेशन फ्रंट के नेता से प्रधान मंत्री की वार्ता	Prime Minister's Interview with National Liberation Front Leaders re. withdrawal of Foreign Forces from South Vietnam ..	93
8760.	सेना मुख्यालय में अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English in Army Headquarters ..	94
8761.	भारतीय युवतियों का दासियों के रूप में व्यापार	Slave Trading in Indian Girls ..	94
8762.	पुनर्वास महानिदेशक के पास नियोजन के लिये प्रतीक्षा-सूची में लेफ्टिनेंट कर्नल	Lt. Colonels on Waiting List for Employment with Director General of Resettlement ..	94—95
8763.	दिल्ली में सेना मुख्यालय में कर्मचारी पदों पर कार्य कर रहे पैदल सेना के अधिकारी	Officers of Infantry holding Staff Appointments in Army Headquarters in Delhi ..	95
8764.	बिजली लगाये जाने में काम आने वाले सामान का अभाव	Shortage of Electrification Materials ..	95—96
8765.	एक्सपो-70	Expo' 70 ..	96
8766.	चांद पर अन्तरिक्ष यात्री भेजने की तैयारियां	Preparations for sending Spacemen to Moon ..	96
8767.	चाय का निर्यात	Export of Tea	97
8768.	सशस्त्र सेना के मुख्यालयों की शाखाएं/अनुभाग	Branches/Sections of Armed Forces ..	97—98
8769.	कृषि, उद्योग तथा सिंचाई सुविधाओं के लिये कम लागत वाली बिजली के उद्योग सम्बन्धी अध्ययन	Study for utilisation of Low cost energy for Agriculture, Industry and Irrigation facilities ..	98
8770.	पूर्वी क्षेत्र में तैनात किये गये रूसी युद्धपोत तथा फ्रांस की पनडुब्बियां	Soviet Warships and French Submarines Deployed in Eastern Sector ..	99
8771.	हरियाणा से कपड़ा निर्यात	Export of Textiles from Haryana ..	99
8772.	चंडीगढ़ के लिये चौथी योजना परिव्यय	Fourth Plan outlay for Chandigarh ..	99—100

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**			
8773. नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिये ड्रिलिंग रिग और बोरिंग पाइप का निर्माण	Production of Drilling Rigs and Boring Pipes for completion of River Valley Schemes		100
8774. राजस्थान में उठाऊ सिंचाई व्यवस्था	Lift irrigation facilities in Rajasthan	..	100—101
8775. परमाणु बिजली घर कोटा से बिजली की सप्लाई	Supply of electricity from Atomic Power Station, Kotah	..	101
8776. सिंचाई योजनाओं के लिये महाराष्ट्र को दिया गया अनुदान	Grants given to Maharashtra for Irrigation Schemes	..	101—104
8777. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का निदेशक मंडल	Board of Directors of I. M. P. E. C.	..	104
8778. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गये आयुध कारखानों के कर्मचारियों को दिया गया दैनिक भत्ता	Daily Allowance paid to Employees of Ordnance Factories on deputation to Indian Statistical Institute	..	104—105
8779. आयुध कारखानों में कार्य कर रहे चार्जमैनों का स्थायीकरण	Confirmation of Chargemen working in Ordnance Factories		105
8780. उड़ीसा को परियोजनाओं के लिये योजना अवधि में दी गई सहायता	Assistance given to Orissa for Projects during Plan Periods	..	105—106
8781. निचले रैंकों से एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रियायतें	Concessions for Emergency Commissioned Officers who Joined from ranks	..	106—107
8782. सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतें	Concessions given by Central and State Government to Released Emergency Commissioned Officers		108
8783. विभिन्न क्षेत्रों में सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को लगाना	Released Emergency Commissioned Officers absorbed in different Fields	..	109—110
8784. पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पुनर्वास देने के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाना	Raising Question of Rehabilitation of Refugees from Pakistan in UN	..	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8785. पश्चिमी बंगाल सरकार को सिंचाई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal Government for Irrigation Schemes ..	110
8787. पाकिस्तान द्वारा बेची गई भारतीय सम्पत्ति का मूल्य	Value of Indian Properties sold by Pakistan ..	111
8788. अमरीका, रूस और अन्य नाटो राष्ट्रों तथा चीन द्वारा व्यूहकौशल परमाणु हथियारों का निर्माण	Tactical Nuclear Weapons devised by USA, USSR and other NATO Powers and China ..	111—112
8789. विस्फोटक कार्यों के लिये प्लूटोनियम के उप-उत्पाद का प्रयोग न करने के लिये अन्य देशों के साथ करार के अन्तर्गत भारत में चल रहे परमाणु रिएक्टर	Nuclear reactors operating in India under agreement with Foreign Countries for not utilizing by-product of plutonium for explosive purposes ..	112—113
8790. परिष्कृत थोरियम तैयार करने की प्रोद्योगिकी	Technology of preparing purified Thorium ..	113
8791. चाय बोर्ड के कर्मचारी	Staff in Tea Board ..	113—114
8792. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बिजली वाले गांव	Electrified villages of Vidarbha region of Maharashtra ..	114
8793. गिलगित-सिंकियांग क्षेत्र में चीनियों की गतिविधियां	Chinese movements in Gilgit-Sinkiang area ..	114—115
8794. संयुक्त मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक मद्रास द्वारा दिये गये लाइसेंस	Licences issued by Joint Chief Controller of imports and exports, Madras ..	115—116
8795. ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्यात	Export of Gramophone records ..	116
8796. ब्रिटेन के एक जहाज में भारतीयों की मृत्यु	Death of Indians on Board British Ship ..	116
8797. राज्य व्यापार निगम द्वारा दिल्ली में किराये पर ली गई इमारतें	Buildings hired by STC in Delhi ..	117
8798. मूंगफ़ली जन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये जापान के साथ करार	Agreement with Japan for export of groundnut extractions ..	118
8799. विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों को सौंपना	Handing over of foreign cultural Centre to private Organisations ..	118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8800. नाइलोन का मूल्य	Price of Nylon ..	118—119
8802. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के एक कारखाने की फालतू क्षमता का दूसरे कारखाने द्वारा उपयोग करना	Utilization of surplus capacity of one unit by the other in H.A.L. ..	119—120
8803. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न डिवीजनों में कार्य कर रहे प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists working in various Divisions of HAL ..	120—121
8804. भारतीय नौसेना के बारे में कमांडर सी० वी० नेदुंगाडी की रिपोर्ट	Report on Indian Navy from Commander C. V. Nedungadi ..	121
8805. खुपिया पुलिस द्वारा षडयन्त्रकारियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाना	Inter-State Gang of conspirators Unearthed by secret Police ..	121—122
8806. रूस के साथ व्यापार	Trade with U.S.S.R. ..	122
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के हड़ताल करने वाले श्रमिकों पर गोली चलाये जाने का समाचार	Reported firing on striking workers of Neyveli-lignite Corporation ..	122—127
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	127
कार्य मंत्रणा समिति— उन्चासवां प्रतिवेदन	Business Advisory Comittee— Forty-Ninth Report ..	128
वित्त विधेयक, 1970	Finance Bill, 1970 ..	128—192
खण्ड 3 से 39 और 1, तथा अनुसूचियां	Clauses 3 to 39 and 1, and schedules ..	128—186
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended ..	186
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok ..	186
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve ..	186
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam ..	187—188
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ..	188

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	.. 188
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Vishwanatham	.. 188
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	.. 188
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	.. 189
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 189
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 189
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 189
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	.. 189—190
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 190—191

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 6 मई, 1970 / 16 वैशाख, 1892 (शक)
Wednesday, May 6, 1970/Vaisakha 16, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

भारतीय टेनिस-खिलाड़ियों को बधाई
FELICITATIONS TO INDIAN TENNIS PLAYERS

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप टेनिस के हमारे खिलाड़ियों को, जिन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को हराया है, शुभ कामनायें भेजें ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब की ओर से टेनिस के खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होने हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एशियाई देशों के मामलों में बाह्य हस्तक्षेप के बारे में इण्डोनेशिया के साथ बातचीत

*144. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा इंडोनेशिया ने हाल में बाहर के देशों द्वारा एशियाई देशों के मामलों में हस्तक्षेप किये जाने की प्रवृत्ति की निन्दा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इस समय कौन सी शक्तियां एशियाई देशों के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं ; तथा वे किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही हैं ; और

(घ) क्या इस मामले में एशिया के अन्य देशों के विचार भी मालूम किए गये हैं और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ).माननीय सदस्य सम्भवतः मार्च 1970 में इंडोनेशिया के विदेश मन्त्री, डा० आदम मलिक के साथ विचार विमर्श की अखबारों में जो खबरें छपी थीं उसका उल्लेख कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर खासतौर से दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति पर, विचार विनिमय के दौरान दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि एशिया की बहुत सी समस्याओं की जड़ विदेशी हस्तक्षेप है। कुछ ही दिन पहले सदन में कम्बोडिया की गम्भीर स्थिति पर विचार विमर्श हुआ था जो कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण हुई गम्भीर क्षति का ज्वलंत उदाहरण है राजनयिक मिशनों के माध्यम से सरकार एशियाई सरकारों के साथ बराबर संपर्क बनाए हुए है। हाल ही में, दारेस्सलाम में गुटमुक्त देशों की प्रारम्भिक बैठक में कम्बोडिया और वियतनाम की समस्या के विशेष संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति पर सामान्य विचार विमर्श हुआ था। इस बात की जरूरत को आमतौर से सभी स्वीकार करते हैं कि आन्तरिक मामलों में इस तरह के विदेशी हस्तक्षेप को खत्म किया जाय तथा राज्यों की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए।

श्री रा० कृ० बिड़ला : माननीय मन्त्री ने अभी इस बात को स्वीकार किया है कि पश्चिमी देश विशेष कर अमरीका और रूस एशियाई देशों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए, क्या वह एशियाई देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह का कोई संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता लिये बिना ही अपनी समस्याएं हल कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : मैं भी चाहता हूं कि एक ऐसा संगठन हो, जो हमारी सभी समस्याओं को हल करे परन्तु ऐसे संगठन की स्थापना की कोई सम्भावना नहीं है। मेरे विचार में हमें जिन समस्याओं का सामना है उन पर विचार करने तथा उनका हल निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मंच पर लाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत अच्छी तरह से कर सकता है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : माननीय मन्त्री कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह के किसी संगठन के बनाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। क्या उनकी डा० मलिक के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें यह निर्णय किया गया था कि इस बात का पता लगाने के लिये कि एशियाई देशों से सम्बन्धित सभी मामलों को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा सकती है, एशियाई देशों का शीघ्र एक सम्मेलन बुलाया जाय और यदि हां, तो ऐसा सम्मेलन अभी तक बुलाया क्यों नहीं गया है और सरकार द्वारा इस सम्मेलन को बुलाने के बारे में विचार कर इस पर किस तारीख तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री दिनेश सिंह : उस बातचीत में सम्मेलन बुलाने का कोई निर्णय नहीं किया गया था।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मन्त्री जब इण्डोनेशिया गयी थीं तो उन्होंने एक सामान्य बयान दिया था कि विदेशी शक्तियों को हिन्द महासागर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में, क्या हम यह समझें कि चीन तो हिन्द महासागर में हस्तक्षेप कर सकता है परन्तु अन्य कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? चीन एक एशियाई देश है और कुछ एशियाई देश कम्बोडिया के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या ये एशियाई शक्तियां एशिया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं क्योंकि ये एशियाई शक्तियां हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। हमने जो कहा है वह यह है कि किसी भी देश को, चाहे वह एशियाई हो अथवा यूरोपीय या कोई और देश हो, किसी दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। प्रश्न तो एशिया में हस्तक्षेप, उपनिवेशवाद जिस तरह फैला उसके ऐतिहासिक पहलू, उपनिवेशवाद की शेष निशानियों तथा उस हस्तक्षेप के बारे में था, जो अब भी जारी है। परन्तु यह केवल किसी यूरोपीय अथवा किसी अन्य देश के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं है। किसी भी देश को किसी दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हिन्द महासागर के बारे में विचार यह है कि इसे परमाणु हथियारों से मुक्त रखा जाए तथा इसमें विदेशी सैनिक अड्डे न बनने पायें।

श्री बेदब्रत बरुआ : हिन्द-चीन के बारे में जनेवा सम्मेलन की तरह का एक सम्मेलन बुलाने के लिये फ्रांसीसी प्रस्ताव के बारे में सरकार ने क्या कोई विशेष रुख अपनाया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा सम्मेलन बुलाने के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ की है ? क्या यह समाचार भी सही है कि सरकार हिन्द-चीन में स्थिति के सम्बन्ध में तटस्थ एशियाई देशों की एक बैठक बुलाने के बारे में विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में कुछ देशों को हमारे दूतावासों द्वारा अवगत कर दिया गया है और यदि हां, तो इस मामले पर विचार करने के लिये भारत तथा अन्य पड़ौसी देशों का एक शीघ्र सम्मेलन बुलाने के बारे में क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : मुख्य प्रश्न वास्तव में भिन्न है। हम डा० आदम मलिक के दौरे की चर्चा कर रहे हैं। हिन्द-चीन के बारे में इस सभा में पहले काफी ब्यौरेवार चर्चा की जा चुकी है। अब जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठा ही दिया है, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि फ्रांसीसी प्रस्ताव हमारे विचारों के अनुरूप ही है। जहां तक तटस्थ देशों का सम्मेलन बुलाने की बात है, यह सुझाव इण्डोनेशियाइयों को हमने ही दिया था। जब उन्होंने एक अधिक बड़ा एशियाई सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया, तो हमने कहा कि यह अधिक अच्छा होगा यदि हम एक बड़े सम्मेलन की जिसमें सभी पक्षों के देश शामिल होंगे ताकि कोई शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके, तैयारी करने के लिये दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व के निर्गुट देशों का एक सम्मेलन बुलाएं।

श्री प० गोपालन : कम्बोडिया के बारे में सरकार ने यह निर्णय किया है कि उस देश से सभी विदेशी सैनिक निकाल लिये जाएं। वियतनाम के बारे में भी इस सरकार की वास्तव में यही स्थिति है जहां वियतनाम के लोग उस देश की उस अखण्डता तथा स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे हैं जिसकी जनेवा करार में गारंटी दी गई थी। क्या मंत्री महोदय अपने इस सामान्य नारे

को स्पष्ट करेंगे कि कम्बोडिया से सभी सैनिक हटा लिये जायं ? क्या मन्त्री इस तथ्य को मानते हैं कि तीनों हिन्द-चीनी देश—लाओस, कम्बोडिया तथा वियतनाम—आपस में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : अपनी राय मत पूछें व्यक्त कीजिये ; इस बात को आप एक प्रश्न के रूप में पूछें ।

श्री प० गोपालन : क्या ये देश एक दूसरे की सहायता करने के लिये बाध्य हैं ? यदि हां, तो सरकार एक देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले अमरीका जैसे देश की एक दूसरे की सहायता करने वाले कम्बोडिया, लाओस तथा वियतनाम जैसे देशों के साथ कैसे तुलना करती है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह प्रश्न इस समय सभा के विचाराधीन डा० आदम मलिक के दौरे के सम्बन्ध में नहीं है । यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ।

श्री प० गोपालन : प्रश्न के भाग (ग) के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, हम कोई इस बात का मूल्यांकन अथवा तुलना नहीं कर रहे हैं कि किस देश ने गलत अथवा ठीक कार्य किया है और किसने अधिक गलत अथवा अधिक ठीक कार्य किया है । हमारा बयान तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी देश में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । हम इस बात की तुलना नहीं कर रहे हैं कि किस देश ने दूसरे देश की तुलना में अधिक अथवा कम हस्तक्षेप किया है । जहां तक हिन्द चीनी देशों का सम्बन्ध है, वहां पर किसी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

आयात में कमी

1443. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी से नवम्बर, 1969 तक की अवधि में आयात में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो आयात में कमी होने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस कमी के लिये आयात प्रतिस्थापन किस हद तक जिम्मेदार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जनवरी-नवम्बर, 1969 में 1482 करोड़ रु० के मूल्य का आयात किया गया जब कि यह आयात गत वर्ष की उसी अवधि में 1766 करोड़ रु० के मूल्य का था ।

(ख) आयातों में गिरावट मुख्यतः खाद्यान्न, मशीनों, कपास, रसायनिक पदार्थों, लौह तथा इस्पात, अलौह धातुओं, पेट्रोलियम उत्पादों के कम आयातों तथा 1967-68 और 1968-69 में कम आयात लाइसेंस देने के कारण हुई ।

(ग) इस अवधि में आयात प्रतिस्थापन के कारण किस हद तक आयातों में कमी हुई है इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इसके साथ साथ कुछ अनिवार्य कच्चे मालों, संघटकों तथा फालतू पुर्जों की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : सरकार हमें यह बार बार बताती रही है कि उनकी आयात तथा निर्यात नीति की एक मुख्य बात आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का निर्माण करना है जिससे उन्हें मूल मशीनें आयात न करनी पड़ें। क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का निर्माण करने की अपनी नीति के फलस्वरूप सरकार को जो सफलता प्राप्त हुई है उसका कोई अध्ययन उसने किया है? क्या वह सभा को इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : डी० जी० टी० डी० ने 1960 से-1967 तक की अवधि में आयात प्रतिस्थापन का अध्ययन किया है और इसका परिणाम यह निकला है कि इस अवधि में 210.8 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में इससे बाद की अवधि का उल्लेख किया है और इसीलिये इस वर्ष विशेष में आयात प्रतिस्थापन से हुई बचत का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

श्री रंगा : उन्होंने व्यापार को अपने नियंत्रण में कब लिया था।

श्री वासुदेवन नायर : इस अवधि में आयात में काफी कमी हुई है। क्या आयात में कमी का कारण पिछले दो तीन वर्षों में आई मंदी तथा इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में आई शिथिलता है और क्या सरकार बाद में यह बताएगी कि यह कमी आयात प्रतिस्थापन तथा कई अन्य बातों के कारण हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, वह सही नहीं है। इस अवधि के आरम्भिक भाग में मंदी आई थी और इस पर इस सभा में चर्चा हुई थी। बाद में हमारे औद्योगिक क्षेत्र की शिथिलता दूर हो गई और इसमें प्रगति होने लगी और अब इसमें काफी प्रगति हुई है। यदि हम औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों के मासिक विवरणों को देखें तो पता चलेगा कि उत्पादन बढ़ा है। 1968-69 में यह 158 था जबकि 1969-70 में यह 169.5 है। अतः औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है। परन्तु जैसा कि मेरे साथी ने बताया है कि आयात में कमी मुख्यता अनाज, मशीनों तथा सूची में दी गई कुछ अन्य वस्नुओं के आयात में हुई कमी के कारण हुई है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : आयात प्रतिस्थापन की इस अंधाधुंध नीति के फलस्वरूप दो बुरी बातें होने लगेंगी। एक यह कि भारतीय पूंजीगत उपकरणों के निर्माता बहुत अधिक मूल्य लेने लगेंगे और दूसरी यह कि देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो विषमता है, वह और बढ़ जायेगी। इस बात का अध्ययन किया गया है और यह सिद्ध हो गया है कि हमारे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो विषमता है वह 20 वर्ष पहले जो विषमता थी, उससे कहीं अधिक बढ़ गई है। इन दो बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार देश के लिए आयात तथा निर्यात नीति निश्चित करने से पहले इन दो पहलुओं को ध्यान में रखेगी और आवश्यकतानुसार उसे नरम बनायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस बात पर माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। यदि हम पीछे रह जायेंगे, तो हम विश्व बाजार में

अपना माल तुलनात्मक दरों पर उपलब्ध नहीं कर सकेंगे और इसलिए समय समय पर औद्योगिक नीति निश्चित करते समय नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी से अवगत रहने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या मंत्री ने इस देश में भली प्रकार से निर्मित खनन उपकरणों को भी ध्यान में लिया है और क्या उन्होंने इस क्षेत्र का पूरा लाभ उठाया है ताकि आयात करने की बजाए देशी खनन उपकरणों का उपयोग किया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि डी० जी० टी० डी० द्वारा आयात लाइसेंसों की केवल तभी सिफारिश की जाती है, जब इसका समाधान हो जाता है कि देशी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों को तो रियायतें दी जाती हैं परन्तु आयात करने वालों पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ? क्या आयात में कमी इसी नीति के कारण हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि इस नीति से लाभ हो रहा है ।

श्री लोबो प्रभु : आयात पर व्यय में लगभग 400 करोड़ रुपये की कमी हुई है । इस धन को अलोह धातुओं, गंधक, नाइलोन जैसी वस्तुओं के आयात पर खर्च क्यों नहीं किया गया, जिनका यहां अभाव है और क्या सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहती है और यह देखती रहती है कि क्या हो रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं । हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रहते हैं । आयात पर खर्च में जो कमी हुई है वह उस कार्यवाही के फल स्वरूप हुई है जो हमने की है ।

जहां तक आयात न की गयी कुछ विशिष्ट वस्तुओं के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये परन्तु मुख्य बात यह है कि औद्योगिक कच्चे माल के आयात में वृद्धि हुई है ।

श्री के० रमानी : यहां सवाल यह उठता है कि आयात की जा रही वस्तु के बदले में किसका उपयोग किया जाय । हम अपने देश में रेयन धागे और रेशे का आयात कर रहे हैं तथा इस पर अत्यधिक विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में इतनी क्षमता बेकार क्यों पड़ी है । दस एककों से अधिक बेकार पड़े हैं । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध विचार किया है कि इस वस्तु का बिल्कुल आयात न किया जाये तथा देश में इसके उत्पादन को बढ़ाया जाये ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि क्षमता बेकार पड़ी है तथा आयात करने के बजाय इसका उपयोग किया जाना चाहिये । हमारी यही नीति रही है । किसी विशेष मद के सम्बन्ध में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और उस पर हम अलग चर्चा कर सकते हैं ।

श्री पीलु मोडी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि आयात की जा रही वस्तु का कोई विकल्प प्राप्त करने के लिए देशी संसाधनों का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है । 200 करोड़ रुपये की धनराशि का उल्लेख किया गया है तो इतने सालों में विदेशी मुद्रा के रूप में बचाए गये हैं । क्या उन्होंने आयात की जा रही वस्तु का विकल्प प्राप्त करने का उपभोक्ता के स्तर पर तथा पुनः निर्यात करने के स्तर पर संसाधनों की स्थिति तथा इससे सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना करने में पूंजी पर पड़ने वाले घातक प्रभाव का अनुमान लगाया है ।

श्री दिनेश सिंह : आत्म निर्भरता की प्रत्येक नीति का अपना मूल्य होता है । माननीय सदस्य यह कह रहे कि तकनीकी दृष्टि से उन्नत देश माल कम कीमत पर दे सकते हैं अतः हमें आयात की जा रही वस्तु का विकल्प प्राप्त करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए । इसका अर्थ यह होगा कि हमारे यहां उद्योग खड़े नहीं होंगे । वस्तु स्थिति यह है कि हम विकसित देशों से पीछे हैं, इसलिये अन्य देशों में होने वाले विकास को जानने के लिये हमें और अधिक त्याग करना होगा···

श्री पीलु मोडी : मैंने पूछा था कि क्या उन्होंने इससे होने वाली हानि का अध्ययन किया हैं । मैं राष्ट्रवाद पर भाषण नहीं चाहता ।

श्री दिनेश सिंह : यह राष्ट्रवाद का प्रश्न नहीं है । यह तो अर्थ शास्त्र का प्रश्न है जिसे सम्भवतः माननीय सदस्य नहीं समझते । मैं कह रहा था कि देश में औद्योगिक क्षमता बनाने के लिए निश्चय ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वह मंहगा भी होता है । यहां अध्ययन करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह काम करना हमारे लिये आवश्यक है ।

Shri Maharaj Singh Bharti : Whether it is correct that we are importing fertilizers and news-print worth crores of Rupees ? Upto what time the indigenous production of these things will start, so that they may not be imported ?

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य कोई विशेष प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैं एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं हम प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपये की ऊन का आयात कर रहे हैं । ऊन उद्योग ने सरकार को दस साल पहले एक योजना दी थी। रूस वाले दस वर्ष में ही मेरीनो भेड़ विकसित करने में सफल हो गये हैं । ऊन उद्योग द्वारा सरकार को योजना दिये अब दस साल हो गये हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने भारतीय मेरीनों का विकास करने का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया, जिससे कि हम प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकें ।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मुझे याद है हम देश में मेरीनो ऊन का विकास कर रहे हैं । यह अब किसी स्थिति में है मैं यह सही-सही नहीं बता सकता और न यह बता सकता हूं कि इसके लिये हमें रूस की मदद मिल रही है या नहीं । पर ऊन उद्योग के विकास के लिये हमें आस्ट्रेलिया से कुछ मदद मिल रही है । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हम उस पर भी सहर्ष विचार करेंगे ।

उपलब्ध साधनों को एकत्र करके सैनिक उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन

+

*1444. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों को एकत्र करके सैनिक साजसामान के स्वदेशी उत्पादन के विकास के लिये कोई औद्योगिक योजना तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग) . स्पष्टतः सरकार की यही नीति है कि सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में प्राप्य संसाधनों को इकट्ठा कर के सैनिक सामानों के स्वदेशी उत्पादन का प्रबन्ध किया जाय। हाल ही में यह फैसला किया गया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संशोधित औद्योगिक लाभ बन्दी योजना तैयार की जाय। एक औद्योगिक लाभबन्दी योजना के लिए आधार के निर्माण के लिए वरिष्ट अफसरों का एक कार्यकर दल स्थापित किया गया है। इस दल की रिपोर्ट कुछ ही मासों में प्रत्याशित है।

श्री सु० कु० तापड़िया : हमारे जैसे देश के लिए शस्त्रास्त्रों का उत्पादन बढ़ाना तथा उनका बड़ा भण्डार रखना न तो सम्भव है और न ही आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है। पर साथ ही रक्षा आयुधों के उत्पादन के अच्छे साधन हमारे पास होने चाहिये। इसलिये क्या सरकार ने कुछ ऐसी छाया फैक्टरियां स्थापित करने पर विचार किया है जो नक्शे इत्यादि तैयार रखें जिससे कि वे कम से कम समय में रक्षा उत्पादन में लग सकें।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जायेगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या उन्होंने देश में उपलब्ध लघु उद्योग क्षेत्र की क्षमता का अन्दाज भी लगा लिया है ? क्या उन्होंने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि वे लघु उद्योगों पर उत्पादन का कितना भार प्रभावशाली ढंग में डाल सकते हैं ?

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रतिरक्षा मंत्रालय इसे लगातार अपनाता आया है। 1965 से हम ऐसा कर रहे हैं। हम आयुध फैक्टरियों और निजी फैक्टरियों की क्षमता बढ़ाते आये हैं। चौथी योजना में हमारा लक्ष्य 250 करोड़ रु० का, जो कि हम अब आयात करते हैं, उत्पादन करने का है। इस प्रकार हम निजी क्षेत्र और लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : प्रतिरक्षा मंत्रालय के अत्यधिक सामरिक महत्व की सामग्री की सप्लाई के लिये निजी क्षेत्र को सहायता देने के लिये अन्तिमरूप से सहमत हो जाने का स्वागत किया जाना चाहिये।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों की उच्चस्तरीय समिति भी अधिकारियों के साथ इन उत्पादकों के प्रतिनिधियों का सहयोग करेगी जिससे कि एक पूर्ण प्रतिवेदन तैयार किया जा सके ?

दूसरे कब तक सर्वेक्षण पूरा कर लिया जायेगा और मंत्रालय को प्राप्त हो जायगा ?

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रतिरक्षा उत्पादन के साथ निजी उद्योग का सहयोग किस प्रकार का होगा, इस सम्बन्ध में कुछ कहना अभी सम्भव नहीं होगा । पर जब हम निजी क्षेत्र को दी जाने वाली वस्तुओं, उपकरणों आदि के बारे में तय करेंगे तब उस विशेष उत्पादन में लगे उद्योगों के साथ सहयोग करना प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये आसान होगा ।

मैं समझता हूं कि इस समिति को अपने प्रतिवेदन को अन्तिमरूप देने में लगभग छः मास लगेंगे ।

Shri Jageshwar Yadav : Our country is second in the world so far as the population is concerned, but even after twenty-two years of independence she is weak in the matter of defence. Even then the country is not awakening. At the time of Chinese aggression people gave gold, ornaments etc. with an open heart. Even then our country is weak in the matter of defence. I would like to know the reasons of this weakness.

श्री स्वर्ण सिंह : जिस अनुमान के आधार पर वे यह सवाल कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं । वह उचित नहीं है ।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत में प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास पर केवल 1.6 प्रतिशत अर्थात 18.3 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है जब कि अन्य देशों में प्रतिरक्षा बजट का 5 से 6 प्रतिशत तक विकास और अनुसंधान कार्य पर खर्च होता है ? यदि हां, तो प्रतिरक्षा उत्पादन के अनुसंधान और विकास पर रुपया खर्च न करके सरकार प्रतिरक्षा सम्बन्धी आधुनिकतम तकनीक के साथ किस प्रकार चलने की आशा कर सकती है और आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने प्रतिरक्षा के कुल बजट में से अनुसंधान और विकास पर होने वाले खर्च का जो प्रतिशत बताया है, वह सही है । पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसी अन्य संस्थायें भी हैं जो अनुसंधान कार्य कर रही हैं तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में हम देश में हो रहे सभी अनुसंधानों कार्यों का लाभ उठाते हैं । हम इसे बढ़ाना भी चाहते हैं, पर यह इतना आर्थिक संसाधन जुटाने का मामला नहीं है, जितना कि उचित प्रकार की वैज्ञानिक प्रतिभा प्राप्त करने का ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को सुनकर कि निजी क्षेत्र को भी कुछ काम मिलेगा और उनसे भी प्रतिरक्षा उत्पादन किया जायेगा । मेरे मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं भारत में भी अमरीका की तरह युद्ध का हौवा पैदा न हो जाये, जहां आयुधों का उत्पादन निजी क्षेत्र करना चाहता है और उसका उपयोग वह कोरिया, वियतनाम और कम्बोडिया में करना चाहता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आयुध कारखानों और अन्य कपड़ा फैक्टरियों के पास काम की कमी है । आयुध कारखानों में $3\frac{1}{2}$ हजार कर्मचारी आज भी बेकार बैठे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है कि आयुध फैक्टरियों की कीमत पर निजी क्षेत्रों को काम नहीं दिया जायेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही है। जो भी कुछ आगे किया जायेगा, वह आयुध फैक्टरियों की कीमत पर नहीं किया जायेगा। मैं इसको और साफ कर दूं। सेना की कपड़े की परियोजना पूरी हो गई है तथा उसके लिये हमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भर्ती करना है। अब काम कम हो गया है; हमें अन्य संस्थाओं, रेलवे, डाक तथा तार विभाग आदि से काम मिलने वाला है तथा हम इन फैक्टरियों को काम देने के लिये अन्य तरीके खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त प्रयत्नों का लाभ हम आयुध फैक्टरियों अथवा प्रतिरक्षा के उपकरणों के निर्माण में लगे सरकारी उपक्रमों की कीमत पर नहीं उठाना चाहते।

कम्बोडिया के मामलों में चीन का हस्तक्षेप

+

*1446. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन ने कम्बोडिया के पदच्युत राज्याध्यक्ष राजकुमार नोरोत्तम सिंहनुक का खुलेआम समर्थन करने का वचन दिया है और कम्बोडिया के लोगों से जनरल लोन नोल की अध्यक्षता में चलायी जा रही सरकार को पलट देने के लिए सशस्त्र विद्रोह करने की अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस खतरे का अनुमान लगाया है जो कि विश्व के इस भाग में चीनी विस्तारवाद से पैदा हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों में चीनी हस्तक्षेप के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी आवाज उठाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) विश्व के इस भाग में चीनी नीतियों से जो खतरा उत्पन्न हो गया है, उससे सरकार भली-भांति परिचित है।

(ग) सरकार ने कम्बोडिया के आन्तरिक मामलों में सभी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध अपने दृढ़ विचार व्यक्त किये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जय सिंह : कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आन्तरिकमामलों में हस्तक्षेप न करे—यह तो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। दक्षिण-पूर्व एशिया में हमें इसका प्रमाण मिलता है।

मैं जानना चाहता हूं कि चीन द्वारा इस नीति के अनुसरण के कारण उत्पन्न खतरे को

पूरी तरह ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने अपनी विदेश-नीति के निर्धारण करने में ठोस वास्तविकता पर भी पर्याप्त विचार किया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने निश्चित-ही कठोर वास्तविकता का ध्यान रखा है और कठोर वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही अपनी नीति का निर्धारण किया है और यह एक तथ्यपूर्ण नीति है ।

Shri Har Dayal Devgun : Prince Sihanouk has formed a parallel Government in Peking and the Chinese Government has recognised it also. Circumstances have changed after we gave notice of this question. Probably a privy purse has also been fixed for him. Hon'ble Minister has stated that Chinese policies in this field are creating a serious situation and posing a serious danger. China has created and developed internal disturbances and mutinies in this area in such a manner as has posed a danger to the countries of South-East Asia. Would the Government organise those countries whose freedom is in danger, to fight against this danger unitedly ? Would the Government try to form a united front to fight against this expansionism of China and cooperate with Malaysia, Singapore, Indonesia and other countries for this purpose ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir. We neither propose to form a front against China nor we have any such policy to pursue.

Shri Balraj Madhok : You do not have even courage to do it.

Shri Dinesh Singh : So far as the question of South-East Asia is concerned, people of those countries are responsible for their defence. If freedom of any country is in danger, how can we or any other country help that country, this question arises only when that country makes a request to that effect. But so far as our policy is concerned, we feel that as soon as economic condition of the countries of this area improves, their power to defend and people's determination for freedom would also increase. Therefore a policy was formulated for having an economic co-operation among themselves so that they may take part in one another's progress. So far as Defence treaty or Defence arrangement is concerned, we are not in favour of that.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के कारण मुझे अत्यधिक भ्रान्ति हो गई । जहां तक मैं समझता हूं, उत्तर यह है कि सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं । अब प्रश्न यह है कि क्या चीन ने पदच्युत कम्बोडियाई व्यक्तियों को बिना शर्त समर्थन देने का आश्वासन दिया है । मुझे नहीं मालूम कि राज्याध्यक्ष, राजकुमार नरोत्तम सिंहानूक को पदच्युत करने के लिये कम्बोडियाई जनता ने कब सशस्त्र विद्रोह किया । मगर राजकुमार नरोत्तम सिंहानूक का यह कहना है कि अमरीकी षड़यन्त्र के कारण उन्हें पदच्युत होना पड़ा और चीनी उनकी सहायता कर रहे हैं । वह कौनसा समाचार है जिसे मंत्री महोदय ने देखा है और उसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? उनका सिर्फ यह कहना है कि उन्होंने इस आशय का समाचार देखा है । आपके पास कौन-सी सूचना है ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे समाचार-पत्रों में और विदेशी समाचार-पत्रों में जो विभिन्न प्रकार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, उन सबकी जानकारी हमें है । आज का यह समाचार कि राजकुमार नरोत्तम सिंहानूक ने निर्वासित सरकार की स्थापना कर ली है और चीन की सरकार ने उसे मान्यता भी दे दी है और हांगकांग की एक प्रेस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वह फोम

फेन से अपने दूतावास को भी हटा रहा है । इसलिये हम यह कहते है कि ये इस प्रकार की खबरें है जो···

श्री इंद्रजीत गुप्ता : अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या आपको हांगकांग की खबरों का सहारा लेना पड़ता है ?

श्री रणजीत सिंह : वह कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से क्यों नहीं पूछते ?

श्री स० मो० बनर्जी : वह अमरीकी दूतावास के लोगों से क्यों नहीं पूछते ?

श्री हरदयाल देवगुण : वे कल ही अमरीकी दूतावास होकर आये हैं । इसलिये, वह उनसे मालूम कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम उन पर आरोप लगा कर और खरी-खरी सुना कर आये हैं ।

श्री हरदयाल देवगुण : अमरीकी सलाहकार ने उन्हें रिपोर्ट दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : शाम को वे दूतावास गये और हमारी ओर से माफी मांगी ।

श्री दिनेश सिंह : इसलिये हमने किसी से भी पूछा नहीं हैं, बल्कि जो खबरें आ रही हैं, उनका ही सहारा लिया है । जहां तक कम्बोडिया का प्रश्न है, हमने इस मामले पर पहले ही विस्तारपूर्वक विचार किया है ।

Shri Chandrajit Yadav : In reply to part (c) of the question, he has stated that he is opposed to outside interference in the internal affairs of any country and that any out side armed forces should be sent anywhere. But today it is a well known fact that American army is fighting in Cambodia on a large scale and there is risk of more soldiers being sent there in future. U Thant has issued a statement only yesterday from U. N. O. Head quarters that he is going to convene an International Conference to discuss this serious danger and that all the parties concerned should participate in it. I want to know from the Hon'ble Foreign Minister the Government of India's reaction to this International Conference and would he support this proposal ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, that is exactly what I had said in my statement.

श्री रणजीत सिंह : कुछ भ्रांति मालूम पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे और अधिक भ्रामक मत बनाइये ।

श्री रणजीत सिंह : क्या हमारी सरकार उस सरकार को मान्यता देती है जिसके अब राजकुमार सिंहानूक अध्यक्ष नहीं हैं और जो संवैधानिक सरकार है ?·····

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वह वैधानिकरूप से कब बनी थी ?

श्री रणजीत सिंह : उस सरकार ने क्या निवेदन किये हैं और क्या समाचार हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? अगर कोई भ्रान्ति है और सरकार को सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो क्या सही स्थिति का पता लगाने के लिये शीघ्र ही एक संसदीय शिष्टमण्डल कम्बोडिया भेजने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है ।

श्री दिनेश सिंह : संभवतः, सदस्य महोदय उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे, जब उनके

ही एक अन्य साथी ने यही प्रश्न पूछा था। मैंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है और उसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भी भेज दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह कम्बोडिया को एक संसदीय शिष्टमण्डल भेजने पर सहमत होंगे ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं।

श्री रणजीत सिंह : क्यों नहीं ?

श्री चेंगलराया नायडू : मुझे प्रसन्नता है कि जब अमरीकी फौजों ने कम्बोडिया में प्रवेश किया, तो हमारी सरकार ने उस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। परन्तु जब उत्तर वियतनाम की फौजों ने कम्बोडिया में प्रवेश किया, तो हमारी सरकार ने गम्भीर चिन्ता क्यों व्यक्त नहीं की थी ?....

श्री रामावतार शास्त्री : वह यह भी कर सकते हैं ?

श्री चेंगलराया नायडू : उन्होंने उस पर अपनी गम्भीर चिन्ता क्यों नहीं व्यक्त की ? क्या वे रूस से आदेश मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू : यह स्पष्टतया एक प्रश्न है। अगर आप यह कहते हैं कि यह प्रश्न नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि प्रश्न क्या होता है ? उन्हें रूस से आदेश मिलते हैं और इसीलिये मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस बारे में भी उन्हें रूस से आदेश प्राप्त हुए थे। अब मैं अपना प्रश्न रखता हूं। हमारे देश में, ये कम्युनिस्ट आदि प्रतिक्रियावादी राजकुमारों के खिलाफ हैं। लेकिन कम्बोडिया में एक प्रतिक्रियावादी राजकुमार को वहां की जनता ने पदच्युत कर दिया है तो उसका रूस, चीन और कम्युनिस्टों द्वारा समर्थन क्यों किया जा रहा है ? जब वे सदैव ही किसी देश की जनता का समर्थन करते हैं, तो कम्युनिस्ट इस मामले में एक प्रतिक्रियावादी राजकुमार का क्यों समर्थन कर रहे हैं ? मैं अपनी सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह वहां की जनता और जनता की सरकार का समर्थन करेगी अथवा एक प्रतिक्रियावादी राजकुमार का समर्थन करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : कुछ माननीय सदस्यों की देश के बाहर के व्यक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करने की आदत है, इसलिये वे सोचते हैं कि अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। इस देश के बाहर हमारा कोई प्रेरणा-स्रोत नहीं है और माननीय सदस्य हमारे उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और उन्हें देश से बाहर प्रेरणा प्राप्त नहीं करनी चाहिये, भले ही वह सोवियत संघ, अमेरिका या ब्रिटेन अथवा अन्य कोई देश क्यों न हो।

प्रश्न के दूसरे भाग के लिये, वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पत्र लिखने का कष्ट करें, मुझे विश्वास है कि वे अवश्य ही उत्तर देंगे। सरकार दूसरी पार्टी के लिये जवाब नहीं दे सकती कि उसकी क्या भावनाएं हैं।

जहां तक सरकार के दृष्टिकोण का प्रश्न है, सरकार निस्सन्देह, संवैधानिकरूप से गठित की गई जनता की अन्य सरकार का समर्थन करेगी।

श्री चेंगलराया नायडू : मैंने यह स्पष्टतः पूछा था कि सरकार कम्बोडिया में जनता की सरकार का समर्थन करेगी अथवा एक प्रतिक्रियावादी राजकुमार की सरकार का ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री क० नारायण राव : मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार की नीति किसी देश द्वारा अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किये जाने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध करने की है । अगर सरकार का दृष्टिकोण ऐसा है तो सरकार ने इस बारे में विरोध करने के लिए कम्बोडिया के सम्बन्ध में क्या किया है । जनेवा-किस्म का समझौता अथवा प्रबन्ध उपनिवेशी संदर्भ के कारण पहले हुआ था लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है और कम्बोडिया अरब संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्य राज्य बन गया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आज का कम्बोडिया पिछले दिनों के कम्बोडिया से पूर्णतः भिन्न है, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने लाने में सरकार के सम्मुख कौन सी चीज बाधक बन रही है ?

दूसरे दिन कुछ अमरीकी प्राधिकारियों ने कहा कि आज कम्बोडिया में अमरीका जो कुछ कर रहा है, वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग है जब तक कि मामला संयुक्त राष्ट्र के सामने नहीं लाया जाता । इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार विवाद के स्थानीकरण की अपनी नीति में परिवर्तन करेगी और उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के समुचित अंग के सामने लायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : भारत सरकार इस समय इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के बारे में विचार नहीं कर रही है । माननीय सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ लिया होगा । उन्होंने भी हमारी ही भांति इस विषय पर विचार किया है कि इस मामले को सम्बंधित अधिकारियों की तथा अन्य लोगों की, जो इसमें रुचि ले रहे थे, परस्पर बातचीत करा कर अधिक अच्छी तरह सुलझाया जा सकता है और इस समय इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता ।

Export of Iron Scrap

*1447. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that export of iron scrap has registered a decline this year, particularly in the month of March ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the present stock of iron scrap in the country ; and

(d) the action taken by Government to boost its export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) There has been some decline in the export of ferrous scrap in recent months. Against average monthly export of 37,635 M/T valued at Rs. 74 lakhs during 1969, average monthly exports during quarter ended March, 1970 has been 28,478 M/T valued at Rs. 72.31 lakhs. Exports during March, 1970, were 25,463 M/T valued at Rs. 71.88 lakhs as compared to 77,251 M/T valued at Rs. 136.61 lakhs in March, 1969.

(b) The main reason for decline is the increased internal consumption of ferrous scrap by domestic users.

(c) Precise estimate of the present stock is not available. However, availability of scrap arisings for 1970-71 is placed at about 3½ million tonnes on the basis of estimate made in a commodity survey undertaken by Metal Scrap Trade Corporation in 1968.

(d) To boost exports ferrous scrap, a special agency, viz. Metal Scrap Trading Corporation has been set up with Government participation through MMTC, to undertake coordinated exports and to organise better collection and processing of ferrous scrap. In addition cash compensatory support at 5% of the fob value of exports is allowed which is meant to strengthen the collection effort. Periodical market surveys are conducted and when considered necessary, trade delegations are sponsored to explore new markets.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, whether it is a fact that the Iron and Steel Scrap Association has told the Government that the big obstacle in the way of scrap export is that they have to give double the quantity of scrap than they export, at subsidised rate to the indigenous buyers ? Because of this supply at subsidised rate they are not in a position to export scrap. May I know whether Government have considered their demand that if Government remove this condition, they are ready to forgo the 5% rebate they are getting ?

Shri Ram Sewak : It is a fact that this association has to supply some material to the indigenous furnaces.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Don't they supply double the quantity of the scrap that they have to export ?

Shri Ram Sewak : They have not to supply double the quantity to the indigenous furnaces.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Mr. Sperker, the remaining part of my question has not been replied. If Government can remove this condition, they are ready to forgo the 5% rebate they are getting.

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Mr. Speaker, the hon. Member is aware that the shortage of iron has been felt by other countries also like us, but we have to meet our requirements first because it is used in those things which we exported afterward. If we will export iron, we will find difficulty in making finished product. Therefore, it has been considered in favour of exports to supply some quantity of it where things are being produced for export.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether it is also a fact that they also stated that it is useless to supply raw material to the owners of indigenous furnaces, because there is no control on their production and the price of their production has become double during the last 8-9 months ? Whether it is also a fact that the foreigners purchase our material at one and a half times of the price, and pay import duty also and even then they complete with the indigenous furnace owners in the market ?

Shri Dinesh Singh : They stated something like this. Its price is also increased, but the hon. Member is aware that there has been some decrease in these prices recently. This difficulty has arisen this year, because the production of iron is not according to our requirements. But as soon as this situation improves the trade position will also improve.

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक स्पष्ट आश्वासन दे सकती है कि आंतरिक मांगों को पहले पूरा किया जायेगा और छीलन की सप्लाई देश में उत्पादकों को की जायेगी और यदि कुछ फालतू बचेगी तो केवल उसका ही निर्यात किया जायेगा ?

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir, we are making such efforts.

फरक्का के मामले को पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाना

*1450. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि फरक्का का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जायेगा ;

(ख) क्या इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस उद्देश्य से जोरदार राजनयिक अभियान आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाये जाने के प्रयास को पहले से ही परास्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार इस बात को देख रही है कि इस उद्देश्य से पाकिस्तान जबर्दस्त राजनयिक लाबीबाजी कर सकता है । हमारा विचार यह है कि यह सवाल तथा दोनों देशों के बीच की अन्य समस्याओं को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना चाहिए । इस विचार से तीसरे देशों को भी अवगत करा दिया गया है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस बांध को पूरा करने में विलम्ब करने से पाकिस्तान को अधिक लाभ हो रहा है । मैं जानना चाहती हूं कि सरकार द्वारा इस बांध को जून 1970 तक पूरा करने के बारे में क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं जैसी कि आरम्भ में आशा की गई थी । क्योंकि अगर इस कार्य में इस प्रकार विलम्ब किया गया तो पाकिस्तान सरकार को लाभ मिलता रहेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मुझे विश्वास है कि सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय इस काम में पूरे जोर से लगा हुआ है, और वे अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि यह बांध यथासम्भव शीघ्र पूरा हो जाय । मुझे विश्वास है कि सदन में इस बारे में चर्चा हुई थी और उस समय सभा को पूर्ण जानकारी दी गई थी ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरा प्रश्न यह नहीं था । कुछ भी सही, पाकिस्तान द्वारा इस प्रश्न को सरकारी स्तर से ऊपर राजनीतिक स्तर पर जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और ऐसा इस प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर ले जाने के लिये किया जा रहा है । सरकारी स्तर से राजनैतिक स्तर पर ले जाने की इस कार्यवाही के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने पाकिस्तान को इस मामले में उनके साथ बातचीत करने तथा उनको यह विश्वास दिलाने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है कि फरक्का से उनको कोई हानि नहीं होगी और अगर इस बांध से उनका कोई अहित होने की सम्भावना होगी तो हम इस मामले पर विचार करेंगे । इसी कार्य में हम लगे हुए हैं ।

दुर्भाग्यवश पाकिस्तान सरकार अपेक्षित सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी देने में असमर्थ रही उन्होंने अपनी मांगें अत्यधिक बढ़ा दी हैं, इसलिये जब तक कि हम किसी निर्णय पर पहुंचें

तकनीकी बातचीत जारी रखना आवश्यक है जब कि हम पाकिस्तान की वैध आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में समर्थ होंगे और यह जान सकेंगे कि हम किस प्रकार उसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिये, हमने कहा है कि हम इसका समाधान निकालने के लिये राजनीतिक स्तर पर मामले पर चर्चा करने को सहमत हैं। इस प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने को हमारे सहमत होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह पाकिस्तान तथा हमारे बीच पूर्णतः द्विपक्षीय मामला है।

श्री तिरुमल राव : पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपनी राजनीतिक रोष बढ़ा रहा है और मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय बांध को शीघ्र पूरा करने के लिये कार्य कर रहा है। क्या सरकार को पता है कि मुख्यतः राजनीतिक दलों के प्रयत्नों के कारण स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन किये जाने के कारण उस क्षेत्र में संकट व्याप्त है? समय सूची के अनुसार बांध का निर्माण करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : माननीय सदस्य ने जो कहा, वह ठीक है। वहां कुछ श्रमिक-संकट पैदा हो गया था और काम की गति धीमी पड़ गई थी। गत एक महीने में श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है।

जो कुछ भी हो, हम वह कार्य निर्धारित समय-सूची के अनुसार नहीं कर सकेंगे।

श्री रंगा : आप सेना की सेवाओं का लाभ क्यों नहीं उठाते।

श्री समर गुह : पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में फरक्का बांध का प्रश्न उठाये जाने का जो प्रयास किया गया है, वह मात्र राजनैतिक उद्देश्य को लेकर किया गया है। पाकिस्तान सरकार, कश्मीर या नहरी पानी के मामले में भारत विरोधी अभियान द्वारा पूर्वी बंगाल के लोगों की भावनाओं को उकसाने में असफल रही है, अतः वह फरक्का बांध की आड़ लेकर पूर्वी बंगाल के लोगों में भारत के प्रति शत्रुता की भावना पैदा कर रही है। बंगाल की जनता और पूर्वी बंगाल के मुसलमान भारत विरोधी नहीं हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उनमें से अधिकांश लोग पाकिस्तान रेडियो सुनने की अपेक्षा भारत से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनना अधिक पसन्द करते हैं। पूर्वी बंगाल के लोगों में भारत-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिये यह एक राजनीतिक अभियान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इसका मुकाबला करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी और लोगों को बताएगी कि पूर्वी बंगाल की समस्या पानी का अधिक होना है, न कि कम होना और पूर्वी बंगाल के लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं, न कि पानी के अभाव से।

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि पाकिस्तान बिना किसी आधार के इस मामले को राजनीतिक बनाना चाहता है। इसी कारण हम उनके साथ तकनीकी ब्योरे के बारे में बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और जब बात स्पष्ट हो जायगी तो उनके प्रचार का कोई आधार नहीं रह जायगा। वस्तुतः पूर्वी बंगाल की समस्या पानी का बाहुल्य है, न कि कमी।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Ballia Bariya Bandh

S.N.Q. No. 29. **Shri Chandrika Prasad :** **Shri Satya Narain Singh :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ballia Bariya Bandh at village Gayaghat is being eroded by river Ganga for many years and it is feared that the Bandh will be completely washed away this year ;

(b) whether it is also a fact that Government are delaying this work even after they have discussed it with the Irrigation Minister of Uttar Pradesh ; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) to (c). During the last few years, the Ganga has been eroding its left bank near village Gaighat and has been threatening the safety of the Ballia Beria Bund. The problem has assumed serious proportions during the last two years. The State Government have been doing some work to prevent further encroachment of the river. To provide permanent protection to the Bund, model studies have been carried out recently which have indicated that four solid spurs and five submerged bars should be provided for the effective protection of the area. The work is estimated to cost Rs. 1.5 crores. On account of paucity of funds, the State Government is finding it difficult to start the permanent works. However, they propose to carry out necessary temporary protection works to prevent further erosion. Collection and transport of materials required for protection of bank is being done.

Shri Chandrika Prasad : This bandh will not last this year with temporary protection. This work has been going on for the last 4-5 years and about 50 lakh rupees have been spent on it. Dr. K. L. Rao has also gone there. Permanent protection will cost rupees 1.5 crores where as 50 lakhs have already been spent on temporary protections. Considering the seriousness of the situation the attention of Finance Minister was drawn towards it, and an inquiry is being conducted to help in this work. Therefore I want to know if the Central Government will give a written assurance to the U. P. Government for financial assistance so that work on permanent protection can be started ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): केन्द्र सरकार ने भी इस कार्य को अत्यधिक महत्व दिया है । हम भी इस कार्य को शीघ्र आरम्भ कराने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार पर जोर डाल रहे हैं । जहां तक वित्तीय सहायता का प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण का कार्य राज्य सरकार को करना होता है और उत्तर-प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह योजना में आवंटित राशि का इस्तेमाल पहले इस पर तथा बाद में अन्य कार्यों पर करे । अत: ऐसी स्थिति में वित्तीय सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Chandrika Prasad : Sir, is it a fact that flood control is a State subject ? U. P. is such a big State that 8 crore rupees for 5 years does not mean any thing. This amount has been sanctioned but if the U. P. Government does not undertake any action will the Central Government leave us to the mercy of God ? If the U. P. Government does not undertake this

work the railway line which is two miles from bandh will be washed away. If this bandh is eroded 2/3 of the district will be destroyed. A population of 40 to 50 thousands, alongwith thousands of animals and property worth several crores will be destroyed. In this condition I want to know from the Railway Ministry whether this line will be protected by using the I.W.T. Cargo Ships lying unutilised at Dherison and Chunar ? These can be used for putting in stores at the Gram Gayaghat on the Ganga. This work should be undertaken on a war footing so that the Bandh is strong enough to prevent erosion by the Ganga.

डा० कु० ल० राव : मैंने पहले ही कहा है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, वह बिल्कुल सही है। यदि बांध में दरार आ गई है तो इससे न केवल भूमि के एक बड़े भाग को क्षति पहुंचेगी, बल्कि 15000 से भी अधिक लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

Shri Shiv Charan Lal : Sir, the hon. Minister, Dr. K. L. Rao, has twice gone to Ballia because of the serious situation there. I want to know if the hon. Minister has given an assurance to the stricken people there, that erosion by the Ganga will be stopped ? If so, then why is this work not being started immediately by making it a central project ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस बांध का निरीक्षण दो बार कर चुका हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें इस कटाव को रोकने के लिये योजना को शीघ्र पूरा करना चाहिये और राज्य सरकार को भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी, ताकि बांध में दरार न आने पाए।

Shri Satya Narayan Sinha : Mr. Speaker, I would like to know from the hon. Minister as he has himself accepted that situation is very serious which could cause destruction of landed property and cattle on a large scale and to save this district this plan should be given top priority and work should be started. He has just said that they cannot do anything unless the State spends 1.5 crore rupees. If the State does not spend this amount then keeping in view the seriousness of the situation are you ready to complete the work immediately on your own?

डा० कु० ल० राव : मैं पहले यह निवेदन कर चुका हूं, हम राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इसे उच्च प्राथमिकता दे। साथ ही मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना की गई है कि वह स्वयं इस मामले को देखें।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचवर्षीय योजना बनाते समय कोई राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार बाढ़ों तथा सक्षुब्ध नदियों से भूमि कटाव आदि जैसे दैवी प्रकोपों से होने वाली क्षति के बारे में ठीक अनुमान नहीं लगा सकती। क्या भारत सरकार दरिया एवं छिटोनी बांध तथा उसके आस-पास की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष कार्यवाही करेगी, ताकि भविष्य में केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता की आवश्यकता न रहे ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। हम इनके बारे में पहले से योजना नहीं बना सकते। जैसा कि सिंचाई आदि परियोजनाओं के मामले में करते हैं। अतः हम राज्य सरकार को योजना में ऐसे अपरिहार्य आकस्मिक खर्चों के लिए थोड़ा बहुत

धन देते रहते हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित छिटोनी तथा बलिया बरिया बांधों से हमें काफी कठिनाई हुई है। मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बलिया बरिया बांध की मरम्मत के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, hon. Minister has just said that he as well as the Prime Minister has written to the State Government but if the State Government does not accept or delays it, under those circumstances will the Government take over the work keeping in view the critical conditions there ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से अवगत हूं किन्तु केन्द्र के लिए यह कार्य करना संभव नहीं, अतः राज्य सरकार को ही इसे हाथ में लेना होगा।

Shri M. A. Khan : Mr. Speaker, hon. Minister has said that the condition of bandh is very critical and it can be washed away this year. Two districts will be seriously affected. Has the amount of 1.5 crore rupees been given for this work or for other works also ? If this has been given for other works also, then in case of shortage of money will the hon. Minister sanction money from the flood control fund, so that the work can be undertaken and the lives of people and animals could be saved in the two affected districts ?

डा० कु० ल० राव : महोदय, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और वहां इन कार्यों की अत्यधिक महत्ता को देखते हुए योजना आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या यह राशि दो ढाई करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। निर्णय जो कुछ भी हो किन्तु यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य सरकार अपने समस्त प्रयत्नों से इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करे और यदि आवंटित राशि से काम न चलेगा तो केन्द्र सरकार इस मामले को स्वयं देखेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1970 में आरम्भ होने वाले दशक में हिन्द महासागर में अमरीका, रूस तथा चीन के बीच त्रिपक्षीय शक्ति प्रतियोगिता

*1442. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने प्रतिरक्षा मंत्रालय संबंधी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह बताया है कि 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में हिन्द महासागर में अमरीका, रूस तथा चीन के बीच त्रिपक्षीय शक्ति प्रतियोगिता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मंत्रणा समिति के संगठन और कृत्य को नियमित करने के लिए विरोधी दलों/ग्रुपों के नेताओं से सलाह मशविरे में निर्धारित मार्ग निरूपण रेखा के अनुसार उनकी बैठकों में हुए विचार-विमर्श का सभा सदन में कोई उल्लेख नहीं किया जाना है।

नाइलोन धागे की मांग और पूर्ति

*1445. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1970 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कपड़ा आयुक्त ने नाइलोन धागे की मांग और पूर्ति के अन्तर का अनुमान 11,000 टन लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को पूरा करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग मुख्यत: विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में है और बुनाई एकक एक प्रकार के कृत्रिम रेशम धागे के स्थान पर दूसरे प्रकार के धागे का प्रयोग आसानी से शुरू कर सकते हैं और वे ऐसा करते भी हैं । अत: किसी एक प्रकार के धागे की मांग का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । किन्तु, सरकार ने वस्त्र नाइलोन धागे की 18, 600 मे० टन की कुल क्षमता के लिये लाइसेंस / आशय-पत्र जारी किये हैं । नाइलोन धागे का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है और अल्प समय में ही सम्पूर्ण लाइसेंसशुदा क्षमता की स्थापना सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । अन्य प्रकार के कृत्रिम रेशम फाइबर / धागे की प्राप्यता को सुधारने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं । घरेलू उत्पादन के अनुपूरक के रूप में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उस सीमा तक नाइलोन धागे का आयात भी किया जा रहा है जो उचित स्तर पर मूल्य बनाये रखने के लिये आवश्यक समझी जाती है । ऐसा करते समय विगत में नाइलोन धागे की खपत, अन्य प्रकार के कृत्रिम रेशम धागे की प्राप्यता आदि जैसे विभिन्न संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है ।

भारत-अमरीकी व्यापार के बारे में अमरीकी राजदूत का वक्तव्य

*1448. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ में अमरीकी राजदूत द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि भारत अमरीका को अधिक मानव केशों, चरवाहा बूटों तथा खादी के कपड़ों का निर्यात करेगा तो अमरीका भारत को हिप्पियों का भेजना कम कर देगा ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अकरीकी राजदूत द्वारा और क्या सुझाव दिये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). अमरीका से हिप्पियों के निर्यात से सम्बन्धित कथन स्पष्टत: परिहास के रूप में था । मुख्य विषय अमरीकी

बाजारों में चाय, मानव केशों, चरवाह बूटों तथा खादी के कपड़ों जैसे अनेक परम्परागत तथा अपरम्परागत भारतीय उत्पादों की निर्यात सम्भाव्यताओं का था । व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने, जो जनवरी, 1970 में सं० रा० अमरीका गया, परम्परागत मदों के बारे में भारत की स्थिति मजबूत करने तथा सं० रा० अमरीका को निर्यात के लिये नये उत्पादों का पता लगाकर निर्यात बढ़ाने के लिये कतिपय सिफारिशें कीं ये सिफारिशें सक्रियरूप से सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) अमरीकी राजदूत ने अपनी सरकार द्वारा विकासशील देशों की व्यापार समस्याओं के समाधान की ओर दिए गये ध्यान का भी उल्लेख किया जैसेकि अंकटाड में अमरीकी प्रस्ताव-अधिमानों की सामान्य योजना और गैर-टैरिफ अवरोधों को दूर करना । दोनों देशों के व्यापारियों द्वारा व्यापार को विकसित करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही पर जोर दिया गया ।

चुने हुए उद्योगों का निर्यात सम्बन्धी कार्य निष्पादन

*1449. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन 10 चुने हुए उद्योगों के कारखानों के कार्य की प्रगति से निराशा हुई है जिनमें सरकार ने निर्यात की मात्रा के आधार पर आयात करने का हक प्रदान किया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौर-कौन से हैं जिनको इस श्रेणी में रखा गया है और उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अनिवार्य निर्यात योजना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एककों का निर्यात निष्पादन, कुल मिलाकर निराशाजनक रहा है ।

(ख) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के लिए इस योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की सूचियां (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3419/70]**

महाराष्ट्र में पैठन के निकट गोदावरी परियोजना के लिए धन नियत करना

*1451. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पैठन के निकट गोदावरी परियोजना पर कार्य की गति अपर्याप्त धन-व्यवस्था के कारण धीमी पड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से, योजना में निर्धारित धन के अतिरिक्त और अधिक धन नियत करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयकबाडी परियोजना पर कार्य की प्रगति को सीमित रखना पड़ा था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मास्को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भारत-रूस मैत्री सोसायटी के सदस्य विद्यार्थियों को वरीयता देना

*1452. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्कों विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये भारत के उन विद्यार्थियों को वरीयता दी जाती है जो भारत-रूस मैत्री सोसायटी के सदस्य हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

ताईवान तथा दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

*1453. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताईवान तथा दक्षिण कोरिया के साथ भारत का व्यापार हाल में बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि भारत के साथ इन देशों के राजनीतिक सम्बन्धों में सुधार हो जाये और कुछ वर्तमान बाधाएं दूर हो जायें, तो इन देशों के साथ व्यापार में और वृद्धि होने की गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर ताईवान के सम्बन्ध में इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) विशेषरूप से इन दो देशों को निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग). कोरिया गणराज्य के साथ भारत के कोन्सलीय तथा व्यापार सम्बन्ध हैं । दोनों देशों के बीच व्यापार पर सामान्यरूप से विदेशी व्यापार के लिये लागू प्रतिबन्धों से अधिक कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं ।

जहां तक ताइवान के साथ व्यापार का सम्बन्ध है, भारत तथा ताइवान में पक्षों के बीच व्यापार पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई

*1454. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कूच-बिहार जिले में, सिंचाई प्रयोजनों के लिये बिजली की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने वाली छोटी तापीय परियोजनायें स्थापित करने में असिंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार उसके पश्चात् पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों के लिये बिजली तथा सिंचाई की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य की योजना के परिव्यय में से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्विति के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत ग्राम विद्युतीकरण स्कीम में राज्य के विभिन्न जिलों में 1500 ग्रामों का विद्युतीकरण और लगभग 10100 नलकूपों/पम्पों का ऊर्जन परिकल्पित है। इस कार्यक्रम में कूच-बिहार के जिले में 31 ग्रामों के विद्युतीकरण की व्यवस्था है। राज्य की योजना के परिव्यय के अतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड और देश के अन्य राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता देगा।

(ख) से (घ). राज्य के अधिकारियों से कहा गया है कि वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों समेत राज्य के विभिन्न जिलों में तथा कूचबिहार समेत उत्तरी बंगाल के उन जिलों में जहां भूगत जल संसाधनों के समुपयोजन के लिए गुंजाइश है, कूपों के ऊर्जन के लिए समन्वित कार्यक्रम तैयार करें। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिजली की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए पग उठाए जाएंगे।

Nepal's Trade with Pakistan through Indian Territory

*1455. **Shri Deven Sen :**
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Nepal announced that Nepal would carry on her trade with Pakistan via West Bengal ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). As Hon'ble Members are aware, facilities are available under the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit (1960) for Nepal to export goods to third countries and to import goods from third countries through the Port of Calcutta.

In addition, occasionally facilities have also been provided for the movement of Nepalese goods upto the Indian rail heads of Radhikapur near the Indian border with East Pakistan.

अन्तः क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था

*1456. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रकाशित एशिया तथा सुदूर-पूर्व की देशों के लिये आर्थिक आयोग के 1959 के आर्थिक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 1970 में अन्तः क्षेत्रीय व्यापार की व्यवस्था तथा उस क्षेत्र के लिये 'भुगतान संघ' बनाने के ठोस प्रस्तावों की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अन्तः क्षेत्रीय व्यापार के विकास के लिये ऐसे ठोस उपाय करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या मत प्रकट किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इकाफे क्षेत्र के लिए व्यापार विकास तथा उदारीकरण और भुगतान प्रबन्धों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर सदस्य सरकारों द्वारा जिनमें भारत भी शामिल है, विचार किया जा रहा है । एशिया तथा सुदूर-पूर्व आर्थिक आयोग द्वारा अनेक अन्तः सरकारी बैठकों तथा परामर्शों की व्यवस्था की जा रही है जिनमें इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने हेतु वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारों तथा केन्द्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक भी शामिल है ।

भारत की समुद्री सीमा

*1457. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र में तेल और खनिज निक्षेपों को ध्यान में रखते हुये अनेक देशों ने अपनी समुद्री सीमा का विस्तार करने का अभियान चलाया है अथवा चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर में अपनी समुद्री सीमा को पुनः निर्धारित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कई राज्यों ने विभिन्न कारणों से अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा 12 मील तक बढ़ा दी है ।

(ख) भारत सरकार ने 30 सितम्बर, 1967 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा 12 समुद्री मील तक बढ़ा दी । उस समय तक, 22 मार्च, 1956 में जारी किये गए घोषणा पत्र के अन्तर्गत, भारत के प्रादेशिक समुद्र की सीमा केवल 6 मील तक बढ़ाई गई थी ।

निर्यात के लिये प्रोत्साहन

*1458. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्यात की प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिये उपर्युक्त प्रोत्साहन देने की पेशकश की है ताकि निर्यात के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके ।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि प्रोत्साहन योजना को एक-एक उत्पाद की छानबीन के बाद कार्यान्वित किया जाना चाहिये ;

(ग) क्या यह सुझाव भी दिया गया है कि निर्यात में सात प्रतिशत की वृद्धि उत्पादन तथा आयोजन में उचित समन्वय द्वारा ही सम्भव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) निर्यात हेतु उत्पादन के लिये, और निर्यात-उत्पादन के लिये क्षमता के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने में, आयात नीति में तथा जहां तक संभव हो दुर्लभ कच्चे माल के आवंटन में भी अधिमान्यता दी जाती है ।

(ख) और (ग). जी हां ।

(घ) इस विषय में किये गये महत्वपूर्ण उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3420/70]** निर्यात में सात प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिये विवरण में दिये गये उपाय किये जायेंगे तथा योजना आयोग के साथ और निर्यात योग्य माल के उत्पादन के लिए प्रशासकीय तौर पर उत्तरदायी मंत्रालयों के साथ लगातार सम्पर्क रखा जायेगा ।

निर्यात किये जाने वाले कपड़े वाली मिलों की दशा में सुधार करना

*1459. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने निर्यात किये जाने वाले कपड़े वाली मिलों की दशा में सुधार करने के लिये 50 करोड़ रुपये की एक आवर्तक निधि बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटे हथियारों के स्फोटकों के लिए कारडाइट का प्रयोग

1460. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे हथियारों के स्फोटकों के लिए अब भी कारडाइट को बारूद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैनिक केन्द्र के फायर कारतूसों के प्रस्फोटकों (दगाऊ टोपी) में अब भी मर्क्युरिक फल्मीनेट का प्रयोग होता है ;

(ग) क्या कारडाइट बारूद तथा विशेषकर मर्क्यूरिक फल्मीनेट से शस्त्र नालियों में बहुत कटाव हो जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेशी निर्माताओं ने इनका त्याग करके कटाव न करने वाली बारूद और विस्फोटक बनाने आरम्भ कर दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो भारत द्वारा ऐसी बारूद और डिटोनेटर न बनाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):(क)से(ङ). यह सच है कि कार्डाइट जो दोहरे बेस की प्रणोदकों की सभी किस्मों को आवृत्त करने के लिए एक व्यापक परिभाषा है, देश में निर्मित, छोटे आयुधों के लिए गोली बारूद की कई मदों के लिए अब भी इस्तेमाल में आता है ।

देश में निर्मित, सैनिक केन्द्रलक्ष्य के छोटे आयुधों के लिए गोली बारूद की कई किस्मों की समाघात टोपियों के लिए अब भी पारद का फुल्मीनेट इस्तेमाल किया जाता है ।

ज्वलन के उच्च तापमान और रसायनिक कार्य के कारण क्रमशः दोहरे बेस के प्रणोदक और पारद फुल्मीनेट का आयुध के खाल पर उच्चकोटि का संरक्षक प्रभाव पड़ता है ।

भारत बाहर कई देश इकले बेस के प्रणोदकों और असंक्षारक टोपी संघटनों के प्रतिबदल को अपना चुके हैं । भारत में सेना द्वारा आवश्यक, छोटे आयुधों के लिए गोली बारूद की अधिकतम मद के लिए भी एकल बेस के प्रणोदकों की ओर आ गए हैं । जहां तक (गोलियों की) टोपियों का संबंध है, असंक्षारक संघटनों की ओर हम भी आंशिकतौर पर झुके हैं । इस दिशा में अन्य प्रयास जारी हैं ।

हज यात्रियों के लिए राज्यों का कोटा

*1461. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को प्रतिवर्ष अधिकृत हज यात्रियों के लिए किस आधार पर कोटा दिया जाता है ;

(ख) क्या वर्तमान आधार में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कुछ राज्यों का अधिक और कुछ अन्य राज्यों को कम कोटा मिलने लगेगा ।

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल का कोटा लगभग 50 प्रतिशत कम किया जाने वाला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हज यात्रा का कोटा विभिन्न राज्यों में, उनकी मुसलमान आबादी पर आधारित जरूरतों के हिसाब से, बांट दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सुपारी का निर्यात

*1462. **श्री मंगलायुमाडम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपारी जो केरल और मैसूर में पर्याप्त मात्रा में पैदा की जाती है, के निर्यात के लिए विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या सुपारी अनुसंधान संस्था, मैसूर द्वारा कोई संगठित/उच्च अनुसंधान किया गया है या किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां,।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय सुपारी गवेषणा केन्द्र, विट्टल (मैसूर राज्य) में सुपारी की विभिन्न किस्मों की जांच से यह पता चला है कि पांच किस्में (चीन, सिंगापुर, सैंगोन-1, सैंगोन-2 और इंडोनेशिया-6) स्थानीय किस्मों की अपेक्षा लगभग तिगुनी अधिक उपज देती हैं। भिन्न-भिन्न कृषि तथा जलवायु वाले क्षेत्रों के लिये उपयुक्त लाभप्रद किस्मों का पता लगाने के लिये एक बहु-स्थानीय परीक्षण किया जा रहा है और इसके परिणाम यथासमय प्राप्त हो जायेंगे।

गोदावरी नदी पर सर आर्थर काटन बांध की नींव रखना

*1463. **श्री अदिचन** :

श्री दे० अमात :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर सर आर्थर काटन बांध की नींव रख दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्योरा क्या है, इस पर कितनी लागत आयेगी और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इससे पैदा की जाने वाली अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). गोदावरी के ऊपर डौलेश्वरम् में सौ वर्ष पुराना वीयर चार भागों में है। उनमें से दो—राल्ली तथा डौलेश्वम् खतरनाक स्थिति में हैं जिनको बदलना जरूरी था। राज्य सरकार ने 26 करोड़ रुपये की लागत पर एक नये बराज के निर्माण की स्कीम प्रस्तुत की है। योजना आयोग ने फिलहाल राल्ली सेक्शन

के पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 11 अप्रैल, 1970 को आधार-शिला रखी थी। जबकि सारा बराज 5 से 6 वर्ष में पूरा हो सकता है, वास्तविक प्रगति उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करेगी।

(ग) बराज का मुख्य कार्य है वर्तमान पुराने एनीकट को बदलना जो कि खतरनाक स्थिति में है और लगभग 13 लाख एकड़ की वर्तमान वार्षिक औसत सिंचाई के लिए जल की सप्लाई सुनिश्चित करना तथा प्रतिरोपण काल को पहले से जल्दी लाना।

नदियों के फालतू जल का उपयोग करने की योजना

*1464. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदियों का एक तिहाई उपयोग के योग्य जल बेकार जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस फालतू पानी के उपयोग के लिये सिंचाई नहरें बनाने की योजना मंजूर की है ;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान राज्य को कौन-सी योजनाओं से लाभ पहुंचेगा और ये योजनाएं कब तक क्रियान्वित की जायेंगी ; और

(घ) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई है, तो ऐसी योजना करने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). वह पानी जिसे देश में सिंचाई के लिए काम में लाया जा सकता है, लगभग 45 करोड़ घनफुट आंका गया है। 1951 तक इसके केवल लगभग छठे भाग का समुपयोजन किया गया था। योजनाओं में राज्य सरकारों द्वारा कई नई सिंचाई स्कीमें हाथ में ली गईं और ली जा रही हैं और 1968-69 तक लगभग 16.5 करोड़ घनफुट अथवा 37 प्रतिशत पानी का समुपयोजन किया जा रहा था। चौथी योजना के दौरान लगभग 4 करोड़ घनफुट अतिरिक्त पानी के समुपयोजन का प्रस्ताव है जिससे प्रयोज्य प्रवाह का कुल समुपयोजन 46 प्रतिशत हो जायगा। यह आशा की जाती है कि अवशिष्ट सारे पानी का समुपयोजन लगभग 20 वर्षों के दौरान अगली कुछ योजनाओं में किया जा सकता है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने राजस्थान में बृहत और मध्यम सिंचाई स्कीमों द्वारा लगभग 75 लाख एकड़ और लघु सिंचाई स्कीमों द्वारा लगभग 45 लाख एकड़ की अन्तिम सिंचाई शक्यता का अनुमान लगाया है। 1968-69 तक बृहत और मध्यम सिंचाई स्कीमों से उत्पन्न लगभग 25 लाख एकड़ और लघु सिंचाई स्कीमों से उत्पन्न 35 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता का उपयोग हो चुका था। जब स्वीकृत हो चुकी सभी बृहत और मध्यम स्कीमें, सभी पक्षों से, पूरी हो जाएंगी, तो 16 लाख एकड़ के अतिरिक्त शक्यता का उपयोग किया जायगा।

राजस्थान सरकार ने भविष्य में आरम्भ करने के लिये अतिरिक्त सिंचाई कार्यों के प्रस्ताव तैयार किये हैं जैसा कि राजस्थान नहर-चरण- दो, कडाना से एक उच्च स्तरीय नहर निकाल कर भविष्य में राजस्थानी क्षेत्रों के लिये माही नदी के पानी का उपयोग इत्यादि।

यमुना नदी पर बांध का निर्माण

*1465. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये यमुना नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह बहुप्रयोजनी बांध होगा ;

(घ) क्या हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को इस परियोजना में सम्बद्ध किया जायेगा ; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ङ). नवम्बर, 1963 में केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री द्वारा आयोजित अन्तर्राज्जीय सम्मेलन में, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के मंत्रियों तथा दिल्ली के मुख्य अभियुक्त ने भाग लिया था, राज्य सरकारें इस बात से सहमत थीं कि यमुना की सहायक नदी टोंस पर एक बांध का निर्माण किया जाए और बांध की लागत तथा प्राप्त होने वाले लाभ को राज्यों के बीच बांटा जाए। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार किशाऊ पर बांध बनाने के लिए अनुसंधान कर रही है। उन्होंने किशाऊ पर पत्थर की भराई वाले 830 फुट ऊंचे एक बांध के लिये, जिसकी क्षमता 19 लाख एकड़ फुट होगी, अन्तिम प्रस्ताव तैयार किये हैं। इस परियोजना से, जिस पर लगभग 163 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है, हर साल लगभग 2500 एम०के०डबलू० एच० बिजली के पैदा होने और लगभग 6·5 लाख एकड़ की अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई होने की संभावना है। नदी के साथ लगभग 2 लाख एकड़ भूमि बाढ़ से भी सुरक्षित हो जाएगी।

परियोजना अधिकारी इस लागत को यथासंभव कम करने के विचार से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के साथ परामर्श करके अपने प्रस्तावों की पुनः जांच कर रहे हैं।

जब उत्तर प्रदेश सरकार परियोजना की विशेषताओं को अन्तिम रूप देकर विस्तृत रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार कर लेगी तो राज्यों के बीच अतिरिक्त विचार-विमर्श कर लेने के पश्चात ही परियोजना की लागत और उसके लाभों के विभाजन तथा निर्माण कार्य-क्रम के बारे में फैसला करना होगा।

एक और बहुद्देश्यीय परियोजना क्रमशः यमुना नदी पर लखवर बांध परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रारंभिक जांच हो रही है।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का समाचार आकाशवाणी से प्रसारित करने के संबंध में पाकिस्तान का विरोध

*1466. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर किये जाने वाले अत्याचार

का समाचार आकाशवाणी से प्रसारित करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने एक विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके उत्तर में कोई विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के विरोध पत्र और सरकार द्वारा भेजे गये उसके उत्तर का पाठ क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जातिवाद तथा जातीय भेदभाव को मिटाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

*1467. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण अफ्रीका के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी डा० डी० ब्रूटस ने 1971 को जातिवाद तथा जातीय भेद-भाव मिटाने की कार्यवाही करने का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है ;

(ख) क्या भारत इस वर्ष पर्यन्त चलने वाले समारोह में भाग ले रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जातिवादी और जातीय भेदभाव का सामना करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय किया है कि 1971, अन्तर्राष्ट्रीय कार्य वर्ष के रूप में मनाया जाय । श्री ब्रूटस इस दिशा में समुचित कार्यवाई करने के लिए सक्रिय रूप से पक्ष-प्रचार कर रहे हैं ।

(ख) जी हां । भारत सरकार 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय कार्य वर्ष मनाने के लिये समुचित कार्यवाई कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान नहर का पूरा होना

*1468. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर का काम किस तारीख को शुरू किया गया था ;

(ख) अब तक कितने चरण पूरे हो चुके हैं ;

(ग) कौन सी निर्धारित तिथि तक यह काम पूरा हो जाना था ; और

(घ) यदि उपरोक्त तिथि निकल चुकी है, तो इस काम के नियत समय में पूरा न होने के क्या कारण थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :(क) राजस्थान नहर परियोजना पर मई, 1958 में कार्य शुरू किया गया था।

(ख) चरण-1 पर अर्थात् 122 मील तक कार्यों की प्रगति जारी है। कार्यों की अद्यतन प्रगति नीचे दी गई है :--

(1) राजस्थान फीडर (134 मील) पूर्ण हो गई है।

(2) राजस्थान मुख्य नहर 70 मील तक पूर्ण हो गई है। यहां तक सभी मुख्य वितरण प्रणालियां भी, सूरत गढ़ और अनूप गढ़ शाखाओं की वितरण प्रणालियों के कुछ भाग को छोड़कर जहां पर कार्य चल रहा है, पूर्ण हो गई हैं।

(3) 70 मील से 122 मील तक मुख्य नहर के भागों में भी कार्य-प्रगति जारी है।

(ग) शुरू में राजस्थान नहर के चरण-1 का 1968-69 तक और चरण-2 का 1977-78 तक पूर्ण होना प्रस्तावित था।

(घ) संसाधनों की तंगी के कारण राजस्थान नहर परियोजना का कार्य पीछे रह गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर

*1469. क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बेरोजगार लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, जो बढ़कर 345 लाख हो गई बताई जाती है, चौथी योजना को अधिक श्रम-प्रधान बनाने पर विचार किया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने (1) पूंजी गत माल अथवा भारी उद्योग (2) उपभोक्ता अथवा लघु उद्योग (3) कुटीर उद्योग (4) शारीरिक श्रम-प्रधान परियोजनाएं, जैसे सड़क निर्माण तथा सिंचाई कार्य में बराबर के विनियोजन के रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया है ;

(ग) यदि नहीं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना को बेरोजगारी कम करने के संबंध में किस प्रकार पूर्ण समझा गया है और क्या अब उक्त अनुमान लगाए जाएंगे ;

(घ) इस शिकायत को किस प्रकार दूर किया जाय कि श्रम मन्त्रालय रोजगार विरोधी है, क्योंकि यह श्रमिकों के छोटे से वर्ग के पारिश्रमिक में वृद्धि करता है जिससे अर्थ व्यवस्था का विकास और अन्य व्यक्तियों के रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं ; और

(ङ) क्या योजना का वर्तमान ढांचा रोजगार विरोधी है, क्योंकि इसके अन्तर्गत सीमित वित्तीय साधनों को पूंजी प्रधान परियोजनाओं में लगाया जाता है और श्रम-प्रधान-परियोजनाओं को जिनमें रोजगार देने की क्षमता सैकड़ों गुना अधिक है, धन नहीं मिल पाता ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3421/70]**

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में परिवर्तन

*1470. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में कोई परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले (चौबीसवें) अधिवेशन की कार्य सूची में एक विषय शामिल किया गया जिसका शीर्षक था "संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पुनरीक्षण करने के संबंध में सुझावों पर विचार करने की आवश्यकता" । इस विषय पर महासभा विचार नहीं कर सकी और इसने यह निर्णय किया कि आगामी पच्चीसवें अधिवेशन की अस्थाई कार्य सूची में इसे शामिल किया जाय ।

(ख) माननीय सदस्य इस विश्व संगठन की ताकत और कमजोरी से परिचित हैं । सरकार उचित समय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेगी ।

Export of Non-Vegetarian Food

8647. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India exports non-vegetarian food like fish, etc. ;

(b) if so, the varieties of non-vegetarian food exported to each country during 1969-70 ; the quantity exported to each country and the amount of foreign exchange earned thereby ;

(c) the names of non-vegetarian food which would be exported during 1970-71 and whether the amount of foreign exchange earned thereby would be higher than what it was during the last year ; and

(d) whether Government have formulated any scheme for fisheries during the Fourth Plan and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement of exports of different varieties of non-vegetarian food during 1969-70 is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 3422/70].**

(c) The same varieties of non-vegetarian goods are expected to be exported during 1970-71 as were exported during 1969-70. From the present trend in exports, it is anticipated that exports during 1970-71 are likely to be more than that in 1969-70.

(d) During the Fourth Plan, an outlay of Rs. 86.31 crores has been approved for the development of fisheries. It is proposed to introduce during the Fourth Plan, 5,500 small mechanised boats and 300 medium sized fishing trawlers. An outlay of Rs. 21 crores has been proposed for the provision of harbour facilities.

विदेश में अध्ययन के लिए डाक्टरों के आवेदन-पत्र

8648. **श्री मंगलाथुमाडोम:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पी' फार्म में दी गई रियायत के परिणामस्वरूप सरकार को विदेश यात्रा के लिये विशेषत: उच्च अध्ययन के हेतु डाक्टरों से पारपत्रों के लिये काफी आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या पहले के कुछ आवेदनपत्र अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). विदेश यात्रा के नियमों में ढील देने के कारण सभी वर्गों के लोगों से पासपोर्ट के आवेदन-पत्रों की संख्या में आमतौर से वृद्धि हुई है जिसमें डाक्टर भी शामिल हैं ।

(ग) विदेश यात्रा के नियमों में 1 मार्च 1970 से ढील दी गई है । इस तारीख को विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिये 9886 आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाना था । मार्च के महीने में 13,654 आवेदन-पत्र और प्राप्त हुए और इस तरह कुल आवेदन-पत्रों की संख्या 23,540 हो गई । इसमें से इस महीने में 11,803 आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया गया और इस तरह 11,737 शेष बच गये । इनमें से 6467 एक महीने से ज्यादा पुराने थे । इन आवेदन-पत्रों के निपटान में देरी का मुख्य कारण यह था कि आवेदकों ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं ।

अनधिकृत करघों की स्थापना

8649. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी कपड़ा उद्योग द्वारा सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना तथा इस सम्बन्ध में वर्तमान आदेशों तथा विनियमों का उल्लंघन करके पिछले कुछ वर्षों में अनेक करघे खरीदे गये हैं तथा स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन-किन फर्मों ने किया ;

(ग) अधिकृत एककों को कार्य करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) ऊनी कपड़ा बनाने वाले अनधिकृत एककों की स्थापना को नियमित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं परन्तु उनका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ). इन एककों को आयातित ऊन के किसी कोटे की अनुमति नहीं है और वर्स्टेड क्षेत्र के विस्तार पर लगे विद्यमान प्रतिबन्ध के सन्दर्भ में उनके नियमित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-अमरीकी सम्बन्धों का बिगड़ना

8650. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विभिन्न स्तरों पर भारत अमरीकी सम्बन्धों में गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या दोनों देशों के सम्बन्धों के बिगड़ने के कारणों का पता लगा लिया गया है और ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस तरह की कुछ खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं ।

(ख) इस तरह की रिपोर्टों का कोई आधार नहीं है तथा भारत अमरीकी संबंधों पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है और ये संबंध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांस को भेंड़ की खाल का निर्यात

8651. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने बिना उचित साख-पत्र तथा अन्य वित्तीय पूर्वापाय के फ्रांस की भेड़ों की 14 लाख रुपये की खालों का निर्यात किया ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस निर्यातित वस्तु की वास्तविक मात्रा तथा मूल्य कितना था; और

(ग) उक्त भेड़ की खालों का कितना मूल्य विदेशी खरीदारों से अब तक वसूल किया गया है और भुगतान में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने अगस्त, 1969 में फ्रांस में एक ऐसी फर्म को 14,60,987. 25 रु० मूल्य के भेड़ की खालों के 291 केस निर्यात किये जिसके साथ वह जुलाई, 1966 से सन्तोषजनक रूप में भेड़ की खालों का निर्यात व्यवसाय कर रहा था । फ्रांसीसी खरीदार के साथ संविदा एक बैंक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा सौदे पर निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम से गारंटी मिलने के पश्चात् की गई थी । चूंकि संविदा में सुपुर्दगी पर भुगतान की व्यवस्था थी अतः साख-पत्र स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फ्रांसीसी खरीदार ने भेड़ की खाल के आकार के सम्बन्ध में विवाद उठा कर माल छुड़ाने में विलम्ब कर दिया । माल बैंक आफ बड़ौदा के फ्रांसीसी संवाददाताओं के अभिरक्षण में है जो कि निगम के बैंकर हैं । फ्रांस में निगम के अभिकर्ता को 20,500 रु० मूल्य के पांच केस बेचने में पहिले ही सफलता मिल चुकी है और शेष के बिकने की आशा है जिनके लिये उसे अनेक खरीदारों से पूछताछें प्राप्त हुई हैं ।

आंखों की कृत्रिम पलकों के निर्यात के सम्बन्ध में करार

8652. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने लन्दन में एक ब्रिटिश फर्म से आंखों की कृत्रिम पलकें सप्लाई करने के सम्बन्ध में एक अस्थायी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो करार का मुख्य ब्यौरा क्या है और उक्त प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम तथा फर्म का नाम क्या है; और

(ग) भारत में आंखों के कृत्रिम पलकों के निर्माण कार्य की देखभाल करने के लिये भारतीय लड़कियों को प्रशिक्षण देने पर किस रूप में और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) . एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के शिष्ट मंडल द्वारा 26 जनवरी 1970 को लन्दन में मैसर्स आईल्योर लिमिटेड, लन्दन के साथ नकली पश्मों के बनाने तथा उन्हें बेचने के करार पर हस्ताक्षर किये गये । करार के प्रमुख विस्तृत विवरण ये हैं :—

(i) आईल्योर राज्य व्यापार निगम को नकली पश्मों के निर्माण सम्बन्धी विशिष्ट विवरण, नक्शा सूत्र तथा अन्य सूचना देगा ।

(ii) राज्य व्यापार निगम के कम से कम दो कर्मचारियों को आईल्योर इंग्लैंड में प्रशिक्षण देगा तथा इंग्लैंड में उनके आवास तथा निर्वाह पर होने वाला व्यय वहन करेगा ।

(iii) आईल्योर करार के चालू रहने के समय भारत में उत्पाद के निर्माण तथा विक्रय का अधिकार प्रदान नहीं करेगा ।

(iv) पश्मों का मूल्य समय समय पर पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से ही निर्धारित किया जायेगा ।

(v) राज्य व्यापार निगम केवल उतने ही पश्मों का निर्माण करेगा जितने पश्मों को आईल्योर द्वारा उसे आदेश मिलेगा ।

(vi) उत्पाद निम्नलिखित को बेचे जायेंगे :—

(क) आईल्योर

(ख) आईल्योर का कोई उप-सद्यम

(ग) आईल्योर की पूर्व अनुमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को ।

(vii) दोनों ही पक्षकारों को करार को समाप्त करने का अधिकार है यदि कोई एक पक्ष (i) करार की शर्तों को पालन करने में अथवा पूरी करने में असफल होता है, (ii) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के वश में आ जाता है ।

2. शिष्ट मंडल में श्री पी० जे० फरनेन्डीज निदेशक, तथा श्री एस० एस० बी० अरोरा मुख्य वित्तीय प्रबन्धक, भारतीय राज्य व्यापार निगम हैं।

3. ब्रिटेन में भारतीय लड़कियों के प्रशिक्षण पर उनको वहां भेजने के किराये के अतिरिक्त जो 11512 रुपये बैठता है कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

भारत में किराये के मकानों में रह रहे रूस के मिशनों के कर्मचारी

8653. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सरदार अमजद अली :
डा० प० मंडल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूसी मिशनों के नई दिल्ली तथा अन्य नगरों में चान्सरी से लगे कर्मचारी आवास ब्लाकों से बाहर किराये के मकानों में रहने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा पते क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है।

बम्बई तथा सूरत में फर्मों द्वारा जाली निर्यात

8654. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई तथा सूरत में कई निर्यातकर्ता फर्में जाली निर्यात कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रूसी दूतावास द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

8655. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सरदार अमजद अली :
डा० प० मंडल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी दूतावास अपने स्कूल चलाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

विदेशों से हेलिकाप्टरों की खरीद

8656. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार विदेशों से हेलिकाप्टर खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने हेलिकाप्टर खरीदे जायेंगे तथा उनका आयात किन देशों से किया जायेगा; और

(ग) प्रत्येक हेलिकाप्टर की कितनी कीमत होगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). कुछ हेलिकाप्टरों की सप्लाई के साथ सरकार एक ब्रिटिश फर्म के साथ एक कन्ट्रेक्ट में शामिल हुई थी । उनकी संख्या और मूल्य प्रकट करना लोक हित में न होगा ।

राज्यों को बाढ़ नियंत्रण के लिये दी गई धनराशि

8657. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बाढ़ग्रस्त राज्यों को वर्ष 1969-70 में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के अंग के रूप में बाढ़ नियन्त्रण कार्य सूत्रित तथा क्रियान्वित किये जाने हैं । वर्ष 1969-70 के प्रारम्भ से ही राज्यों को योजना कार्यों के लिये सामूहिक ऋण तथा अनुदानों के रूप में बिना किसी योजना अथवा विकास के व्यक्तिगत प्रधान से सम्पर्क किये बिना ही केन्द्रीय सहायता दी जा रही है तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यक आवश्यकता पर निर्भर करने वाली बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं पर जितनी धनराशि आवंटित करना उचित समझे उतनी धनराशि आवंटित करने के लिये स्वतन्त्र है ।

पश्चिम बंगाल को मिदनापुर जिले तथा 24 परगना में आपातकालिक कार्यों को पूरा करने के लिये 114 लाख रुपये की विशेष ऋण सहायता दी गयी थी । इसी प्रकार आंध्र प्रदेश को भी तटीय जिलों में गन्दे पानी के निकास कार्यों के लिये 250 लाख रुपये का विशेष ऋण दिया गया था । आंध्र प्रदेश में जलोत्सारण कार्यों को पीड़ित क्षेत्रों के लोगों से एकत्रित किये गये धन से सहायता दी जानी थी परन्तु इन क्षेत्रों में तेज चक्रवातों के कारण एकत्र करने का काम पूरा नहीं हो सका ।

(ख) चौथी योजना के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण के लिये धनराशि के आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से निम्नलिखित उपबन्धों का परीक्षात्मक रूप से निर्णय किया गया है ।

राज्य का नाम		राशि (करोड़ रुपयों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	..	10.00
2. आसाम	..	30.54
3. बिहार	..	10.00
4. गुजरात	..	7.00
5. हरियाणा	..	9.00
6. जम्मू तथा कश्मीर	..	6.25
7. केरल	..	6.53
8. मध्य प्रदेश	..	0.50
9. महाराष्ट्र	..	1.50
10. मैसूर	..	2.00
11. नागालैंड	..	—
12. उड़ीसा	..	2.00
13. पंजाब	..	11.28
14. राजस्थान	..	2.89
15. तमिलनाडु	..	2.25
16. उत्तर प्रदेश	..	8.00
17. पश्चिम बंगाल	..	5.90
	योग	115.64
18. संघ शासित क्षेत्र	..	9.12
	महायोग	124.76

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता के सदस्य देशों के साथ करार और अन्य व्यवस्था

8658. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता के सदस्यों देशों के साथ भारत द्वारा किये गये करार और व्यवस्थाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते से भारत को किस सीमा तक लाभ हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गाट के अन्तर्गत किये गये निम्नलिखित करार तथा व्यवस्थाएं भारत के हित में हैं :

कैनेडी दौर गाट प्रशुल्क वार्ताओं के परिणामस्वरूप सीमा शुल्कों में छूट हेतु 30 जून, 1967 को किये गये करार ।

20 जुलाई, 1967 को इन करारों का व्योरा दर्शाने वाला एक ब्रोसर सभा-पटल पर रखा गया था ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा की गई व्यवस्थाएं जिनमें हथकरघा सूती वस्त्रों के आयात हेतु दस लाख अमरीकी डालर के निशुल्क वार्षिक टैरिफ कोटे तथा हाथ से बुने रेशमी वस्त्रों के आयात हेतु दस लाख अमरीकी डालर के निशुल्क वार्षिक टैरिफ कोटे शामिल हैं ।

डेनमार्क, फिनलैण्ड, नार्वे तथा स्वीडन द्वारा की गई व्यवस्थाएं जिनमें विभिन्न प्रकार के रंगदार धागों से बनाये गये दो या अधिक रंगों वाले हथकरघा सूती वस्त्रों से निशुल्क आयात की व्यवस्था रखी गई है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा की गई व्यवस्थाएं जिनमें हस्तशिल्प उत्पादों के आयात हेतु पचास लाख अमरीकी डालर के निशुल्क वार्षिक टैरिफ कोटे की व्यवस्था है ।

निर्धारित वार्षिक उच्चतम सीमा तक सूती वस्त्रों के निर्यात हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा की गई व्यवस्थाएं ।

1967-68 से 1969-70 की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को सूती कपड़े के निर्यात हेतु उच्चतम वार्षिक स्तरों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

1968 से 1970 की तीन वर्षों की अवधि के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के छः सदस्य देशों में से प्रत्येक के मामले में निर्धारित किये गये उच्चतम वार्षिक स्तरों को दर्शाने वाला विवरण भी (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

(ख) प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य करार 1948 से लागू है और इसके तत्वाधान में इस अवधि के दौरान छः मुख्य बहुपक्षीय वार्ताएं हो चुकी हैं । इन बातचीतों से अधिकांश देशों के सीमा प्रशुल्क के अन्तर्गत लगाये गये आयात शुल्क दर में कमी आई और भारत से निर्यात किये जाने वाले अधिकांश उत्पादों में प्रशुल्क छूटों से लाभ हुआ है । परिमाणात्मक तथा अन्य गैर प्रशुल्क प्रतिबन्धों में कमी लाने और उनको हटाने हेतु बातचीत करने के लिये प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य करार द्वारा प्रदत्त अवसरों का उपयोग, यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान तथा और बहुत से अन्य देशों के बाजारों में भारत के निर्यात उत्पादों की मांग में सुधार लाने के लिये किया गया ।

एशिया सुरक्षा सम्मेलन के लिए श्रीलंका का प्रयत्न

8659. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशिया-सुरक्षा-सम्मेलन के लिए श्री लंका द्वारा एशियाई देशों को सहमत कराने के प्रयत्न से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से इस सम्बन्ध में बात की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को श्रीलंका की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई की जाने की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत द्वारा चीन पाकिस्तान के कब्जे में अपने क्षेत्र को खाली करवाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से संघर्ष किया जाना

8660. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर और हिमालय क्षेत्रों में चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्रों का मामला सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से फिर से उठाने का है जिससे पाकिस्तान और चीन के कब्जे में से भारतीय क्षेत्र को खाली कराया जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सरकार का विचार है कि भारत के जम्मू और काश्मीर राज्य के एक भाग पर पाकिस्तान के गैर-कानूनी अधिकार को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे द्विपक्षीय रूप से और शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा किया जाय ।

चीन द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अधिकृत क्षेत्रों के सम्बन्ध में जैसाकि सदन में कई बार बतलाया जा चुका है, सरकार का उद्देश्य यह है कि आक्रमण करके जिन स्थानों पर आक्रमण-कारियों ने कब्जा कर लिया है, वहां से उन्हें शान्तिपूर्ण ढंग से हटाया जाए ।

पंजाब में बड़े पैमाने के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना न किया जाना

8661. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के एक मंत्री यह शिकायत लेकर प्रधान मंत्री से मिले थे कि केन्द्रीय सरकार उस राज्य में सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा औद्योगिक एकक स्थापित करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिक्किम में कागज की लुगदी बनाने वाला कारखाना स्थापित करना

8662. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में कागज की लुगदी बनाने के लिये एकीकृत टिम्बर उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सिक्किम में कागज की लुगदी बनाने के लिये इमारती लकड़ी समन्वित उद्योग की स्थापना करने की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने सिक्किम में दिसम्बर 1968 में रेयन कागज लुगदी बनाने की एक परियोजना की सम्भावना पर रिपोर्ट तैयार की और उसे सिक्किम दरबार को भेजा।

राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्रीय सहायता

8663. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्रीय सहायता का वितरण किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) गत दो वर्षों में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार तथा उत्तर प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और इन राज्यों को किस प्रयोजन के लिये यह सहायता दी गई है ; और

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति के हिसाब से चौथी योजना का परिव्यय पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे उन्नत राज्यों के योजना परिव्यय की तुलना में कम है अथवा अधिक है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) (i) इन प्रश्नों के स्वरूप और विस्तार, (ii) इन प्रश्नों के निबटारे के लिये राज्यों की चौथी योजना में प्रत्याशित परिव्यय और (iii) प्रत्येक राज्य में संसाधनों की उपलब्धि की स्थिति को देखते हुए इस मानदंड के आधार पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था में योजना आयोग ने अपने सच्चे निर्णय का उपयोग किया है।

(ख) निम्नलिखित चार राज्यों को 1968-69 और 1969-70 में अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित धनराशि कर सम्बन्धी विवरण यो है :—

(रु० करोड़ों में)

	1968-69*	1969-70**
महाराष्ट्र	52.30	43.80
गुजरात	29.70	28.20
बिहार	53.50	60.40
उत्तर प्रदेश	77.60	94.00

(ग) राज्यों के सम्बन्ध में प्रतिव्यक्ति के हिसाब से चौथी योजना के परिव्यय सम्बन्धी विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

	प्रति व्यक्ति चौथी योजना लागत (रुपयों में)
बिहार	98
उत्तर प्रदेश	116
राजस्थान	127
उड़ीसा	112
मध्य प्रदेश	103
पंजाब	222
महाराष्ट्र	197
गुजरात	189

भारत द्वारा रोडेशिया को मान्यता दिये जाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से रोष व्यक्त किया जाना

8664. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धी० ना० देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रोडेशिया, जिसने अपने स्वाधीन होने की घोषणा की

*महाराष्ट्र और गुजरात को पहले के दो वर्षों में दी गई धनराशि में कमी के कारण यथाक्रम 9.2 और 2.6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई।

**वर्ष 1969-70 में जोकि चौथी योजना का प्रथम वर्ष है, दी गई सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित नये मानदंड के आधार पर निश्चित की गई थी।

थी, को मान्यता दिये जाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से रोष व्यक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में भारत सरकार ने समान मत वाले देशों के साथ विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने जिन देशों के साथ पत्र-व्यवहार किया है, उनमें से यदि कुछ देशों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र के विचार-विमर्श में भारत सरकार ने सक्रिय सहयोग लिया है। भारत ने, जो सुरक्षा परिषद का वर्तमान सदस्य नहीं है, गैर-कानूनी स्मिथ सरकार द्वारा स्वाधीनता की घोषणा के बाद मार्च, 1970 में परिषद में रोडेशिया विषयक विचार-विमर्श में भाग लेने की इजाजत के लिये विशेष प्रार्थना की थी। उस मौके पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 12 मार्च के अपने भाषण में यह कहा था कि भारत रोडेशिया को गणराज्य घोषित करने की घोषणा को अस्वीकार करता है और वह ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का बराबर समर्थन करता रहेगा जो जिम्बाम्बे में बहु-संख्यक शासन की स्थापना के लिये उठाया जायगा, चाहे संयुक्त राष्ट्र में या उसके बाहर कहीं। सुरक्षा परिषद ने 18 मार्च, 1970 को एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें सदस्य राज्यों से कहा गया है कि वे रोडेयिया की गैर-कानूनी सरकार को स्वीकार न करें और उसे किसी तरह की सहायता न दें।

(ख) सरकार अफ्रीकी और समान विचारधारा वाली सरकारों के निकट सम्पर्क में रही है और उनके साथ मिलकर कार्य करती है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर सभी देश रोडेशिया की वर्तमान सरकार की जातिवादी नीतियों के खिलाफ है।

वर्ष 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में पटसन उद्योग का विस्तार तथा प्रगति

8665. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग का भविष्य अच्छा है और वर्ष 1970 से आरम्भ होने वाला दशक इस उद्योग के विस्तार और प्रगति का दशक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). इस समय पटसन उद्योग कठिन स्थिति से गुजर रहा है, इसका मुख्य कारण मानक माल की पूर्ति की कमी और उसके परिणामस्वरूप मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि है जो लागत से असम्बद्ध है। इस स्थिति को ठीक किया जाना है। उत्पादन बढ़ाने और अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद स्तर तक मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता के बारे में पटसन उद्योग में व्यापक जागरूकता है। इस दिशा में उद्योग उपाय कर रहा है।

उद्योग में आधुनिकीकरण, विस्तार तथा उत्पादन के विविधीकरण को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पटसन उद्योग को आयकर अधिनियम की अनुसूची 5 में शामिल कर लिये जाने से विकास छूट की अपेक्षाकृत अधिक दर सुनिश्चित हो गई है। औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से मिलों को विविधीकरण के लिये ऋण दिये जा रहे हैं।

पटसन की अपेक्षित किस्म तथा परिमाण का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मोराको और जोर्डन में राजदूत नियुक्त करने के बारे में निर्णय

8666. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भारतीय राजदूतों को मोराको और जोर्डन में वापिस भेजने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको वापिस कब तक भेजा जायगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिये जाने की उम्मीद है।

Setting up of Planning Commission at State Levels

8667. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the National Convention on the relations between the Centre and States held recently, it was demanded that more powers should be given to the States in respect of works pertaining of economic development and particularly in the field of agriculture ;

(b) whether in the said convention it was also demanded that the Planning Commissions should be set up at State levels in addition to the Central level as the economic development could be achieved more effectively only at State level ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Proceedings of the convention reported in the Newspapers to have been held on 3-5 April last have not yet become available to the Government of India.

(c) Does not arise.

पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात

8668. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की बहुत सी कम्पनियों ने भारत से इंजीनियरी

सामान खरीदने में काफी रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पश्चिम जर्मनी से कितने अन्य क्रयादेश प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में जर्मन संघीय गणराज्य को इंजीनियरी माल के हमारे निर्यातों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है, क्योंकि 1966-67 में 25.76 लाख रु० के निर्यात हुए थे जिनकी अपेक्षा 1967-68 में में 40.88 लाख रु० के निर्यात हुए और 1968-69 में 72.28 लाख रु० के निर्यातों की अपेक्षा अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970 में 136.57 लाख रु० के निर्यात हुये जिससे पता चलता है कि जर्मन संघीय गणराज्य में हमारे इंजीनियरी माल के लिये अधिकाधिक तथा लगातार मांग है ।

(ख) वर्तमान रूप से यह आशा की जाती है कि इंजीनियरी माल के हमारे निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावा है । किन्तु, प० जर्मनी से प्राप्त होने वाले सम्भाव्य अतिरिक्त क्रयादेशों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पम्प सेटों की व्यवस्था

8669. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार सिंचाई के लिये 15 लाख पम्प सेटों के लिये बिजली की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पम्पों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) राज्यवार इस योजना को लागू करने का कार्यक्रम क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्यों की चौथी योजना में 278 करोड़ रुपये और ग्राम विद्युतीकरण निगम के लिये केन्द्रीय चौथी योजना में 150 करोड़ रुपये के परिव्यय में से तथा वित्तदात्री संस्थाओं द्वारा दी गई धनराशि में से, चौथी योजना के दौरान 15 लाख पम्प सेटों को ऊर्जित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग). इस समय राज्य के चौथी योजना परिव्ययों के सम्बन्ध में केवल कार्यक्रम और लक्ष्यों को बताना सम्भव है । राज्य योजना परिव्ययों के बाहर से व्यवस्थित धन-राशि से, राज्यवार ऊर्जित होने वाले पम्प सेटों की संख्या, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की संख्या पर और अन्य वित्तदात्री संस्थाओं से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्राप्त धन-राशि की मात्रा पर निर्भर करेगी । राज्य योजना परिव्ययों से ऊर्जित

होने वाले पम्प-सेटों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र० सं०	राज्य		राज्य योजना परिव्ययों से चौथी योजना के दौरान ऊर्जित होने वाले पंप-सेटों/नलकूपों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	..	50000
2.	असम	..	3200
3.	बिहार	..	89000
4.	गुजरात	..	15000
5.	हरियाणा	..	25000
6.	जम्मू और काश्मीर	..	436
7.	केरल	..	11250
8.	मध्य प्रदेश	..	50000
9.	महाराष्ट्र	..	100000
10.	मैसूर	..	38750
11.	नागालैंड	..	कुछ नहीं
12.	उड़ीसा	..	1429
13.	पंजाब	..	22500
14.	राजस्थान	..	35000
15.	तमिलनाडु	..	153000
16.	उत्तर प्रदेश	..	150000
17.	पश्चिम बंगाल	..	2410
		कुल	746975

सिंगापुर तथा पूर्व एशियाई देशों में राज्य व्यापार निगम के शाखा कार्यालय खोलना

8670. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष और समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार सिंगापुर तथा अन्य पूर्व एशियाई देशों में शाखा कार्यालय खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इन कार्यालयों के खोलने में मुख्य बाधाएं क्या हैं ; और

(ग) दक्षिण-पूर्व एशिया में सिंगापुर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में कार्यालय खोलने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). बैंकाक में राज्य व्यापार निगम के दो क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त सिंगापुर तथा उसके शाखा कार्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है । इनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

Central Assistance to State for Five Year Plans

8671. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total amount provided to the various States during the last three Five Year Plans as an assistance ;

(b) the average assistance provided to each State on the basis of their population ; and

(c) the criteria adopted to give assistance to the States during the last three Five Year Plans ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Assistance was not distributed on the basis of population in the last three Five Year Plans.

(c) Even though no fixed criteria were adopted for the distribution of Central assistance in the three Five Year Plans, factors like population, commitments in respect of continuing schemes carried over from the previous Plan, the extent of development reached during the previous Plan and the general level of development expected to be reached at the end of the Plan, the resources position of the State, etc., were taken into consideration in respect of individual States before deciding their Central assistance.

Statement

States	Total Central assistance in last three Five Year Plans (Rs. crores)
Andhra Pradesh	377
Assam	153
Bihar	355
Gujarat	194
Haryana	*
Jammu & Kashmir	91
Kerala	184
Madhya Pradesh	377
Maharashtra	289
Mysore	270
Nagaland	11
Orissa	280
Punjab	363
Rajasthan	280
Tamil Nadu	324
Uttar Pradesh	564
West Bengal	341

*Part of the composite State of Punjab.

Sone Canal Project or North Kopal Project in Bihar

8672. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a need of Sone Canal Project or North Kopal Project for meeting the irrigation needs of Bihar ;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred on the said projects ;

(c) whether the Government of Bihar have resources to meet the cost of the said projects or require Central assistance therefor ;

(d) if Central assistance is required the extent thereof and the amount likely to be provided by the Central Government during this year ; and

(e) if no amount is likely to be provided, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Sone High Level Canal Project assessed to cost about Rs. 12 crores, has already been sanctioned. The project report on the North Koel Project is awaited from the State Government.

(b) A provision of Rs. 7.12 crores is likely to be available for the Sone High Level Canal Project in the Fourth Plan of Bihar State. The details of the new schemes, which can be taken up during the Fourth Plan period in Bihar, have not yet been finalised.

(c) to (e). Irrigation projects form part of the State Plans and funds for their execution have to be provided from year to year by the State Governments from within their annual Plan ceilings.

Water Supply to Pakistan after Expiry of Indus Water Treaty

8673. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Mrityunjay Prasad :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Punjab have stated that the statement made by him to the effect that the supply of water from Indian rivers to Pakistan has been stopped, is not correct ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Clash between Two Groups of Workers in Rawatbhata Atomic Power Project

8674. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have enquired into the causes of the clash that took place in Rawatbhata between two groups of workers of the Atomic Power Project ; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The Government of Rajasthan has

appointed Shri R. D. Mathur, former Chief Secretary to the Government of Rajasthan to find out the causes of the clash and measures necessary to prevent its recurrence. His report is awaited.

Sukata Irrigation Scheme

8677. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government and Planning Commission to provide more funds for Sukata Irrigation Scheme;

(b) if so, whether Government have considered the said demand of the State Government; and

(c) the decision taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a). No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

देशी दूतावासों के साथ दिल्ली की संस्थाओं के सम्बन्ध

8678. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में बहुत-सी संस्थाओं के दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों के साथ निकट सम्बन्ध हैं ;

(ख) इन एसोसियेशनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति मांगी जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस सूचना को संग्रहीत किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

हज यात्रा के लिए आवेदन-पत्र तथा उनको दी गई सुविधाएं

8679. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में हज यात्रा के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे ;

(ख) हज यात्रा के लिये कितने व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई थी और कितने आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था ;

(ग) क्या यात्रा के लिए कुछ सुविधाएं न दिए जाने के कारण आवेदनकर्ताओं से सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हज यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं

1. भारत सरकार हर वयस्क हज यात्री को 1575 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा जारी करती है ।
2. हज यात्रियों को नियंत्रित दर (कन्ट्रोल-रेट) पर अनाज और चीनी दी जाती है और उन्हें ये चीजें एक निर्धारित मात्रा में अपने प्रवास के दौरान सऊदी अरब में अपनी जरूरत के लिये ले जाने की इजाजत दी जाती है ।
3. 10 डाक्टरों और 10 कम्पाउन्डरों का एक चिकित्सा मिशन हर वर्ष सऊदी अरब में प्रतिनियुक्त किया जाता है ताकि हज के लिये सऊदी अरब जाने वाले भारतीय यात्रियों की चिकित्सा संबंधी सहायता की जा सके ।
4. जेद्दा, मक्का तथा मदीना में छोटी-छोटी डिस्पेंसरियां खोली जाती हैं जो बीमार यात्रियों को मुफ्त दवाइयां देती हैं । नाजुक हालत वाले बीमारों का इलाज करने के लिये एक चलता-फिरता चिकित्सा यूनिट भी काम करता है ।
5. हज यात्रियों के लिये ठण्डे पानी की व्यवस्था करने के लिये जगह-जगह शबीलें लगाई जाती हैं ।
6. जेद्दा में भारतीय राजदूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों को हाजियों को हर मुमकिन सहायता और मार्गदर्शन देने के काम पर लगाया जाता है ।
7. हाजियों को स्वदेश लौटने के लिये टिकट जारी करने के उद्देश्य से रेल प्राधिकारी साबू सिद्दीकी, मुसाफिरखाना, बम्बई में अपने अस्थाई कार्यालय खोल लेते हैं ।
8. हज यात्रियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के लिये रिजर्व बैंक साबू सिद्दीकी मुसाफिरखाने के अहाते में शाखा कार्यालय खोल लेता है ।

Development of Bundelkhand Area in Madhya Pradesh

8680. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that half of the Bundelkhand area is in Madhya Pradesh and the other half is in Uttar Pradesh and the said area is mainly dacoit-infested and the inclusion of Jhansi, Jalaun, Lalitpur Districts in Madhya Pradesh would help the Police to solve the dacoit problem ;

(b) whether it is also a fact that this area cannot be industrially developed because of its being dacoit-infested area ;

(c) whether due to lack of means of communication, there is no industry in the said area ;

(d) whether Government propose to provide any special fund to be incurred in this area for the solution of the said problem ; and

(e) if not, the reasons therefor and the nature of difficulties in the way of solving this problem ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (e). The Social phenomena of this region,

as in others, stem from the state of its economy and infrastructure. Certain measures are under examination in consulation with the State Governments for the eradication of dacoity menace from this area. These include development of road communications, also. Establishment of industry in an area is dependent on techno-economic feasibility, avilability of raw materials, etc. The State Governments have been requested in the Fourth Five Year Plan to pay particular attention to the need for accelerated development of backward areas.

Ex-Servicemen Allotted Residential Plots and Cultivable Land in Andaman and Nicobar Islands

8681. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of ex-servicemen allotted residential plots and cultivable land in the Andaman and Nicobar Islands ; and

(b) the total amount of expenditure incurred by Government during the last two years on providing the ex-servicemen with residential accommodation and employment and on other items concerning them ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) 69 ex-servicemen families were settled on agricultural land in the Andaman & Nicobar Islands during 1969 under the Campbell Bay Project.

(b) Total expenditure incurred on items concerning the ex-servicemen settlers is Rs. 9,72,642.27 excluding land clearance. All this expenditure was incurred during the year 1969-70.

विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों के अर्जन तथा संचालन पर सरकार द्वारा व्यय

8682. **श्री लोभो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि उन विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को जिनको बन्द करने के आदेश दिये गये हैं, सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाये, तो उनको अपने हाथ में लेने तथा उनको चलाने पर कितना व्यय आयेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को भारत सरकार को सौंप देने और उसके द्वारा चलाये जाने के बारे में विदेशी मिशनों से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इसलिये, इन केन्द्रों को लेने और चलाने पर खर्च का अभी सवाल ही नहीं उठता ।

प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के सामने सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का आन्दोलन

8683. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त

अधिकारियों के आन्दोलन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिये उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को उचित नौकरियां देने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारत सेवा विमुक्त ई० सी० ओज० संघ के प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर सरकार से मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था। पुनरावास के किसी भी व्यवहार्य उपाय के संबंध में सरकार उनसे विचार विमर्श के लिये तैयार है।

(ग) तथा (घ). उपयुक्त रोजगारों में सेवा विमुक्त आपाती कमीशन अफसरों के खपाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। इस संबंध में ध्यान 26-11-1969 को उत्तर दिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1435 के भाग (ख) के उत्तर, 18-3-1970 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3462 के भाग (ख), (ग) तथा (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण और इस सदन में आज उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8737 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

8684. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने क्या योगदान दिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : गत दो वर्षों के दौरान भारत से किये गये लौह अयस्क के कुल निर्यात और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात निम्नलिखित हैं :

मात्रा 10 लाख मे० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

	1968-69		1969-70	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात।	15.90	89.60	17.50	100
	9.17	60.75	10.48	70.68

Financial aid to Backward States

8685. **Shri K. M. Madhukar**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the State of Bihar has also been included in the States which are likely to be provided all under the scheme of providing aid to the backward States in the budget for the current year;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have sought the opinion of the State Government in this regard;

(d) if so, the names of the States from which the opinions have been received and the nature thereof;

(e) whether any State Government have themselves approached the Central Government for help; and

(f) if so, the names thereof and the amount of help asked for by them and the amount proposed to be provided by the Central Government to them?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (f). The Central assistance for State Plans provided for in the current year's budget will be distributed among all States (including Bihar) in accordance with the criteria laid down by the National Development Council which give due weightage for backwardness. There is no other provision in the budget for giving any aid to States specifically on account of backwardness.

Government have, however, agreed in principle to provide special accommodation (by way of loans) to those States which in the assessment of the Planning Commission may have inescapable gaps in resources. For 1970-71 this assessment has not yet been made. The exact amount to be provided to individual States would be settled after a review of the resources position of all the States in consultation with them during the course of the current financial year.

All State Governments have in one form or another and in different contexts either asked for an increase in their State Plan outlays and the Central assistance related thereto, or have requested for an allocation out of the special accommodation that is to be provided to some States. The plea in all such cases generally is that the outlays fixed do not adequately provide for all the development projects or schemes that the States would like to implement during the Fourth Plan period. However, the State Plan outlays having been fixed on the basis of the total resources available, a general increase in the Plan outlays in the manner desired by the State Governments is not possible.

फिल्मों का निर्यात

8686. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लातीनी अमरीकी देशों तथा पश्चिम एशियाई देशों को भारतीय

फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिये भारतीय मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन से हाल में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या भारतीय फिल्मों की फारस की खाड़ी के आस-पास के देशों तथा विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में, जहां भारतीय फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं, तस्करी रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी नहीं। किन्तु, भारतीय मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन का भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिये लातीनी अमरीकी देशों तथा पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण स्थानों पर भारतीय फिल्म समारोह आयोजित करने का विचार है।

(ग) और (घ). फिल्मों की तस्करी रोकने के लिये किये गये उपायों में ये हैं : विश्वस्त जानकारी तथा विशिष्ट स्रोतों के माध्यम से आसूचना एकत्र करना, यात्रियों के सामान पर सतर्क निगरानी रखना और सड़कों, समुद्र तटों तथा अन्य मर्म-क्षेत्रों एवं समुद्र पर गश्त लगाना।

ताप संयंत्रों की स्थापना

8687. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ताप संयंत्रों की स्थापना के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या सभी सन्यन्त्रों के सरकारी क्षेत्रों में स्थापित किये जाने की सम्भावना है अथवा कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़ ने ताप संयंत्र स्थापित किये जाने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार की आम नीति सरकारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों और निकट के ताप संयन्त्रों की स्थापना करने की है।

(ख) चौथी योजना काल में गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े ताप संयंत्रों की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ). चौथी योजनाकाल में भटिन्दा में 220 मे० वा० के एक ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने का पंजाब सरकार का विचार था। तत्सम्बन्धी योजना को स्वीकृति दी गई है। हरियाणा विद्युत मण्डल ने भी फरीदाबाद स्थित अपने ताप बिजली केन्द्र की उत्पादन क्षमता

55 मे० वा० तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इस योजना को भी स्वीकृति दी गई है। जम्मू और कश्मीर के कालकोट में 22.5 मे० वा० की क्षमता वाले एक ताप बिजली केन्द्र का निर्माण शीघ्र चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ से ताप बिजली केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

जापान की यात्रा पर गये इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन

8688. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के चेयरमैन की अध्यक्षता में हाल में जापान का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में दिये गये प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष के नेतृत्व में इस वर्ष के फरवरी के प्रारम्भ में जो प्रतिनिधिमंडल जापान गया था, उसने कुछ दिन पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जापानी बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग माल के लिये काफी गुंजाइश है और सुस्थापित व्यवसाय सम्पर्क तथा सहयोग विकसित करने के लिये निर्यातकों द्वारा योजना-बद्ध प्रयास करने की सिफारिश की है।

प्रतिवेदन में सामान्य तथा वस्तुवार, दोनों ही प्रकार की सिफारिशें की गई हैं। उनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् में एक जापान पद का निर्माण।

(2) जापानी आयात विकास परिषद् के साथ सम्पर्क बनाए रखने तथा संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र चुनने के लिये उच्च स्तरीय संयुक्त समिति।

(3) भारतीय फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिये जापान में एक विपणन विशेषज्ञ की नियुक्ति।

(4) मोटर गाड़ी संघटक उद्योग, सिलाई मशीन संघटक उद्योग आदि के लिये वस्तुवार व्यवसाय को व्यवस्थित करने हेतु सक्षम निर्माताओं के सार्थ संघों का निर्माण।

(5) बिक्री दलों को भेजना तथा आमन्त्रित करना, प्रदर्शनियों में भाग लेना, भारतीय माल का सामयिक प्रदर्शन आदि; और

(6) भारतीय मांग की पूर्ति करने तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये सिलाई मशीन संघटकों जैसी मदों की उत्पादन क्षमताओं के विस्तार की आवश्यकता ।

(ग) प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

रूस को दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

8689. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस की सरकारों द्वारा हाल में किये गये करार के अन्तर्गत रूस को 50 लाख रुपये के मूल्य की दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां । हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम व इसके सहयोगियों ने मैसर्स नोवों एक्सपोर्ट, मास्को के साथ वर्ष 1970 के दौरान लगभग 51 लाख रुपये मूल्य के पीतल के बर्तनों, ई० पी० एन० एस० की वस्तुओं, जरी के बने ईवनिंग बैग, घटिया रत्नों के बने हारों तथा कफलिकों इत्यादि की पूर्ति हेतु, एक संविदा की है ।

टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये लाइसेंस का दिया जाना

8690. **श्री दे० अमात :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीति सम्बन्धी यह निर्णय किया है कि यदि उद्यमकर्ताओं को उप-करणों अथवा तकनीकी जानकारी के आयात की आवश्यकता न हो तो उनको टेलीविजन सेटों के निर्माण के लाइसेंस दिये जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी ऐसे उद्यमकर्ता ने टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और श्रीनगर में 5 नये टी० वी० प्रसारण संस्थान स्थापित हो जाने के बाद प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये टेलीविजन रिसीवरों के निर्माण के लिये अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस जारी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । जब इस मामले में

निर्णय लिया जायेगा क्षमता के लिये प्रार्थना-पत्र भेजने के लिये उद्यमियों को आमन्त्रित किया जायेगा। ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय मेरिट के अनुसार किया जायेगा।

राजस्थान में विद्युत् चालित करघे

8691. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने विद्युत् चालित करघे काम कर रहे हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों को विद्युत चालित करघों का आवंटन किस आधार पर किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को बहुत कम विद्युत् चालित करघे अलाट किये गये हैं ;

(घ) क्या राजस्थान सरकार अधिक विद्युत चालित करघों के दिये जाने के लिये जोर दे रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को विद्युत-चालित करघों के आवंटन निश्चित करने के लिये उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री एस० रंगानाथन की अध्यक्षता में गठित एक अन्तः मंत्रालय समिति की सिफारिश पर विभिन्न राज्यों को विद्युत-चालित करघे आवंटित किये गये थे। उपयुक्त समिति द्वारा विद्युत्-चालित करघों का आवंटन करते समय जनसंख्या, राज्यों में विद्यमान पंजीकृत हथकरघों की संख्या, क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक पिछड़ेपन तथा कताई मिलों के सामीप्य आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा गया था।

(ग) राजस्थान को आवंटित किये गये विद्युत-चालित करघों की संख्या कुछ अन्य राज्यों को आवंटित करघों से कम है।

(घ) जी हां।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

विवरण

15 मार्च, 1970 को देश में कार्य कर रहे विद्युत-चालित करघों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

राज्य का नाम	विद्युत-चालित करघों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2296
केरल	1602
मैसूर	19598
मद्रास	20690

पाण्डिचेरी	620
गुजरात	57280
राजस्थान	4453
पश्चिमी बंगाल	8577
बिहार	2100
असम	474
उड़ीसा	1175
उत्तर प्रदेश	13517
महाराष्ट्र	94424
मध्य प्रदेश	9268
दिल्ली	1394
पंजाब (हरियाणा सहित)	17572
हिमाचल प्रदेश	39
जम्मू तथा काश्मीर	18
त्रिपुरा	24
दादर तथा नागर हवेली	114
मनीपुर	4

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति को बनाने के बारे में राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन का वक्तव्य

8692. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन ने हाल में सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहिये और आयात तथा निर्यात दोनों प्रकार के व्यापार में भारत को एक चालाक संचालक की तरह काम करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात मण्डियों में एक चालाक संचालक के रूप में कार्य करने हेतु राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). पुनर्गठन संचार प्रणाली में सुधार तथा सामान्य प्रबन्ध के विषय में अमले को प्रशिक्षण देने के परिणाम-

स्वरूप निगम, आयात तथा निर्यात मण्डियों में, चतुर प्रचालक के रूप में कार्य करने योग्य बन गया है।

एक्सपो-70 में भारतीय मंडप

8693. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओसाका में चल रहे एक्सपो-70 मेले में भारतीय मंडप को अब तक कितने लोगों ने देखा है ;

(ख) मंडप में रखी भारतीय वस्तुओं के प्रति दर्शकों के आकर्षण के बारे में अब तक क्या अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) क्या मंडप को देखने के पश्चात् किसी ने कोई क्रयादेश दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 29 अप्रैल, 1970 तक 22 लाख लोगों ने।

(ख) दर्शकों ने प्राय: मशीनी औजारों, इस्पात तथा मिश्र धातु कटाई-औजारों, प्रशीतकों छुरी कांटों आदि, वैज्ञानिक उपकरणों, घरेलू बर्तनों, काफी और काजू आदि में रुचि दिखाई है।

(ग) रत्नों, डाई में ढले घरेलू बर्तनों, छुरी कांटों, खराद मशीनों, शेपरों, रंदामशीनों, पिसाई मशीनों, रेडियल चकर, बिस्तर के गिलाफ का मोटा कपड़ा, जोन, पापलीन, चादरों, कमीजों के कपड़े, चमड़े के जाकेटों, कोकिंग कोयले, इंसटैंट काफी, मानव बालों और बालों के बने उत्पादों, लाल मिर्च के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी थी और वार्ताएं करने के लिये भाव और नमूने भेजने हेतु सम्बद्ध संभरकों को उसकी सूचना दे दी गई थी।

निकल का आयात

8694. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में भारत मेंटल एण्ड निकल प्लेटिंग वर्क्स, लश्कर को वर्ष 1967 में निकल आयात करने का लाइसेंस दिया गया था परन्तु बाद के वर्षों में उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निकल की सप्लाई के लिये उपर्युक्त फर्म को एक आवंटन पत्र संख्या 1705 दिनांक 16 दिसम्बर, 1968 भी दिया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम उपर्युक्त पत्र के

कारण स्वीकृत अवधि के लिये उपर्युक्त फर्म को निकल सप्लाई नहीं कर सका और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस अवधि में (ए० एम०-69) में कच्चा माल न मिलने के कारण उपर्युक्त फर्म भविष्य की आवश्यकताओं के लिये आवेदन-पत्र भेजने की अधिकारी नहीं रही ; और

(च) यदि हां, तो इस लघु उद्योग को कच्चा माल सप्लाई करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है जो गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष से कच्चा माल न मिलने के कारण हानि उठा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). मेसर्स भारत मैटल एण्ड निकल प्लेटिंग वर्क्स, लश्कर को वर्ष 1967 में निकल के आयात के लिये दो लाइसेंस दिये गये थे जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 3915 रुपये था । खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाम का 3915 रु० का एक निकासी आदेश सं० 1705 भी 16-11-68 को निकल के लिये इस फर्म को दिया गया था ।

(घ) दिनांक 16-11-68 के निकासी आदेश के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निकल की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि वर्ष 1968 से 1 वर्ष से अधिक तक विदेशी बाजार के निकल उत्पादकों द्वारा निकल की कोई पूर्ति नहीं की गई और खुले बाजार में भाव उत्पादकों के मूल्यों से पांच से छः गुने थे और इसके फलस्वरूप निगम निकल का बिलकुल आयात नहीं कर सका । 1 नवम्बर, 1969 में उत्पादकों की खानों में हड़ताल समाप्त हो गई और विश्व बाजार में निकल की पूर्ति पुनः शुरू हो गई तथा मूल्य भी स्थिर हो गये । खनिज तथा धातु व्यापार निगम 100 मे० टन निकल के आयात की व्यवस्थाएं कर चुका है । तथा जून और अगस्त, 1970 के बीच स्टाक पहुंचने की सम्भावना है । इन भण्डारों के आ जाने पर ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम 31 दिसम्बर, 1969 तक प्राप्त लम्बित पड़े सभी निकासी आदेशों को निपटा सकेगा ।

(ङ) तथा (च). फर्म को निकल के लिये कोई और निकासी आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसने अप्रैल, 1969—मार्च, 1970 की अवधि में आवेदन-पत्र नहीं दिया था ।

पोचमपाद परियोजना

8695. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोचमपाद परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि पोचमपाद परियोजना को पूरा करने के लिये विश्व बैंक ने सहायता की पेशकश की है, यदि उसको चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालत में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोचमपाद परियोजना, जो 1964 में स्वीकार की गई थी, चौथी योजना की पहले से चली आ रही एक स्कीम है।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक को इस परियोजना की सहायता के लिये कहा है। बैंक इस प्रार्थना पर विचार कर रहा है।

एक्सपो 70 में योगासनों का प्रदर्शन

8696. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओसाका में एक्सपो-70 में भारतीय मंडप (पैविनियन) में दिल्ली के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा योग के प्रदर्शन का उनके मंत्रालय द्वारा प्रायोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) ब्रह्मचारी का चयन किस प्रकार किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां। एक्सपो 70 में भारतीय मंडप में योग अभ्यासों के प्रदर्शन हेतु योगाश्रम, नई दिल्ली से दो सदस्यीय दल का प्रायोजन किया गया है। इस दल में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी व कुमारी मन्जू सरीन हैं।

(ग) इस दल का चयन शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से गुणावगुण के आधार पर किया गया था।

गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के बारे में यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री से वार्ता

8697. **श्री नंजा गोडर** :
श्री अ० दीपा :
श्री मीठालाल मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों का आगामी शिखर सम्मेलन बुलाने के बारे में यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री के साथ कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री द्वारा क्या सुझाव दिये गये तथा सिफारिशें की गईं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). गुट निरपेक्ष सम्मेलन के संबंध में, यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री के साथ विचार विमर्श हुये थे जिनमें इस

सम्मेलन में भाग लेने, उसकी कार्य सूची, स्थान और समय के लिये मानदंड निर्धारित करने के प्रश्न भी शामिल थे। बाद में, दारेस्सलाम में 13 से 17 अप्रैल 1970 तक गुट निरपेक्ष देशों की जो प्रारम्भिक बैठक हुई उसमें यह निश्चय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पच्चीसवें वार्षिक अधिवेशन के पूर्व, जाम्बिया की राजधानी लुसाका में तीसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन बुलाया जाये। इस प्रारम्भिक बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि 1961 और 1964 में निर्धारित गुट निरपेक्षता के मानदंड के आधार पर इस सम्मेलन के लिये निमन्त्रण दिये जाएं। इस प्रारम्भिक बैठक में तीसरे शिखर सम्मेलन के लिये कार्य सूची की भी सिफारिश की गई। भारत और यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री इन निर्णयों से सहमत हैं।

हाथ से बनी दरियों (कारपेट) का मानकीकरण

8698. **श्री नंजा गौडर :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित हाथ की बनी दरियों के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षित मानक निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या इस पुनरीक्षण के कारण दक्षिण में दरियां बनाने वालों को कोई कठिनाइयां हुई हैं ;

(ग) क्या हाथ की बनी दरियों के उत्पादन में कोई कमी आई है ; और

(घ) क्या अमरीकी बाजार में उनकी मांग है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां। भारतीय मानक संस्थान ने 1968 में पुनरीक्षित मानक तैयार किया है जो कि स्वैच्छिक है।

(ख) सरकार को इसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां। 1969-70 (अप्रैल-दिसम्बर, 1969) की अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका को हस्त-निर्मित कारपेट के निर्यात 339.73 लाख रु० के हुए जो कि 1968-69 की उसी अवधि में हुए 241.20 लाख रु० से 98.53 लाख रु० अधिक थे।

तमिल नाडु में थोरियम निक्षेप

8699. **श्री नंजा गौडर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भू-तत्ववेत्ताओं को तमिलनाडु में तिरुप्पथिर के निकट 'थोरियम' निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आण्विक प्रयोजनों के लिये थोरियम के अधिक अच्छे उपयोग के लिये प्रयोग किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). अणु शक्ति विभाग के अणु खनिज प्रभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणाम-

स्वरूप तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में तिरुपत्तूर के निकट सेत्रलूर के कार्बोनाइट की खानों में यूरेनियम तथा थोरियम के कारण कुछ रेडियम धर्मी (radio activity) पाई गई है। वाणिज्यिक उद्देश्य से इन खानों की खुदाई कराने के लिये अयस्क नमूनों का अनुसंधानशालाओं में परीक्षण तथा रासायनिक विश्लेषण आदि कार्यों में प्रगति हो रही है। जब तक ये जांच पूरी न हो जाय तब तक इन खानों की वित्तीय संभावनाओं के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

मेरीन डीजल इंजनों का निर्माण

8700. **श्री नंजा गौडर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में मेरीन डीजल इंजनों के निर्माण के लिये रांची में एक नया डीजल इन्जन कारखाना स्थापित करने की योजना है ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व ऐसा कारखाना मद्रास में स्थापित करने का विचार किया गया था और उस प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कुछ समय बाद फिर ऐसा कारखाना रांची में स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) डीजल इन्जन फैक्टरी को रांची में स्थित करने के लिए सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय, पश्चिमी जर्मनी के सर्वश्री एम० ए० एम० के तकनीकी अफसरों के एक दल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात लिया गया था, जो इसके लिए सहायक हैं। इसके साथ ही सर्माए के व्यय को कम करने के लिए सरकार ने यूनिट के कृत्य को केवल छोटे संघटकों के निर्माण और इन्जनों के संयोजन/परीक्षण तक सीमित रखने का निर्णय किया था, और रांची का स्थान-घर कम से कम सर्माए का व्यय होगा, क्योंकि वह हैवी इंजीनियरी निगम और वृहत् संघटक सप्लाई करने वाले के निकट है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की नीलामी

8701. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 अप्रैल, 1970 को राज्य व्यापार निगम ने कुल कितनी कारों का नीलाम किया था ; और

(ख) कारों की इस नीलामी से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और वर्ष 1969 में तथा अप्रैल, 1970 तक कारों की नीलामी से कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) केवल एक कार (मरसिडीस बेन्ज 280 एस 1968 माडल) का।

(ख) 11 अप्रैल, 1970 को एक मात्र कार की नीलामी से 2,16,900 रुपये वसूल हुए।

1 अप्रैल, 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक 474 वाहन बेचे गये थे जिनसे 1.73 करोड़ रुपये वसूल हुए।

विदेशी भाषाओं के लिये एक संस्था की स्थापना

8702. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रिमण्डल सचिवालय का एक उच्च अधिकारी देश में विदेशी भाषाओं के लिये एक संस्था स्थापित करने के लिये विदेशों से कर्मचारी लान का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और उसके क्या लाभ उठाये जायेंगे ; और

(ग) इस संस्था को कब तथा कहां स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरकार ने, अधिकारियों के लिये विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाओं के बारे में विभागों तथा मंत्रालयों की आवश्यकताओं का गहन अध्ययन करने का निदेश किया है और वर्तमान उपलब्ध सुविधायें बताते हुये आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक या अधिक विदेशी भाषा संस्था के लिये आर्थिक पहलुओं सहित एक वृहद योजना तैयार करने को कहा है। रूस, ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे विकसित देशों में ऐसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश भेजा गया है। एक या अधिक संस्थाओं की स्थापना तथा स्थान आदि के बारे में निर्णय अधिकारी के प्रतिवेदन आ जाने के पश्चात् किया जायगा।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार

8703. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापक व्यापारिक सन्धि करने के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रेसीडेंट श्री जीन रे के साथ इस सम्बन्ध में वार्ता की गई थी और विचार-विमर्श का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी देशों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल है तथा इन देशों को उसके द्वारा किये जाने वाला निर्यात की मात्रा बहुत कम है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). यूरोपीय समुदायों के आयोग के अध्यक्ष श्री जीन रे के जापान से यूरोप को लौटते समय 31 मार्च से 3 अप्रैल, 1970 के बीच दिल्ली आये थे। और उनके साथ उन विभिन्न उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के निरन्तर व्यापार असन्तुलन को ठीक करने के लिए किए जा सकते हैं। जिन उपायों की चर्चा हुई उनमें से एक वाणिज्यिक सहयोग करार करने की संभाव्यता था।

(ग) वर्ष 1968-69 ही ऐसा अधुनातन वर्ष है जिसके लिये पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं। इस वर्ष जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और लक्समबर्ग के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहा। बैल्जियम के साथ व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल था।

वर्ष 1961-62 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत के निर्यात 56 करोड़ रु० के थे जबकि वर्ष 1968-69 में ये बढ़कर 111.48 करोड़ रुपये के (अवमूल्यन पूर्व 70.70 करोड़ रु०) हो गये।

भारत में 'मेन केम्प' के प्रकाशन का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाने का इसरायली प्रस्ताव

8705. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में हिटलर की आत्मकथा 'मेन केम्प' के प्रकाशन के मामले को इसरायल जातीय भेद-भाव संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परम्परा का उल्लंघन के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं और यदि स्थिति उत्पन्न हुई तो इस पर विचार करेगी। भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जहां 'मी काफ' की बिक्री होती है।

Shortage of Big Rig Machines in Jaunpur Division of U. P.

8706. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the boring work in respect of many sanctioned tube-wells in Jaunpur Division (Uttar Pradesh) came to stand still in 1969-70 due to shortage of big rig machines ;

(b) if so, the steps being taken to remove the said shortage and the time by which big rig machines are likely to reach the said area ;

(c) whether it is also a fact that there is shortage of electric-wire and electric poles for transmitting electricity to Jaunpur ; and

(d) if so, the time by which the said shortage is likely to be removed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Drilling in some areas of Jaunpur District where water bearing strata were found to be below 500-600' had to be deferred because of shortage of big rig machines. The big rig machines have now started arriving and they would be utilised for drilling work in the concerned areas in this District during this year.

(c) and (d). The countrywide shortage of E. C. Grade aluminium for manufacture of aluminium conductors and steel for line supports has affected the progress of rural electrification in Jaunpur District. Measures have been taken to expedite supplies of the raw materials required, if necessary, by imports. It is not possible to indicate a definite period for complete removal of these shortages as this would depend on the improvement of the indigenous production and receipt of imported items for which action has already been taken by the concerned of the Departments Government of India.

विश्व-निर्यात व्यापार में भारत का अंश

8707. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में प्रतिवर्ष विश्व के सभी देशों द्वारा किये जाने वाले कुल निर्यात में भारत का कितना अंश था ;

(ख) क्या 'इकाफे' रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के समस्त देशों द्वारा किये गये निर्यात में एशिया का अंश 1960 में 10.5 प्रतिशत से घट कर 1968 में 9.3 प्रतिशत रह गया था ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1960 तथा 1968 के बीच में निर्यात के संबन्ध से 'इकेफे' देशों में हमारी क्या स्थिति थी ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1966, 1967, 1968 तथा 1969 में विश्व के निर्यातों में भारत का प्रतिशत भाग निम्नलिखित था :

†1966	1967	1968	‡1969
0.88	0.84	0.82	0.79

नोट : † कुल विश्व निर्यातों में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों, क्यूबा, बाह्य मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम तथा मेनलैंड चीन से होने वाले निर्यात शामिल नहीं है ।

‡ वर्ष 1969 के पहले नौ महीनों के वास्तविक निर्यातों के आधार पर प्राक्कलित ।

(ख) जी नहीं। विश्व निर्यातों में एशिया का भाग वर्ष 1960 के 16.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1968 में 17.6 प्रतिशत हो गया। इसी तरह इकाफे का भाग वर्ष 1960 के 12.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1968 में 13.4 प्रतिशत हो गया। परन्तु एशिया के विकासशील देशों (आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को छोड़कर) का भाग 10.5 प्रतिशत से कम होकर 9.3 प्रतिशत रह गया।

(ग) इकाफे क्षेत्र के निर्यात में भारत का भाग संलग्न विवरण (अंग्रेजी) में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3423/70]**

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें किये गये तथा अपेक्षित महत्वपूर्ण उपाय दर्शाये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3423/70]**

नायलोन धागे का आयात

8708. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में आयातित नायलोन धागे के विभिन्न डेनियरों के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों का औसत कितना था ;

(ख) राज्य व्यापार निगम ने उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष शुल्क तथा अन्य चार्जेज (अलग-अलग) की कितनी राशि दी ;

(ग) उपरोक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम ने भारत में ग्राहकों को विभिन्न डेनियर किन मूल्यों पर बेचे ; और

(घ) राज्य व्यापार निगम ने उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष लागत बीमा भाड़ा मूल्यों पर कुल कितना तथा कितना प्रतिशत लाभ कमाया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित विभिन्न डेनियरों के नायलान धागे का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निम्नलिखित है :-

वर्ष	(लागत बीमा भाड़ा मूल्य लाख रुपये में)
1966-67	कुछ नहीं*
1967-68	267.83
1968-69	160.04

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा दिये गये सीमा शुल्क तथा अन्य प्रभार निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	सीमाशुल्क (लाख रु० में)	निकासी, चढ़ाई-उतराई व गोदाम का किराया आदि पर किये गये अन्य खर्चे (लाख रुपये में)
1966-67	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1967-68	751.49	8.84
1968-69	615.35	23.98

*नायलान धागे के समस्त आयात अवमूल्यन से पहले निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत किये गये थे।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलन धागे को विक्रय उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित मूल्यों पर किया जाता है जो कि स्वदेशी निर्माताओं द्वारा रखे गये मूल्य से कुछ कम होता है ।

(घ) सीमाशुल्क, प्रतिकर शुल्क, भाड़ा, बीमा तथा चढ़ाई-उतराई व वितरण आदि पर हुए खर्चों को निकाल कर राज्य व्यापार निगम को जो लाभ होता है वह अधिक नहीं है । इस लाभ का उपयोग भी मानव-निर्मित रेशे के वस्त्रों के निर्यात के बढ़ाने के लिये किया जाता है ।

मोटर गाड़ी फैक्टरी की स्थापना

8709. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं की गाड़ियों संबन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार का एक और मोटर गाड़ी फैक्टरी स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जबलपुर में सम्पूर्ण होने जा रही नई विहीकल फैक्टरी के अतिरिक्त सरकार के पास इस समय कोई और आटोमोबाइल फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । रक्षा आवश्यकताएं जबलपुर की विहीकल फैक्टरी द्वारा पूरी की जाएंगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Payment made to Foreign Employees in Indian Embassies in France, England, America and U.S.S.R.

8710. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign employees and officers in Indian Embassy in France, England, U.S.A. and USSR ;

(b) whether these employees and officers are paid salaries in Indian currency or in foreign exchange ; and

(c) the amount in Indian currency and in foreign exchange paid by Government as salaries, etc. to these foreign employees during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The number of locally recruited staff under the administrative and budgetary control of the Ministry of External Affairs in the said Mission is :

Embassy of India, Paris	..	27
High Commission of India, London	..	297
Embassy of India, Washington	..	59
Embassy of India, Moscow	..	19

(b) All local employees are paid their salaries in the currency of the country concerned.

(c) The expenditure incurred on the salaries of local employees in the said Missions

during the last three years is given in the attached statement.

Statement

	1967-68	*1968-69*	*1969-70*
Embassy of India, Paris	Rs. 4,55,700 (=Frs. 3,37,218)	Rs. 5,81,700 (=Frs. 430,458)	Rs. 5,68,400 (=Frs. 420,610)
High Commission of India London	Rs. 58,89,438 (=£3,27,191)	Rs. 75,67,619 (=£3,64,867)	Rs. 63,92,801 (=£03,55,155)
Embassy of India, Washington	Rs. 19,54,679 (=$ 2,60,264)	Rs. 19,59,567 (=$ 2,61,276)	Rs. 17,21,699 (=$2,29,560)
Embassy of India, Moscow	Rs. 2,93,000 (=Rouble 35,160)	Rs. 3,02,000 (=Rouble 36,240)	Rs. 3,66,800 (=Rouble 44,010)

नासिक तथा उड़ीसा में कोरापट में 'मिग' एककों के निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटियां

8711. **श्री जय सिंह :**

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक तथा उड़ीसा में कोरापट स्थित 'मिग' एककों के लिये सिविल निर्माण कार्य में कोई गम्भीर गलतियों तथा दोष यथा फर्श-खण्डों में दरारें धावन पट्टी में अच्छी तरह कंकरीट न करना तथा अपर्याप्त जलाभेद्य व्यवस्था देखने में आई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड निर्माणावधि के दौरान इन त्रुटियों को बताता तो उन्हें दूर किया जा सकता था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस उपक्रम ने इन इमारतों की किस्म पर कोई निगरानी नहीं रखी और इन इमारतों को लेते समय भी उसने जो निरीक्षण किया वह केवल दृश्य निरीक्षण था;

(घ) यदि हां, तो इस त्रुटि के कारण कितनी हानि हुई ; और

(ङ) इन त्रुटियों के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एच० ए० एल० नासिक डिवीजन द्वारा हस्तगत किये जाते समय भवनों में कुछ नुक्स पाये गये थे। जहां तक कोरापुट निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, कोई गम्भीर नुक्स सामने नहीं आये थे।

(ख) और (ग). प्रबन्धकों के अनुसार एच० ए० एल० को भवन मंजूरी निरीक्षण के पश्चात भवन हस्तगत करना थे। तदपि निर्माण के दौरान निर्माण कार्य महाराष्ट्र सरकार के तकनीकी निरीक्षण द्वारा निरीक्षण अधीन थे। यह कहना कठिन है कि नुक्स दूर किये जा सकते थे, यदि निर्माण के दौरान एच० ए० एल० आवधिक निरीक्षण करता।

(घ) रनवे के संशोधन पर लगभग 1 लाख रुपये लागत अनुमानित है।

(ङ) भाग (ख) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

भारत में अमरीकी सूचना सेवा के पुस्तकालयों को बन्द करना

8712. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत में अमरीकी सूचना सेवा के पुस्तकालयों को बन्द करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन

8713. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मापदंडों का उल्लंघन किये जाने के बारे में 28 मार्च, 1970 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित सम्पादक को लिये गये पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं, 28 मार्च 1970 के 'ब्लिट्ज' में जिस प्रकार के आरोप लगाये गये उनकी ओर पहले ही हमारा ध्यान आकर्षित किया गया और प्राप्त सूचना के अनुसार ये तथ्यों के विपरीत पाए गये ।

व्यावसायिक कर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा विरोध

8714. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाये गये व्यावसायिक कर के विरुद्ध समूचे उत्तर प्रदेश में प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत चली है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). समस्त उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यवसायिक कर लगाने के विरुद्ध रक्षा कार्मिकों से हाल में सरकार को कोई विरोधपत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) और (घ) . 1966 में एक सदस्य महोदय द्वारा यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया था । तब मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था । राज्य सरकार ने कहा था कि रक्षा कर्मचारियों को, जो सशस्त्र सेनाओं के सदस्य न थे, व्यवसायिक कर से विमुक्त करना शक्य न होगा । क्योंकि स्वयं अधिनियम द्वारा विशेषतौर पर न छोड़ी गई किसी श्रेणी को उससे विमुक्त करने के स्वनिर्णय का अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अधिकार न था ।

न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर

8715. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर जिसे भारतीय वस्त्र निगम ने अपने हाथ में ले लिया है, के सुचारु रूप से चलाने के लिये वायदे के अनुसार कोई राशि नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने वायदे के अनुसार राशि दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, कानपुर को उत्तर प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा क्रमशः 4.90 लाख रु० तथा 5.10 लाख रु० के ऋण की पहली किश्त दी गई है ।

कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध

8716. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि चालू वर्ष में निर्यात की संभावनायें अच्छी लगती हैं, क्या कुछ मंत्रालयों द्वारा कुछ एक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव के कारण सरकार के सामने कुछ समस्या खड़ी हो गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जिन वस्तुओं का निर्यात या तो बन्द कर दिया गया है या फिर कम किया गया है उनके नाम क्या हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात के मामले में कुछ हद तक उसे जारी रखने की आवश्यकता पर जोर देकर अन्य मंत्रालयों को लिखा है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि उन बाजारों से, जहां भारतीय माल को हाल के वर्षों में स्थान प्राप्त हुआ है, माल के अकस्मात गायब हो जाने से उस सामग्री के आयात का विश्वसनीय स्रोत होने के रूप में भारत की जो प्रतिष्ठा है, उसे आघात पहुंचेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). ऐसी किसी भी मद के निर्यात पर कोई रोक नहीं है जिसका निर्यात 1969-70 में निर्यात नियंत्रण के अन्तर्गत करने की अनुमति थी। 1970-71 के लिए निर्यात नीति को जब तक अन्तिमरूप नहीं दिया जाता तब तक के लिए सम्बद्ध मन्त्रालयों द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि छड़ों, सलाखों, ढांचों और एल्यूमीनियम के निर्यातों को विनियमित किया जाए ताकि घरेलू मांग और निर्यात आवश्यकता में सन्तुलन स्थापित किया जा सके।

(ग) और (घ). उत्तर लोहा तथा इस्पात और एल्यूमीनियम धातु के सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिए निर्यात नीति सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ संयुक्त रूप से विचाराधीन है। चूंकि विनियमन सम्बन्धी नीति एक अंतरिम व्यवस्था है अतः इससे निर्यातों को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

कालीन-अस्तर (कारपेट बेकिंग) का निर्यात

8717. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका को कालीन अस्तर के निर्यात में जो तेजी से कमी आई है, उसके बारे में दोनों ही सरकारी तथा व्यापारिक क्षेत्रों में चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) क्या इस स्थिति का अध्ययन करने के लिये जिस अधिकारी को अमरीका भेजा गया था, उसने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय जूट मिल्स संस्था ने इस स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल अमरीका भेजा था और यदि हां, तो उसके अध्ययन-परिणाम क्या हैं;

(घ) निर्यात में गिरावट के कारण फरवरी के अन्त में विभिन्न जूट मिलों के पास कितना माल जमा हो गया था; और

(ङ) सरकार का विचार इसकी किस तरह निकासी करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) 29,800 मे० टन।

(ङ) मांग पुनः उत्पन्न होते ही स्टाक निकल जाने की आशा है।

विशेषज्ञ सेवा अभिकरण तथा औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र स्थापित करना

8719. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशेषज्ञ सेवा अभिकरण और औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कृत्य क्या होंगे और उनका कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) सरकार द्वारा :

(1) एक 'व्यापार विकास प्राधिकरण' की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(2) यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य व्यापार निगम को 'औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र' की स्थापना करनी चाहिये ।

(ख) और (ग) . **औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र :**

विशाल तथा लघु दोनों प्रकार के एककों वाले वास्तविक उपयोक्ता, वास्तविक उपयोक्ताओं हेतु आयात नीति अथवा पंजीयित निर्यातकों हेतु आयात नीति के अधीन उन्हें दिये गये लाइसेंसों के बदले कच्चा माल प्राप्त करने के मामले में औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र से सहायता प्राप्त कर सकेंगे । इस सुविधा से लाभ उठाने के इच्छुक वास्तविक उपयोक्ता अपने वैध लाइसेंसों के आधार पर आयातित हाजिर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए औ०क०म०स० केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करेंगे । औ०क०म०स० केन्द्र द्वारा माल की पूर्ति की जाने पर प्रश्नाधीन लाइसेंस लाइसेंसधारी द्वारा सीधे आयात के लिए वैध नहीं होगा । वास्तविक उपयोक्ताओं को हाजिर पूर्ति करने के लिए कच्चे माल के आयात हेतु विस्तृत व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं ।

व्यापार विकास प्राधिकरण

प्रस्तावित व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना हो जाने पर उसमें निम्नलिखित पांच प्रभाग होंगे !

1. जानकारी प्रभाग;
2. गवेषणा तथा विश्लेषण प्रभाग;
3. पणन प्रभाग
4. निर्यात उत्पादन प्रभाग; और
5. विशेष परियोजनाएं और उत्पादन गवेषणा तथा विकास प्रभाग । प्राधिकरण के कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे :—

—जानकारी (उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्यिक)

—बाजार गवेषणा तथा विश्लेषण

—पणन-सम्पर्क का संवर्धन और पोषण, जिसमें निम्नलिखित पर सलाह व्यवस्था शामिल है :

(क) उत्पाद तथा संवेष्टन

(ख) विज्ञापन तथा बिक्री संवर्धन

(ग) वित्तीय सहायता, और

(घ) पार्टी का मूल्यांकन ।

—उत्पादन वृद्धि तथा विस्तार, जिसमें निर्यात अभिमुख संयुक्त उद्यमों तथा उप-संविदा व्यवस्था की स्थापना शामिल है;

—उत्पाद गवेषणा तथा विकास ।

—नीति, मूल्यांकन तथा सलाह ।

इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विनिश्चय किये जाने की संभावना है ।

त्रिवेन्द्रम सांस्कृतिक केन्द्र के भवन को पूर्ण करने के लिये रूसी दूतावास का वि निवेदन

8720. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अजमल खां :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी दूतावास के इस अनुरोध पर विचार किया है कि उनको त्रिवेन्द्रम में अपनी इमारत का, जिसमें एक सांस्कृतिक केन्द्र खोला जायगा, निर्माण कार्य पुनः आरम्भ करने दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सोवियत राजदूतावास का अनुरोध विचाराधीन है ।

वर्ष 1967 से 1969 तक विदेशी मुद्रा की आय

8721. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967 से 1969 तक अन्य मुस्लिम देशों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : सरकार धर्मों के आधार पर आंकड़े नहीं रखती । निर्यात के देशवार आंकड़े, वाणिज्यिक, आसूचना तथा सांख्यिकी के महा-निदेशक द्वारा प्रकाशित "मन्थली स्टेटस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" में मिल सकते हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

गांवों में बिजली लगाना तथा नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन

8722. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-1967, 1968-1969 में वर्षवार प्रत्येक राज्य के कितने गांवों में बिजली लगाई गई थी ; और

(ख) वर्ष 1966-1967 और 1968-1969 में अलग-अलग प्रत्येक राज्य में कितने नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन दिये गये थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी सम्बद्ध विवरण में दी गई है।

विवरण

आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	गांव जिन्हें विद्युत दी गई			पम्प सेट/ट्यूब वेल लगाये गये		
		1966-67 में	1967-68 में	1968-69 में	1966-67 में	1967-68 में	1968-69 में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	507	124	805	9,519	24,635	30,942
2.	आसाम	41	110	140	15	34	6
3.	बिहार	944	438	904	14,082	16,009	8,624
4.	गुजरात	575	348	275	11,300	9,206	4,427
5.	हरियाणा	72	35	178	4,970	7,399	17,996
6.	जम्मू तथा काश्मीर	154	74	21	24	34	—
7.	केरल	17	22	15	1,538	2,128	3,286
8.	मध्य प्रदेश	249	298	1,067	4,085	5,536	7,696
9.	महाराष्ट्र	1,697	885	2,595	20,683	25,754	33,566
10.	मैसूर	749	786	498	12,327	16,575	20,615
11.	नागालैंड	5	4	13	—	—	—
12.	उड़ीसा	97	128	62	257	179	41
13.	पंजाब	49	292	566	6,580	10,084	17,152
14.	राजस्थान	565	70	346	3,688	3,196	5,050
15.	तमिलनाडु	434	560	570	33,309	54,580	65,636
16.	उत्तर प्रदेश	1,817	2,790	2,090	12,730	22,670	20,474
17.	पश्चिम बंगाल	394	231	216	369	190	201
	योग राज्य :	8,366	7,201	10,361	1,35,476	1,98,209	2,35,512

Export of Bata Shoes

8723. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the shoes manufactured by Bata Shoes Company in India are exported to various foreign countries;

(b) if so, the names of the countries to which these are exported;

(c) the details of exports made to various countries during the last three years;

(d) the annual foreign exchange earnings by the said export during the above period; and

(e) whether Government have formulated a scheme to promote the export of shoes and if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) to (d). The Directorate General of Commercial Intelligence and Statics, Calcutta, which is the main source of statistics, does not maintain and publish export statistics firmwise.

(e) (1) The following basic raw materials required for leather footwear industry are permitted for import under O. G. I.

(i) Hides and Skins, raw or salted, where the value of hides and skins is more than that of wool/hair thereon.

(ii) Pickled hides, skins, pelts, splits and parts thereof.

(iii) Wattle barks and other barks for tanning.

(iv) Wattle extracts

(v) Quebracho extracts and chestnut extracts.

(2) Import replenishment is allowed at the rate of 15% of the FOB value of the export of leather shoes and at 25% on export of rubber footwear. Some compensatory support is also allowed on export of rubber shoes.

Compensation for Land Acquired in Village Mubarakpur Danapur Cantonment

8724. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had sanctioned some amount in 1969-70 for making compensation for the land acquired from the farmers of village Mubarakpur near Danapur Cantonment;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that the compensation has not so far been paid to the farmers if so, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken or proposed to be taken by Government to ensure that the compensation is paid expeditiously?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) to (d). A lump sum provision for land acquisition is made in the Budget Estimates on the basis of the expenditure likely to be incurred during a financial year in respect of the lands sanctioned or likely to be sanctioned for acquisition. Separate amounts are not earmarked for each of the various acquisition cases.

It is correct that no payment of acquisition compensation has so far been made for the lands in question. As mentioned in answer to Unstarred Parliament Question 5240 on the 24th December 1969, an area of approximately 77.37 acres of requisitioned land from village Mubarkpur has been sanctioned for acquisition on 10th October 1969 and it is the responsibility of the Land Acquisition Collector to fix the acquisition compensation in accordance with law and disburse the same. The Land Acquisition Collector has been requested to expedite the completion of the acquisition proceedings.

Complaint Against Officers of Bihata Airport

8725. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some residents of Musepur, Doghra and Bishmbarpur villages adjacent to Bihata Airport have sent to him a memorandum regarding the complaint against the officers of the airport on the 11th April, last;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) A representation dated 11th April 1970 from some residents of Doghra village was received.

(b) The villagers have principally requested that:

(i) the penalty in connection with stray cattle should be settled amicably;

(ii) security measures should be adopted for the safety of life and property and prevention of harassment to the persons in the area adjoining the airfield;

(iii) arrangements should be made for proper drainage during the rainy season:

(c) The matter is under examination.

Export of Usha Fans and Sewing Machines

8726. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Usha fans and sewing machines manufactured by the Jai Engineering Company are exported;

(b) if so, the names of countries where these are exported; and

(c) the details of foreign exchange earned annually as a result of the export of these goods during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) and (b). Official Export statistics are maintained for a commodity as a whole and not brand-wise or exporter-wise. Electric fans and sewing machines are being exported to quite a number of countries.

The main markets for these items are:

(1) **Electric Fans :** Aden, Australia, Bahrein, Ceylon, Iran, Iraq, Kuwait, Malaysia, Nigeria. Singapore, Sudan, T. Oman, etc.

(2) **Sewing Machines:** Ceylon, Ghana, Kuwait, Libya, Nigeria, UK, USA, West Germany, Yugoslavia etc.

(c) During the last three years viz. 1967-68, 1968-69 and 1969-70, the exports of these two items have been as under :

Value in Rs./lakhs

	1967-68	1968-69	1969-70 (Apr. Feb.)
Electric Fans & Parts	167.64	181.08	192.58
Sewing machines and parts	54.29	52.95	73.84

प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

8727. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सूरज भान :
श्री शारदा नन्द :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण के बारे में रोजगार और उत्पादन संबंधी प्रभाव पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस विषय में प्रोफेसर स्वामी द्वारा किये गये अध्ययन का पता है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस उद्देश्य के लिये कितने इन्जीनियर तथा वैज्ञानिकों को काम पर लिया जायेगा ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). प्रोफेसर स्वामी के अध्ययनों का निरीक्षण किया जा रहा है ।

मेलरझार भेलाडांगा और रजारहाट के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये डिजाइन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

8728. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य इन्जीनियर से मेलरझार, भेलाडांगा और रजारहाट के बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये डिजाइन और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले के उक्त क्षेत्र में बाढ़ नियन्त्रण नदी से भूमि कटाव रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी,और उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कूच-बिहार के निकट मेलरझार और भेलाडांगा क्षेत्रों के निरीक्षण के पश्चात, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने यह सुझाव दिया कि तोर्सा नदी को उसके पहले प्रवाह मार्ग की ओर परिवर्तित करने की सम्भावना के विषय में छानबीन की जाय। इस प्रकार की छानबीन तथा हाइड्रौलिक प्रकार के अध्ययन के पूरा होने पर, राज्य बाढ़ नियंत्रण मण्डल को तकनीकी समिति ने तुरन्त क्रियान्वित करने के लिये, एक योजना का सुझाव दिया है। इस ओर कार्य किया जा रहा है और यह आगामी वर्षाकाल तक पूरा हो जायेगा।

कलकत्ता बन्दरगाह से जहाज द्वारा पाकिस्तान माल नेपाल ले जाना

8729. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री जुगल मण्डल :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता बन्दरगाह द्वारा प्रति वर्ष अनुमानतः कितने मूल्य का पाकिस्तानी माल चोरी-छिपे नेपाल ले जाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). व्यापार तथा पारवहन (1960) की भारत-नेपाल सन्धि के उपबन्धों के अनुसार पाकिस्तान तथा नेपाल के बीच माल लाने ले जाने की पारवहन सुविधाएं कलकत्ता पत्तन के मार्ग से दी जाती हैं। तथापि इस पत्तन के माध्यम से नेपाल को कोई पाकिस्तानी माल नहीं गया।

मध्य प्रदेश के विकलांग सशस्त्र सैनिकों के भरण-पोषण सम्बन्धी अनिर्णीत मामले

8730. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विगलांग सशस्त्र सैनिकों के भरण-पोषण से सम्बन्धित कितने मामले अभी अनिणीत पड़े हैं तथा उन्हें निपटाने के लिये कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या इन सैनिकों को कोई नई सुविधाएं, सेवाएं अथवा सहायता दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) प्रश्न शायद, 1962 के चीनी आक्रमण और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान निर्योग्यीकृत सेविवर्ग के पुनरावास से सम्बन्धित है। यदि ऐसा है, तो मध्य प्रदेश से सम्बन्धित 13 मामलों (1962 में निर्योग्य हुये 3 और 1965 में निर्योग्य हुये 10) की पुनरावास के लिये रिपोर्ट मिली थी। उन सभी को उपयुक्त असैनिक रोजगारों में पुनरावासित कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग). सैनिक सेवा के कारण निर्योग्यता होने पर और निर्योग्यता के स्तर पर निर्भर निर्योग्यता पेन्शन प्रदान करने के अतिरिक्त, निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों को सेना राहत निधि से वित्तीय सहायता, नि:शुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण, और असैनिक रोजगार प्राप्त करने में चिकित्सा मानदण्डों, शिक्षा योग्यताओं, आयु सीमाओं में उपयुक्त छूट सहित प्राथमिकता और सहायता दी जाती है।

मध्य प्रदेश से प्रादेशिक सेना में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या

8731. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से 1969 तक मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों ने प्रादेशिक सेना में अपना नाम लिखाया था ;

(ख) कुल परेडों में कितने व्यक्तियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम रही थी ;

(ग) कितने व्यक्ति सभी शिविरों में उपस्थित रहे थे ; और

(घ) वर्ष 1964 से 1969 तक कुल कितना खर्च हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायगी।

"पीस इंडिगो" परियोजना के अन्तर्गत सीमा क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार के लिये अमरीका द्वारा सहायता

8732. **श्री जुगल मंडल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962-63 में अमरीका ने सीमा क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये 'पीस इंडिगो' परियोजना के अन्तर्गत कोई सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई थी और उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस सहायता का उपयोग कब करेगी तथा किस प्रकार करेगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). कुछ स्थैतिक रडारों और ट्रापोस्कैटर संचार तंत्र पर सम्मिलित अन्तरिक्ष रक्षा के लिए उन रडारों को वैमानिक नियन्त्रण अड्डों और हवाई अड्डों से संपर्क बनाने के लिये, साजसामान सप्लाई करने के लिये 1963 में यू० एस० ए० सरकार सहमत हुई थी। रडार प्राप्त हो गये थे और स्थापित कर दिये गये थे, परन्तु ट्रापोस्कैटर संचार तंत्र सप्लाई नहीं किया गया था, क्योंकि यू० एस० ए० से सैनिक सप्लाइयां सितम्बर, 1965 में बन्द कर दी गई थीं। 1968 में यू० एस० सरकार ट्रापोस्कैटर संचार तंत्र के लिये साजसामान पुनः सप्लाई करने को सहमत हो गई थी। संचार में सुधार के लिये साजसामान का चयन और तंत्र का अभिकल्पन सक्रियतापूर्वक विचाराधीन है।

Trade Relations between Kashmir and Pakistan

8733. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a meeting at Sopure, Mirza Afzal Beg, President of Kashmir Plebiscite Front stated that Government should reopen the "Sri Nagar-Rawalpindi Road" and establish trade relations between Kashmir and Pakistan ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Government have seen press reports to this effect.

(b) The Government of India have on a number of occasion taken up the question of resumption of trade between the two countries, but without success. The ban on trade with Pakistan was unilaterally lifted by India in May, 1966, but the Government of Pakistan have not reciprocated this gesture so far. Resumption of trade between the two countries is thus entirely dependent on the attitude of the Government of Pakistan. The Government of India are continuing their efforts in this regard.

Use of Hindi Equivalents of Indian Army and Indian Navy in Hindi Publication

8734. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Hindi equivalents for Indian Army and Indian Navy have been adopted ;

(b) whether the said Hindi equivalents are given in all the Hindi publications brought out by Indian Army and Indian Navy ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Hindi equivalents of the Indian Army and the Indian Navy have been evolved and are generally being used in the Hindi publications brought out by the Indian Army and the Indian Navy.

(c) Does not arise.

Number of Peons Attached with Superintendents in Army Headquarters

8735. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of messengers working in the Army Headquarters ;

(b) the number out of them have been attached to the Superintendents of various Sections ;

(c) whether it is a fact that some of the Superintendents ask their messengers to bring meals from their homes ; and

(d) if so, the action which Government propose to take in the matters ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) No messengers are authorised for the Army Headquarters. Evidently, the reference is to 680 peons serving in the Army Headquarters.

(b) Peons are authorised for Sections. No peons are attached to Superintendents.

(c) Government are not aware of such cases.

(d) Does not arise.

एमरजसी शोर्ट सर्विस कमीशन सेवा-मुक्त अधिकारियों को ऋण देने की योजना

8737. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के पुनः स्थापन महा निदेशक ने एमरजेंसी कमीशन और शोर्ट सर्विस कमीशन के सेवा-मुक्त अधिकारियों द्वारा उच्च शिक्षा अथवा व्यावसायिक और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उनकी सहायता हेतु कुछ ऋण देने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) योजना के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं :

(1) 2000 रुपये प्रति अफसर का एक अधिकाधिक ऋण देय है।

(2) ऋण उच्चतर शिक्षा अर्थात् डिग्री और उस ऊपर के लिए तथा अनुमोदित संस्थानों में व्यावसायिक तथा प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिये दिया जाता है ।

(3) ऋण अधिकाधिक 69 किस्तों में और काम मिल जाने के अधिकाधिक 6 मास पश्चात् या पाठ्यक्रम की सम्पूर्ति के 12 मास पश्चात्, जो भी पहले घटे वसूली योग्य होता है ।

(4) ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है परन्तु किस्तों की अदायगी की चूक की दशा में देय किस्त की अदायगी की अवधि के लिये 6 प्रतिशत ब्याज लगाने योग्य होता है ।

एक भारतीय फर्म द्वारा पश्चिम जर्मनी में कार्यालय खोलना

8738. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय फर्म ने पश्चिम जर्मनी में एक सहायक कार्यालय स्थापित किया है तथा उसे लातिन-अमरीका में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये एक ब्योरेवार इन्जीनियरिंग परियोजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). पता चला है कि एक भारतीय सलाहकार फर्म की जर्मन सहायक फर्म ने लातीनी अमरीका में इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्राप्त किया है। इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से, ब्यौरा प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिये प्रार्थना की जा रही है ।

रूस द्वारा लाओस में शांति स्थापना सम्बन्धी प्रयत्नों में भाग लेने से इन्कार करना

8739. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने लाओस में शांति स्थापित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में भाग लेने की लाओस के तटस्थतावादी प्रधान मंत्री की अपील नामंजूर कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सोवियत संघ ने संकेत दिया है कि उनके विचार से लाओस की समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श करने का अभी उपयुक्त समय नहीं है।

(ख) भारत सरकार ने फ्रांसीसी प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें उसने बातचीत करके हिन्द-चीन के समग्र समाधान के उद्देश्य से हिन्द-चीन के भीतरी और बाहरी सम्बद्ध पक्षों के बीच विचार-विमर्श की पेशकश की है। लाओसी पक्ष शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, सरकार उनका भी स्वागत करती है।

कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार

8740. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार से सम्बन्धित 8 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के परामर्श से इस बीच व्यौरेवार योजना बना ली गई है;

(ख) क्या नेपाल सरकार से उस व्यौरेवार योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में बातचीत की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार सरकार से अगस्त, 1969 में संशोधित संरेखण प्राप्त होने के पश्चात् क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने बिहार सरकार को अपनी स्वीकृति भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ). बिहार सरकार से अनुरोध किया गया था कि नेपाल सरकार के इन्जीनियरों के परामर्श से वह ब्योरेवार योजना तैयार करे। राज्य सरकार जिसे शीघ्र कार्रवाही करने का अनुरोध किया गया है, से अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अमरीका को सूती कपड़े का निर्यात

8741. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने विभिन्न एशियाई देशों से अमरीका में सूती कपड़े के

आयात को सीमित करने के बारे में अपनी इच्छा से करार करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा किये जाने वाले सूती कपड़े के आयात में कितनी कमी की जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) भारत से अमरीका को किये जाने वाले सूती कपड़े के निर्यात में इस प्रस्ताव से कितनी कमी होगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य मुख्य आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता देश, सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में जेनेवा दीर्घ कालीन करार के सदस्य हैं । इस करार की रूपरेखा के अन्तर्गत, भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय करार किये गये हैं । जेनेवा करार, फिलहाल 1970 में सितम्बर के अन्त तक ही लागू है । आगामी अवधि के लिये इस करार के नवीकरण हेतु सदस्य देशों (केवल संयुक्त राज्य अमरीका तथा एशियाई देशों के बीच ही नहीं) के बीच इस अवधि की समाप्ति से पहले ही बातचीत होगी । संयुक्त राज्य अमरीका का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके प्रभाव स्वरूप भारत से आयात और भी प्रतिबंधित हो ।

कपास का वितरण

8742. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1970 के 'इकानौमिक टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो इस बात को प्रकट करता है कि विदेशी कपास के मामले में प्रच्छन्न सौदे करने से तकुओं पर आधारित वितरण पद्धति का गम्भीर मजाक हुआ है जबकि मिश्र अथवा सूडान की कपास की सप्लाई वास्तव में उन बीजकों पर की जा रही है ; जो भारतीय कपास से सम्बन्धित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विश्व के कपास के इमानदार उपभोक्ता गम्भीर कठिनाई में पड़ गये हैं ; और

(ग) ऐसे प्रच्छन्न सौदों को रोकने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में इस वर्ष अब तक कितने मामले सामने लाये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). विदेशी कपास वितरण योजना की शर्तों के अनुसार प्रत्येक कपास मिल को उसमें चल रहे तकुओं के आधार पर विश्व कपास का, जो पी० एल० 480 कपास से सम्बद्ध होती है, आवंटन प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है । आयातित विश्व कपास की बिक्री की अनुमति नहीं है । 10 अप्रैल, 1970 के 'इकनौमिक टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि कतिपय मिलों ने आयात लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर विश्व कपास की बिक्री की है और प्राधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को पृथक करना

8743. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को पृथक करने के प्रश्न के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सारे पहलुओं को जिनमें वे भी शामिल हैं जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अब तक सौंप दिये गये थे, मंत्रिमंडल सचिवालय के सांख्यिकी विभाग के एक सरकारी अभिकरण को सौंप देने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 1970, 5 मार्च को जारी की गई सरकारी संकल्प संख्या डी० एस० / एस० डी० एस०/ 4-69, 1970, 28 मार्च के भारत सरकार के राजपत्र भाग I धारा I में प्रकाशित की गई है।

Construction of a New Barrage on River Hindon in Meerut

8744. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the time by which the project of constructing a new barrage in place of the present one on the Hindon river, Meerut, Uttar Pradesh, would be taken up ;

(b) if so, the time by which the said project is likely to be completed ; and

(c) whether the work of laying railway track on the barrage has also been kept in view ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The Government of Uttar Pradesh have reported that the scheme for a barrage across the Hindon has been included in their Fourth Plan and that project estimates for the project are being recast. They have indicated that the work would require about four years for completion.

(c) The suggestion is under the consideration of the Government of Uttar Pradesh.

Construction of a Dam on Ganga at Kotani Bihal in Rishikesh

8745. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the out-come of the survey which was being conducted in connection with the construction of a dam on Ganga at Kotani Bihal in Rishikesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): Preliminary investigations carried out by the State Electricity Board indicate large power and irrigatton potentialities at the Kotli Bihal site. Full details of the scheme will be known after detailed investigations are carried out and a report prepared.

Export of Engineering Goods

8746. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a larger percentage of export of engineering goods and value

thereof is only the railway wagons, electric cables and motor trucks and that the other goods fall below the export value of rupees hundred crores ; and

(b) if so, the scheme formulated for increasing the production and promoting the export of other engineering goods ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) No, Sir. Exports of railway wagons, electric wires and cables and motor trucks account for only a small percentage of total exports of engineering goods. During April to December, 1969, the Exports of these items were as follows :

April-December '69 (Rs./ lakhs)

Railway coaches & wagons	9.54
Electric wires & cables	705.76
Motor trucks (Fork lift trucks and parts)	1.07
Total :	716.37
Total Exports of engg. goods :	6948.69

(b) Does not arise.

संयुक्त राष्ट्र संघ में कम्बोडिया का प्रतिनिधित्व

8747. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जो इस बात का निर्णय करने से सम्बन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व कम्बोडिया की नई सरकार को दिया जाय अथवा अपदस्थ सरकार को ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का दृष्टिकोण तथा रुख क्या था ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने यह खबरें देखी हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का यह विचार है कि संयुक्त राष्ट्र में कम्बोडिया के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर उन्हें नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के विचारक निकाय को निर्णय करना है। इस मामले में भारत सरकार का समर्थन या सलाह नहीं मांगी गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्बोडिया के राजदूत के साथ बातचीत

8748. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्बोडिया के राजदूत भारत आए थे और उन्होंने अपने राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में भारतीय सरकार के साथ विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस उद्देश्य से कम्बोडिया के किसी विशेष राजदूत ने भारत की यात्रा नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मास्को रेडियो के सम्वाददाताओं द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का प्रयोग

8749. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 'रेडियो मास्को' तथा अन्य रूस द्वारा नियंत्रित समाचार एजेंसियों के सम्वाददाताओं तथा प्रतिनिधियों के विरुद्ध राजनयिक विशेषाधिकारों का लाभ उठाने तथा भारत में अपनी गाड़ियों के सी० डी० नम्बर प्लेटों का प्रयोग करने के कारण उन पर लगाये गये आरोपों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों को कहां तक सच पाया गया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने मास्को रेडियो और सोवियत समाचार एजेंसियों के सम्वाददाताओं तथा प्रतिनिधियों को न राजनयिक विशेषाधिकार दिये हैं, जिनमें कारों पर सी० डी० नम्बर प्लेट्स का उपयोग करना भी शामिल है, और न उसे इस बात की जानकारी है कि वे इस प्रकार की सुविधाओं का उपयोग कर रहें हैं।

माही नदी पर कदना बांध

8751. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों ने माही नदी पर गुजरात सरकार द्वारा आरम्भ किये गये कदना बांध के निर्माण कार्य को तब तक बन्द करने के लिये कहा है जब तक राजस्थान पर इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं कर लिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राजस्थान के कुछ संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों ने कदना बांध की ऊंचाई को कम करने के लिये कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान तथा गुजरात राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है।

नांगल स्थित उर्वरक कारखाने को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई

8752. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को नांगल कारखाने के लिये भाखड़ा नांगल परियोजना से बिजली सप्लाई नहीं की गई थी जैसा कि पहले निर्णय हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नांगल कारखाने को करार की शर्तों के आधार पर बिजली की सप्लाई की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

External Affairs Minister's visit Abroad

8753. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of foreign countries visited by him during 1969-70 and the main purposes of the visits ; and

(b) the details in respect of the nature of talks held and the conferences attended by him abroad and the outcome of his participation ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) A statement is attached.

(b) The visits served to exchange views on matters of mutual interest and on world problems and to strengthen our relations with the countries concerned. The discussions held by the Minister were of a confidential nature.

Statement

Period	Countries visited	Purpose
June, 1969	Iran	Bilateral talks on Technical, Economic and Scientific Co-operation.
June, 1969	Nepal	Goodwill Mission.
July, 1969	U.A.R.	During his stop-over at Cairo en route to U. S. the Foreign Minister exchanged views on world problems with U.A.R. leaders.

Period	Countries visited	Purpose
July, 1969	U.S.A.	The visit was at the invitation of the U.S. Secretary of State and provided an opportunity for discussions on important international and bilateral issues.
September, 1969	Democratic Republic of Vietnam	To attend President Dr. Ho Chi Minh's funeral. During his visit, the Minister held discussion with the Prime Minister and Foreign Minister of Democratic Republic of Vietnam.
September, 1969	U.S.S.R. and Yugoslavia	To discuss bilateral relations, matters of mutual interest as well as important world issues.
September, 1969	U.S.A.	To attend the U.N. General Assembly as the leader of the Indian Delegation.
February, 1970	Nepal	Goodwill Mission at the invitation of the King of Nepal.

Export of Textiles

8754. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of textile goods was less during 1969-70 as compared to what it was during 1968-69 ;

(b) if so, the reasons therefor and the extent to which the export was less ; and

(c) whether the export of textile goods is likely to increase during 1970-71 and if so, the percentage increase over the previous exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). No, Sir. The approximate value of exports of cotton textiles during 1969-70 and 1968-69 was as under :

1969-70	**1968-69**
Rs. 112 crores	97.25 crores.

(c) Exports of cotton textiles during 1970-71 are likely to increase by 7% over the level of export during 1969-70.

प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत कारखाने तथा सहायक कारखाने

8755. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत आने वाले कारखानों, जिनमें सहायक एकक भी शामिल हैं, के नाम क्या हैं ; वे किस किस स्थान पर हैं तथा वे क्या क्या उत्पादन करते हैं;

(ख) उनमें किस किस तारीख को उत्पादन आरम्भ हुआ ;

(ग) उनका निर्माण कितनी अवधि में किया गया था ;

(घ) पूर्ण क्षमता कब प्राप्त की गई थी तथा उत्पादन में वर्षवार कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई ; और

(ङ) कारखाने/कारखाना स्थापित करने के लिये यदि कोई विदेशी सहायता अथवा सहयोग लिया गया हो, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) . सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(ख) तथा (ग) . अधिकतम फैक्टरियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम अन्तर्ग्रस्त होगा क्योंकि वह स्वतंत्रता के पहले वर्षों हुये स्थापित की गई थी । स्वतन्त्रता के पश्चात् अवधि में स्थापित की गई फैक्टरियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित गोला-बारूद

8756. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुध कारखानों द्वारा 22 रिंग-फायर गोला बारूद बनाया जा रहा है ;

(ख) उक्त गोला बारूद का बाजार मूल्य कितना है ;

(ग) लम्बी राइफल के किस्म को मानक शक्ति वाले कारतूसों के ग्रुप में (1) चेकोस्लोवाकिया (2) पश्चिम जर्मनी (3) इंग्लैंड तथा (4) अमरीका से आयातित उसी प्रकार के गोला बारूद का उचित बाजार मूल्य क्या है ;

(घ) क्या भारतीय आयुध कारखाने में बने गोला बारूद में आयातित गोला बारूद से संरक्षण तत्व कम हैं ; और

(ङ) भारतीय आयुध कारखाने के गोला बारूद की कीमतें ज्यादा होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जिस मूल्य पर भारतीय आर्डनेंस फैक्टरियां थोक व्यापारियों को गोली बारूद

सप्लाई कर रही हैं, वह और अधिकाधिक परचून मूल्य इस प्रकार हैं :-

(1) जिस थोक मूल्य पर व्यापारियों को सप्लाई की जाती है वह है, प्रति 1000 गोली 115 रुपये ।

(2) अधिकाधिक परचून मूल्य जिसकी अनुमति है, प्रति 1000 गोली 130 रुपये ।

(ग) सूचना प्राप्य नहीं है क्योंकि इस गोली बारूद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उत्पादन की लागत को सामने रखते हुए थोक व्यापारियों को जिस मूल्य पर सप्लाई की जा रही है, अधिक नहीं है ।

प्रतिरक्षा कारखानों में काम कर रहे मान्यता प्राप्त संघ

8757. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा कारखानों में कितने मान्यता प्राप्त संघ कार्य कर रहे हैं ; उनके नाम क्या हैं वे किन राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं तथा उनके कितने सदस्य हैं ;

(ख) प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रतिरक्षा कारखानों में कुल कितने कर्मचारी नियोजित किये गये ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति संघ के कार्यों में भाग लेने के अधिकारी हैं ; और

(घ) प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में कुल कितने भूतपूर्व सैनिकों को स्थायी रूप से नियोजित किया गया था तथा अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा जवानों के बारे में पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

8758. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में इस समय 14 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस तारीख को बन्द हुईं ;

(ग) क्या इन सभी मिलों का 'संकटग्रस्त' एककों के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है जिन्हें पुन: उत्पादन आरम्भ करने के लिये सहायता की आवश्यकता है ; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). जिन मिलों को बन्द करना उचित समझा गया है, उन्हें छोड़कर वर्ष 1970 के मार्च महीने के अन्त में पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित पांच सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं :—

मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
(1) सोदपुर सूती मिल्स लिमिटेड, सोदपुर	12.12.65
(2) बंगसारी सूती मिल्स लिमिटेड, सोदपुर	10.10.66
(3) आरती सूती मिल्स लिमिटेड, दासनगर, हावड़ा	17.6.68
(4) दि बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता	14.7.69
(5) दि मोहनी मिल्स, लिमिटेड, नम्बर दो, बलघरिया	15.10.69

(ग) मिल संकटग्रस्त है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(घ) तीन मिलों के समापन किये जाने के मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं ; शेष दो मिलों के मामले की जांच पड़ताल पश्चिमी बंगाल सरकार और वस्त्र आयुक्त के परामर्श से की जा रही है।

Prime Minister's Interview with National Liberation front Leaders Re. withdrawal of Foreign forces from South Vietnam

8759. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news published by South Vietnam National Liberation Front in a Hongkong paper on the 12th January, 1970 that in talks with the leader of the delegation of the Front, the Prime Minister of India appreciated the struggle of the National Liberation Front and had supported withdrawal of foreign troops from South Vietnam ;

(b) whether extending support to the Front does not amount to interference in the internal affairs of South Vietnam ; and

(c) whether her suggestion regarding withdrawal of foreign troops from South Vietnam covers only American troops or both American and North Vietnamese troops ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government have not seen the news report. However, the Prime Minister of India in her talk with Mr. Van Tien had said that India's policy has always been constant and firm that the Vietnamese people should be allowed to decide their own future without any outside interference and that she was glad to express her admiration for the heroic struggle of the Vietnamese people against tremendous odds to achieve this. She had also stated that India was against the use of foreign troops in other countries.

(b) Does not arise.

(c) Prime Minister's statement covered all foreign troops.

Use of English in Army Headquarters

8760. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that much importance is attached to the use of English in Army Headquarters and if any employee of lower rank can not express himself well in English, he is warned for that ;

(b) if so, the number of such warnings issued during the years 1969 and 1970 (upto the 30th March) ; and

(c) whether Government propose to issue orders so that employees of lower ranks are not considered inefficient on the basis of their incapability to express themselves well in English ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). As the work in Army Headquarters is conducted in English, a reasonable proficiency in English is expected of persons employed in Army Headquarters. Remarks on 'Skill in noting and drafting' and on 'clarity, comprehension and originality in thinking and expression' have to be given in the prescribed Annual Confidential Reports of these employees. Any adverse remarks made in the confidential reports are communicated to the officials concerned. Remarks on lack of knowledge in English were communicated in one case during 1969-70. This is not viewed as a warning.

(c) There is no such proposal under consideration. Efficiency or inefficiency of an employee is judged on the basis of his overall performance and not on the basis of one aspect of his work only.

Slave Trading in Indian Girls

8761. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article entitled "Slave Trading in Indian Girls" published in the monthly magazine "Mother India" of January, 1970 ;

(b) if so, whether Government propose to invite attention of the Pakistan Government to the provisions of the Nehru-Liaquat Agreement and to take steps to safeguard the Hindu women living in Pakistan ;

(c) whether Government propose to conduct a thorough search of the aircraft and ships and impose a ban on the Indian girls being sent abroad by the foreigners for training ; and

(d) whether Government propose a urge upon the Consulates of Pakistan and Saudi Arabia to furnish full details in regard to any person who is sent abroad by them.

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). We are trying to ascertain the truth or otherwise of the article.

पुनर्वास महानिदेशक के पास नियोजन के लिए प्रतीक्षा सूची में लेफ्टिनेंट कर्नल

8762. **श्री शारदा नन्द :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास महानिदेशक के पास नियोजन के लिये प्रतीक्षा सूची में 48 वर्ष से कम आयु वाले कितने लेफ्टिनेट कर्नलों के नाम हैं ;

(ख) उनमें से कितनों का नियोजन अथवा पुनर्वास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल, विशेष सीमा दल, तथा केन्द्रीय औद्योगिक दल में करने का विचार है ;

(ग) क्या उन्हें सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों में काम देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) उन्हें इस काम पर किस तारीख से लगाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) दस।

(ख) इन दस में से दो निम्न चिकित्सा श्रेणी के हैं, और दो तकनीकी भुजों के। साधारणतः उन्हें पुलिस और नीम सैनिक दलों में नियुक्ति के लिए नहीं विचारा जाता। सेवा से विमुक्त शेष 6 अफसरों को डारेक्टर जनरल रिसेटलमेंट को रिक्त स्थान नोटिफाई करते समय प्रायोजित किया गया है, और किया जा रहा है।

(ग) उनके नाम राजकीय और निजी उपकरणों में नियुक्ति के लिए प्रायोजित किए जा रहे हैं।

(घ) कोई तिथि बता पाना शक्य नहीं है क्योंकि चयन प्रत्याशी रोजगार दाताओं के निर्धारण, और सेवा विमुक्त अफसरों द्वारा स्वीकृति पर निर्भर है।

दिल्ली में सेना मुख्यालय में कर्मचारी-पदों पर कार्यकर रहे पैदल सेना के अधिकारी

8763. **श्री शारदा नन्द** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना मुख्यालय में कर्मचारी पदों पर कार्य कर रहे पैदल सेना के उन नियमित अधिकारियों की संख्या कितनी है जो जुलाई, 1970 तक दिल्ली में तीन अथवा इससे अधिक वर्ष का सेवा काल पूरा कर लेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार एक नीति के रूप में उन्हें वहां से हटाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) दस।

(ख) और (ग). दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति पर रिहाइश प्रायः तीन से पांच वर्ष तक के लिए होती है। तदपि जब दिल्ली से बाहर पद के अनुरूप उपयुक्त नियुक्तियां प्राप्त नहीं होतीं, या नितान्त करुणाजनक कारणोवश, या जब वह रिटायर होने को हों अफसरों को अधिक अवधियों के लिए सेवा करने की अनुमति होती है।

बिजली लगाये जाने में काम आने वाले सामान का अभाव

8764. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण लाइनों, ट्रांसफार्मरों, बिजली के तारों, तथा खम्भों आदि की बहुत कमी है;

(ख) क्या इन उपकरणों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण संगठन द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . चूंकि देश भर में बिजलीवाहन की अलूमिनियम इस्पात और तांबे जैसे कच्चे माल की कमी है, इसीलिए पारेषण तथा ग्राम्य विद्युतीकरण की प्रगति में बाधा उपस्थित हुई है । भारत सरकार के संबद्ध विभागों ने कच्चे माल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं । ग्राम्य विद्युतीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं के आधार पर कमी का मूल्यांकन किया गया और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देशी मालों की सप्लाई का प्रबंध किया गया है ।

'एक्सपो 70'

8765. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सपो 70 भारतीय मंडप के बारे में विदेशी प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ख) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस प्रकार के एक मंडप को स्थायी रूप से टोकियो में बनाये रखे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या 'एक्सपो 70' में विदेशी मुद्रा कमाने वाले केरल के काली मिर्च तथा नारियल रेशे के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) प्रतिक्रिया बहुत उत्साह-जनक रही है । भारतीय मण्डप को 50 से 60 हजार दर्शक प्रतिदिन देखते हैं, यह लालित्य; आभा तथा आकर्षण उत्पन्न करने में सफल रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

चांद पर अन्तरिक्ष यात्री भेजने की तैयारियां

8766. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत चांद पर अन्तरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के प्रसंग में उक्त प्रश्न के इस पहलू पर विचार करना असामयिक होगा ।

चाय का निर्यात

8767. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रति वर्ष श्री लंका की तुलना में कम चाय निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अधिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में श्रीलंका द्वारा किये गये निर्यात की तुलना में इसी अवधि में भारत ने वर्षवार कुल कितना निर्यात किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ग). हाल में कुछ वर्षों में श्रीलंका ने कुछ ही अधिक मात्राओं का निर्यात किया । गत तीन वर्षों में किये गये निर्यात निम्नलिखित थे :–

(आंकड़े दस लाख किग्रा में)

	भारत से	श्री लंका से
1967	213.7	216.5
1968	208.4	208.7
1969	176.7	201.4

(ख) मुख्यतः मांग की तुलना में अधिक आपूर्ति होने के कारण चाय के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आकर्षक नहीं रहे । अन्य कारणों के साथ-साथ, इस कारण से भारतवर्ष में खपत बढ़ गई । श्रीलंका का आंतरिक बाजार छोटा होने के कारण उसे अपना माल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने की अधिक मजबूरी थी । वर्ष 1969 में अधिक अन्तर होने का यह भी कारण था कि भारत के चाय बागानों में लंबी हड़ताल रही तथा कलकत्ता की गोदियों में अव्यवस्था रही ।

Branches Sections of Armed Forces

8768. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Branches, Sections and Units in the Army Headquarters, Air Headquarters and Naval Headquarters of his Ministry ;

(b) the number out of them in which the Superintendents are working and the period for which they have been working in the same seat ;

(c) whether it is a fact that some Superintendents have been working in the same Section for more than 20 years ;

(d) if so, whether Government propose to transfer all the Superintendents in the interest of greater rotation and affording opportunity for others to work in different Sections ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The information is given in the attached statement.

(c) No.

(d) and (e). Cases of Superintendents who have remained in the same Directorate of the Services Headquarters continuously for more than 7 years are reviewed with a view to considering whether any transfer should be made, having regard to the need for continuity of work and for allowing an opportunity to employees to have a change in the nature of duties at reasonable intervals.

Statement

		Army HQ	Air HQ	Naval HQ
(a)	Number of Branches	6	4	6
	Number of Sections	402	161	76
(b)	Number of Sections in which Superintendents are working.	312	108	68
	*Number of Superintendents and details of periods for which the Superintendents have been working as Superintendents in the same seat in the different Service Headquarters.			
*	Less than 1 year	54	23	12
	Between 1 and 2 years	32	16	11
	Between 2 and 3 years	31	6	6
	Between 3 and 4 years	24	7	7
	Between 4 and 5 years	19	5	10
	Between 5 and 6 years	11	4	4
	Between 6 and 7 years	35	3	5
	Between 7 and 8 years	34	18	4
	Between 8 and 9 years	13	5	—
	Between 9 and 10 years	10	6	2
	Between 10 and 11 years	49	15	7

कृषि, उद्योग तथा सिंचाई सुविधाओं के लिये कम लागत वाली बिजली के उपयोग सम्बन्धी अध्ययन

8769. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति आयोग ने देश में कृषि, उद्योग तथा सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कम लागत वाली बिजली के उपयोग की व्यवहार्यता का अध्ययन करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन किया जा रहा है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अध्ययन प्रदेशवार बिजली के उपयोग पर आधारित है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे किन-किन प्रदेशों को लाभ होगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) . अणुशक्ति आयोग द्वारा नियुक्त किये गए कार्यकारी-दल ने बृहत् अणुबिजली केन्द्रों के चारों ओर कृषि उद्योग कारखानों की स्थापना करने के संबंध में प्राथमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन में इसके लिए बताये गए दो स्थान हैं—उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तथा कच-सौराष्ट्र। प्रतिवेदन उसकी मुख्य विशेषतायें सहित संसद ग्रन्थालय में उपलब्ध है। कार्यकारी दल द्वारा आगे इस विषय में विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

पूर्वी क्षेत्र में तैनात किये गये रूसी युद्धपोत तथा फ्रांस की पनडुब्बियां

8770. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी युद्धपोतों तथा फ्रांस की पनडुब्बियों को पूर्वी क्षेत्र में नैनात किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने युद्ध जैसी इन तैयारियों की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) . जहां तक सरकार को ज्ञान है, अपने देश के इर्द-गिर्द सागर-क्षेत्र में युद्ध की तैयारी के लिए किन्हीं भी युद्धपोतों और पनडुब्बियों का फैलाव नहीं है ।

हरियाणा से कपड़े का निर्यात

8771. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा से पर्दे, पलंग पर बिछाने वाली चादरों आदि के रूप में कुल कितने मूल्य के कपड़े का निर्यात किया गया ;

(ख) किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है और उनसे कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ; और

(ग) सरकार ने उसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रामसेवक) : (क) से (ग). हथकरघा निर्यात के आंकड़े समूचे देश के लिये रखे जाते हैं, न कि राज्यवार ।

चंडीगढ़ के लिए चौथी योजना परिव्यय

8772. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने चौथी पंचवर्षीय योजना में अपने विकास के लिए कितनी धनराशि की मांग की है;

(ख) योजना आयोग ने चौथी योजना में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिये कितनी धनराशि की मंजूरी दी है;

(ग) इस योजना अवधि में चंडीगढ़ द्वारा कितना धन जुटाये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इसमें कोई अन्तर रह जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो उस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 21.03 करोड़ रुपये ।

(ख) 7.75 करोड़ रुपये ।

(ग) तमाम योजना को केन्द्र-सरकार सहायता प्रदान कर रही है। प्रशासन ने कोई संकेत नहीं दिया है कि कितना अतिरिक्त धन जुटाया जा सकता है।

(घ) धन की कमी के कारण चंडीगढ़ प्रशासन की मांगों को सौ प्रतिशत पूरा नहीं किया जा सकता।

नयी घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिए ड्रिलिंग रिग और बोरिंग पाइप का निर्माण

8773. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिये ड्रिलिंग रिग और बोरिंग पाइप का निर्माण करने के सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5611 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उस खेती की हुई तथा कृषि योग्य कुल भूमि का कोई सर्वेक्षण किया है जिसकी केवल भूमि जल से सिंचाई की जा सकती है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सम्पूर्ण राष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर ड्रिलिंग रिग और बोरिंग पाइप की कुल राष्ट्रीय आवश्यकता के लिये भारी इन्जीनियरिंग निगम को क्रय आदेश देने का विचार है ताकि देश में उनकी कमी को समाप्त किया जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भूगत जल के निर्धारण और विकास से सम्बन्धित काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मोटे रूप से जो उन्होंने अनुमान लगाया है, उसके अनुसार देश का ऐसा कुल क्षेत्र जिसे भूगत जल के प्रयोग से सिंचाई लाभ प्राप्त हो सकता है, वह लगभग 550 लाख एकड़ है, जिसमें से लगभग 225 लाख एकड़ 1964-65 के अंत तक विकसित किया जा चुका था।

(ख) और (ग). इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय ने बताया है कि चौथी योजना के दौरान देश को लगभग 300 विभिन्न किस्मों की छेदन रिगों की आवश्यकता होगी। भारी इन्जीनियरी निगम के अतिरिक्त अन्य यूनिटों की क्षमता का हिसाब लगाते हुए उनका विचार है कि यदि निगम प्रति मास 5 से 6 रिगें बना ले तो काफी होगा।

Lift Irrigation facilities in Rajasthan

8774. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) wheter Government's attention has been drawn to provide lift facilities to unirrigated areas of Rajasthan ; and

(b) if so, when the said facilities are likely to be provided ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) In the major and medium irrigation sector, work on the Lukaransar lift canal

taking off from the Rajasthan Canal has already been taken up to provide irrigation to about 1.4 lakh acres annually.

(b) This lift canal is expected to be substantially completed during the Fourth Plan period.

Supply of Electricity from Atomic Power Station, Kotah

8775. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to supply electricity on cheap rates to the farmers and the people from the Atomic Power Station, Kotah ;

(b) if so, the rate at which it is likely to be supplied ;

(c) whether the State Government have also made a demand to the said effect ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The power generated at the Rajasthan Atomic Power Station will be supplied to the State Electricity Board. The rate at which power will be sold to the Board has not been finalised.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सिंचाई योजनाओं के लिये महाराष्ट्र को दिया गया अनुदान

8776. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1969-70 में प्रत्येक सिंचाई योजना के लिये कितना धन दिया ;

(ख) प्रत्येक योजना पर कितना व्यय हुआ और कितने धन का उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ग) उससे कितने अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होगी और विदर्भ सहित महाराष्ट्र में कुल कितना सिंचित क्षेत्र है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण और अनुदानों के रूप में दी गई है और इसका किसी खास योजना या विकास कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्ष 1969-70 के दौरान में महाराष्ट्र के लिये योजना आयोग में कुल पूंजी विनियोजन 115 करोड़ रुपये निश्चित कर दिया जिसमें 43.8 करोड़ रुपये केन्द्र की सहायता की रकम है ।

(ख) इस वर्ष में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं के लिये प्रत्याशित पूंजी विनियोजन का एक विवरण इसके साथ लगाया गया है ।

(ग) इस वर्ष 1.14 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की आशा थी । राज्य के

मुख्य और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं से कुल 16.5 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है ।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	1969-70 में प्रत्याशित व्यय (लाख रुपयों में)
जारी योजनायें		
	क—बड़ी योजनायें	
1.	गिरना	24.80
2.	अपर गोदाबरी	25.07
3.	खड़कवसला स्टेज I	135.00
4.	वीर	20.00
5.	मुला	231.65
6.	भीम	197.45
7.	वरना	33.62
8.	कृष्णा	
9.	बाघ	95.00
10.	इतियादोह	135.00
11.	पुस	107.00
12.	पुरना	25.70
13.	जायकवाड़ी	444.00
	योग	1474.29
	ख—मझले दर्जे की योजनायें	
1.	करबन्ड	19.00
2.	पन्जारा	25.00
3.	चन्कापुर	45.00
4.	मालांगांव	6.50
5.	मांयेद	45.42
6.	धर्शवाड़ी	13.09
7.	कान्होली (पश्चिमी महाराष्ट्र)	10.00
8.	काई	61.38
9.	तुलसी	11·23
10.	पड़वलकरवाड़ी	9.00
11.	अढ़ाला	30.00
12.	दिना	30.00
13.	कटिपुरना	78.50

क्र० सं०	योजना का नाम	1969-70 में प्रत्याशित व्यय (लाख रुपयों में)
14.	मोरना	30.00
15.	ज्ञानगंगा	30.00
16.	मंघर	4.00
17.	साईखेड़ा	15.00
18.	सोरना	12.70
19.	मालखढ़	15.00
20.	उमरी	11.00
21.	निर्गुण	14.00
22.	बघेड़ा	15.00
23.	मनार स्टेज I	6.51
24.	मनार स्टेज II	53.40
25.	कुन्डरोल	37.05
26.	काडी	20.00
27.	गददगर	20.00
28.	कान्होली (गोदावरी बेसिन)	2.00
	योग :	671.77
	कुल जारी योजनायें :	2146.06
नई बड़ी योजनायें		
1.	अपर टापी	2.00
2.	कुकड़ी	15.00
	कुल नयी बड़ी योजनायें :	17.00
नयी मझले दर्जे की योजनाएं		
1.	पानगांव हिंगोन	2.00
2.	नजारे	2.00
3.	कान्होली (विदर्भ)	2.00
4.	चुलाबन्द	2.00
5.	परदीताकमोरे	2.00
6.	खरड़खेड़	1.00
7.	तिरू	1.00
	कुल नयी मझले दर्जे की योजनायें	12.00
	कुल नयी योजनायें	29.00

क्रम संख्या	योजना का नाम	1969-70 में प्रत्याशित व्यय (लाख रुपयों में)
	कुल जारी तथा नयी परियोजनायें :	2175.06
	कटौती रसीद तथा वसूली (—)	19.35
	कुल समस्त बड़ी तथा मझले दर्जे की परियोजनायें	2155.71
	सामान्य योजनायें (सर्वेक्षण) अनुसंधान, यांत्रिक, संगटन, सुधार तथा प्रसारण)	203.74
	महायोग :	2359.45

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का निदेशक मंडल

8777. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के निदेशक मंडल में कई गैर-सरकारी चलचित्र वितरक हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी वितरकों के रूप में उपरोक्त निदेशकों के हित निगम के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ताकि निहित स्वार्थ वालों को हटाया जा सके ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां । 15 निदेशकों में 2 गैर-सरकारी चलचित्र वितरक हैं ।

(ख) वे हैं श्री एम० एन० सवानी और श्री वी० एम० भट्ट ।

(ग) और (घ) . स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गये आयुध कारखानों के कर्मचारियों को दिया गया दैनिक भत्ता

8778. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांख्यिकीय गुण नियंत्रण में डिप्लोमा लेने के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गये आयुध कारखानों के अराजपत्रित अधिकारियों को सामान्य नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है जोकि उनके व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दो स्थानों पर परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को कुछ अधिक दर पर भत्ता देने का है ताकि वे दोनों स्थानों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अराजपत्रित अफसरों, सहित आर्डनेंस फैक्टरियों के कर्मचारियों को, कि जिन्हें स्टेटिस्टिकल कण्ट्रोल में डिपलोमा पाठ्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है। वर्तमान नियमों के अनुसार देय साधारण पूरे दर पर पहले 10 दिनों के लिये दैनिक भत्ता दिया जाता है और उसके पश्चात् शेष अवधि के लिये साधारण दर के 50 प्रतिशत पर।

(ख) इस विषय पर वर्तमान विषयों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध कारखानों में कार्य कर रहे चार्जमैनों का स्थायीकरण

8779. **श्री जमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में कार्य कर रहे चार्जमैनों के स्थायीकरण के बारे में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, यद्यपि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 1969 के लिये संघ लोक सेवा आयोग को उनके आवेदन पत्र भेजते समय यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 7 अप्रैल 1969 को वर्तमान रिक्त पदों पर अथवा अतिरिक्त रिक्त पद बनाकर स्थायी किया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की घोषणा नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि आयुध कारखाने में कार्य कर रहे कई कर्मचारी सामान्य होने के कारण, यदि उन्हें शीघ्र ही स्थायी न किया गया, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली ऐसी परीक्षाओं में बैठने के पात्र न हो सकेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो 1 जनवरी 1964 से पहले आयुध कारखानों में आये चार्जमैनों को कब तक स्थायी किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा को परियोजनाओं के लिए योजना अवधि में दी गई सहायता

8780. **श्री दे० अमात** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी योजना अवधि में अब तक उड़ीसा राज्य को विभिन्न परियोजनाओं के लिये कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) सभी राज्यों में प्रत्येक योजना में दी गई कुल सहायता की तुलना में उड़ीसा को प्रत्येक योजना अवधि में दी गई सहायता की प्रतिशतता क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख).

	उड़ीसा को दी गई केन्द्रीय सहायता	**सभी राज्यों को दी गई कुल सहायता के आधार पर उड़ीसा को दी गई सहायता का प्रतिशत**
	(रु० करोड़ों में)	(प्रतिशत)
पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56)	77.0*	8.7%*
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)	66.0	6.2%
तीसरी पंचवर्षीय योजना(1961-66)	136.7	5.4%
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	80.7	4.5%
वार्षिक योजना (1969-70)	28.4	4.6%

निचले रैंकों से एमरजसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रियायत

8781. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एमरजेंसी कमीशन प्राप्त युवा अधिकारियों को सेवा मुक्त कर रही है और साथ ही उतनी ही संख्या में शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भरती कर रही है और काफी संख्या में वृद्ध तथा सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों की पुनः नियुक्ति कर रही है ;

(ख) उन एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को क्या रियायतें दी गई हैं जिन्हें निचले रैंकों से एमरजेंसी कमीशन का पद मिला है, ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने अधिकारियों को उन रियायतों से लाभ पहुंचा है ; और

(ग) ऐसे एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त सेवा मुक्त अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, रेलवे सुरक्षा-दल, प्रादेशिक सेना, आसाम राइफल्स, नेशनल कैडेट को और सीमा सुरक्षा दल में समाविष्ट किया गया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उन ई० सी० ओज० को कि जो सेना में स्थायी कमीशन नहीं चाहते थे और स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के लिए अनर्ह और अनुपयुक्त थे, विमुक्त किया जा रहा है। अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अफसरों के अन्तर्ग्रहण के लिए फैसला सेवा की आवश्यकताओं और एक पर्याप्त आकार का रिजर्व बनाने की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। अचानक प्रसार के फलस्वरूप

*इसमें हीराकुड परियोजना जो कि पहली योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित है, को दिये गये 45 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

अफसरी काडर में वर्तमान कमी के कारण जब जनहित में हो सेवा मुक्त सेना अफसरों को उन नियुक्तियों पर पुनर्नियुक्त किया जाता है कि जिनको कम सेवा और अनुभव के अफसरों द्वारा पुर नहीं किया जा सकता ।

(ख) पदों से लिये गये आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की कुल संख्या लगभग 1700 थी । ऐसे अफसरों को निम्न रियायतें दी गई हैं :

(1) जो विशेष सूची स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना करने के अर्ह हैं, उन्हें ऐसी कमीशनें प्रदान की जाती हैं । अब तक कुल 168 ऐसे अफसरों को पी० सी० (एस० एल०) प्रदान की गई है, और अन्य 53 को पी० सी० (एस० एल०) प्रदान किए जाने के लिए वर्गीकृत किया गया है ।

(2) जो स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने के योग्य नहीं होते, उन्हें बिलकुल अस्थाई आधार पर जे० सी० ओ० पद में लौटाने के लिये विचारा जाता है ।

(3) वह उपदान के स्थान पर अनुपाती पेन्शन प्रदान किये जाने की अधिकारी हैं। सीधे कमीशन पाने वाले अफसरों के सम्बन्ध में पेन्शन के लिए 20 वर्षों की साधारण अर्ह अवधि के विरुद्ध पदों से उन्नति करने वाला एक ई० सी० ओ०, जे० सी० ओ० तथा ई० सी० ओ० को मिला कर 15 वर्षों की अर्ह सेवा के पश्चात विशेष पेन्शन प्रदान किए जाने का अधिकारी था । यह अवधि 1 जून 1969 से और घटा कर 12 वर्ष कर दी गई है । यद्यपि ऐसा ई० सी० ओ० अपनी सेवा की अधिकतर अवधि में पदों में रहा हो उसकी पेन्शन रिटायर होने वाले एक जे० सी० ओ० को देय पेन्शन से कुछ अच्छे दरों पर होगी ।

उपरोक्त (2) और (3) पर रियायतों से लाभान्वित होने वाले ई० सी० ओ० की संख्या के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जिन सेवा विमुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल प्रादेशिक सेना, असम राईफल्ज, एन० सी० सी० और सीमा सुरक्षा दल में खपाया गया, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	एक भी नहीं
रेलवे सुरक्षा दल	7
प्रादेशिक सेना	36
असम राईफल्ज	84
एन० सी० सी०	494
सीमा सुरक्षा दल	464

सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतें

8782. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसे सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को क्या विशिष्ट रियायतें दी हैं जिनको आपात के समय सेना में जाने के लिये अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और कितने अधिकारियों को उन रियायतों से लाभ हुआ है ;

(ख) ऐसे कितने एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारी हैं जो कि सेना में जाने के समय स्नातक थे और 24 वर्ष से कम आयु के थे, सरकार ऐसे एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पुनः बसाने के लिये कितना समय लेगी और उनको पुनः बसाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ग) आपात के समय कितने एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी स्नातकोत्तर थे और 24 वर्ष से कम आयु के थे, सरकार ने ऐसे अधिकारियों के लिए पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और उनको पुनः बसाने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). विमुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों के पुनरावास के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई रियायतें समय-समय पर बताई जा चुकी हैं । इस संबंध में ध्यान 26-11-1969 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1435 के भाग (ख) में और 18-3-1970 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3462 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में सभा के पटल पर रखे गये विवरणों की ओर आकर्षित किया जाता है । जहां तक आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को दी गई विशिष्ट रियायतों का संबंध है कि जिन्हें आपात स्थिति के दौरान सेना में भर्ती होने के लिए अपने अध्ययन त्याग देने पड़े थे, ध्यान 22-4-1970 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 1151 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में सभा के पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है । ऐसे उपस्नातकों की संख्या के बारे में सूचना अलग प्राप्य नहीं है कि जो इन रियायतों से लाभ उठा चुके हैं ।

(आपात स्थिति के दौरान भर्ती किये गये) आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की संख्या कि जो स्नातक और अधिस्नातक थे और साथ ही 24 वर्षों से कम आयु के थे, नीचे दी गई है :

स्नातक	1652
अधिस्नातक	245

यह पूर्वानुमान लगा पाना शक्य नहीं कि सभी विमुक्त और अधिस्नातक आपाती कमीशन प्राप्त अफसर कब तक पुनारावासित किये जाएंगे । यह प्रत्याशित रोजगार दिलाने वालों द्वारा विभिन्न प्राप्य रोजगारों के लिए उनकी उपयुक्तता के निर्धारण, पेशकश किए गए रोजगारों को स्वीकार करने की स्वयं उनकी रजामन्दी और आत्म रोजगार योजनाओं और अवसरों से लाभ उठाने के अफसरों द्वारा किये गये प्रयासों पर निर्भर है ।

विभिन्न क्षेत्रों में सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को लगाना

8783. **श्री शशि भूषण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की संख्या कितनी है जिसका सेना में विशेष सूची कमीशन में रखा गया है ।

(ख) कितने सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को आर० टी० ओ० और एस० एस० ओ० के पदों पर रखा गया ;

(ग) कितने सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को डी० एस० एस० ए० बोर्ड के सचिवों के पद पर रखा गया है ;

(घ) सरकार ने कितने सेवा-मुक्त एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाया है ; और

(ङ) इन सेवामुक्त अधिकारियों को लघु उद्योग आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या विशेष रियायतें दी हैं और कितने सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को ऐसी योजनाओं से लाभ हुआ है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उनको छोड़कर कि जो पदोन्नति से पदोन्नत हुए हों, आपाती कमीशन प्राप्त अफसर विशिष्ट सूची कमीशन प्रदान किये जाने के अधिकारी नहीं हैं । पदों से पदोन्नत ई० सी० ओज० को उनकी सेवा से नियुक्ति से पहले विशिष्ट सूची कमीशन के लिये छांटा जाता है । ऐसे कुल 168 अफसरों को विशिष्ट सूची स्थायी कमीशन प्रदान की जा चुकी है, और अन्य 53 को प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार्य ग्रेड में रखा गया है ।

(ख) एक भी नहीं । यह नियुक्तियां केवल सेवा कर रहे अफसरों के लिये हैं ।

(ग) 9

(घ) 31-3-70 तक सेवा से विमुक्त किये गये और राजकीय तथा निजी क्षेत्र के उपकरणों में खपाये गये कमीशन प्राप्त अफसरों की संख्या इस प्रकार है :

(1) राजकीय क्षेत्र के उपकरणों में	149
(2) निजी क्षेत्र में	208
	357

(ङ) औद्योगिक क्षत्र में अपने प्रयास से सहकारी संस्थाएं संगठित करने और उनके स्वामित्व के लिये सेवा से विमुक्त आपाती कमीशन अफसरों को वित्त तकनीकी जानकारी, खाद्य पदार्थों इत्यादि सहित सभी सुविधाएं देने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की की गई है ।

छोटे पैमाने पर उद्योग आरम्भ करने के लिये साधनों और सुविधाओं के संबंध में,

डायरेक्टोरेट जनरल रिसेटलमेंट जानकारी भी देता है और मार्ग प्रदर्शन भी करता है तथा सेवा से विमुक्त अफसरों को छोटे पैमाने के उद्योगों की योजनाओं की तैयारी और आरम्भ करने में सहायता भी देता है। इस ढंग से लगभग 100 आपाती कमीशन अफसरों की सहायता की गई है।

पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पुनर्वास देने के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाना

8784. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में उठाने और उनके पुनर्वास के लिये पाकिस्तान से क्षेत्र की मांग करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में और क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार पाकिस्तान से आए हुये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये हर संभव प्रयत्न कर रही है।

पश्चिमी बंगाल सरकार को सिंचाई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

8785. **श्री जुगल मंडल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार को यह परामर्श दिया है कि वे कुछ समय के लिये अपनी दीर्घकालीन योजनाओं को त्याग दें और अल्पकालीन योजनाओं से अधिकतम भूमि की सिंचाई करें ;

(ख) क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह धन कितना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) योजना आयोग ने चौथी योजना में सिंचाई योजनाओं को चलाने के लिये अधिकतम संभव धनराशि के आवंटन को प्राथमिकता दी है जिसके परिणामस्वरूप पहले ही इस क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई है। ताकि चालू परियोजनाओं से यथासंभव शीघ्र लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने उन राज्यों को ऋण के जरिये सहायता प्रदान करने से सिद्धांततः सहमति व्यक्त की है जिनके सम्बन्ध में योजना आयोग को पूर्णतः मालूम हो कि वहां धन की बहुत कमी है। इसके अनुसार, पश्चिम बंगाल को वर्ष 1969-70 के लिये 9.91 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण को मंजूरी दी गई है। 1970-71 के लिये वित्तीय सहायता सम्बन्धी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा बेची गई भारतीय सम्पत्ति का मूल्य

8787. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक बेची गई भारतीय सम्पत्ति जो निष्क्रांत सम्पत्ति के संरक्षक, पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखी थी, का मूल्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : पाकिस्तान के शत्रु-सम्पत्ति संरक्षक ने अपने कब्जे की भारतीय संपत्ति से अब तक जो संपत्ति बेची है, उसका मूल्य ज्ञात नहीं है । लेकिन, सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इसकी सूचना मांगी है जो अभी तक नहीं आई है ।

अमरीका, रूस और अन्य नाटो राष्ट्रों तथा चीन द्वारा व्यूहकौशल परमाणु हथियारों का निर्माण

8788. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, रूस और अन्य नाटो राष्ट्रों तथा चीन द्वारा किस प्रकार के व्यूहकौशल परमाणु हथियारों का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या सामरिक महत्व के परमाणु हथियारों की तुलना में ऐसे व्यूहकौशल परमाणु हथियारों में कम परमाणु विस्फोटक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यदि हां, तो मॉर्टार, तोप और इसी प्रकार के हथियारों के गोलों के लिये कितनी न्यूनतम परमाणु विस्फोटक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और उसी तरह से परम्परागत हथियारों की तुलना में उनकी विस्फोटक और विनाशकारी शक्तियां कितनी हैं;

(ग) क्या व्यूहकौशल परमाणु हथियारों में प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने वाली जैसी कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती ;

(घ) क्या अमरीका, रूस और चीन इस प्रकार के व्यूहकौशल परमाणु हथियारों से अपनी स्थल सेना और नौसेना को लैस कर रहे हैं ;

(ङ) क्या व्यूहकौशल परमाणु हथियार बनाने की लागत सामरिक परमाणु हथियार बनाने की लागत के बहुत कम है; और

(च) क्या प्लूटोनियम उप-उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण भारत में व्यूह-कौशल परमाणु हथियार बनाने की लागत अमरीका अथवा रूस से बहुत कम होगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (घ). सोवियत संघ और अमरीका ने व्यूहकौशल परमाणु हथियारों का विकास किया है । मगर तत्सम्बन्धी विवरण प्राप्त नहीं है । इस विषय में चीन के बारे में कोई विश्वस्त जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ख) व्यूहकौशल परमाणु हथियारों को कितने परमाणु विस्फोटक तत्वों की आवश्यकता

है, यह इस बात पर निर्भर है कि वे कितने परिष्कृत हैं और कितने लगाने का उद्देश्य है ।

(ग) जी हां, ।

(ङ) अधिक मात्रा में बनाये गये ब्यूहकौशल परमाणु हथियार सिद्धांततः सामरिक महत्व के परमाणु हथियारों से सस्ते हो सकते हैं।

(च) लागत के निर्धारण में काम की लागत केवल एक मद है। परिष्कृत प्रौद्योगिकी में व्यापक अनुसन्धान एवं विकास कार्यों की लागत को भी हमें ध्यान में रखना होगा। यह धारणा गलत है कि सस्ती श्रम शक्ति के कारण लागत भी कम होगी ।

विस्फोटक कार्यों के लिये प्लूटोनियम के उप-उत्पाद का प्रयोग न करने के लिये अन्य देशों के साथ करार के अन्तर्गत भारत में चल रहे परमाणु रिएक्टर

8789. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चलने वाले सभी परमाणु रिएक्टर विस्फोटक कार्यों के किये प्लूटोनियम के उप-उत्पाद का प्रयोग न करने के लिये अन्य देशों के साथ करार के अन्तर्गत हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों का पाठ क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो कौन कौन से भारतीय परमाणु रिएक्टर इस प्रकार के करारों से स्वतंत्र हैं ;

(घ) क्या किसी भारतीय परमाणु रिएक्टर में केवल भारत में निर्मित परमाणु ईंधन का प्रयोग हो रहा है; यदि हां, तो ऐसे परमाणु रिएक्टरों के क्या नाम हैं;

(ङ) अणु शक्ति आयोग को किसी रिएक्टर में केवल भारत में निर्मित परमाणु ईंधन का प्रयोग कब करने और भारतीय रिएक्टरों में प्रयुक्त आयातित ईंधनों के स्थान पर इनका कब तक प्रयोग करने की आशा है; और

(च) क्या परमाणु ईंधन के विदेशी सप्लायरों के साथ करार एकमात्र ऐसी रुकावट है जो कि अणुशक्ति आयोग द्वारा की जाने वाली परमाणु विस्फोट तकनीकी विज्ञान के विकास में बाधक है; यदि नहीं, तो इसके अन्य कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). कनाडा इण्डिया रिसर्च रिएक्टर और तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र में जो प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है, उसका केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये ही उपयोग किया जा सकता है। अप्सरा में उपयोग किये जाने वाले समृद्ध ईंधन के मामले में भी ब्रिटन से हमारा समझौता है जो ईंधन की सप्लाई करता है। जेरलिना केवल एक जीरो ऊर्जा रिएक्टर है, यह सही में प्लूटोनियम उत्पादक नहीं है ।

(घ) जी, हां । जेरलिना और ट्रोम्बे के अणुशक्ति रिएक्टर ।

(ङ) तारापूर तथा अप्सरा में समृद्ध ईंधन आवश्यक है। इन रिएक्टरों में भारत में निर्मित समृद्ध ईंधन के उपयोग करने की कोई दृढ़ योजना नहीं है। राजस्थान परमाणु शक्ति केन्द्र के सिवा जिसके पहले एकक की प्राथमिक आवश्यकता के लिये विदेशी ईंधन का प्रयोग

किया जाता है। अन्य सी० ए० एन० डी० यू० के नमूनेवाले सभी परमाणु रिएक्टरों में भारत में निर्मित प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किये जाने की आशा है।

(च) इस संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है, इस पर 1970, 20 अप्रैल को विस्तार से चर्चा की गई है।

परिष्कृत थोरियम तैयार करने की प्रौद्योगिकी

8790. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने केरल में काफी मात्रा में पाये जाने वाले खनिजों से परिष्कृत थोरियम तैयार करने की प्रौद्योगिकी का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका वार्षिक उत्पादन क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत में कार्य कर रहे अथवा करने वाले किसी परमाणु रिएक्टर में परिष्कृत थोरियम का प्रयोग हो रहा है अथवा किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो उन रिएक्टरों के क्या नाम हैं जहां थोरियम का प्रयोग किया जाता है अथवा किया जायगा ; और

(ङ) परमाणु रिएक्टर के लिये थोरियम का प्रयोग करके किस प्रकार के तथा कितनी मात्रा में उप-उत्पाद और परमाणु ईंधन प्राप्त किया गया है अथवा किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). परमाणु ऊर्जा के लिये उपयोग किये जाने वाले थोरियम धातु रूप में और उसका आक्सैड का ट्राम्बे परमाणु रिएक्टर में प्रयोग कार्यों के लिये छोटी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। भविष्य में कल्पक्कम में स्थापित किये जाने वाले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में भी इसका उपयोग किया जायेगा।

(ङ) थोरियम के किरणीयन से युरेनियम 233 पैदा होगा। चूंकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का अभी केवल ढांचा तैयार किया जा रहा है, अत: कितनी मात्रा में युरेनियम 233 पैदा किया जा सकता है, इसके बारे में निश्चितरूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

चाय बोर्ड के कर्मचारी

8791 **श्री के० अनिरुद्धन :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री उमानाथ : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के भारत तथा विदेश स्थित सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल मंजूर संख्या कितनी है ;

(ख) भारत तथा विदेश स्थित प्रत्येक कार्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मंजूर संख्या कितनी-कितनी ; है

(ग) क्या सभी मंजूर पद भर लिये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत तथा विदेश स्थित प्रत्येक कार्यालय में न भरे गए पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बिजली वाले गांव

8792. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वर्ष 1968 तथा 1969 में कितने गांवों में बिजली लगाई गई ;

(ख) वर्ष 1970 में नागपुर के आस-पास तथा विदर्भ क्षेत्र में कितने गांवों में बिजली लगाई जायेगी ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में विदर्भ क्षेत्र में गांवों के विद्युतीकरण पर लगभग कितना व्यय हुआ और 1970 में इस क्षेत्र में कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वर्ष 1968-69 में 478 गांवों में और 1969, 1 अप्रैल और 31 दिसम्बर के दौरान में 101 गांवों में बिजली लगाई गई ।

(ख) विदर्भ क्षेत्र में वर्ष 1970 में 300 गांवों में बिजली लगाने का महाराष्ट्र विद्युत मंडल का विचार है, जिनमें 60 गांव नागपुर जिले में हैं ।

(ग) विदर्भ क्षेत्र में वर्ष 1968-69 में गांवों के विद्युतीकरण में लगभग 3.2 करोड़ रुपये व्यय किये गये । वर्ष 1970 में विदर्भ क्षेत्र में गांवों के विद्युतीकरण का प्रत्याशित व्यय करीब 3 करोड़ रुपए है ।

गिलगित-सिंकियाँग क्षेत्र में चीनियों की गतिविधियां

8793. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिलगित सिंकियांग क्षेत्र में चीनियों की नई सैनिक तथा असैनिक गतिविधियां हाल में ध्यान में आयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से उनका क्या मूल्यांकन किया गया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जैसे कि 22 जुलाई 1969 को वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा पहले बताया गया था, काशमीर सिक्यांग सीमा पर मोरखुन से खुजराव दर्रे तक मार्ग बनाने में सहायता करने के लिए उत्तरी काश्मीर में 12000 चीनी सैनिक सेविवर्ग पहुंचा दिए गए थे। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि यह सेविवर्ग पुनः निर्माण कार्य संभालने के लिए, कि जो सर्दियों के मौसम में स्थगित कर दिया गया था, हाल में पुनः लौट आए हैं। अपने रक्षा प्रबंध करने में हमने इन संवर्धनों का उचित ध्यान रखा है।

संयुक्त मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक, मद्रास द्वारा दिये गये लाइसस

8794. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक, मद्रास द्वारा चालू वर्ष में दिये गये लाइसेंसों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि दिये गये लाइसेंसों का उचित उपयोग हो ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) दिये गये लाइसेंसों के ब्योरे 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज' में उपलब्ध हैं और इसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों अथवा पंजीयित निर्यातकों हेतु आयात नीति के अंतर्गत दिये गये लाइसेंसों के मामले में लाइसेंसधारियों से आयातित कच्चे माल, संघटकों और अतिरिक्त पुर्जों की खपत के विहित ढंग से सम्यक् लेखे रखने की अपेक्षा की जाती है और यह लाइसेंस देने की शर्तों में से एक है। इन शर्तों के उल्लंघन पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रायोजक प्राधिकारियों को सूचना दे दी जाती है और प्रायोजक प्राधिकारियों से आयातित माल के सम्यक् उपयोग पर निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती है। आयात लाइसेंस देने के लिये आयात नियंत्रण प्राधिकारियों से मामलों की सिफारिश करने से पूर्व प्रायोजक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विगत अवधि में किये गये आयातों के सम्यक् उपयोग की जांच करें। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के एककों के मामले में आयात लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनपत्रों की चार्टर्ड लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रमाणपत्रों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिये जिससे यह प्रकट हो सके कि विगत में आयातित माल का उनके द्वारा सम्यक् उपभोग किया गया था। लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा इन प्रमाणपत्रों की प्रतियां केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को भेज दी जाती हैं ताकि वे उनके उत्पादन को देखते हुए वास्तविक उपयोग की जांच कर सकें। दिये गये सभी आयात लाइसेंसों के ब्योरे सम्बद्ध एककों के प्रयोजक प्राधिकारियों को भेज दिये जाते हैं ताकि वे आयातित सामग्री के वास्तविक आयात और सम्यक् उपयोग पर निगरानी रख सकें।

सुस्थापित आयातकों के मामले में सीमाशुल्क प्राधिकारी माल की निकासी के समय आवश्यक जांच करते हैं ताकि यदि लाइसेंसों का कोई दुरुपयोग किया गया हो तो उसका पता चल सके। जहां नियमों और विनियमों का उल्लंघन पाया जाता है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उसकी रिपोर्ट लाइसेंस प्राधिकारियों को दी जाती है और वे आयात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत अलग कार्यवाही करते हैं।

ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्यात

8795. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में ग्रामोफोन रिकार्ड के निर्यात से सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ; और

(ख) निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस बारे में भविष्य में ग्रामोफोन उद्योग को क्या सुविधाएं दी जायेंगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) 1969-70 वर्ष में ग्रामोफोन रिकार्डों से निर्यात आय लगभग 47 लाख रुपये रही।

(ख) ग्रामोफोन रिकार्डों के निर्यात पर निम्नोक्त मुख्य सुविधाएं दी जाती हैं :—

(1) जहाज पर पहुंच कर मूल्य के 10% पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस।

(2) निम्नोक्त दर पर शुल्कों की वापसी :

1. 7 इंची रिकार्ड पर 181.13 रुपये प्रति हजार।
2. 10 इंची एल० पी० रिकार्ड पर 470.24 रुपये प्रति हजार।
3. 12 इंची एल० पी० रिकार्ड पर 690 रुपये प्रति हजार।

राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय मिशनों के माध्यम से पूर्वी यूरोप के देशों में पश्चिमी यूरोपीय तथा अमरीकी संगीत के भारतीय रिकार्डों के लिये संभाव्य बाजार ढूंढ़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Death of Indians on Board British Ship

8796. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether is it a fact that 38 persons of Indian origin were on board the British ship sunk on the 8th April, 1970 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of Indians out of those who died in this accident ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to the information received from the Embassy of India, Rome 39 Indian seamen were on board the British ship 'London Valour' which sank off Genoa Port on the night of the 9th April, 1970.

(b) and (c). Of the 39 Indians involved in this accident, 8 died, 4 are missing, 23 were admitted into hospital and the remaining 4 received no injury. None of the missing seamen have so far been traced.

राज्य व्यापार निगम द्वारा दिल्ली में किराये पर ली गई इमारतें

8797. **श्री मु० न० नाघनूर :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के कब्जे में कौन-कौन सी इमारतें हैं ;

(ख) प्रत्येक इमारत का कितना किराया अदा किया जा रहा है और प्रत्येक इमारत का कितना क्षेत्र निगम ने ले रखा है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा एक अपनी स्थायी इमारत लेने के बारे में क्या कार्यक्रम है ; और

(घ) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने जनपथ पर नई दिल्ली नगर पालिका की इमारत को भी किराये पर लेने का निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) मामला निगम के विचाराधीन है ।

(घ) जी हां ।

विवरण

इमारत का नाम	**कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट)**	**किराया प्रति मास (रुपयों में)**
एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9 तथा 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	43,601	87,202/-
हेरल्ड हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	5,625	10,575/-
चन्द्रलोक, 36, जनपथ, नई दिल्ली ।	80,000 (लगभग)	2,20,000/- (लगभग)
2-ई/7, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।	6,052	2,750/-
आवर इंडिया पेविलियन एग्जिबिशन ग्राउंड्स, नई दिल्ली ।	10,050	5,025/-

मूंगफली जन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये जापान के साथ करार

8798. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली जन्य वस्तुओं का निर्यात करने के लिये सरकार ने एक जापानी संगठन के साथ करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मूंगफली जन्य वस्तुओं के निर्यात से भारत को क्या लाभ होगा ; और

(ग) क्या इससे देश में वनस्पति के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों को सौंपना

8799. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों को सौंपने के भारत स्थित विदेशी दूतावासों के प्रस्तावों को अन्तिमरूप से स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सांस्कृतिक केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों को देने के बारे में कोई नियम अथवा कसौटियां निर्धारित की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को देश की गैर-सरकारी संगठनों को सौंप देने के बारे में विदेशी मिशनों से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन फ्रांसीसी राजदूतावास ने हैदराबाद-स्थित अपने सांस्कृतिक केन्द्र के दो प्रोफेसरों और उपकरणों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, को सौंपने की पेशकश की है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

नाइलोन का मूल्य

8800. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1970 को "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हौजरी निर्यात संघ को नाइलोन देशी उत्पादन के 100 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के स्थान पर 17 रुपये प्रति किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर सप्लाई करने का है ;

(ग) नाइलोन के मूल्यों में इतने अधिक अंतर के क्या कारण हैं और रेयन तथा नाइलोन के उत्पादन के प्रश्न को औद्योगिक मूल्यों सम्बन्धी आयोग को न सौंपने के क्या कारण हैं ;

(घ) बुनाई कारखानों को किस कीमत पर आयोजित नाइलोन दिया जाता है और क्या इन कारखानों को उसी मात्रा में अपने उत्पादन का निर्यात करना होता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख) नायलान हौजरी के निर्यातक आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अंतर्गत राज्य व्यापार निगम से निर्यातों के बदले प्रतिपूर्ति के रूप में आयातित नायलन धागा प्राप्त करने के लिए पहले से ही पात्र है । इस प्रकार के निर्यातों पर विहित दरों पर शुल्क वापसी भी उपलब्ध है । इस समय सरकार किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) में उद्धृत नायलान के मूल्यों में अत्यधिक अंतर होने का मुख्य कारण यह है कि पहले वाला मूल्य लागत बीमा भाड़ा मूल्य है और उसमें कोई शुल्क का अंश शामिल नहीं है जब कि बाद में दिये गये मूल्य स्वदेशी उत्पादन के हैं जिनमें काफी अधिक शुल्क शामिल है । इन मूल्यों में शामिल क्रिम्पिग नायलन धागे के लिये प्रभार भी भारत में बहुत अधिक है । मूल्यों में बाकी अन्तर, जो कि नायलन धागे के उत्पादन की लागत से जोड़ा जा सकता है, विभिन्न कारणों से हो सकता है । यथा उत्पादन तथा ऊपरी खर्चे में मितव्यय का स्तर, कच्चे माल की लाभप्रद मूल्यों पर प्राप्यता और इस धागे के उपयोग के लिये उद्योग की क्षमता की तुलना में कुछ हद तक सीमित प्राप्यता ।

रेयन तथा नायलन के मूल्य ढांचे का कार्य टैरिफ आयोग को सौंप दिया गया है और रेयन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है । नायलन के सम्बन्ध में आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) और (ङ). आयातित नायलन का वितरण निटिंग फैक्टरियों को वास्तविक उपयोक्ता आधार पर समय समय पर निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। ये मूल्य स्वदेशी निर्माताओं के मूल्यों को देखते हुए उनसे कुछ कम रखे जाते हैं । इन आवंटनों के मामले में कोई निर्यात बाध्यता विहित नहीं हैं क्योंकि आवंटन वास्तविक उपयोक्ता आधार पर दिये जाते हैं ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के एक कारखाने की फालतू क्षमता का दूसरे कारखाने द्वारा उपयोग करना

8802. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के एक कारखाने की फालतू क्षमता का इसके अन्य कारखानों द्वारा उपयोग के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई विशेष समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के पांच डिवीजनों की वर्तमान फालतू क्षमता कितनी है ; और

(घ) इस समय फालतू क्षमता का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). बंगलौर डिवीजन की फोर्ज और फाऊंड्री में फालतू क्षमता है । इसका वाणिज्य आर्डरों के लिये उपयोग किया जा रहा है । कानपुर डिवीजन में कोई फालतू क्षमता नहीं है । मिग डिवीजनों में उत्पादन अभी स्थिरीकरण की प्रावस्था में नहीं पहुंच पाया । जब सभी डिवीजनों में उत्पादन स्थिर हो जायगा, अधिकाधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी यूनिट की संयंत्र कक्षता का संतुलित ढंग से प्रयोग करना संभव हो जायगा । यह विषय निरन्तर एस० ए० एल० प्रबंध द्वारा अध्ययन अधीन रहता है ; और अन्य डिवीजनों से पुनः ठेके पर काम लेकर और राजकीय उपकरणों इत्यादि से आर्डर स्वीकार करके प्राप्य फालतू क्षमता का उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न डिवीजनों में कार्य कर रहे प्रतिनियुक्त कर्मचारी

8803. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न डिवीजनों में तकनीकी वरिष्ठ प्रबन्ध संवर्ग में कितने प्रतिनियुक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 2000 रु० से अधिक वेतन पा रहे है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के इन कारखानों में कर्मचारियों के रखे जाने तथा उनके उचित वितरण के बारे में कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इसकी स्थापना के कई वर्ष बाद भी हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड अपने महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों पर विशेषकर इंजिन विभागों में कर्मचारियों के रखने के लिये भारतीय अधिकांशतः भारतीय वायु सेना पर ही निर्भर करता है; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपने कारखानों में प्रशिक्षित करने के लिये पर्याप्त संख्या में तथा योग्य व्यक्तियों को भर्ती करने का कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पांच ।

(ख) एच० ए० एल० डिवीजन के लिये जनशक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण एक डिवीजन के उत्पादन कार्यक्रम के संदर्भ में किया जाता है । प्रत्येक डिवीजन के कर्मचारिगण सम्बन्धी काडर का बोर्ड आफ डारेक्टर्ज द्वारा आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ग) जी नहीं । कोई आई० ए० एफ० अफसर बंगलौर डिवीजन की इंजन फैक्टरी में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है । एच० ए० एल० के कोरापुट डिवीजन में कि जो मिग-21 विमानों के

लिये इंजनों का निर्माण करता है, इस समय केवल तीन आई० ए० एफ० अफसर प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनमें से दो को स्थायीतौर पर एच० ए० एल० में खपाया जा रहा है, और तीसरे को आई० ए० एफ० में वापस लौटाया जा रहा है।

(घ) जी हां। कम्पनी में प्रबन्धक योग्यता के सुधार के उद्देश्य से कृत्यात्मक और व्यापक प्रबन्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिये एच० ए० एल० के बंगलौर में एक स्टाफ कालिज स्थापित कर रखा है। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती की एक योजना भी गत दो वर्षों से कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय नौसेना के बारे में कमांडर सी० वी० नेदुंगाडी की रिपोर्ट

8804. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1967 में भारतीय नौसेना के बारे में कमांडर सी० वी० नेदुंगाडी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कमांडर नेंदुंगाडी किन परिस्थितियों में नौसेना से सेवानिवृत्त हुए ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विभिन्न मामलों में जैसा कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में नौसेना के कृत्य, नौसेना तथा अन्तःसेवा संगठन में कई नियुक्तियों को सौंपे गये कर्त्तव्यों, सरकार से पत्र व्यवहार में प्रक्रियाओं, और वी० एस० एम० प्रदान करने के लिये समय बंधन पर कमांडर नेडुगंडी के व्यक्तिगत विचारों पर सम्मिलित एक लेख 1967 में सरकार के ध्यान में लाया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) लेख में एक कमांडर के व्यक्ति-निष्ठ और व्यक्तिगत विचार हैं। उसकी प्रति सभा के पटल पर रखने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य सिद्ध न होगा।

(घ) कमांडर नेडुगंडी ने इस आधार पर समय से पहले रिटायर किये जाने के लिये प्रार्थना की थी कि अपने वृद्ध माता-पिता तथा सम्पत्ति की देख-भाल के लिये उनकी उपस्थिति घर पर आवश्यक थी और कि कैप्टेन के कार्यवाहक पद में पदोन्नति के लिए उसे अतिलंघित किया गया था। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी।

खुफिया पुलिस द्वारा षडयंत्रकारियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाना

8805. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1970 के कलकत्ता के दैनिक पत्र "बसुमती" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हमारी खुफिया पुलिस ने षडयंत्रकारियों

के एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगाया है जो विभिन्न राज्यों में हमारी आयुधशालाओं से हथियार चुरा रहा था और देश में कुछ राजनैतिक दलों को बेच रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथ्य पता किए जा रहे हैं।

रूस के साथ व्यापार

8806. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के ऊनी कपड़े, इस्पात, लौह अयस्क, अभ्रक, चमड़े तथा चमड़े के सामान, अपरिष्कृत खालों, तम्बाकू, खली तथा काफी का निर्यात किया गया और गत दो वर्षों में किये गये कुल निर्यात की तुलना में यह कितने प्रतिशत है ; और

(ख) रूस से आयात किये गये माल की वस्तुवार मात्रा तथा मूल्य कितना है और उसी अवधि में प्रत्येक वस्तु के कुल आयात की तुलना में यह कितने प्रतिशत है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3425/70]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नीवेली लिग्नाइट लिमिटेड में हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर तथाकथित गोली चलाने के सम्बन्ध में

श्री क० अनिरुद्धन (चिरयन्कील) मैं पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :

"नीवेली में नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के हड़ताल करने वाले श्रमिकों पर गोली चलाये जाने का समाचार।"

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : वेतन संशोधन, भत्तों, सीमान्तक लाभों तथा कतिपय अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में नेवेली लिग्नाइट निगम में औद्योगिक विवाद था। दो मान्यताप्राप्त यूनियनों (नैवेली लिग्नाइट खान श्रमिक प्रगतिशील संघ तथा नैवेली लिग्नाइट निगम कर्मचारी संघ) तथा सभी पंजीकृत यूनियनों की श्रमिकों द्वारा संयुक्त परिषद् बनाई गई थी और फरवरी, 1970 में यूनियनों द्वारा प्रबन्धकों को हड़ताल के बारे में नोटिस दिये गये थे। फरवरी 1970 में श्रमायुक्त मद्रास द्वारा सुलह कार्यवाहियां की गई थीं। इन कार्यवाहियों तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मध्यक्षेप के

परिणामस्वरूप 20 मार्च, 1970 को, प्रबन्धकों एवं संयुक्त परिषद के मध्य समझौता हो गया था । यह समझौता उन सभी यूनियनों पर आबद्धकर था, जिन्होंने इन सुलह कार्यवाहियों में भाग लिया था और इसने 1 जनवरी, 1970 से प्रभावशील होकर चार वर्ष की कालावधि के लिये क्रियाशील होना था ।

वेतनमानों, भत्तों तथा सीमान्तक लाभों के लिये श्रमिकों की मांगों पर विचार करते समय प्रबन्धकों ने भारी रासायनिक एवं उर्वरक उद्योगों, परिवहन उद्योग, विद्युत प्रदाय उपक्रमों के लिये वेतन मंडलों सहित कई वेतन मंडलों की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था । 185 रुपये के न्यूनतम वेतन का अन्तिम समझौता, उर्वरक उद्योग (170 रुपये), परिवहन उद्योग (120 रुपये) तथा विद्युत प्रदाय उपक्रमों (140 रुपये) के लिए अभिस्तावित वेतन स्तरों से अधिक है । 185 रुपये का यह न्यूनतम वेतन उस न्यूनतम वेतन के समतुल्य है जो तमिलनाडु में त्रिची के निकट मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, थिरूवेरूम्बुर द्वारा उस क्षेत्र में किया जा रहा है । क्योंकि इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने भी न्यूनतम वेतन 185 रुपये तक ही सीमित कर रखा है । क्योंकि नेवेली लिग्नाइट निगम बहु-एकक-संकुल है, अतः उर्वरक या किसी अन्य विशिष्ट उद्योग के लिये वेतन मण्डल की सिफारिशें कार्यान्वित करना व्यावहारिक न था, इस प्रकार की कार्रवाई से विभिन्न एककों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिये समरूप हीनता तथा वेतनों के विभिन्न स्तरों की व्युत्पत्ति हुई होती । उर्वरक उद्योग, परिवहन उद्योग या विद्युत प्रदाय उपक्रमों के लिये वेतन मण्डलों की सिफारिशों से, यथापूर्वोक्त, 185 रुपये के न्यूनतम वेतन का अन्तिम समझौता अधिक अनुकूल है ।

केन्द्रीय सरकार को यह सूचना मिली कि 2 मई, 1970 की मध्य रात्रि (12 बजे) से नेवेली लिग्नाइट निगम के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी है । वेतन समझौता, जो श्रमिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, के तुरन्त पश्चात ही आकस्मिक हड़ताल पर चले जाने के कारण प्रबन्धकों को स्पष्ट नहीं है । प्रबन्धकों को श्रमिक यूनियनों द्वारा हड़ताल के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी । संयंत्र के चारों एकक अर्थात, खनन, बिजलीघर, उर्वरक तथा ब्रिकेटिंग एवं कार्बनीकरण संयंत्र, बन्द करने पड़े थे । नेवेली बिजलीघर से तमिलनाडु को बिजली की आपूर्ति प्रचंडरूप से प्रभावित हुई है । निगम से अभी तक कोई लिखित रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है । प्रबन्ध निदेशक, नैवेली लिग्नाइट निगम द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि तमिलनाडु सरकार ने एक जबरदस्त पुलिस दस्ता प्रतिनियुक्त कर दिया है और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री नेवेली की स्थिति से सम्पर्क बनाये हुए हैं । 3 मई, 1970 के पूर्वाह्न 8.00 बजे से नैवेली में धारा 144 अधिरोपित कर दी गई है ।

हड़ताल चालू होने के पश्चात से श्रमिकों द्वारा हिंसात्मक प्रदर्शनों के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करने पड़े व हवा में गोलियां चलानी पड़ीं । प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि वहां तीन गोली काण्ड हुये जिस में दो बार गोलियां चलीं व एक बार अश्रु गैस छोड़ी गई । यह क्रमशः 2 तारीख को रात्रि के 9.30 बजे, तीन तारीख को प्रातः 2.30 बजे और 9.30 बजे हुआ । कई बार लाठीचार्ज भी हुये हैं, जिनमें 80 श्रमिक घायल हुये बताये जाते हैं । तापीय बिजली

घर के मास्टर कन्ट्रोल की ओर जीप में जा रहे निगम के 7 अधिकारियों पर पथराव किया गया और श्रमिकों द्वारा उन्हें जीप से बाहर खींचा गया जिसके परिणामस्वरूप वे घायल हो गये । प्रबन्ध निदेशक ने यह भी रिपोर्ट दी है कि तापीय बिजलीघर में नियुक्त पुलिस दस्ते के लिये खाद्य वस्तुएं लेकर जाती हुई पुलिस की एक दस्ता गाड़ी श्रमिकों द्वारा की गई सड़क बाधा में फंस गई और उस पर अत्यधिक पथराव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को हवा में गोली चलानी पड़ी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दौरान एक गोली किसी ओर से उछलती हुई चली जिससे एक श्रमिक को आघात पहुंचा और दुर्भाग्य से उस श्रमिक की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने वाले श्रमिक का नाम श्री देवेनबोर था । वह निगम के तापीय बिजलीघर एकक में बेल्डर के रूप में कार्य करता था । वह लिग्नाइट खान मजदूर संघ नैवेली, का सदस्य था, जो कि एक पंजीकृत यूनियन है । यह बताया गया है कि कड्डालोर में किये गये पोस्ट-मार्टेम के पश्चात मृत शरीर दाह संस्कार के लिये निगम की गाड़ी से वेल्लौर लाया गया । जिन घटनाओं के परिणामस्वरूप श्रमिक की मृत्यु हुई उनमें, छह पुलिस सिपाही और 1 सार्जेन्ट घायल हुआ था ।

प्रबन्ध निदेशक ने आज सुबह (6.5.1970) यह रिपोर्ट दी है कि हड़ताल समाप्त हो गई है और श्रमिकों ने पहली शिफ्ट में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। श्रमिक यूनियनों, प्रबन्धकों एवं राज्य श्रमायुक्त के मध्य हुई त्रि-पक्षीय समझौता बातचीत के परिणामस्वरूप 5 मई, 1970 को समझौता हो गया ।

श्री क० अनिरुद्धन : यह दुर्घटना वहां हड़ताल हो जाने के कारण हुई । इस देश में अब यह एक नया वातावरण बन गया है कि जब भी श्रमिक या कृषक अपनी उचित मांगों को लेकर आगे आते हैं तो कुछ राज्य सरकारें उन पर निर्दयता से लाठी-चार्ज करने की अनुमति पुलिस को दे देती हैं और यहां तक कि उनके रिहायशी स्थानों पर आग लगा दी जाती है । एक वर्ष पूर्व थंजावुर में हरिजनों पर इसी प्रकार गोली चलाई गई थी । अब तो बहुत ही साधारण-सी बात थी । श्रमिकों और श्रमिक संघों के प्रबन्ध के साथ कुछ वास्तविक मतभेद थे जिन्हें बातचीत के माध्यम से शान्तिपूर्ण ढंग से दूर किया जा सकता था । किन्तु वहां पुलिस ने विधि-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर श्रमिकों पर गोली चलाई, जिसमें 80 श्रमिक घायल हुये और श्री देवेनबोर नामक एक श्रमिक की मृत्यु हुई । इस संदर्भ में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उक्त दुर्घटना की न्यायिक जांच शुरू कर दी है; क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उक्त हड़ताल के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई और उनके बीच जो समझौता हुआ उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : 20 मार्च 1970 को प्रबन्धकों तथा 17,000 कर्मचारियों में से 16,600 कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हो गया था । यह समझौता मान भी लिया गया था और 2 अप्रैल 1970 को इसे क्रियान्वित किया गया था । किन्तु प्रबन्धकों ने विवाद सुलझाने के लिये जो प्रयास किये, वे सभी सफल नहीं हुये और यह अशुभ घटना घटी । हिंसा भड़क उठने के बाद पुलिस ने गैस के गोले छोड़े और गोलियां भी चलाई ; जिसके परिणामस्वरूप एक श्रमिक की मृत्यु हो गई । कल रात मद्रास के मुख्यमंत्री ने मेरे से टेलीफोन पर बातचीत की थी किन्तु उन्होंने मुझे न्यायिक जांच के बारे में कुछ भी नहीं बताया ।

हालांकि तत्काल कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो कर्मचारियों को हड़ताल के लिये उकसाती। हड़ताल का नोटिस भी नहीं दिया गया था । फिर भी हड़ताल हुई और चार दिन तक चार संयंत्र बंद रहे। परिणामतः उनमें प्रतिदिन 12,000 टन लिग्नाइट, 270 टन यूरिया और 335 टन लिको का उत्पादन नहीं हो पाया।

उनके बीच हुये समझौते की शर्तों का सारांश निम्नलिखित है ; हड़ताल के चार दिनों में से केवल तीन वेतन सहित छुट्टी के रूप में गिने जायेंगे और एक दिन का वेतन नहीं दिया जायेगा। अवैध हड़ताल के लिये दंड के रूप में मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आठ दिन की मजूरी नहीं काटी जायेगी। हड़तालियों के विरुद्ध सामान्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, किन्तु किसी को भी बर्खास्तगी का दंड नहीं दिया जायेगा। किन्तु जिनके विरुद्ध कदाचार के आरोप पर आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, वे वापस नहीं लिये जायेंगे।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : चूंकि श्रम आयुक्त के समक्ष और मद्रास के मुख्यमंत्री के प्रयत्नों से एक समझौता दोनों पक्षों के बीच हो गया था, इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि उक्त हड़ताल मांगों के समर्थन में या मुआवजे के प्रश्न को लेकर नहीं की गई थी, बल्कि उक्त हड़ताल के पीछे नक्सलवादियों का हाथ दिखाई देता है। श्रमिकों और नक्सलवादियों का आशय यह था कि संयंत्र बिल्कुल बन्द हो जाये और उक्त संयंत्र से सम्बद्ध सभी उद्योग भी ठप हो जायें। अतः मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे उक्त संयंत्र को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को ऐसा करने से रोका जा सके । दूसरे, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उन्हें कुल राशि एक ही किस्त में दे दी जायेगी?

श्री जगन्नाथ राव : इस संयंत्र की सुरक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों में तमिलनाडु सरकार हमें यथासमय पूर्ण सहायता दे रही है। जहां तक भुगतान का सम्बन्ध है, करार में वृद्धि की राशि के भुगतान का जो तरीका माना गया है, उसके अनुसार ही भुगतान होगा। भुगतान कैसे किया जाये, यह तो विवाद का विषय है ही नहीं। श्रमिक एक किस्त में भुगतान नहीं चाहते हैं। जहां तक उक्त संयंत्र की सुरक्षा का सम्बन्ध है, वहां राज्य सरकार है, पुलिस है और हमें कोई खतरा नजर नहीं आता। चूंकि हड़ताल का नोटिस नहीं दिया गया था, अतः यह भी नहीं बताया जा सकता कि हड़ताल का कारण क्या था।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रबन्धकों को हड़ताल के कारणों का पता नहीं है। किन्तु मेरे विचार से वे जानते थे कि हड़ताल क्यों हुई। करार में 92 लाख रुपये के लिये प्रबन्धकों की ओर से वचन दिया गया था। श्रमिक इस राशि को अपर्याप्त समझते थे और इसी कारण वे असंतुष्ट थे। साथ ही करार में यह शर्त भी थी कि खान भत्ता 13 रुपये से घटाकर 11 रुपये कर दिया जाये। उसमें यह भी व्यवस्था थी कि कारखाना भत्ता 13 रुपये से घटाकर 6 रुपये कर दिया जाये। नये करार के अनुसार मजूरी की दर, जितनी की अपेक्षा की गई थी, उससे कम थी । शुद्ध वृद्धि केवल 21 रुपये की थी। इसी कारण से कनिष्ठ इंजीनियरों और तकनीशनों के संघों ने उस करार पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। प्रबन्धकों ने इस समय चाल यह चली कि करार के बाद उन्होंने कनिष्ठ इंजीनियरों

को कुछ और रियायतें दीं । श्रमिकों ने भी उसी प्रकार की रियायतों की मांग की । किन्तु प्रबन्धकों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इससे श्रमिकों में असन्तोष बढ़ा और परिणामतः यह हड़ताल हुई । क्या यह सच नहीं है कि श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के कारण वहां हड़ताल हुई । क्या यह सच है कि कल जो समझौता किया गया है, उसके अनुसार किसी भी श्रमिक को 30 रुपये से कम प्राप्त नहीं होगा जबकि पहले करार के अनुसार उसे केवल 21 रुपये प्राप्त होने वाले थे । यदि प्रबन्धकों ने यह रुख पहले ही अपना लिया होता तो इतनी बड़ी हड़ताल न होती ; पुलिस को लाठीचार्ज न करना पड़ता और गोली चलाये जाने का अवसर ही न आता । क्या सरकार इस मामले में स्वतंत्र रूप से जांच कराने का आदेश देगी ताकि, यह मालूम हो जाये कि प्रबन्धकों ने इस मामले को कैसे लिया और ऐसी स्थिति को भविष्य में उत्पन्न होने से रोका जा सके तथा इतनी बड़ी हानि न होने पाये ।

श्री जगन्नाथ राव : प्रबन्धकों से मुझे विस्तृत जानकारी नहीं मिली है । अतः माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं । मुझे केवल यह जानकारी है कि 18 अप्रैल 1970 को श्रम आयुक्त और श्रमिकों के बीच बातचीत हुई थी और 2 मई को पुनः बातचीत करने का निर्णय किया गया था किन्तु हड़ताल 1 मई से ही शुरू हो गई और बातचीत न होने पायी । माननीय सदस्य ने 9 रुपये की और वृद्धि का जो जिक्र किया है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि 20 मार्च को जो समझौता हुआ था और जो क्रियान्वित भी हो गया था, उसके बाद भी श्रमिकों ने वृद्धि के लिये मांग की थी । उस पर श्रम आयुक्त विचार कर रहा था कि इसी बीच हड़ताल हो गई । यदि सरकार को प्रबन्धकों से यह रिपोर्ट मिलेगी कि वे इस मामले को तय करने में असफल हैं, तो सरकार कोई कार्यवाही करेगी ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : There is discontentment and resentment in the workers of public undertakings. This incident proves it. I would like to know whether the agreement arrived at between the Management and the Joint Council on 20th March caused resentment and discontentment among the workers. Whether the suspension of some workers who had given a call for strike, provocated the workers to go on strike ; and whether Government will order for a thorough inquiry into the whole affair ? Who called the police and ordered them to fire on the striking workers ?

श्री जगन्नाथ राव : खान प्रभाग के चार क्लर्कों की बर्खास्तगी को हड़ताल का कारण नहीं माना जा सकता । जहां तक श्रमिकों में असंतोष व्याप्त होने की बात है, समझौता 20 मार्च को किया गया था । उन्होंने वृद्धि की मांग फिर की थी । यदि उनमें असंतोष भी था, तो भी उन्हें हड़ताल का नोटिस देना चाहिए था । यह कहना गलत है कि हड़ताल के लिए प्रबन्धक दोषी हैं क्योंकि प्रबन्धक इस विषय पर बातचीत कर रहे थे तथा राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और श्रम आयुक्त ने जो कुछ प्रबन्धकों से कहा, वह उन्होंने मान लिया था ।

श्री उमानाथ : तथ्यों के जाने बिना आप यह नहीं कह सकते कि प्रबन्धकों का इसमें दोष नहीं है ।

श्री एस० एम० कृष्ण (मण्डया) : मंत्री महोदय ने जो यह कहा है कि निगम से अभी तक कोई लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसे सहन नहीं किया जा सकता। इससे अधिक खेदजनक बात और क्या हो सकती है ? मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई है। वक्तव्य में कहा गया है कि मजदूरों के उग्र प्रदर्शनों के कारण हड़ताल आरम्भ हुई और तत्पश्चात गोली चलाई गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उग्र-प्रदर्शन किस प्रकार का था ? क्या फैक्टरी के लिये जीपकार में जाते हुये लोगों पर दो चार पत्थर फकने को उग्र प्रदर्शन कहा जा सकता है ? मैं चाहता हूं कि इस मामले की स्वतंत्ररूप से जांच कराई जाय, चाहे यह जांच न्यायिक हो अथवा न्यायिकेतर। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मजदूर गोली के शिकार हुए हैं, क्या उनके परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बड़ा खेद है। सुबह 2½ बजे पुलिस वालों ने सड़क पर एक भीड़ देखी। उन्होंने लोगों को हटाने का प्रयत्न किया तो उन पर पत्थर फेंके गये। कई पुलिस वाले घायल हो गये, इसलिये उन्हें गोली चलानी पड़ी। प्रबन्धकों को पुलिस से गोली चलाने के लिये कहने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर आई० जी० तथा डी० आई० जी० उपस्थित थे। पुलिस ने गोली तभी चलाई जब उनके लिये यह आवश्यक ही हो गया। इसलिये प्रबन्धकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आज तक भी मुझे लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री एस० एम० कृष्ण : ऐसा क्यों है ?

श्री जगन्नाथ राव : कल तक प्रबन्ध निदेशक हड़ताल से सम्बन्धित विस्फोटक परिस्थितियों को सुधारने में व्यस्त रहे। मैंने उनसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है। जहां तक किसी भी प्रकार की जांच का सम्बन्ध है, यह कार्य राज्य सरकार का है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : I lay the following papers on the Table of the House :

(1) A copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the State Trading Corporation of India Limited, for the year 1968-69.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited, for the year 1968-69 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. **[Placed in Library. See No L. T. 3416/70]**

(2) A copy of the Audit Report on the Accounts of the Rubber Board for the year 1968-69. **[Placed in Library. See No. L. T. 3417/70]**

(3) A copy of the Art Silk (Production and Distribution) Control (Amendment) Order, 1970, published in Notification No. S. O. 1219 in Gazette of India dated the 4th April, 1970; under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. **[Placed in Library. See No. L. T. 3418/70]**

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

49 वां प्रतिवेदन

श्री पी० पार्थसारथी (राजमपेट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 49 वें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : विधेयक के खंड 3 में पूंजी परिसम्पत्ति के संदर्भ में कृषि सम्बन्धी भूमि की परिभाषा दी गयी है। आयकर अधिनियम के खंड 2 (14) का भी यही आशय है और उसे यहां इस खण्ड के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। कृषि सम्बन्धी भूमि के पूंजीगत लाभों की भी व्याख्या की गई है और इसे करारोपण संशोधन विधेयक के स्थान पर वित्त विधेयक द्वारा संशोधित करने का प्रयास किया गया है। कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय तथा कृषि भूमि के अतिरिक्त पूंजी परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी खण्ड एक जैसे ही हैं। संशोधन की व्यवस्था करारोपण संशोधन विधेयक में की जानी चाहिए, वित्त विधेयक में नहीं।

जहां तक खण्ड में दी गई कृषि भूमि सम्बन्धी परिभाषा का प्रश्न है, आबादी की सीमा 10,000 के बजाय 1 लाख की जानी चाहिये जिससे कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्दर के गांवों को इस खंड के अन्तर्गत न लाया जा सके। इसके पश्चात् जहां तक निकटता का सम्बन्ध है, यह नगर-सीमा से 2 किलोमीटर होनी चाहिये 8 किलोमोटर नहीं। मैं फिर से यही निवेदन करता हूं कि ऐसे संशोधन वित्त विधेयक में नहीं आने चाहिये। वित्त विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करना है और यह मामला ऐसे किसी उद्देश्य से सम्बन्धित नहीं है, अतः इसे वित्त विधेयक से निकालकर करारोपण संशोधन विधेयक में समाविष्ट किया जाय।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : खण्ड 3 में जिस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, वह असंवैधानिक है। विधेयक की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में कहा गया है कि कृषि आयकर के अतिरिक्त सभी कर केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत होंगे। इसी अनुसूची की सूची दो में यह व्यवस्था की गई है कि कृषि सम्बन्धी आयकर का सम्बन्ध राज्यों से होगा। अतः केन्द्र का कृषि सम्बन्धी आय से कैसे सम्बन्ध हो सकता है। यदि हम इसे शहरी सम्पत्ति के नाम से परिभाषा में शामिल करने का प्रयास करते हैं तो उससे वास्तव में भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, कृषि सम्बन्धी भूमि कृषि भूमि ही रहेगी और उससे जो आय होगी केवल उस पर राज्य द्वारा कर लगाया जा सकता है। इस पर केन्द्र कर नहीं लगा सकता है।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : An amendment was sought to be made so as to bring within the term 'Capital asset' agricultural land situated within the limit of any Municipality or a Cantonment Board having a population of 10,000 or more and lying within a distance not exceeding 8 kilometres from the local limits of such Municipalities or Cantonment Boards. This would impede the proper development of villages as the flow of urban talent into the villages would be stopped. Therefore, Government would do well to withdraw this amendment.

श्री को० सूर्य नारायण (एल्लूरु) : कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर कर लगाने में जल्दबाजी न की जाय। वित्त विभाग ने प्रधान मंत्री को इस क्षेत्र पर कर लगाने की सलाह किस प्रकार दी है। यदि वित्त विभाग ने कृषि विभाग से परामर्श किया होता तो मुझे विश्वास है कि वे ग्रामीण कृषि क्षेत्रों पर इस प्रकार कर लगाने का सुझाव न देते।

भूमि मूल्यों में स्थिरता नहीं रहती है। इस कार्यवाही का छोटे किसानों पर असर पड़ेगा, बड़ों पर नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि कुछ समय के लिये इस निर्णय को समाप्त कर दिया जाय और इस समस्या पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री० क० नारायण राय (बोब्बिली) : जहां तक इस विशेष संशोधन का प्रश्न है, यह 'पूंजी आस्ति' शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रयत्न करता है। 'पूंजी आस्ति' का औचित्य यह है कि इसे पूंजीगत लाभ से जोड़ा गया है। यह मद आयकर के अन्तर्गत भी आती है। इसलिये यह पूर्णरूपेण कृषि सम्पत्ति का ही नहीं है। पूंजीगत लाभ-कर वहां लगाया जाता है, जहां किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जाता है। इसलिये कोई भी सौदा, चाहे वह भूमि के लेन-देन का सौदा हो, इस संशोधन के अन्तर्गत आता है। केवल यही नहीं सरकार एक अधिसूचना जारी कर के 8 किलोमीटर के किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल कर सकती है। अतः लगभग सभी देहाती क्षेत्रों पर इसे लागू किया जा रहा है। यह उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश के बहुत से करदाता भोले भाले व्यक्ति हैं और वे नहीं समझते हैं कि कर-विवरण क्या होते हैं। भूमि के सौदे के मामले में पहले से ही पंजीकरण शुल्क की व्यवस्था है जिससे काफी धनराशि प्राप्त होती है। इसलिये भी उपरोक्त कर वाली व्यवस्था अनुचित है। जो लोग मकान आदि के लिये अथवा लाभ के उद्देश्य से भूमि का सौदा करते हैं, उनको इस कर व्यवस्था के अन्तर्गत लिया जा सकता है परन्तु यदि इसे सभी मामलों पर लागू करना उचित नहीं है।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि अधिकांश व्यक्तियों ने, जिन्होंने कृषि भूमि बेची है, आर्थिक मजबूरियों के कारण ऐसा किया है। अतः क्या ऐसे व्यक्तियों पर कर लगाना उचित है जो पहले ही जरूरतमन्द हैं और जिन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भूमि को बेचना पड़ा है। प्रधान मंत्री को इसके परिणामों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : पूंजी लाभ के सम्बन्ध में यह भेदभाव किया गया है कि सम्पत्ति किस स्थान पर स्थित है। यदि यह किसी कस्बे अथवा उससे 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर है तो यह पूंजी लाभ के अन्दर आती है। कुछ व्यक्तियों का कृषि को अपनाने का उद्देश्य

केवल कर का अपवंचन करना है। यदि इसे रोकना है तो सम्पत्ति कहां स्थित है, इस आधार पर इसे नहीं रोका जा सकता है। इसका आधार यह जानकारी करना होना चाहिये कि क्या एक ईमानदार कृषक सम्पत्ति बेच रहा है। अथवा सम्पत्ति बेचने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसने कृषि में एक नया हित पा लिया है। इसलिये कृषि सम्बन्धी पूंजी लाभ कर की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिये। यदि यह एक वास्तविक कृषक के बारे में है तो उसे छूट दी जानी चाहिये। यदि यह एक ऐसे नये कृषक के विषय में जिसका उद्देश्य केवल आय-कर का अपवंचन करना है, तो इसे बिना किसी छूट के इस कर व्यवस्था के अन्दर लाया जाना चाहिये।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : यदि कोई व्यक्ति भूमि खरीदना तथा थोड़े ही समय के बाद उसे लाभ पर बेचना अपना व्यवसाय बना लेता है तथा बार बार ऐसा करता है, तो यह समझा जा सकता है, कि सरकार को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिये। परन्तु दुख की बात यह है कि सरकार बहुत थोड़े से व्यक्तियों के कारण 99 प्रतिशत लोगों के लिये निर्बाध शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहती है। यह उचित नहीं है तथा सरकार को इस संशोधन पर बल नहीं देना चाहिये।

Shri Tulshi Das Jadhav : If the land was purchased in order to set-up some industry then the levy of Tax could be justified. But if an agriculturist sold agricultural land to another then it would not be proper to levy capital tax on it simply because it happened to be situated within 8 kilometres. Therefore, the Prime Minister should re-consider the matter.

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : संसद को आयकर अधिनियम में कृषि-आय-कर की परिभाषा में संशोधन करने का अधिकार है। इस बात की पुष्टि महान्यायवादी ने भी की थी। श्री कंवर लाल गुप्त के संशोधन के बारे में मैं कहूंगी कि छोटे किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नगर पालिकाओं और छावनियों के मामले में 8 किलोमीटर की सीमा को अधिसूचित करने का कोई इरादा नहीं है इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है कि नगरपालिका से कृषि भूमि की दूरी को 8 किलोमीटर से घटा कर 3 किलोमीटर कर दिया जाये। हमारा इरादा यह है कि नगर पालिका अथवा छावनी की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों को, उनका नगरीयकरण होने की स्थिति में तथा यह उचित समझे जाने की अवस्था में कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि भूमि को पूंजी लाभ आस्ति के अन्तर्गत लाया जाये, अधिसूचित किया जाये।

सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनिवार्य अर्जन द्वारा पूंजी आस्तियों के हस्तांतरण का प्रश्न भी उठाया गया था। यह आस्तियों के मालिकों के लिये किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। कृषि भूमि के मामले में भी यही स्थिति है और इस बारे में कोई रियायत देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : लेकिन आप उनका अनिवार्य अर्जन कर रहे हैं। इसका पूंजी लाभ कर से क्या सम्बन्ध है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : नगरीयकरण और उद्योगीकरण में प्रगति के कारण हाल ही में शहरों में स्थित भूमि का मूल्य बढ़ गया है। कृषि के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि को कृषि

भूमि कहा जाता है और उस पर पूजी लाभ से छूट दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप सट्टेबाजी करने वालों के बचाव का रास्ता बन्द हो जायेगा। अतः श्री दाण्डेकर का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यदि जनसंख्या सम्बन्धी श्री शिव चन्द्र झा का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो हस्तान्तरण से होने वाले पूंजी लाभों के करारोपण क्षेत्र में वास्तविक कृषक भी आ जाएंगे जिन्हें कृषि अभियान से लाभ हुआ है। अतः ये संशोधन स्वीकार नहीं हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Prime Minister has not given her views regarding my amendment.

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : पूंजीगत लाभ-कर का भुगतान आय-कर की दर के अनुसार किया जाता है। वास्तविक कृषकों को कुछ भी आय-कर नहीं देना पड़ेगा। अतः वह पूंजी लाभ कर का कैसे भुगतान करेंगे (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्रीमती इंदिरा गांधी : पूंजीगत लाभ कर पर 5000 पर छूट दी जाती है और बाकी 55% पर साधारण आय की दर से कर लगता है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 3 पर मत विभाजन करवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 3 पर मत विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इसी समय मत विभाजन करवाना चाहते हैं? इससे सभा का समय नष्ट होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इस पर जोर नहीं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 3 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दाण्डेकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 48 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 48 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 94 और 95 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 94 और 95 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 94 and 95 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 550, 551 और 552 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 550,551 और 552 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments Nos. 550, 551 and 552 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 570 और 632 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 570, 632 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendments Nos. 570 and 632 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड—4

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 553 प्रस्तुत करता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री वेणी शंकर शर्मा : देश में मकानों की कमी है । अतः उक्त समस्या को हल करने के लिये नगरों तथा कस्बों में मकान बनाने तथा उनको किराये पर देने के उद्देश्य से बनाई गई सहकारी समितियों की आय को भी उन्हीं प्राधिकारों की आय की श्रेणी में रखा जाना चाहिये, जिन्हें अपनी आय-कर से छूट प्राप्त है । यह लाभ सहकारी समितियों को भी दिया जाना चाहिये इससे देश में गृह-निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक श्री झा के संशोधन का प्रश्न है, विधेयक में उन संस्थाओं को शामिल किया गया है जो चिकित्सा अथवा पुनर्वास के जरूरतमन्द लोगों की देखभाल तथा उपचार करते हैं । जहां तक श्री वेणी शंकर शर्मा के संशोधन का प्रश्न है, आवास बोर्डों को उनको आय-कर से मुख्यत: इसलिये छूट दी जाती है कि वे राज्य सरकारों के कार्यकलाप के विस्तार के द्योतक हैं तथा उन्हें जो लाभ होता है वह किसी व्यक्ति का निजी लाभ नहीं है । अब कम लागत

के रिहायशी एककों को तीन वर्षों तक प्रति एकक 600 रुपये तक की आय-कर से छूट दी गई है। प्रवर समिति के विचाराधीन एक प्रस्ताव है कि इस अवधि को पांच वर्ष तथा इस राशि को 1200 किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 96 और 553 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 96 और 553 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendment Nos. 96 and 553 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 4,5,49 और 97 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 313 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 351 और 352 प्रस्तुत करता हूं।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 411 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 554, 610, 611 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं अपने संशोधन संख्या 633, 634, 636 और 637 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 29 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

"(b) the money so accumulated or set apart is—

(i) invested in any Government security as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 or in any other security which may be approved by the Central Government in this behalf, or

18 of 1944

(ii) deposited in any account with the Post Office Savings Bank [including deposits made under the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970] or a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a cooperative society engaged in carrying on the business of banking (including a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank), or

10 of 1943

(iii) deposited in an account with a financial corporation which is engaged in providing long-term finance for industrial development in India and which is approved by the Central Government for the purposes of clause (viii) of sub-section (1) of section 36."

["(ख) इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन :—

(i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति में या किसी अन्य ऐसी प्रतिभूति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाये, विनिहित कर दे ; अथवा

(ii) डाकघर बचत बैंक में (जिसके अन्तर्गत नियतकालिक जमा नियम, 1970 के अधीन किये गये निक्षेप भी हैं) या ऐसी बैंककारी कम्पनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनिमम, 1949 लागू होता है, (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या बैंककारी का कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी में (जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) किसी खाते में जमा कर दे ; अथवा

(iii) ऐसे वित्तीय निगम में किसी खाते में जमा कर दे जो भारत में औद्योगिक विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त की व्यवस्था करने में लगा है और जो धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।"] (645)

पृष्ठ 6 पंक्ति 34 से 38 के स्थान घ निम्नलिखित रखा जाये :—

"(c) for-section (3), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1971, namely :—

(3) Any income referred to in sub-section (2) which—

(a) is applied to purposes other than charitable or religious purposes as aforesaid or ceases to be accumulated or set apart for application thereto, or

(b) ceases to remain invested in any security referred to in sub-clause (i) or deposited in any account referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (b) of that sub-section, or

(c) is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of that sub-section or in the year immediately following the expiry thereof,

shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied or ceases to be so accumulated or set apart or ceases to remain so invested or deposited or, as the case may be, of the previous year immediately following the expiry of the period aforesaid."

["(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय जो—

(क) यथापूर्वोक्त पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाये या उनमें प्रयुक्त किये जाने के लिये संचित या अलग रखी न रह जाये ; अथवा

(ख) उस उपधारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रतिभूति में विनिहित या उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी खाते में जमा न रह जाए, अथवा

(ग) उस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान या उसके अवसान के ठीक पश्चात् के वर्ष में उस प्रयोजन में प्रयुक्त न की जाये जिसके लिये वह संचित की गई या अलग रखी गई है ;

ऐसे व्यक्ति की, यथास्थिति, उस पूर्व वर्ष की, जिसमें वह ऐसे प्रयुक्त की जाए अथवा संचित या अलग रखी न रह जाय अथवा ऐसे विनिहित या जमा न रह जाये, या पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के ठीक पश्चात् के पूर्व वर्ष की आय समझी जायेगी।"] (646)

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपने संशोधन संख्या 669, प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं अपने संशोधन संख्या 695, 696, 697, 698 और 699 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is one clause regarding charitable Trust. Some charitable institution in our country are not working for the charitable purposes. They are using the money for the purposes of evasion of taxes. The practice of making donations for the charitable purposes should not be stopped. There should be some strictness in this policy. To make a policy that the charitable institutions should spend their income for the religious purposes during the same year or during the next three months, is a very strict policy. In that case the institutions will not spend money for charitable purposes.

The Minister of Finance has not given the number of the charitable trusts functioning at present in the country and their capital and the way in which they are misusing the funds of the trusts.

It is not proper to make such provisions without any basis. Discrimination has been made in the provision with regard to the institutions established before 1962 and after 1962. I want to know the reasons of this discrimination. All the trusts should be treated on equal footing. This clause should be withdrawn and a separate amendment Bill should be introduced.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपने सभी संशोधनों अर्थात् संशोधन संख्या 49,669,670 तथा 671 के उद्देश्यों पर बोलना चाहता हूं। यद्यपि सरकार ने न्यासों की बिना खर्च हुई आय के निवेश के संबंध में कुछ रियायतें देते हुए संशोधन पेश किये हैं तथापि विधेयक की यह व्यवस्था बड़ी ही कठोर है कि बिना खर्च किये गये धन को लेखा अवधि समाप्त होने के तीन

महीने के भीतर धर्मार्थ कार्यों या उद्देश्यों के लिये खर्च करना ही होगा अन्यथा रियायत वापस ले ली जायेगी। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस आय को खर्च करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं जिनके परिणामस्वरूप न्यास द्वारा इस अवधि के अन्तर्गत धन को खर्च करना अनेक बार संभव नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं कि पूंजी निवेश का स्वरूप ऐसा होता है कि वर्ष समाप्त होने के तीन मास के भीतर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वस्तुतः आय कितनी होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आय का पता तो लग जाता है परन्तु वह आय प्राप्त नहीं होती, जैसे शेयरों पर लाभांश की घोषणा तो हो जाती है परन्तु वह लाभांश राशि वस्तुतः तीन महीने में प्राप्त नहीं होती तो फिर खर्च किसे करें? इस प्रकार तीन मास की यह अवधि बहुत ही थोड़ी है और कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। मेरा अनुरोध है कि इस अवधि को बढ़कर कम से कम छः मास कर दिया जाये।

अपने संशोधन संख्या 670 के बारे में मुझे यह कहना है कि इस विधेयक के उपबंधों में साधारण आय तथा पूंजी आस्तियों की अदला-बदली अथवा उनके विक्रय से प्राप्त आय दोनों में परस्पर कोई अन्तर नहीं रखा गया है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये थी जिससे कि इन दोनों प्रकार की आयों में परस्पर अन्तर रखा जाये, एक धर्मार्थ न्यास को जो कुछ धर्मार्थ प्राप्त होता है, उसे तो वह खर्च करेगा परन्तु जो आय आस्तियों के विक्रय अथवा अदला-बदली से होती है उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं रहना चाहिये।

मुझे आशा है कि सरकार मेरे उक्त संशोधनों को स्वीकार कर लेगी।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Regarding my amendment No. 97, I submit that the money in charitable and religious trusts is generally misused and it is a good thing that the Government want to exempt only that money from income-tax which has actually been used for the genuine purposes of the trusts. But I object to the permission to accumulate incometax arrers upto 10 years. This period should be reduced to 5 years. It can be extended if the work of the trust is found satisfactory and the funds are properly used.

There is a lot of extravagance and wastage of huge amounts of money in the name of religious trusts. The Government do not take strict action against the heads of **Maths** and the trusts. The Government should have all the religious activities at least for ten years till our economy reaches a take-off stage and confiscate all the properties of these **Maths** and trusts. But I donot think the Government have so much of courage.

श्री लोबो प्रभु : मेरे दो संशोधन हैं, बजट प्रस्तावों से इस वर्ष पांच करोड़ रुपये की तथा अगले वर्ष 21 करोड़ रुपये की आय होगी जबकि सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला कुल राजस्व 3400 करोड़ रुपये है। केवल पांच करोड़ रुपयों के लिये सरकार देश की औद्योगिक व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहती है। इससे तो कृषि भूमि की परिभाषा ही बदल जायेगी जिसका परिणाम यह होगा कि कोई मकान ही न बन सकेगा...

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम इस खण्ड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : सरकार ने अपने बजट प्रस्तावों के कारण पूंजी निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। गत कुछ महीनों से कोई पूंजी-लाभ हुआ ही नहीं है तथा ज्यों-ज्यों

ये प्रस्ताव लागू होंगे पूंजी की हड़ताल ही होती जायेगी। फिर भी प्रधान मंत्री इस ढांचे को क्यों नष्ट करना चाहती हैं ? सरकार कदाचित अमीरों का शोषण करना चाहती है परन्तु इससे तो गरीब लोग भी नष्ट हो जायेंगे याद रखिये, पूंजी निवेश न होगा तो रोजगार भी नहीं बढ़ जायेगा।

मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एक तो आय ही प्राप्त नहीं और फिर उस आय को भी केवल तीस मास में खर्च करना सम्भव नहीं हो पाता जैसे छात्रवृत्ति की राशि शायद तीन महीने के भीतर अदा न की जा सके क्योंकि वित्त-वर्ष तो मार्च में समाप्त होता है परन्तु दूसरा वर्ष बाद में आरम्भ होता है अतः मेरा सुझाव है कि अनहर्ता की अवधि को तीन महीने से बढ़ाकर छः महीने कर दिया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन इस आशय का है जो सरकार इस खण्ड के अधीन न्यासों के पूंजी निवेशों पर लोक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत या फिर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य आरक्षित राशियों में लगाने की व्यवस्था कर रही है, उत्तम तो यही होगा कि समस्त निवेश को केवल एक ही सूची में रखा जाय।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपने संशोधन संख्या 635 तथा 636 के लिये अनुरोध कर रहा हूं। संशोधन संख्या 635 का यह आशय है कि न्यास को धन खर्च करने की जो तीन मास की अवधि दी गई है वह थोड़ी है तथा उसे बढ़ाकर 6 मास कर दिया जाये और इसी हेतु लिखित रूप में दिये गये विकल्प पर जोर नहीं दिया जाये।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : धर्मार्थ न्यासों के बारे में नये वित्त विधेयक में यह व्यवस्था है कि आयकर अधिकारी की स्वीकृति बिना कोई धन राशि एकत्रित नहीं रखी जायेगी। मेरा निवेदन है कि ये नियम केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाये जाने चाहिये जिनमें आयकर अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिये जायें कि इस मास के भीतर अस्पतालों आदि बनाने के ऐसे सभी प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति दे दी जाये। दूसरे मैं चाहता हूं कि अधिकारी की अनुमति से 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत धनराशि जमा रखने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री न० कु० सांघी : धर्मार्थ न्यासों पर कर लगाकर वित्त विधेयक को नई दिशा दी गई है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे न्यास हैं तथा उनसे लोगों को बड़ी आय होती है परन्तु वह धन वस्तुतः खर्च नहीं किया जाता। इस नये संशोधन से इन न्यासों को वह धन खर्च करना होगा। मेरा साधारण संशोधन यह है कि स्पष्टीकरण के उद्देश्य से धारा 11 खण्ड (2) के अन्त में "गत वर्ष के अन्त से" भी जोड़ दिया जाये—यह व्यवस्था सभी वित्त विधेयकों के लिये की जाती है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने अपने संशोधन संख्या 695 से 699 में तीन परिवर्तनों के सुझाव दिये हैं। पहला सुझाव यह है कि आयकर अधिकारियों को वास्तविक तथा विवशता की परिस्थितियों में यह अधिकार दिया जाये कि वे तीन महीने की इस अवधि को बढ़ा सकें। अन्यथा इससे काफी परेशानियां हो सकती हैं। मान लीजिये कि उक्त धनराशि में से 5 रुपये

खर्च होने से बच गये तो शेष सभी राशि पर कर लग जायेगा। यदि आयकर अधिकारी उचित समझे तो इस अवधि को बढ़ाकर तीन मास से छः मास कर दे।

दूसरा सुझाव यह है कि यदि किसी न्यास पर कोई देनदारी बाकी है तो यह जरूरी होगा कि उस धनराशि की व्यवस्था वह न्यास करे। परन्तु अब तो उसे सारी राशि खर्च करनी होगी। अनेक न्यासों के पास ऐसी सम्पति होती हैं जिस पर उनकी देनदारी देनी होती हैं तो फिर वे इस देनदारी को कैसे पूरा करेंगे। इस सुविधा के लिये उचित व्यवस्था इस विधेयक में की जानी चाहिये।

साथ ही, जहां ऐसे लेखे वाणिज्यिक आधार पर रखे जाते हैं वहां छः मास बाद होने वाली आय को ध्यान में रखा जाता है। अतः इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये।

अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री मेरे इन तीन सुझावों पर विचार करें तथा इस प्रणाली को अधिक नियमित तथा सुविधाजनक बनाने के लिये समुचित व्यवस्था करें।

श्री वेणी शंकर शर्मा : कर अपवंचन को रोकने के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण कानून है।

वस्तुतः यह धारा वर्ष 1961 में लागू की गई थी। प्रधान मंत्री जानते हैं कि देश में अनेक न्यास हैं और सरकार को भी उनसे लाभ है क्योंकि देश में बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि अनेक दैवी विपत्तियां आती हैं और ये न्यास उन स्थितियों में लोगों की सहायता भी करते हैं। यदि इन न्यासों के पास धन नहीं रहेगा तो वे कैसे किसी की सहायता करेंगे ? हम यह भी मानते हैं कि इन न्यासों में कई बेईमान लोग भी हैं जो न्यासों के धन का अपने निजी स्वार्थों के लिये दुरुपयोग करते हैं परन्तु बिना किसी रोग को दूर करने के स्वयं रोगी को ही मार डालना उचित नहीं है। सरकार का उद्देश्य तो यही है कि न्यासों का धन अनुचित रूप में खर्च न हो, तो उसके सुनिश्चय के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है जिसके अनुसार यह व्यवस्था रखी जाये कि इस प्रकार जमा किया गया या अलग रखा गया धन, पिछले वर्ष के तुरन्त बाद छः महीने के भीतर ही सरकारी प्रत्याभूति अथवा ऋणों में या फिर किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधिक जमा योजनाओं में लगा दिया जाये। इस व्यवस्था से उपरोक्त उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा और धन का दुरुपयोग भी न होगा। प्राप्त आय का 25 प्रतिशत किसी विपत्ति का मुकाबला करने के लिये रखने की अनुमति दी जानी चाहिये। सरकार ऐसी आवश्यकता के समय अपना धन नहीं दे सकती। फिर भी यह सुनिश्चित तो किया ही जाना चाहिये कि धन कर दुरुपयोग न हो।

श्रीमती इंदिरा गांधी : श्री कंवर लाल गुप्त सहित सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में धन का दुरुपयोग हुआ है। देश में भी इस सम्बन्ध में काफी चर्चा है तथा यहां सभा में भी यह मामला अनेक बार उठाया गया है।

यह भी कहा गया है कि कुछ और पदों को भी धर्मार्थ प्रयोजनों की सूची में शामिल कर लिया जाये तथा इस सम्बन्ध में खर्च करने की समय-सीमा को बढ़ाया जाये, छात्रवृत्ति जैसे मदों को न्यासों के प्रयोजन में शामिल करके ही बात भी कही गयी है।

आयकर अधिकारी की स्वीकृति के बारे में सदस्यों को शायद कुछ भ्रम है। वस्तुतः स्वीकृति प्रदान करने जैसी कोई बात नहीं है। स्थिति तो यह है कि आयकर अधिकारी को केवल इसकी सूचना दी जानी चाहिये। आयकर अधिकारी लेखा रखने की प्रणाली में किसी भी परिवर्तन को स्वीकृति दे सकता है और कोई सही तथा न्यायोचित कारण होने पर उस पर वह विचार भी कर सकता है।

श्री कंवर लाल गुप्त के कुछ संशोधन विधेयक की मूल भावना के विपरीत हैं जैसे कि न्यास की उस आय को कर मुक्त करना जो न्यास के उद्देश्यों में लगाई गई है। दूसरी बात तीन महीने की अवधि को छः मास तक बढ़ाने के बारे में की। इस सम्बन्ध में यदि न्यास चाहे तो अपने वित्त-वर्ष या लेखा प्रणाली में परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु यह अवधि काफी है।

अतः ये संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

इस बारे में विचार किया जा सकता है कि यदि किसी न्यास को एक विशिष्ट वर्ष में अपनी आय से अधिक खर्च करना पड़े तो अगले वर्ष उसकी आय को सम्मिलित कर लिया जाये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपने संशोधन संख्या 695--699 वापस लेना चाहता हूं।

श्री न० कु० सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 411 वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 695--699 और 411 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

The amendments Nos. 695, 699 and 411 were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 97 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 97 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सरकारी संशोधनों के अतिरिक्त अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

All the other amendments excepting Government amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 6, पंक्ति 29 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

"(b) the money so accumulated or set apart is—

(i) invested in any Government security as defined in clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 or in any other security which may be approved by the Central Government in this behalf, or

18 of 1944

(ii) deposited in any account with the Post Office Savings Bank [including deposits made under the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970] or a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a cooperative society engaged in carrying on the business of banking (including a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank), or

10 of 1943

(iii) deposited in an account with a financial corporation which is engaged in providing long-term finance for industrial development in India and which is approved by the Central Government for the purposes of clause (viii) of sub-section (1) of section 36."

["(ख) इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन :—

(i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति में या किसी अन्य ऐसी प्रतिभूति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाये, विनिहित कर दे ; अथवा

(ii) डाकघर बचत बैंक में (जिसके अन्तर्गत नियतकालिक जमा नियम, 1970 के अधीन किये गये निक्षेप भी हैं) या ऐसी बैंककारी कम्पनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनिमम, 1949 लागू होता है, (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या बैंककारी का कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी में (जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) किसी खाते में जमा कर दे ; अथवा

(iii) ऐसे वित्तीय निगम में किसी खाते में जमा कर दे जो भारत में औद्योगिक विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त की व्यवस्था करने में लगा है और जो धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।"] (645)

पृष्ठ 6 पंक्ति 34 से 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(c) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1971, namely :—

(3) Any income referred to in sub-section (2) which—

(a) is applied to purposes other than charitable or religious purposes as aforesaid or ceases to be accumulated or set apart for application thereto, or

(b) ceases to remain invested in any security referred to in sub-clause (i) or deposited in any account referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (b) of that sub-section, or

(c) is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of that sub-section or in the year immediately following the expiry thereof,

shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied or ceases to be so accumulated or set apart or ceases to remain so invested or deposited or, as the case may be, of the previous year immediately following the expiry of the period aforesaid."

["(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय जो—

(क) यथापूर्वोक्त पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाये या उनमें प्रयुक्त किये जाने के लिये संचित या अलग रखी न रह जाये ; अथवा

(ख) उस उपधारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रतिभूति में विनिहित या उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी खाते में जमा न रह जाए, अथवा

(ग) उस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान या उसके अवसान के ठीक पश्चात् के वर्ष में उस प्रयोजन में प्रयुक्त न की जाये जिसके लिये वह संचित की गई या अलग रखी गई है ;

ऐसे व्यक्ति की, यथास्थिति, उस पूर्व वर्ष की, जिसमें वह ऐसे प्रयुक्त की जाए अथवा संचित या अलग रखी न रह जाय अथवा ऐसे विनिहित या जमा न रह जाये, या पूर्वोक्त कालावधि के अवसान के ठीक पश्चात् के पूर्व वर्ष की आय समझी जायेगी।"] (646)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ,

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5, as amended, was added to the Bill

खण्ड 6
Clause 6

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं,

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं अपने संशोधन संख्या 50, 51, 52 और 53 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 98 और 99 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 301 तथा 302 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु उदीपी : मैं अपने संशोधन संख्या 314 और 315 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 355,356, 357 और 358 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 555, 556, 557, 558, 559 और 560 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपने संशोधन संख्या 644, 647 और 648 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपने संशोधन संख्या 700, 701 और 702 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन संख्या 732 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know from the Hon. Prime Minister that how many trusts are there, what will be their implication and how the misuse of money takes place.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन, एक व्यक्ति का उसमें पर्याप्त हित माना जायेगा यदि यह अपने रिश्तेदारों के साथ किसी न्यास में 20 प्रतिशत मतदान अधिकार रखते हैं । यह अनुचित जान पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड नार्म यह है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह 50 प्रतिशत से अधिक हित रखता है तो उस व्यक्ति अथवा समूह का सारवान हित माना जाता है । इस उपबन्ध में तदनुसार संशोधन कर दिया जाना चाहिये ।

Shri Shiva Chandra Jha : In Explanation 3, it has been stated that :

"For the propose of this section, a person shall be deemed to have a substantial interest in a concern."—

If it is so, how it will be known that he has interest in the concern. It is stated to clarify it that :

"in a case where the concern is a company, if its shares (not being shares entitled to a fixed rate of dividend whether with or without a further eight to participate in profits) carrying not less them twenty per cent...."

I want that this should be amended so as to provide that a person would be deemed to have substantial interest in a concern if its shares carrying not less than 10 per cent of the voting power were owned by such person.

When it will be made 10 per cent only then we can say that he has interest in the charitable trust.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अपने निकट सम्बन्धियों सहित न्यास के मताधिकार में 20 प्रतिशत भाग हो तो यह समझा जायेगा कि उसका उसमें पर्याप्त हित है । मुझे यह उपबन्ध कठोर लगता है । अतएव मेरा संशोधन यह है कि मताधिकार में 20 प्रतिशत भाग को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाये । क्योंकि यह एक बहुत उचित संशोधन है अतएव मुझे विश्वास है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी ।

Shri Shiva Chandra Jha : It is said that a person shall be deemed to have a substantial interest in a concern if he contributes 20% of the voting rights of a trust. I hereby suggest that it should be reduced to 10%. Influence of a person counts in a concern and he plays a great part in it. So I think that it is too much and 10% is reasonable.

श्री लोबो प्रभु : सरकार ने मेरे संशोधन में कुछ सुधार करके उसे स्वीकार कर लिया है। मैंने कहा था कि यह 1 मार्च 1970 से लागू होना चाहिये था परन्तु सरकार ने इसको 1 जून 1970 कर दिया है। यह अच्छी बात है कि सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि आपराधिक व्यवस्थाओं में भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं किया जाना चाहिए।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैंने यह संशोधन दिया था कि यह 1 जुलाई 1970 से लागू होगा। प्रधान मंत्री महोदय ने इसकी मात्रा में परिवर्तन करके इसको स्वीकार कर लिया है। मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री बेणी शंकर शर्मा : चूंकि मेरा संशोधन सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है अतएव मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका : खंड 6 यह सूचित करता है कि सरकार का आशय न्यासधारियों पर शेयरों का मताधिकार तथा लगाये गये शयरों और निवेशों से अनुचित लाभ उठाने को रोकना है, अतएव मैं इन उपबन्धों को स्वीकार करता हूं।

कम्पनी अधिनियम की धारा 153 ख और 187 ख में यह व्यवस्था है कि यदि न्यास में 5 लाख अथवा 25 प्रतिशत के मूल्य का शेयर है, इनमें से जो भी कम है, मताधिकार का प्रयोग जनन्यासधारियों द्वारा किया जायेगा, इस आशय की व्यवस्था है कि न्यायधारी शेयर तथा कम्पनी में निवेश से लाभ न उठा सकें, इस खंड में एक विसंगति है जिसकी ओर मैं प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कुछ ऐसे निवेश हैं जोकि न्यासधारी उस धन में से लगाते हैं जोकि वे प्राप्त करते हैं और जिससे वे कम्पनियों के शेयर खरीदते हैं। एक अन्य प्रकार का निवेश वह है जहां दाता अपने शेयरों को दे देता है जोकि उनके पास होता है और जोकि वे न्यास को दे देता है। अतएव इसमें भेद हैं, धन का उपयोग शेयरों को खरीदने में नहीं किया जा रहा है परन्तु शेयरों को दान किया जा रहा है। अतएव इस प्रकार के शेयरों को अपवादस्वरूप नहीं छोड़ना चाहिये।

जैसाकि आप जानते हैं कि दाता बहुत से शेयर दान कर देते हैं क्योंकि वे उसे प्राप्त करते हैं और फिर दे देते हैं, जैसेकि मैंने कहा है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 153 ख और 187 (ख) ने यह मताधिकार ले लिया है, अतएव इसमें कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए, उप-खंड (2) (ज) के बारे में मैंने यह सुझाव दिया है कि नियोजन केवल ईक्विटी में होनी चाहिये। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये क्योंकि अधिमान अंशों और ऋण अथवा डिबेचरों को अलग कर दिया है तो निवेश किस रूप में होगा। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कठिनाई

रहेगी, अतएव मैंने यह सुझाव दिया है कि 'निवेश' शब्द के बाद 'ईक्विटी शेयर' जोड़ा जाये। मुझे आशा है कि मेरा सुझाव स्वीकार किया जायेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सिद्धान्ततः मुझे सिवाय इसके कुछ नहीं कहना है कि प्रधान मन्त्री का संशोधन एक अस्पष्ट रियायत है और उसमें उन बातों का उल्लेख नहीं है जोकि इनसे उठने वाली समूची कठिनाइयों से सम्बन्धित है ।

एक न्यास के पास शेयर हो सकते हैं क्योंकि अब तक निवेश पर पाबान्दी नहीं है। इसके पास ऐसे भी शेयर हो सकते हैं जिनको वह बेच नहीं सकता है। यदि किसी न्यास के शेयर हैं और कम्पनी खराब स्थिति में है तो कौन उनके शेयर खरीदेगा ।

श्री हिम्मतसिंहका ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। प्रधान मंत्री ने कल इसका उत्तर देते हुए कहा था कि इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का है कि न्यासधारी अपने धन को अन्य न्यासधारियों अथवा अपने निकट सम्बन्धियों की सहायता करने में न लगायें, परन्तु संशोधन के प्रारूप को देखने से पता चलता है कि यह केवल वहां तक सीमित नहीं है अपितु यदि वे ऐसे शेयरों को स्वीकार करते हैं जोकि ऐसे कम्पनियों के शेयर हैं जिनमें न्यासधारियों का हित है तो उनको दी हुई छूट समाप्त हो सकती है, मेरा प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस तरह के शेयरों को देने में कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : जो शेयर न्यासधारियों को विरासत में मिले हैं हो सकता है कि वे शेयर न्यासधारियों ने ही अपनी कम्पनियों में से ही दान के रूप में दिये हों और अब यदि उन्हें किसी निश्चित अवधि के अन्दर ही बेचना हो तो उनके कम दाम मिलेंगे और इससे न्यास को घाटा होगा ।

दूसरा, हम चाहते हैं कि न्यासधारियों को उन धर्मार्थ कार्यों के लिये धन व्यय करना है जिसके लिए न्यास का निर्माण किया गया है। परन्तु एक ऐसे मामले पर विचार करिये जिसमें एक व्यक्ति बहुत से अंश खरीद लेता है जिनमें 50 प्रतिशत चकता पुर्जों के होते हैं शेष 50 प्रतिशत इन शेयरों को खरीदने में लगाना पड़ता है। यदि न्यास इस पर कम करता है तो क्या इसको धर्मार्थ न्यास माना जायेगा ? इस शेयरों को वर्तमान कानून के अंतर्गत पहले ही ले लिया गया है और आधा भुगतान कर दिया गया है और शेष भुगतान अभी करना है तो क्या यह इस परिभाषा के अंतर्गत आयेगा और क्या इससे आय कर या छूट में हानि न होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है विशेषकर उनके लिये जोकि धर्मार्थ संस्थाएं चला रहे हैं, इन बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिये अन्यथा वे लोग असुरक्षा की भावना का शिकार हो जाएंगे जोकि धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान कर सकते हैं। मैंने इन बातों को उठाया है और मुझे आशा है कि आय कर में छूट के मामले में उनको हानि न होगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि मुझे संशोधन संख्या 647 और 648 प्रस्तुत करना पड़ेगा, मुझे इन संशोधनों पर अधिक कुछ नहीं कहना है, सरकार ने इनको प्रस्तुत करके उचित कार्य किया है तथा इससे उत्पन्न कठिनाइयों को कम से कम करने का प्रयत्न किया है

जैसेकि माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें हमने समय-सीमा निर्धारित की है हम समझते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन करने से धन अन्य कार्यों पर लगने की सम्भावना हो सकती है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई शेयरों के रूप में दान करता है तो क्या न्यास को आय कर में छूट मिलनी बन्द हो जाएगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में यह छूट मिलनी बन्द हो जाएगी, उनको अपने शेयर बेचने पड़ेंगे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधनों को वापिस ले लेने की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 355 से 358 तक सभा की अनुमति से वापिस लिए गए

The amendments Nos. 355 to 358 were, by leave, withdrawn

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेना चाहता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को सभा से अपने संशोधनों को वापिस ले लेने की अनुमति है।

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 314 और 315 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए

The amendments Nos. 314 and 315 were, by leave, withdrawn

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों को सभा की अनुमति से वापिस ले सकते हैं ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 700 से 702 तक सभा की अनुमति से वापिस लिए गए

The amendments Nos. 700 to 702 were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 98 और 99 मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 98 और 99 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 98 and 99 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधनों को छोड़कर अन्य संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री हिम्मतसिंहका का संशोधन संख्या 732 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 732 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 732 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 647 और 648 मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

647. पृष्ठ 7, पंक्ति 33 के बाद जोड़िये

"Provided further that in the case of a trust for religious purposes or a religious institution (whenever created or established) or a trust for charitable purposes or a charitable institution created or established before the commencement of this act, the provisions of sub-clause (ii) shall not apply to any use or application, whether directly or indirectly, of any part of such income or any property of the trust or institution for the benefit of any person referred to in sub-section (3) in so far as such use or application relates to my period before the 1st day of June 1970."

(पृष्ठ 7 पर पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िए—

"परन्तु यह और कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास या धार्मिक संस्था की दशा में (वह चाहे जब सृष्ट किया गया या स्थापित की गई हो) या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट या स्थापित पूर्त प्रयोजनों के लिए न्यास या पूर्त संस्था की दशा में उपखण्ड (ii) के उपबन्ध न्यास या संस्था की ऐसी आय के किसी भाग या किसी सम्पत्ति के उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोजन या प्रयोग वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक ऐसा उपयोजन या प्रयोग 1970 के जून के प्रथम दिन से पहले की किसी कालावधि के सम्बन्ध में हो ।")

648. पृष्ठ 8, पंक्ति 29 से 32 के स्थान पर रखिये—

"(h) if any funds of the trust or institution are, or continue to remain, invested for any period during the previous year (not being a period before the 1st day of January, 1971) in any concern in which any person referred to in sub-section (3) has a substantial interest.

(पृष्ठ 8 पर पंक्ति 29 से 32 तक के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए—

"(ज) यदि न्यास या संस्था की कोई निधियां पूर्व वर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए (जो कालावधि 1971 की जनवरी के प्रथम दिन से पूर्व की न होगी) किसी ऐसे समुत्थान में विनिहित की जाती है या बनी रहती हैं जिसमें उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति सारवान हित रखता है ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"
That clause 6, as amended, stand part of the Bill

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6, as amended, was added to the Bill

खण्ड 7

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 54 से 56 तक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 100 से 102 तक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 359 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 563 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 407 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी : (राजकोट) : मैं संशोधन संख्या 496 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 573 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 679 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 575 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : There is some improvement in the thinking of the Government. You will admit the fact that in the Income tax assessment the salaried class suffers much in comparison with others. The income tax of salaried class increases. He has no scope of tax evasion because it is taken away from his salary.

In an amendment, the conveyance allowance has been increased to Rs. 20. My amendment is that it should be Rs. 30. You know Government Employees live in big cities like Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. If some one comes from his house to Central Sectt, he will have to incur Re. 1 as fare and the same fare comes out in the suburban trains. So my amendment is that either Rs. 30 or the actual fare, whichever is less, may be admitted. When you are going to give exemption in this Bill then it should be in full. Liberal thinking may be given in the case of salaried class.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा संशोधन विधेयक में निहित मोटरकार, मोटर साइकिल तथा अन्य वाहनों को दिये जाने वाले भत्ते में सुधार लाने के लिये कुछ परिवर्तन लाने के बारे में है, इसमें मोटरकारों के लिये सवारी भत्ता 200 रुपये प्रति महीने रखा गया है, जबकि पहले के अधिनियम में यह 250 रुपये प्रति महीने है। मोटरकार की लागत तथा उसकी मरम्मत व देख-भाल पहले से बढ़ गई है। उसी प्रकार स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के लिए जो 50 रुपये और 20 रुपये क्रमशः रखे गए हैं, वे अपेक्षाकृत अपर्याप्त हैं। यदि कोई सुधार करना ही है तो वह उदार होना चाहिए।

अतः मैंने सुझाव दिया है कि मोटरकार भत्ता फिर से 250 रुपये कर दिया जाये तथा मोटर साइकिल भत्ता बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया जाये।

Shri Shiva Chandra Jha : In my amendment I have suggested that the persons who use scooter or cycles should be given an allowance of Rs. 200. There is no need of giving allowance of Rs. 200 to the motor car owners.

I have also to suggest in the amendment that the scooter allowance should be increased to Rs. 60. I also suggest that for the persons using public transport the amount should be Rs. 35 instead of Rs. 20.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक भत्ते देना उचित है। मेरा सुझाव है कि 50 रुपये के स्थान पर 75 रुपये किये जायें तथा 20 रुपये के स्थान पर 30 रुपये किये जायें।

श्री न० कु० सांघी : प्रधान मंत्री महोदया ने पहली बस या स्कूटर से यात्रा करने वाले गरीब लोगों को कुछ रियायत दी है। मेरा निवेदन है कि स्कूटर के सम्बन्ध में 75 रुपये निर्धारित होने चाहिए तथा सरकारी वाहनों का उपयोग करने वालों के लिये 30 रुपये होने चाहिए।

श्री वेणी शंकर शर्मा : पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण मोटरकार भत्ते को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर देना चाहिए। स्कूटर भत्ते में भी वृद्धि होनी चाहिए तथा उसे 100 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य व्यक्तियों को भी भत्ता 20 रुपये के स्थान पर 30 रुपये मिलना चाहिए।

Shri S. M. Banerjee : Sir, large number of persons in India use cycles and I request that sufficient relief should be given to these persons because of the fact that they are the middle group persons. I have mentioned in my amendment that for them there should be Rs. 35 instead of Rs. 20. There is no use of increasing the motor-car allowance. I feel it should be reduced to Rs. 100. I hope the Prime Minister would certainly accept my amendment.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन संख्या 101 और 102 तथा श्री स० मो० बनर्जी के संशोधन संख्या 575 को स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 7 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment No. 7 was, by leave, withdrawn

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 359 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment No. 359 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री देवकी नन्दन पाटोदिया के संशोधन संख्या 54, 55 और 56 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 54,55 और 56 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 54, 55 and 56 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिव चन्द्र झा के संशोधन संख्या 100 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 100 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 100 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिव चन्द झा के संशोधन संख्या 101 और 102 को मतदान के लिये रखता हूं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार ने श्री बनर्जी के संशोधन संख्या 575 को भी स्वीकार किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी वही है जो श्री शिव चन्द्र झा का है।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 10, पंक्ति 14 में

"50 रुपये" के स्थान पर "60 रुपये" रखा जाये [101]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 10, पंक्ति 15 में

"20 रुपये" के स्थान पर "35 रुपये" रखा जाय (102)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वेणी शंकर शर्मा के संशोधन संख्या 563 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 563 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 563 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the other amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7, as amended, was added to the Bill

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 407 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं अपना संशोधन संख्या 496 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 573 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं अपना संशोधन संख्या 679 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : महोदय ! भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति होनी चाहिये तथा सरकार भी चाहती है कि उद्योगों में अधिक धन लगाया जाए। मेरा निवेदन है कि सरकार ने विकास छूट को 35% प्रतिशत से घटाकर 25% कर दिया है जो अभी समय तथा औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं है। सरकार को इस छूट को फिर 35% कर देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि कम से कम चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक प्राथमिकता वाले उद्योगों को 35% ही विकास छूट दी जाये। मैंने स्वयं इस विषय में आंकड़े इकट्ठे किये थे तथा मुझे ज्ञात हुआ है कि विकास छट ही ऐसा प्रोत्साहन है जिसके सहारे उद्योगपति प्राथमिकता वाले उद्योगों में अधिक धन लगाते रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यह दर फिर 35% कर दी जाये।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : महोदय ! औद्योगिक विकास छूट का देश के औद्योगिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक ओर तो सरकार उद्योगों में प्रगति लाने का प्रयास करना चाहती है तथा दूसरी ओर विकास छूट की दर में कमी की जा रही है। महोदय ! विकास छट में कमी करने से उद्योगों के विकास को बहुत धक्का लगेगा। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को विकास छूट की दर फिर 35% ही कर दी जानी चाहिये तथा उसे 31 मार्च, 1965 से लागू किया जाना चाहिये। आशा है, प्रधान मंत्री महोदया मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगी।

श्री एस० आर० दामानी : हमारा देश विकासशील देश है तथा हमें अभी बहुत से उद्योगों की आवश्यकता है। अतः मेरा निवेदन है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये इस छूट को 5 वर्ष तक बनाये रखना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ये संशोधन विधेयक की सीमा से बाहर हैं तथा इनकी वर्तमान उपबन्धों से कोई संगति नहीं है। विकास छूट को स्थायी व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता। यह मान लेना उचित नहीं है कि प्राथमिकता वाले उद्योगों में लोग इस कारण धन नहीं लगायेंगे क्योंकि सरकार उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है। उन्हें अन्य प्रकार से पर्याप्त लाभ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 407 और 573 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 407 और 573 मतदान के लिए रखे गए अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 407 and 573 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 496 और 679 मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 496 और 679 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 496 and 679 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7-क चूंकि नया खण्ड है तथा सम्मिलित करने से सम्बन्धित सभी संशोधन अस्वीकृत हो गये हैं अतः इसे मतदान के लिये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

खण्ड 8

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 517 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपना संशोधन संख्या 704 प्रस्तुत करता हूं।

महोदय ! मेरा निवेदन है कि किसी छूट को भूतलक्षी प्रभाव से वापस लेना कानूनी सिद्धांतों के अनुसार उचित नहीं है। अतः यदि सरकार को आयकर की छूट वापस लेनी है तो उसे वर्तमान काल से लागू करना चाहिये।

श्री वेणी शंकर शर्मा : महोदय ! मेरा संशोधन भी वही है जो श्री साल्वे का है। सरकार ने माना है कि ऐसे मामलों में कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जायेगा। अतः मैं प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इसे भी वर्तमान काल से ही लागू किया जाय।

श्री एस० आर० दामानी : आपको याद होगा कि जापान को हमारे लौह अयस्क का निर्यात 1979 तक होना है। ऐसी स्थिति में इस प्रोत्साहन को भूतलक्षी प्रभाव से हटाना उचित नहीं रहेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वस्तुओं के निर्यात आदि पर भारत में हुए व्यय को निर्यात बाजार विकास सम्बन्धी भत्ते की श्रेणी में, रखने का कभी निश्चय नहीं किया गया था।

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय निर्यातकर्ताओं ने कटौती के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किये थे अतः इसको भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक है। इन संशोधनों को स्वीकार करना कठिन है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं अपना संशोधन संख्या 704 वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 704 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment No. 704 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 517 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 517 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 517 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 103 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 103 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 103 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9 was added to Bill

खण्ड 10

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 57,58 और 59 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 104 तथा 105 प्रस्तुत करता हूं।

श्री न० कु० सांघी : मैं अपने संशोधन संख्या 415 तथा 416 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं अपने संशोधन संख्या 518 और 519 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं अपना संशोधन संख्या 675 प्रस्तुत करता हूं। महोदय एक ओर तो प्रधान मंत्री महोदया ने बजट प्रस्तुत करते समय यह घोषणा की थी कि निगमित कर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है तथा दूसरी ओर उन्होंने कम्पनियों द्वारा देश के विभिन्न भागों से आने वाले अतिथियों के सत्कार करने के सम्बन्ध में कम्पनियों को दिये जाने वाले विभिन्न भत्तों की दरों में कमी कर दी है। कम्पनियों को अतिथि सत्कार पर खर्च करना ही पड़ता है क्योंकि इसके बिना उनके उद्योग में वृद्धि होना कठिन है। जब सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों को इस प्रकार का भत्ता दिया जाता है तो कम्पनियों को यह भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन है कि जिन कारखानों के आस-पास 10 मील दूर तक कोई होटल आदि की व्यवस्था नहीं है उन्हें अतिथियों के मनोरंजन से सम्बन्धित भत्ते मिलने चाहिये। प्रधान मंत्री महोदया का यह कहना उचित नहीं है कि वे लोग पर्याप्त लाभ कमा रहे हैं अतः वे स्वयं इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। निगमित क्षेत्र के उद्योगों के पास कर आदि चुका कर इतना धन नहीं बचता जिसे वह फिर उद्योग में लगा सकें। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोई लाभ नहीं हो रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार फिर इस बात पर विचार करे।

श्री नन्दकुमार सोमानी : सरकार ने इस बार मनोरंजन तथा अतिथि गृहों को बलि का बकरा बनाने के लिये चुना है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अधिक राशि प्राप्त नहीं होने वाली तथापि यह सवाल व्यापार को सुचारुरूप से चलाने से सम्बन्धित है तथा कम्पनियों का यह कानूनी हक है कि उन्हें इसकी सुविधा हो जाये।

प्रधान मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि चाहे कैसी भी कम्पनी अथवा वाणिज्यिक संस्था हो, उसे विदेशों से आने वाली अपनी आसामियों का मनोरंजन करना ही पड़ता है और उस पर धन राशि तो खर्च होती है। अतः मैं नहीं समझता कि इस संदर्भ में यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया

गया है। कल को सरकार यूं भी कहने लगेगी कि कार्यालय के वातानुकूलन, सज्जा आदि पर भी खर्च करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह माना जायेगा कि इसकी कोई सीमा तो निश्चित की जाये परन्तु यह प्रतिबन्ध न्यायोचित अनुपात में होना चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि यदि कोई कम्पनी कुल मिलाकर 1 करोड़ 70 लाख रुपये का लाभ कमाती है तो उसे केवल 30,000 रुपये खर्च करने की ही अनुमति दी जाती है। अब या तो सरकार मनोरंजन करने की अनुमति ही न दे या फिर इस न्यायोचित सुविधा को जारी रहने दे।

दूसरे, यदि कुछ व्यापारिक संस्थाएं अपने अतिथि-गृहों का दुरुपयोग करते हैं तो इस का यह अर्थ नहीं है कि शेष सभी संस्थाओं से भी यह सुविधा छीन ली जाये। लगता है कि जैसे सरकार इन अतिथि गृहों को धराशायी करना चाहती है। परन्तु यहीं दिल्ली में ही अनेक राज्य सरकारों के भी अतिथि गृह हैं। यहां इन अतिथि-गृहों में लोग व्यर्थ ही अपना समय और धन गंवाने नहीं आते। अतः यह कहना उचित नहीं है कि कोई अतिथि गृह नहीं रहने दिया जायेगा। कुछ लोगों द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग किये जाने पर आप अन्य सभी को उसका दण्ड नहीं दे सकते। अतः मेरा अनुरोध हैं कि मेरे ये संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

Shri Shiv Chandra Jha: The Guest Houses are all a waste and the Government should be very strict in this regard and no exemption or relaxation should be given.

Secondly the limit of 100 employees and also number of 180 days should be reduced to 75 and 90 respectively. This is what I want through my amendments.

श्री हिम्मतसिंहका : उप-खण्ड (2बी) में संशोधन देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है। वर्तमान धारा 57 में व्यवस्था है कि यदि किसी कम्पनी का लाभ 10 लाख रुपये हो तो उसे मनोरंजन पर 5,000 रुपये खर्च करने की अनुमति है और यदि वह कम्पनी 15,00,000 रुपये का लाभ कमाती है तो उसे 15,000 रुपये खर्च करने की अनुमति है। और यदि कोई लाभ नहीं है तो वह कम्पनी मनोरंजन पर कोई खर्च नहीं कर सकती। वस्तुतः किसी कम्पनी द्वारा व्यापार के सिलसिले में अतिथियों अथवा अपने ग्राहकों के मनोरंजन के लिये छूट को वापस ले लेना सर्वथा अनुचित है। यह छट दी जाती रहनी चाहिये।

श्री न० कु० सांघी : कल प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह मनोरंजन व्यय के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु उस पर कर लगाया जाना चाहिए। जिन लोगों पर कर लगाया जा सकता है। वे तो फिर भी मनोरंजन पर खर्च करते रहते हैं परन्तु उन छोटे व्यापारियों तथा दुकानदारों का क्या होगा जिनकी आय बहुत थोड़ी है ? उनके लिये यह कर बड़े परेशानी पैदा करेगा। अतः मैने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि लाभ का हिसाब करते समय सरकार 5000 रुपये के खर्च की अनुमति है।

पहले 1955 में यह खर्च 1.70 करोड़ रुपये पर 1 लाख रुपये था, फिर घटकर 60,000 रुपये हुआ तथा फिर केवल 30,000 रह गया। अब छोटे व्यापारियों तथा दुकानदारों को तो मनोरंजन खर्च करने की अनुमति ही नहीं है। उनको भी तो यह खर्च करना पड़ता है, अतः यह अनुमति दी जानी चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन इस आशय का है कि ऐसे मामलों में अतिथिगृह रखने की अनुमति दी जानी चाहिये, जहां होटल-निवास उपलब्ध नहीं हैं या वह स्थान बहुत दूर है।

श्री बेनी शंकर शर्मा : अपने संशोधन संख्या 519 के बारे में मेरा निवेदन है कि यदि सरकार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अतिथि गृह बनाने की अनुमति देती है तो घाटसिला स्थित इण्डियन कापर को क्यों नहीं ? इसी प्रकार के अन्य भी कई उदाहरण हैं। इस संबंध में असमानता क्यों ? जहां दूसरे अतिथि गृह उपलब्ध हैं तब तो ठीक है परन्तु नगर से दूर स्थित चीनी मिलों तथा चाय बागान में तो अतिथि गृहों की अनुमति दी जानी चाहिये।

जहां तक मनोरंजन व्यय का प्रश्न है सो अतिथि सत्कार करना तो भारत की परम्परा रही है। यदि कोई व्यापारी इस पर कुछ धन खर्च करता है तो उसे क्यों रोका जाता है। धारा 37 के अधीन प्रदत्त इन सुविधाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। हां, उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन स्थानों के लिये क्या करेगी, जहां कोई होटल अथवा अन्य आवास व्यवस्था नहीं है ? क्या किसी कारखाने को अतिथि-गृह बनाया जा सकता है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : समृद्ध देश में खर्चराशि को कम करने के बारे में विचार करने लगे हैं। जहां तक सरकारी अतिथि गृहों का संबंध है, उनकी संख्या भी यथासम्भव कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अब तक जो संशोधन पेश किये गये हैं, वे विधेयक की इस भावना के विपरीत हैं कि मनोरंजन पर अत्याधिक खर्च को कम किया जाए और इसी लिये ये संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

वैसे तो खर्च पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि यह कर घटाने योग्य है अथवा नहीं।

182 दिन को घटाकर 90 दिन करने के श्री शिवचन्द्र झा के संशोधन की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक के साथ जोड़ दिया गया
Clause 10 was added to the Bill

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 316 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि :

(649) Page 12, for lines 5 to 8, substitute—

Amendment of Chapter IV-E relating to capital gains.

11. In Chapter IV-E of the Income-tax Act,—

(a) in section 45, for the words and figures "Sections 53 and 54", the words, figures and letter "sections 53, 54 and 54B" shall be substituted ;

(b) in section 47, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(viii) any transfer of agricultural land in India effected before the 1st day of March, 1970." ;

(c) after section 54A, the following section shall be inserted, namely :—

Capital gain on transfer of land used for agricultural purposes not to be charged in certain cases.

"54B. Where the capital gain arises from the transfer of a capital asset being land which, in the two years immediately preceding the date on which the transfer took place, was being used by the assessee or a parent of his for agricultural purposes, and the assessee has, within a period of two years after that date, purchased any other land for being used for agricultural purposes, then, instead of the capital gain being charged to income-tax as income of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt with in accordance with the following provisions of this section, that is to say—

(i) if the amount of the capital gain is greater than the cost of the land so purchased (hereinafter referred to as the new asset), the difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under section 45 as the income of the previous year ; and for the purpose of computing in respect of new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its purchase, the cost shall be nil ; or

(ii) if the amount of the capital gain is equal to or less than the cost of the new asset, the capital gain shall not be charged under section 45 ; and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its purchase, the cost shall be reduced by the amount of the capital gain."

पृष्ठ 13 पर पंक्ति 22 से 25 तक के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये :

पूंजी अभिलाभ से संबंधित अध्याय IV ङ का संशोधन

II. आयकर अधिनियम के अध्याय IV ङ में,—

(क) धारा 45 में "धारा 53 और 54" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "धारा 53, 54 तथा 54 ख" शब्द, अंक और अक्षर पढ़िये ;

(ख) धारा 47 में खण्ड (Vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(viii) भारत में की किसी कृषि भूमि का 1970 के मार्च के प्रथम दिन के पूर्व किया गया कोई अन्तरण।";

(ग) धारा 54क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाएगी अर्थात्

कृषिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त भूमि के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का प्रभारित न किया जाना।

"54 ख—जहां पूंजी अभिलाभ ऐसी पूंजी आस्ति के अन्तरण से उदभूत होता है जो ऐसी भूमि है जो उस तारीख से, जिसको अन्तरण हुआ, ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान निर्धारिती द्वारा या उसके माता-पिता द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रही है और निर्धारिती ने उस तारीख के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर कोई अन्य भूमि, कृषिक प्रयोजनों के लिए क्रय करली है, वहां पूंजी आस्ति को उस पूर्व वर्ष की, जिसमें अन्तरण हुआ, आय के रूप में आयकर से प्रभारित करने के बजाय उसके संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात्, :

(i) यदि पूंजी आस्ति की रकम ऐसे क्रय की गई भूमि की (जिसे इसमें उसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है। लागत से अधिक है तो पूंजी अभिलाभ की रकम तथा नई आस्ति की रकम के बीच का अन्तर पूर्व वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित किया जाएगा ; और नई आस्ति के क्रय किये जाने से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अन्तरण से उद्भूत होने वाले उस आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिये लागत शून्य होगी ; अथवा

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम नई आस्ति को लागत के बराबर या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा और नई आस्ति के क्रय किये जाने से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अन्तरण से उद्भूत होने वाले इस आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए उसकी लागत में से पूंजी अभिलाभ की रकमें घटा दी जायेंगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा संशोधन स्पष्टीकरण इस प्रकार का है । विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जिस कृषि भूमि का हस्तान्तरण 1 मार्च, 1970 से पहले हुआ हो, केवल उसी के बारे में छूट दी जायेगी । मेरा विश्वास है कि इस उपबंध के पीछे यही भावना निहित है कि सभी उचित हस्तान्तरणों में यह छूट उपलब्ध होगी । अतः अपने संशोधन द्वारा मैं चाहता हूं कि चाहे हस्तान्तरण वस्तुतः हुआ हो अथवा नहीं, यदि 1 मार्च, 1970 से पहले हस्तान्तरण के लिये करार हुआ है तो यह करार हस्तान्तरण ही माना जाये और ऐसे करार के संबंध में भी यह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु : खण्ड 2 के अधीन चर्चा करते समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि उस परिभाषा से किसी को हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि यह तो 1,50,000 रुपये के मूल्य से अधिक पर लागू होगी । वस्तुस्थिति यह है कि पूंजी लाभों के बारे में रियायत की राशि केवल 5,000 रुपये है, अतः इससे धनिक गरीब सभी को हानि होगी । मैं प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से इस बारे में पूर्णविचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि गरीब लोगों को हानि न पहुंचे ।

दूसरे, यदि सरकार कृषि भूमि पर पूंजी-लाभ कर लगाती है तो इसके दो परिणाम होंगे । पहला यह कि ऐसी कृषि भूमि काफी कम हो जायेगी और यह गृह-निर्माण के लिये उपलब्ध नहीं होगी । दूसरा परिणाम यह होगा कि भूमि को कम मूल्य बताकर बेचने की वर्तमान प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा । आजकल भी टिकट-शुल्क जैसा छोटा कर बचाने की कोशिश की जाती है तथा इस अधिनियम के बाद बड़े करों का अपवंचन होगा । भूमि-मूल्यों का पूरी तरह अवमूल्यन हो जायेगा तथा भूमि की बिक्री बन्द हो जायेगी ।

तीसरे, हमें पूंजी लगा-कर के रूप में बहुत कम राशि प्राप्त होती है । सरकार को इस छोटी सी राशि के लिये नगरों की आवास भूमियों पर ये नये प्रतिबंध नहीं लगाते जाना चाहिये ।

मैंने सचिवालय से सलाह ली थी कि क्या यह कृषि भूमि सभी भूमि को कहा जा सकता है या कि वह भूमि जिसका उल्लेख खण्ड 2 में किया गया है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि "कृषि भूमि" शब्द सभी भूमियों के लिये प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया और सरकार ने इसका अनुकरण किया तो देश में कोई भी व्यक्ति बिना कर दिये ही 5000 रुपये से अधिक मूल्य की भूमि को कभी बेच नहीं सकेगा । यह बहुत ही बुरा होगा और समाजवादी होने का दम भरने वाली किसी भी सरकार के लिये अच्छा न होगा । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री मेरे इन तर्कों से सहमत होंगी तथा देश के उन गरीब लोगों के प्रति है सहृदयता से काम लेंगी जिनके पास बहुत थोड़ी सी कृषि भूमि हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य अपना संशोधन स्वीकार कराने के लिये बड़ा प्रयास कर रहे हैं, परन्तु माननीय सदस्य तो जानते हैं कि 5000 रुपये तक तो पूरी छूट है और इससे ऊपर कर 1.55 प्रतिशत है । अब सरकार उस भूमि के हस्तान्तरण पर पूंजी-लाभ में छूट देना चाहती है जो नगर पालिका या शहरी क्षेत्रों में है और जिसे कर देने वाला या उसके माता-पिता इस भूमि के हस्तान्तरण से दो वर्ष पहले तक कृषि के उद्देश्यों के लिये इसको उपयोग

में लाते रहे थे बशर्ते कि कर देने वाले ने उस तारीख के दो वर्ष के भीतर कोई और भूमि कृषि प्रयोजनों के लिये ले ली हो।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60 तथा 316 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 60 and 316 were put and negatived

649. Page 12, **for** lines 5 to 8, **substitute—**

Amendment of Chapter IV-E relating to capital gains.

11. In Chapter IV-E of the Income-tax Act,—

(a) in Section 45, for the words and figures "Sections 53 and 54" the words, figures and letter "Sections 53, 54 and 54B" shall be substituted;

(b) in Section 47, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(viii) any transfer of agricultural land in India effected before the 1st day of March, 1970.";

(c) after Section 54A, the following section shall be inserted, namely:—

Capital gain on transfer of land used for agricultural purposes not to be charged in certain cases.

"54B. Where the capital gain arises from the transfer of a capital asset being land which, in the two years immediately preceding the date on which the transfer took place, was being used by the assessee or a parent of his for agricultural purposes, and the assessee has, within a period of two years after that date, purchased any other land for being used for agricultural purposes, then, instead of the capital gain being charged to income-tax as income of the previous year in which the transfer took place, it shall be dealt with in accordance with the following provisions of this section, that is to say,—

(i) if the amount of the capital gain is greater than the cost of the land so purchased (hereinafter referred to as the new asset), the difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under Section 45 as the income of the previous year; and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its purchase, the cost shall be nil; or

(ii) if the amount of the capital gain is equal to or less than the cost of the new asset, the capital gain shall not be charged under Section 45; and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its purchase, the cost shall be reduced by the amount of the capital gain."

पृष्ठ 13 पर पंक्ति 22 से 25 तक के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए :-

पूंजी अभिलाभ से सम्बन्धित अध्याय IV ङ का संशोधन ।

II. आयकर अधिनियम के अध्याय IV ङ में, —

(क) धारा 45 में "धारा 53 और 54" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "धारा 53, 54 तथा 54 ख" शब्द, अंक और अक्षर पढ़िए ;

(ख) धारा 47 में खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

(viii) भारत में की किसी कृषि भूमि का 1970 के मार्च के प्रथम दिन के पूर्व किया गया कोई अन्तरण । ;

(ग) धारा 54 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

कृषिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का प्रभारित न किया जाना ।

'54ख-जहां पूंजी अभिलाभ ऐसी पूंजी आस्ति के अन्तरण से अद्भूत होता है जो ऐसी भूमि है जो उस तारीख से, जिसको अन्तरण हुआ, ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान निर्धारिती द्वारा या उसके माता-पिता द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रही है और निर्धारिती ने उस तारीख के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर कोई अन्य भूमि, कृषिक प्रयोजनों के लिए क्रय करली है वहां पूंजी आस्ति को उस पूर्व वर्ष की, जिसमें अन्तरण हुआ, आय के रूप में आयकर से प्रभारित करने के बजाय उसके संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात्,-

(i) यदि पूंजी आस्ति की रकम ऐसे क्रय की गई भूमि की (जिसे इसमें उसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है । लागत से अधिक है तो पूंजी अभिलाभ की रकम तथा नई आस्ति की रकम के बीच का अन्तर पूर्व वर्ष की आय के रूप में धारा 45 के अधीन प्रभारित किया जाएगा; और नई आस्ति में क्रय किए जाने से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अन्तरण से उद्भूत होने वाले उस आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत शून्य होगी; अथवा

(ii) यदि पूंजी अभिलाभ की रकम नई आस्ति की लागत के बराबर या उससे कम है तो पूंजी अभिलाभ धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा और नई आस्ति के क्रय किए जाने से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उसके अन्तरण से अद्भूत होने वाले इस आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए उसकी लागत में से पूंजी अभिलाभ की रकम घटा दी जाएगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 11 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11, as amended, was added to the Bill

खण्ड 12

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 106 तथा 107 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 106 तथा 107 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments Nos. 106 and 107 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मेरा संशोधन संख्या 363 सरकारी संशोधन संख्या 650 की तुलना में केवल कुछ शब्दों के हेरफेर के सिवाय बिलकुल वैसा ही है । सभा ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया, यह प्रसन्नता की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 363, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया
The amendment No. 363, was by leave, withdrawn

संशोधन किया गया
Amendment made

पृष्ठ 14 पर पंक्ति 27 से 29 तक के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए :–

धारा 80 (छ) का संशोधन ।

13—आय-कर अधिनियम की धारा 80 छ में,

(क) उपधारा (5) के खण्ड (i) में, "खण्ड (22)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या खण्ड (22क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण 2–शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि किसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती किसी ऐसी संस्था या निधि को, जिसे उपधारा (5) लागू होती है, दिए गए किसी दान की बाबत हकदार है, निम्नलिखित में से किसी एक अथवा दोनों कारणों से ही इन्कार नहीं किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) धारा 11 के किसी उपबन्ध का पालन न किए जाने के कारण संस्था अथवा निधि की आय का कोई भाग दान के बाद कर प्रभार्य हो गया है;

(ii) संस्था या निधि 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी विनिधान से होने वाली किसी आय के सम्बन्ध में धारा 11 के अधीन दी जाने वाली छूट से धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन उस दशा में इन्कार किया जाता है जब उसके द्वारा उक्त खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किसी समुत्थान में विनिहित निधियों का योग उस समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक न हो ।

650. Page 13, **for** lines 7 to 10, **substitute**—

Amendment of Section 80G.

'13. In Section 80G of the Income-tax Act,—

(a) in clause (1) of sub-section (5), after the word, brackets and figures "clause (22)", the words, brackets, figures and letter "or clause (22A)" shall be inserted ;

(b) for Explanation 2, the following Explanation shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1971, namely :—

"Explanation 2.—For the removal of doubts, it is hereby declared that a deduction to which the assessee is entitled in respect of any donation made to an institution or fund to which sub-section (5) applies shall not be denied merely on either or both of the following grounds, namely :—

(i) that, subsequent to the donation, any part of the income of the institution or fund has become chargeable to tax due to non-compliance with any of the provision of Section 11;

(ii) that, under clause (c) of sub-section (1), of section 13, the exemption under Section 11 is denied to the institution or fund in relation to any income arising to it from any investment referred to in clause (h) of sub-section (2) of section 13 where the aggregate of the funds invested by it in a concern referred to in the said clause (h) does not exceed five per cent of the capital of that concern."

(Shrimati Indira Gandhi)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 13 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13, as amended, was added to the Bill

खण्ड 14

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं अपने संशोधन संख्या 61 और 62 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 108 और 109 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 317 और 318 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : 8-पृष्ठ-5 पर पंक्ति 15 में से "या" का लोप कर दें।

9-पृष्ठ 15 पर पंक्ति 21 के अंत में "या" जोड़ दें।

10-पृष्ठ 16 पर पंक्ति 21 के पश्चात् निम्न-लिखित जोड़ दें :–

"(vii) किसी ऐसे वित्तीय निगम के पास निक्षेपों पर ब्याज जो" भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था में लगा है, और जो धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (vii) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।

651. Page 13, line 29, **omit** "or".

652. Page 13, **for** line 35, **substitute** "(development bank) ; or"

653. Page 13, after line 35, insert—

"(vii) interest on deposits with a financial corporation which is engaged in providing long-term finance for industrial development in India and which is approved by the Central Government for the purposes of clause (viii) of sub-section (1) of section 36,".

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे संशोधन बड़े ही साधारण हैं तथा इनका उद्देश्य विधेयक सक्षमता को बढ़ाने का प्रयास है। मैं चाहता हूं कि शब्द "इंडियन कम्पनी" अर्थात भारतीय कम्पनी के स्थान पर "डुमैस्टिक कम्पनी" अर्थात् घरेलू कम्पनी शब्द रख दिया जाये क्योंकि घरेलू कम्पनी में भारतीय कम्पनी भी शामिल है।

जमा ब्याज और भारतीय कम्पनियों से अर्जित लाभांश को तो खण्ड 14 में शामिल कर लिया गया है परन्तु प्रधान मंत्री डिबेन्चर पर ब्याज को शामिल करना भूल गईं। जिस प्रकार शेयरों का क्रय बड़ा महत्वपूर्ण है उसी प्रकार किसी घरेलू कम्पनी के डिबेन्चरों को भी इस खण्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिये। यही मेरे दूसरे संशोधन का आशय है।

Shri Shiva Chandra Jha : The exemption limit of Rs. 1000 on the income of the Unit Trust of India is being increased to Rs. 3,000. It has caused jubilation in the stock market. My amendment is that instead of increasing this limit, it should be reduced to Rs. 500 only. This exemption should not be more than Rs. 500/-.

श्री लोबो प्रभु : हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में कम्पनियों, निगमों तथा सरकार के अतिरिक्त गैर-सरकारी संस्थानों, भू-सम्पत्तियों, कृषि तथा उद्योग का भी हाथ है। यदि केवल कम्पनियों और सरकार को ही पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहन दिया गया तो यह अन्य पूंजी-निवेश करने वालों के प्रति न्याय न होगा। इसलिये गृह-निर्माण और व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक तथा कृषि सुधारों को भी खण्ड 14 में सम्मिलित किया जाना चाहिये। उनको भी पूंजी-निवेश में प्रोत्साहित करके समुहिक छूट दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में असमानता बरतना ठीक न होगा। अतः प्रधान मंत्री मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लें।

मेरा दूसरा संशोधन 3000 रु० तक की छूट देने से संबंधित है।

आप जानते ही हैं कि जब आय 15 लाख रुपये होती है तो इस पर 143 प्रतिशत तथा 20 लाख होने पर 194 प्रतिशत कर लगाया जाता है। उपरोक्त कर कर-सीमा से बाहर हैं क्योंकि 100 प्रतिशत से अधिक कर लगाने का अर्थ है कि उस सम्पत्ति को ही जब्त कर लेना। इससे संविधान के अनुच्छेद 19 की भावना को ठेस पहुंचती है जिसमें सम्पत्ति रखने का अधिकार देने की व्यवस्था है। ऐसा करने से न्यायालय भी यही कहेगा कि सरकार कर के नाम पर सम्पत्ति को ही हड़प लेना चाहती है। यह बड़ी ही गम्भीर बात है। प्रधान मंत्री इन दो आधार भूत बातों पर ध्यान दें। इस उपबन्ध के द्वारा सरकार संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयास न करें।

श्रीमती इंदिरा गांधी : श्री पाटोदिया के संशोधन को यदि स्वीकार कर लिया जाता है

तो इससे उपबन्ध बहुत व्यापक हो जायेगा और यह विधेयक के आशय के विरुद्ध होगा। अतः यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री लोबो प्रभु का संशोधन संख्या 617 उपबन्ध में निहित आशय के विरुद्ध है। अतः इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आयकर तथा धनकर के मिश्रित मामले के बारे में अत्यधिक सीमा निर्धारित करने का जो प्रस्ताव है, वह आय तथा सम्पत्ति को कुछ हाथों में जमा होने से रोकने के हमारे उद्देश्यों के विरुद्ध है। इस मामले के बारे में यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी है। अतः यह संशोधन भी हमें स्वीकार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 61, 62, 108, 109, 317 और 318 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 61, 62, 108, 109, 317 and 318 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

651 पृष्ठ 13

पंक्ति 29 में 'या' शब्द हटा दिया जाये।

652 पृष्ठ 13

पंक्ति 35 के स्थान पर development bank; or विकास बैंक; या शब्द रख दिये जायें।

653 पृष्ठ 13,

पंक्ति 35 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

(vii) interest on deposit with a financial corporation which is engaged in providing long-term finance for industrial development in India and which is approved by the Central Government for the purposes of clause (viii) of sub-section (1) of Section 36.

10—पृष्ठ 15 पर पंक्ति 21 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ दें :—

"(vii) किसी ऐसे वित्तीय निगम के पास निक्षेपों पर ब्याज जो" भारत में औद्योगिक विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था में लगा है, और जो धारा 36 की उप-धारा (1) के खण्ड (vii) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 14 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended, was added to the Bill

खण्ड 15 (धारा 80 ड का संशोधन)

संशोधन किया गया

654 पृष्ठ 14, पंक्ति 26

and (vi) और (vi) के स्थान पर '(vi) और (vii)' रख दिये जायें ।

(श्रीमती इन्दिरा गांधी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15, as amended, was added to the Bill

खण्ड 16 (धारा 80 ड ड का संशोधन)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

655

(धारा 80 ड ड का संशोधन)

पृष्ठ 14

पंक्ति 27 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

In section 80MM of the Income-tax Act, in sub-section (1) for the portion beginning with the words "under an agreement" and ending with the words "total income of the assessee", the following shall be substituted, namely:—

(आयकर अधिनियम की धारा 80 ड ड में उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 407 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : भारतीय कम्पनियों द्वारा तकनीकी शुल्क के लिए राजस्व के रूप में जो आय की जाती है उसमें उनको कुछ रियायत दी गई है, परन्तु यह रियायत वैज्ञानिकों, तकनीशनों और वित्तीय विशेषज्ञों को नहीं दी गई है । इस भेदभाव को समाप्त कर यह रियायत उक्त व्यक्तियों तथा फर्मों को भी दी जानी चाहिए । मेरे दोनों संशोधनों में यही बात कही गई है । आशा है सरकार इनको स्वीकार करेगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से उपबन्ध में निहित उद्देश्य का उदोकन होगा । अतः इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता । जहां तक श्री पाटोदिया के संशोधनों का सम्बन्ध है । यह रियायत भारतीय कम्पनियों को इसलिये उपलब्ध है क्योंकि उनको कम्पनी कानून के अन्तर्गत रहना पड़ता है । उनके लेखों की अर्हता प्राप्त चार्टर्ड लेखापालों

द्वारा जांच की जाती है । अन्य फर्मों को कम्पनी कानून के अनुशासन में नहीं रहना होता, एक कारपोरेट निकाय को प्रबन्ध दक्षता तथा वित्त उपलब्ध होता है जिसका वह अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रयोग कर सकता है । अत: इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 110 और 497 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 110 and 497 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

In section 80MM of the Income-tax Act, in sub-section (1) for the portion beginning with the words "under an agreement" and ending with the words "total income of the assessee" the following should be substituted, namely,—

(आयकर अधिनियम की धारा 80 ड ड की उप-धारा (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जायेगी अर्थात् :—

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16, as amended, was added to the Bill

खण्ड 16-क

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 498 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 498 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 498 was put and negatived

खण्ड 17-20

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 से 20 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 17 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 17 to 20 were added to the Bill

खण्ड 21

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 111 और 112 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 319 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 364 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

656 पृष्ठ 16

पंक्ति 31 और 32 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :—

"or members were mainly dependent on the settler for their support and maintenance : or

(vii) the relevant income is receivable by the trustees on behalf of a provident fund, superannuation fund gratuity fund, pension fund or any other fund created **bona-fide** by a person carrying on a business or profession exclusively for the benefit of persons employed in such business or profession,".

पृष्ठ 19, पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें--

"और भरण पोषण के लिये मुख्यतः व्यवस्थापक पर आश्रित थे ; और

(iv) सुसंगत आय किसी कारबार अथवा वृत्ति में नियोजित व्यक्तियों के अनन्यतः फायदे के लिये ऐसा कारबार अथवा वृत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक सृष्टि किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान निधि पेशन निधि, या किसी अन्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त है," ।)

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : विधेयक के उपबन्धों के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें न्यासों को 65 प्रतिशत कर देना पड़ेगा । मेरा संशोधन यह है कि यह उपबन्ध उन न्यासों पर लागू नहीं होना चाहिये जो कर्मचारियों तथा मजदूरों के लाभ के लिये बनाये गये हैं । आशा है प्रधान मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगी ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : प्रधान मंत्री ने अपने संशोधन 656 में मेरे संशोधन 364 के अधिकांश भाग को ले लिया है । अतः मैं उनका धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री कोठारी यह पहले ही बता चुके हैं कि मैंने उनके संशोधन का अधिकांश भाग अपने संशोधन में ले लिया है । श्री झा चाहते हैं कि कर को 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाये । ऐसा करना उचित नहीं है । अतः उनके संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : सरकार के संशोधन को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 63, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

Amendment No. 63 was, by leave, withdrawn

श्री लोबो प्रभु : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 319, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

The amendment No. 319 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 111, 112 और 364 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 111, 112 and 364 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकार द्वारा दिये गये संशोधन संख्या **656** को सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

656. पृष्ठ 16 पंक्ति 31 और 32 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये:—

or members were mainly dependent on the settler for their support and maintenance ; or

(iv) the relevant income is receivable by the trustees on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bonafide by a person for the benefit of persons employed in such business or profession.;

पृष्ठ 19, पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :—

"और भरण-पोषण के लिये मुख्यतः व्यवस्थापक पर आश्रित थे ; और

(iv) सुसंगत आय किसी कारबार अथवा वृत्ति में नियोजित व्यक्तियों के अनन्यतः फायदे के लिये ऐसा कारबार अथवा वृत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भाव-पूर्वक सृष्ट किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या किसी अन्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्य है," ।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 21, as amended, was added to the Bill

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 22 was added to the Bill

खण्ड 23

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

657. पृष्ठ 18 पंक्ति 11, Clause 'खण्ड' के स्थान पर Clauses 'खण्ड', पढ़ा जाये ।

658. पृष्ठ 18, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

(vii) to such income credited or paid in respect of deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act), or with a cooperative society engaged in carrying on the business of banking (including a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank).

(पृष्ठ 20 पर पंक्ति 31 में "किया जायगा," के स्थान पर "किए जाएंगे," पढ़ें तथा पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दें :

(vii) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी ऐसी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (...जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंक या बैंककारी संस्था भी है) अथवा बैंककारी के कारबार में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि बन्धक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी हैं), निक्षेपों की बाबत नाम जमा की गई या संदत्त की गई है।")

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

657. पृष्ठ 18, पंक्ति 11, Clause (खण्ड) शब्द के स्थान पर Clauses (खण्ड) पढ़ा जाये ।

658. पृष्ठ 18, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

(vii) to such income credited or paid in respect of deposits with a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or with a Cooperative Society engaged in carrying on business of banking (including a co-operative land mortgage bank or a co-operative land development bank).

(पृष्ठ 20 पर पंक्ति 31 में "किया जायगा," के स्थान पर "किए जायेंगे," पढ़ें तथा पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दें :

"(vii) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी ऐसी बैंककारी कम्पनी में जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (...जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंक या बैंककारी संस्था भी है) अथवा बैंककारी के कारबार में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत सहकारी भूमि बन्धक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी हैं), निक्षेपों की बाबत नाम जमा की गई या संदत्त की गई है।" ।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 23, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 23, संशोधितरूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23, as amended, was added to the Bill

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24 was added to the Bill

खण्ड 25

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 306 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री न० कु० सांघी : मैं संशोधन संख्या 420 और 421 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 64, 420 और 421 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 64, 420 and 421 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 25 was added to the Bill

खण्ड 25 क

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 366 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 565 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं संशोधन संख्या 608 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : सूती कपड़ा उद्योग वाले यह अनुरोध कर रहे हैं कि उनके उद्योग को छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाये ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और इस पर 45 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । ऐसे ही कुछ संशोधन कुछ अन्य सदस्यों द्वारा दिये गये हैं। लगभग सभी दलों के सदस्यों ने ऐसे संशोधन दिये हैं ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कराधान सम्बन्धी कानूनों को अब और जटिल बनाया जा रहा है और तत्सम्बन्धी शक्तियों को कराधान अधिकारियों में केन्द्रित किया जा रहा है । इस प्रकार के उपबन्ध की जिसके अन्तर्गत इन अधिकारियों को भी दण्डित किया जा सके, यदि वे जानबूझकर गलत कार्य करते हैं, नितान्त आवश्यकता है । ऐसे उपबन्ध सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क अधिनियम में विद्यमान हैं । ये अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और गलत ढंग से भी व्यवहार भी करते हैं । इस बारे में लोक लेखा समिति ने अपने 100वें प्रतिवेदन में कुछ टिप्पणियां भी की हैं । इनको देखते हुए आयकर अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना बहुत आवश्यक है । आशा है सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी । यदि सरकार इसको स्वीकार नहीं करती तो हम इस पर डिवीजन कराने के लिये जोर देंगे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ये संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। विद्यमान उपबंधों के अनुसार पटसन तथा सूती कपड़ा उद्योग को विकास छूट तथा नई मशीनों और संयंत्रों पर

अधिक दर के प्रयोजनों हेतु इनको पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है। इससे ये उद्योग अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं और विश्व बाजार में अपनी प्रतियोगात्मक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इनको छठी अनुसूची में शामिल करने से केवल उन कम्पनियों को लाभ होगा जो पहले ही पर्याप्त मुनाफा कमा रही हैं।

दूसरा संशोधन भी विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधिकारियों की अधिक कर निर्धारण की प्रवृत्ति को रोकने की ओर पहले ही ध्यान दिया जा रहा है। लोक लेखा समिति ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में इस समस्या विशेष की ओर ध्यान दिलाया है। वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा एक अध्ययन किया गया था जिसमें बताया गया था कि अपील की प्रथम अवस्था में कर-निर्धारण के लगभग 30 प्रतिशत मामलों की पुष्टि हो जाती है। अपीलीय मामलों में अत्यधिक निर्धारण का पता नहीं लगता। फरवरी, 1969 और अप्रैल, 1970 में बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी किये गये हैं जिनमें अधिकारियों को अत्यधिक कर लगाने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिये कहा गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है कि वे सतर्क रहें तथा गलती करने वाले अधिकारियों से पूछताछ करें।

कर-निर्धारण के बारे में जो अपीलें की जाती हैं, उनकी प्रतिशतता में प्रतिवर्ष कमी हो रही है और यह कम होकर केवल 7 प्रतिशत रह गई है। यदि ऐसा कोई उपबन्ध कर दिया जाता है तो इससे कर-निर्धारण करने वाले अधिकारी की मनोवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसमें राजस्व में कमी भी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 565 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 565 was put and negatived

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये सदस्य सभा की अनुमति से अपने अपने संशोधन वापस ले सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 608 और 366 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

Amendment Nos. 608 and 366 were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन नये खण्ड 25क के लिये थे। अतः 25क विधेयक का अंग नहीं है।

खण्ड 26

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 26 पर अनेक संशोधन हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वन्तंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 और 74 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचंद्र झा : मैं संशोधन संख्या 113 से 134 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 307 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 321 से 326 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 567 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

659. पृष्ठ 20 पंक्ति 2 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये :

(3) after clause (iv a), the following clause shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1971, namely:

(iv b) One building or one group of buildings owned by a cultivator of, or receiver of rent or revenue out of, agricultural land :

Provided that such building or group of buildings is on or in the immediate vicinity of the land and is required by the cultivator or the receiver of rent or revenue, by reason of his connection with the land, as dwelling house, store-house or out house."

पृष्ठ 22 पर पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें :—

'(3) खण्ड (iv क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन से अत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

(iv ख) कृषि भूमि के कृषक अथवा कृषि भूमि से लगान या राजस्व के प्राप्तिकर्ता के स्वामित्व का एक भवन अथवा भवनों का एक समूह :

परन्तु यह तब जब वह भवन उसी भूमि पर है या उसके ठीक निकट स्थित है और उसकी आवश्यकता कृषक या लगान अथवा राजस्व के प्राप्तिकर्ता को उस भूमि से अपने सम्बन्ध के कारण, निवास-गृह के रूप में अथवा भंडार-गृह या बाह्य भवन के रूप में है ; ;')

660. पृष्ठ 20, पंक्ति 3,

"(3), के स्थान पर '(4)' पढ़ा जाये ।

661. पृष्ठ 20 पंक्ति 6,

"(4)" के स्थान पर "(5)" पढ़ा जाये ।

662. पृष्ठ 20, पंक्ति 29

,"bank)";' (बैंक";') के स्थान पर 'bank);'. (बैंक";' पढ़ा जाये ।

663. पृष्ठ 20, पंक्ति 29 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये,,

"(xxvii) any deposits with a financial corporation which is engaged in providing long term finance for industrial development in India and which is approved by the Central Government for the purposes of clause (viii) of sub-section (i) of section 36 of the Income-tax Act."

"(xxvii) ऐसे वित्तीय निगम में कोई निक्षेप जो भारत में औद्योगिक विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था में लगा है और जो आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।")

664. पृष्ठ 20 पंक्ति 35 and (xxvi) और (xxvi) के स्थान पर (xxvi) और (xxvii) पढ़ा जाये।

665. पृष्ठ 21 पंक्ति 9 and (xxvi) और (xxvi) के स्थान पर "(xxvi) और (xxvii) पढ़ा जाये।

666. पृष्ठ 22, पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये।

"support and maintenance : or (iii) such assets are held by trustees on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension funds or any other fund created **bona-fide** by a person carrying on a business or profession exclusively for the benefit of persons employed in such business or profession."

पोषण तथा रखरखाव ; अथवा (iii) ऐसी आस्तियां भविष्य निधि, अधिवर्ष निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय कर रहे व्यक्ति द्वारा केवल मात्र उक्त व्यापार अथवा व्यवसाय में काम कर रहे व्यक्तियों के लाभ के लिये बनाई गई अन्य किसी निधि की ओर से न्यासव्यापारियों द्वारा रखी जाती है,")

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं संशोधन संख्या 688 प्रस्तुत करता हूं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 692, प्रस्तुत करता हूं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 714 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to move two amendments in this regard. Jammu and Kashmir has been given a privilege that whatever assets are there, they will not be included in wealth tax. I would like to ask the Prime Minister why this privilege is given to the people of Jammu and Kashmir only ? Why the rest of the population is also not given ? This privilege is going to be given with retrospective effect. My complaint is that basically the people of India are one. Then why the Government is doing this kind of discriminatory action ? If the Government is giving privileges and facilities, it should be given to the entire people.

My second amendment is that if the total incidence of tax when wealth tax and income tax are put together, is exceeding the income tax, the exceeding amount should be reduced from the wealth tax. Now-a-days what happens is the total incidence of tax goes to 127 percent and more than that. This is an unwarranted act. This will destroy the incentive in the people and most probably it will force the people to resort to unlawful activities. In order to avoid these unnecessary evils the Government should accept my amendment.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा संशोधन यह कहता है कि कर कुल आय का सौ प्रतिशत निश्चित किया जाना चाहिये। मुझे बस इतना कहना है कि मेरा संशोधन स्वीकृत किया जाय।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री कंवर लाल गुप्त और श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी के संशोधनों का समर्थन करने के साथ ही साथ मैं संशोधन संख्या 567 पर विचार करूंगा जिस पर 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। यह संशोधन बताता है कि सम्पत्ति कर और आय-कर दोनों मिल कर जो रकम है, वह कुल आय से अधिक न हो। नये विधेयक के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर और आय-कर कभी-कभी कुल आय का 140 प्रतिशत तक होता है। दिल्ली में एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया मूल्य का जमीन होगा और उसे 40,000 से 50,000 तक की आय मिलती होगी। उस मामले में कुल कर 121 प्रतिशत होगी। उस व्यक्ति को कर चुकाने के लिये अपनी आय के अलावा अपनी जेब से भी पैसा देना पड़ेगा। यह काम न्याययुक्त नहीं है। यह सारी सम्पत्ति को जब्त करने के समान है। अत: सरकार को कर 100 प्रतिशत से अधिक नहीं लगाना चाहिये।

इस संशोधन को प्राप्त व्यापक समर्थन और इसके औचित्य को देख कर, कोई कारण नहीं दिखाई देता कि सरकार इसका विरोध क्यों करें। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कर की सीमा 100 प्रतिशत निश्चित कर दी जाये।

Shri Shiva Chandra Jha : Clause 26 is about wealth tax. Ours is a poor country. Here the wealth is concentrated in a few hands. We are committed to socialism. Hence it is the duty of the Government to impose taxes on the property and use it for public purposes. The rate fixed by the Government is very low.

My amendment seeks to provide that the limit must be Rs. 50,000 instead of 1 lakh.

The provision of 1.5 lakh should be broughtdown to 1 lakh.

My amendment No. 117 seeks to provide that the rate of 1.5 percent fixed under Part I should be raised to 5 percent. Part I provids for exemption upto one lakh rupees from payment of tax. The Government is proposing to levy tax on the rate of 1 percent on an amount more than one lakh upto 5 lakhs. But my amendment seeks to provide that 10 percent tax should be levied. Under 'C' the Government proposes to levy 2 per cent tax but my amendment says that 20 percent tax should be levied. Under 'D' 80 percent tax should be levied instead of 4 percent. Where the Government is proposing to levy 5 percent, 99.9 percent tax should be levied.

As far as the Hindu undivided family is concerned, the Government is proposing to levy a no tax on wealth up to 2 lakhs. But my demand is that 5 percent should be levied on that. Tax on property worth 5 lakhs to 10 lakhs should be 20 percent instead of 2 percent, 40 percent tax should levied on property worth 10 lakhs to 15 lakhs instead of 3 percent. 80 percent tax should be levied on property worth Rs. 15 lakhs to 20 lakhs, instead of 4 percent. The tax on property worth more than 20 lakhs must be 99.9 percent.

Urban assets worth upto Rs. 5 lakhs are exempted from payment of tax. My demand is that 10 percent tax should be levied. Assets worth above Rs. 5 lakhs up to 10 lakhs, should be taxed in the tune of 50 percent instead of 5 Percent, and 99.9 percent should be levied on assets worth more than Rs. 10 lakhs.

श्री लोबो प्रभु : मैं सब से पहले संपत्ति कर में लगायी गई सीमाबन्दी के बारे में बोलूंगा। इस सम्बन्ध में सरकार को मेरा सुझाव है कि वे कर का रकम दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों में जमा करने की अनुमति दें। अगर सरकार का लक्ष्य खर्च को कम करना और बचत को बढ़ाना है, तो इसमें बहुत ही थोड़ा फर्क होगा कि उन्हें यह रकम कर के रूप में मिलता है या ऋण के रूप में। सरकार को थोड़ा-सा ब्याज देना पड़ेगा। मगर इस से वे जनता में ब्याज असंतोष को कम कर सकती हैं और संवैधानिक अनौचित्य को दूर कर सकती है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि गृहनिर्माण, उद्योग और कृषि विकास कार्यों में जो पूंजी विनियोजन किया गया है। उसको भी वही दर्जा मिलना चाहिये जो कंपनियों के लाभांश को मिलता है।

गत तीन वर्षों में मुद्रा में स्फीति हुई है। सूचकांक में 87 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह बिल्कुल अनुचित बात है कि सरकार लोगों पर अधिक कर लगाती है जिनके पास अपनी संपत्ति के स्फीति मूल्य के सिवा और कुछ नहीं है। अतः मेरा सुझाव यह है कि कर से छूट की अधिकतम सीमा एक लाख के बजाए, दो लाख रुपए कर दी जाए। इस से सरकार को कोई बड़ी हानि नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि एक लाख से दो लाख तक संपत्तिवाले केवल 14,000 हैं और उन से 1964 में कुल 15 करोड़ रुपये में से केवल 42 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं।

यह मेरे सुझाव बहुत ही उचित ढंग के हैं और आशा है कि सरकार इन्हें स्वीकार करेगी।

श्री नन्द कुमार सोमानी : शहरी संपत्ति पर कर लगाने के संदर्भ में सरकार ने कई बातें नजर-अन्दाज की है। एक बात यह है कि अधिकांश शहरों में अधिकांश मकान किराए नियंत्रण कानून के अन्तर्गत है। अतः उनमें से कोई अधिक रकम मिलने की आशा नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि जो मकान का निर्माण कार्य पहले से ही गिरता जा रहा है, उन पर तनिक भी अधिक कर लगाया गया तो सारा काम ठप हो जाएगा और लोगों में उत्साह लुप्त हो जाएगा।

मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए शहरी संपत्ति पर अधिक कर लगाने का काम न्याययुक्त नहीं है। या तो सरकार को स्वयं खर्च उठाकर शहरों में आवास की सुविधायें प्रदान करनी चाहिए या जनता को भवनों और सम्पत्ति के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। यह अतिरिक्त सम्पत्ति कर एक प्रकार का सम्पत्ति हरण है।

उपहार कर की छूट की सीमा 10,000 रुपये से 5,000 रुपये करना सर्वथा अनुचित बात है। मैं उसके तफसील में नहीं जाता हूं। देखने की बात यह है कि व्यक्ति पर लगाया गया कर और निगमित कर पूंजी विनियोजन और आर्थिक विकास के प्रोत्साहन को नष्ट करने वाले हैं या नहीं। जो भी हो मैं इतना कहूंगा कि कर को इस प्रकार बढ़ाने से जनता की ईमानदारी नष्ट हो जाएगी।

मैं श्री कंवर लाल गुप्त के संशोधन का समर्थन करता हूं। कुल कर किसी भी हालत में कुल आय से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे न्यासों पर इस विधेयक की यह धारा लागू नहीं की जानी चाहिए। उन छोटे न्यासों की ओर जो मध्यम वर्गों परिवारों द्वारा चलाये जा रहे हैं। और जिनकी अस्ति केवल तीन लाख रुपये है, सरकार को सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 576 के द्वारा मांग करता हूं कि जम्मू और काश्मीर को जो विशेष सुविधायें देने की व्यवस्था की गई है, वह हटा दी जाये।

दूसरे, श्री पाटोदिया और अन्य कुछ सदस्यों ने अपने संशोधन पेश कर के यह मांग की कि करदाता पर 100 प्रतिशत से अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिये। अगर सरकार वास्तव में 100 प्रतिशत से अधिक कर लगाती है तो यह बात समझ में नहीं आती कि लोग कैसे 550 करोड़ रुपये एकत्रित करते हैं और एकाधिकार कैसे बढ़ जाता है। तो मेरा विचार यह है कि यह असल में 100 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अगर कर 100 प्रतिशत से अधिक होता तो मैं उसका समर्थन करता। कहा जाता है कि हमारे देश में दुनिया के और सारे देशों की अपेक्षा कर भार बहुत अधिक है। मगर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे देश में गरीब लोग बहुत हैं। गरीब और सम्पन्न लोगों के बीच की खाई को पाटना चाहिए। कर सम्बन्धी कानून को अधिकाधिक सरल बना कर कर अपवंचन को रोका जाना चाहिए। इस समय एक हिसाब के अनुसार 500 करोड़ या 600 करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया जाता है। उसी प्रकार काले धन को केवल विमुद्रीकरण द्वारा ही रोका जा सकता है। मैं ये सुझाव सरकार के विचारार्थ रखता हूं। मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री न० कु० सांघी : मेरे संशोधन संख्या 422 विधेयक की पृष्ठ संख्या 26 में 1 से 39 तक पंक्तियों को हटाने के लिए है। यहां शहरी सम्पत्ति और बैंक के शेयरों पर सम्पत्ति कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी फर्म की सम्पत्ति उसकी भागीदारों को निजी सम्पत्ति नहीं है। वे केवल उस से प्राप्त लाभांश ले सकते हैं। फर्म की सम्पत्ति पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वैसे ही, यदि हम अंशधारियों और भागीदारों से सम्पत्तिकर निर्धारित करवाते हैं। तो आयकर विभाग में बहुत अधिक काम बढ़ जाएगा। यह एक अनावश्यक एवं कठिन प्रक्रिया सिद्ध होगी। अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पृष्ठ संख्या 20 में से 1 से 39 तक पंक्तियां हटा दी जाएं।

Shri George Fernandes : My suggestion is to attach a clarification note to the wealth Tax. In the Income Tax Act it is clarified that when the Co-operative Society disposes of a building or a portion of it to any individual he becomes the owner of that building or the portion of it, as the case may be, to whom it is given, and not the Co-operative Society. I want this clarification to be made in the Wealth Tax also. Otherwise the Society, even if it ceases to be the owner of the building concerned, will be compelled to pay the wealth tax. This unnecessary harassment should be avoided.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री कंवर लाल गुप्त ने जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में अपना संशोधन पेश किया है। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में खेती की जमीन पर सम्पत्ति कर लगाने के लिये राष्ट्रपति का आदेश मिलना जरूरी है और राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार की सहमति से ही ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। चूंकि राज्य सरकार से अब तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर की काश्त की जमीन को सम्पत्ति कर से मुक्त किया गया है।

दूसरा संशोधन न्यासों के सम्बन्ध में है। इस संशोधन से विधेयक का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और करों से बचने के लिए स्वेच्छी न्यासें बनी रहेंगी। बहुप्रयोजनी न्यास आमतौर पर कम धन और छोटी आय पर चलाए जाते हैं ताकि वे सम्पत्तिकर और आय-कर से बच सकें। साधारणतया न्यासों की पूंजी 1 लाख से कम रखी जाती है। अतः माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव कि उन मामलों में 1.5 प्रतिशत का समान दर नहीं लगाया जाना चाहिए जहां कुल पूंजी 3 लाख रुपये से कम है। इस विधेयक के मूल लक्ष्य को प्राप्ति में बाधक सिद्ध होता है। अतः ये संशोधन स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

श्री सांघी का प्रस्ताव भी स्वीकृतियोग्य नहीं है। क्योंकि इससे शहरी सम्पत्ति को किसी फर्म, संगठन या किसी व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित कर उस पर लगाये गये अतिरिक्त कर से बचने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इस विधेयक का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा करारोपण की सीमा के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में सदन में सदस्यों में गहरा मतभेद है। आवास गृह के लिये एक लाख रुपये की सीमा जो निर्धारित की गई है वह मेरे विचार से उचित ही है और यह आमतौर पर देश की भावना को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आवास की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इससे आवास की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। हम इसको तभी दूर कर सकते हैं जब जिन लोगों के पास अधिक धन है वे अधिक धन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सरकारी संशोधनों के अतिरिक्त अन्य सब संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूं ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा संशोधन संख्या 567 को अलग से मतदान के लिये रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों और संशोधन संख्या 567 के अतिरिक्त अन्य संशोधनों एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पाटोदिया का संशोधन संख्या 567 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 567 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 567 was put negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 659 से 666 तक सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :–

659. Page 20, **after** lines 2, **insert**—

'(3) after clause (iv a), the following clause shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1971, namely :—

"(iv b) one building or one group of buildings owned by a cultivator of, or receiver of rent or revenue out of, agricultural land :

Provided that such building or group of buildings is on or in the immediate vicinity of the land is required by the cultivator or the receiver of rent or revenue, by reason of his connection with the land, as dwelling house, store-house or outhouse ;" ;'

660. Page 20, line 3, **for** "(3)", **substitute** "(4)".

661. Page 20, line 6, **for** "(4)", **substitute** "(5)".

662. Page 20, line 29, **for** 'bank)." ;', **substitute** 'bank) ;'.

663. Page 20, **after** line 29, **insert**—

'(xxvii) any deposits with a financial corporation which is engaged in providing long-term finance for industrial development in India and which is approved by the Central Government for the purposes of clause (viii) of sub-section (1) of section 36 of the Income-tax Act."'.

664. Page 20, line 35, **for** "and (xxvi)", **substitute**
",(xxvi) and (xxvii)"

665. Page 21, line 9, **for** 'and (xxvi)", **substitute**
",(xxvi) and (xxvii)"

666. Page 22, **for** line 22, **substitute**—

"support and maintenance ; or (iii) such assets are held by the trustees on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created **bona fide** by a person carrying on a business or profession exclusively for the benefit of persons employed in such business or profession,".

14. पृष्ठ 20 पर पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें,—

'(3) खण्ड (IV क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन से अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

"(IV ख) कृषि भूमि के कृषक अथवा कृषि भूमि से लगान या राजस्व के प्राप्तिकर्ता के स्वामित्व का एक भवन अथवा भवनों का एक समूह :

परन्तु यह तब जसी वह भवन उसी भूमि पर है या उसके ठीक निकट स्थित है और उसकी आवश्यकता कृषक या लगान अथवा राजस्व के प्राप्तिकर्ता

को उस भूमि से अपने सम्बन्ध के कारण, निवास गृह के रूप में अथवा भण्डार गृह या बाह्य भवन के रूप में है;'

15. पृष्ठ 20 पर पंक्ति 3 में "(3)" के स्थान पर "(4)" पढ़ें ।

16. पृष्ठ 20 पर पंक्ति 6 में "(4)" के स्थान पर "(5)" पढ़ें ।

पृष्ठ 20 पर पंक्ति 29 में बैंक के स्थान पर बैंक, बैंक पढ़े ।

17. पृष्ठ 20 पर पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें :

(XXVII) ऐसे वित्तीय निगम में कोई निक्षेप जो भारत में औद्योगिक विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था में लगा है और जो आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है ।"

18. पृष्ठ 20 पंक्ति 35 में और पृष्ठ 21 पर पंक्ति 9 में
"और (XXVI) "के स्थान पर" (XXVI) और (XXVII)" पढ़ ।

पृष्ठ 22 पर पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें—

"के लिये मुख्यता व्यवस्थापक पर आश्रित थे, अथवा

(iii) ऐसी आस्तियां, किसी कारबार या वृत्ति में नियोजित व्यक्तियों के अनन्यत: फायदे के लिये ऐसा कारबार या वृत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक सृष्ट किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या किसी अन्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा धारित है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 26, as amended, was added to the Bill

खण्ड 27

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 9, 76, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, और 144 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन संख्या 690 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 715, 716, 717, 718, 719 और 720, प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Uptil now Gift-Tax upto Rs. 10,000 was exempted. Now Government wants to reduce this limit to Rs. 5000. I think the lower middle class people will be affected as a result of it. So I want that that limit should remain as it is.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा इस उपबन्ध को लाने का क्या उद्देश्य है । यदि उपहार कर सम्बन्धी उपबन्ध में कुछ और छट दे दी जाये तो इससे धन के एकत्रित होने के स्थान पर धन के वितरण में सहायता मिलती है । अतः मैंने उक्त छूट को 10,000 तक बढ़ाने का संशोधन प्रस्तुत किया है ।

Shri Shiva Chandra Jha : People pay a large amount in the form of gift in order to evade taxation. It is against the principle of equality. It is therefore, suggested that this exemption limit should be reduced to Rs. 500/-.

The rate of tax should be 5% when the value of gift is not more than Rs. 20,000. It should be 10% when the value of the gift is between Rs. 20,000 and 50,000. It should be 15% when the value of the gift is between 50,000 and 1 lakh.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

It should be 25 percent when the value of gift is between Rs. 2 lakhs and Rs. 5 lakhs. So far as the question of tax on the value of gift more than 20 lakhs of rupees is concerned it should be 150 percent and not 70 percent.

श्री हिम्मतसिंह का : मैं अपने प्रस्तावित संशोधन पर जोर नहीं देता ।

श्री लोबो प्रभु : वित्त मंत्री को असमानता में कमी लाने का प्रयास करना चाहिये । यदि आप असमानता में कमी लाना चाहते हैं तो आप उपहार कर को प्रोत्साहन दें ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : जब उपहार-कर आरम्भ किया गया था तब छूट की सीमा 10,000 रुपये थी, उसके बाद इसे घटाकर 5,000 रुपये किया गया । तत्पश्चात् इसे बढ़ाकर पुनः 10,000 रुपये किये गये । यह किसी सीमा तक समाजवादी उपाय है और इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

श्री गणेश घोष : प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित उपहार—कर धनवान लोगों अर्थात्—पूंजीपतियों को रियायत देने की एक बड़ी कपट योजना है । यह सबको विदित है कि करों का अपवंचन करने के लिये उपहार-कर पूंजीपतियों के हाथ में हमेशा एक नियमित हथियार रहा है ।

प्रस्तावित उपहार कर के अन्तर्गत यदि एक पूंजीपति अपनी आय से 5 लाख रुपये उपहार कर के रूप में देता है तो 3,90,000 रुपये को कर अपवंचन कर सकता है ।

उपहार कर की प्रस्तावित पद्धति कर अपवंचन को बैध कटार देने की युक्ति का दूसरा रूप है सम्बन्धियों का कुछ हजार रुपये के उपहार देने की बात समझ में आती है लेकिन जो व्यक्ति लाखों रुपये का उपहार देते हैं वे केवल करों को बचाने के लिये ही ऐसा करते हैं । यदि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं करती तो असमानता समाप्त करने की जो बातें प्रायः

कही जाती हैं वे निरर्थक हैं क्योंकि धनी व्यक्तियों को दी गई रियायतें हमारे देश में बढ़ती हुई असमानता का एक मुख्य कारण हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने वास्तव में उपहार देने की सीमा में कमी कर दी है। हम लोगों को उपहार देने से रोकना नहीं चाहते। यदि वे इतने बड़े उपहार दे सकते हैं तो वे कुछ अधिक भी दे सकते हैं जिसका उपयोग अनेक ऐसे लोगों के लिये किया जा सकता है जो उपहार नहीं दे सकते और जिनके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन नहीं हैं। अन्य करों की भांति इस कर का भी यही प्रयोजन है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सब संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 27 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बाकी सब खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : अब हम खंड 32 पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज सांय 4.30 बजे हम सब खण्डों पर मुखबन्ध (गिलोटीन) करना चाहते थे। यदि सदस्य तीसरे वाचन के समय में कमी करने को तैयार हैं तो वे खंड 32 पर चर्चा कर सकते हैं। खण्ड 28 और 29 पर कोई संशोधन नहीं हैं। अत: मैं खंड 30 और 31 पर आता हूं।

अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 28, 29, 30 और 31 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 28, 29, 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clauses 28, 29, 30 and 31 were added to the Bill

खण्ड 32

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 35, 36 और 37 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 और 185 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन संख्या 329, 330, 331, 332, 333, 334 और 335 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं अपने संशोधन संख्या 499, 501, 502, 503 और 504 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 577 और 578 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 588, 589 और 590 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 618, 619 और 627 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, my amendments No. 10 to 18, seek to provide that taxation on Tea, Sugar, Coffee, Books, chocolate will affect middle class group. I challenge that prices of above mentioned commodities have increased by 15 percent. On the one hand Government have reduced the price of sugar and on the other hand they have increased excise duty on sugar. As a result, sugar factories will face crisis next year because stock of sugar is piling up in the factories. Consequently, farmers will not grow sugarcane next year. So I would appeal that excise duty on sugar be reduced. Prices of tea, coffee, aerated water, books etc. have been increased. If hon. Prime Minister wants that relief be given to middle income group, taxes will have to be reduced. No doubt taxes imposed on luxury goods are justified. So I would request the hon. Prime Minister to withdraw the taxes imposed on tea, coffee, aerated water, sugar and books.

श्री स्वन्तत्र सिंह कोठारी : मेरा सुझाव यह है कि विलास वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा देना चाहिये और सामान्य व्यक्ति के प्रयोग की वस्तुओं पर कर नहीं बढ़ाना चाहिये । उत्पादन शुल्क की मात्रा की एक सीमा निर्धारित कर दी जाए । उत्पादन शुल्कों में आन्तरिक समायोजन बेशक हो जाये परन्तु कुल उत्पादन शुल्क की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिये । उत्पादन शुल्क की ऐसी समयावधि निश्चित की जानी चाहिये जिससे सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । मेरा सुझाव है कि चीनी चाय और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादन शुल्क को कम कर दिया जाय या हटा दिया जाये ।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, Sir, excise duty imposed on sugar, tea etc. will affect common people. In clause 32(i) Government are increasing taxes. I would suggest that 30 percent **ad valorem** and 50 percent **ad valorem** should be substituted by 20 percent **ad valorem** and 10 percent **ad valorem**. Similarly in case of tea '70 paise kilogram' should be substituted by '50 paise kilogram'. 'Not exceeding two rupees' should be substituted by '50 paise'.

Similarly for package tea '1.25 paise' should be substituted by '40 paise'. In case of instant tea 10 percent **ad valorem** should be reduced to 5 percent.

Item No. 6 of the Finance Bill reads :

"In item No. 4 under "II. manufactured tobacco.", for the entry in the third column against sub item (2) the entry 'one hundred and fifty percent **ad valorem** shall be **substituted.**" In this regard I have suggested that one hundred and fifty percent **ad valorem** should be substituted by 300 percent **ad valorem.** Government should impose more taxes upon intoxicating drugs and cigarettes.

There is entry in third column of item No. 6 which reads :

"(vii) In item No. 6 for the entry in the third column the entry seven hundred and twenty rupees per kilolitre at 15 degrees centigrade of thermometer shall be substituted." My amendment is that it should be 500 rupees per kilolitre.

It will not be unjustified if Government impose taxes upon luxury goods because that will affect only upper class group. Similarly Government should reduce the prices of the articles used by common people. I would suggest that excise duty upon book post and registered parcels of books, sugar and tea should be reduced.

श्री लोबो प्रभु : अप्रत्यक्ष कर समाजवादी विचारधारा के प्रतिकूल होते हैं क्योंकि उपभोक्ता पर ही इस कर का प्रभाव पड़ता है। चीनी और चाय पर क्रमश: 79 करोड़ एवं 24 करोड़ कर लगाया गया है। इसी प्रकार बिस्कुटों तथा मक्खन पर कर लगाया गया है। अल्प धनराशि वसूल करने के लिये बजट का इतना विस्तार नहीं करना चाहिए।

पेट्रोलियम उत्पादों, मिट्टी के तेल, शोधित डीजल तेल तथा वाष्पशील तेल पर क्रमश: 600 करोड़ रुपये, 114 करोड़ रुपये, 256 करोड़ रुपये कर लगाया गया है। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत कर बढ़ा दिये गए हैं। यह कहां तक संगत है ? प्रधान मन्त्री का कथन है कि कर लगाने के बावजूद भी कीमतें घटी हैं। परन्तु इस कथन में कोई सार नहीं क्योंकि अधिक कर लगाने के कारण पंजाब में गन्ने को जलाया जा रहा है। सरकार को लोगों को कष्टमय स्थिति में डालने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम समाजवाद का नारा लगाते हैं तो हमें करों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह कहना नितान्न असंगत है कि कर लगाने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और विशेषकर उन वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। चीनी, एल्यूमीनियम, चाय, वातित पेय, संरक्षित खाद्य पदार्थ, काफी इत्यादि सामान्य व्यक्तियों के प्रयोग की वस्तुएं है। एक तरफ तो बेकारी की समस्या बढ़ रही है, लोगों की बचत कम होती जा रही है, दूसरी तरफ 130 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लगा दिया गया है। अत: इन चीजों पर लगाए गए उत्पादन शुल्क को हटा लेना चाहिए।

Shri S. M. Banerjee : Mr. Speaker, Sir, about my amendment Nos. 577 to 582, I would like to say that relaxation in excise duty given to sugar mill owners will enable them to earn more profit. If Government's intention is to give relief to such persons who want to create artificial crisis by black marketing of sugar, then I would oppose the move. So I suggest that clause regarding sugar should be omitted. Sugar mills should be nationalized. I congratulate the Government for the concession being given in regard to biscuits. Glucose is used by patients. Therefore

tax imposed on this article should also be withdrawn. Similarly taxes on books should also be withdrawn. In case my amendments are not acceptable, I would request that 30 percent **ad valorem** should be substituted by 15 percent **ad valorem.**

श्री पी० एम० मेहता : सरकार ने बिना बिजली से चलने वाली फैक्टरियों को रियायतें दी हैं। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। पर इतने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सरकार को बिजली से चलने वाले लघु उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए। टीन के बनें कनस्तरों पर लगाये गए उत्पादन शुल्क को हटा लेना चाहिए।

श्री वेणी शंकर शर्मा : चाय, चीनी और बिस्कुट सामान्य व्यक्ति के प्रयोग की वस्तुएं हैं और सरकार को इन वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादन शुल्क पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : माननीय प्रधानमन्त्री ने चीनी पर लगाए गए कर को हटाने से सम्बन्धित संशोधन को स्वीकार नहीं किया है और उनका कथन है कि चीनी के भाव कम हुए हैं। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि चीनी के भाव इसलिए कम हुए है क्योंकि इसका स्टाक अधिक हो गया है। अतः भाव कम होने की स्थिति अस्थाई है। और माननीय प्रधानमन्त्री ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। अतः मेरा सुझाव यह है कि चीनी पर लगाये गए कर को फिल-हाल हटा लिया जाए।

श्री हिम्मतसिंहका : यह कैसे माना जा सकता है कि उत्पादन शुल्क लगाने पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अब चीनी की कीमतों में जो कमी हुई है उसका कारण यह है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन अधिक हुआ है और दूसरा कारण यह है कि पिछले वर्षों में चीनी का भाव बहुत अधिक बढ़ गया था। यदि उत्पादन शुल्क को कम कर दिया जाए तो कीमतों में कमी हो सकती है। इसी प्रकार मोटर स्पिरिट पर 72 पैसे प्रति लीटर कर लगाया गया है। मोटर स्पिरिट का प्रयोग स्कूटर चालकों या रिक्शा चालकों द्वारा किया जाता है। अतः मोटर स्पिरिट पर कर नहीं लगाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अध्यक्ष महोदय, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। भारत में अधिकांश वर्ग ऐसा है जिसके पास मूल आवश्यकता की वस्तुएं नहीं है। उन्हें ये वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये ही हमें कुछ कर लगाने पर विवश होना पड़ा है। जहां तक वित्त विधेयक में संशोधन करने का प्रश्न है, ऐसा सम्भव नहीं फिर भी स्थिति पर विचार किया जायगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा। पर मैं कहना चाहती हूं कि कुल 28.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ और इसमें से 8.3 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये।

डिब्बों में बन्द शिशु आहार, देशी घी और अन्य वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, यदि खुले बाजार में चीनी की कीमत बढ़ जाती है, तो हम इस पर लगाये गये उत्पादन शुल्क की दर पर विचार किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी से पता चला है कि व्यापारी लोग बजट प्रस्तुत करने की अवधि में उन वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ा देते हैं जिन पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव बजट में नहीं रखा गया। अतः यह दोष व्यापारियों या

उन लोगों का है जो कीमतें बढ़ाते हैं। यदि कर को कम करने का निर्णय किया भी जाता है तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके ही कर में छूट दी जाती है। उसके लिए वित्त विधेयक में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सरकार ने उन सभी चीजों पर कर कम कर दिया है जो चीजें निर्धन व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं। भारतवर्ष में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर कर नहीं लगाया जाता है। इन व्यक्तियों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जो उन्हें इस समय प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें साधनों को जुटाना होगा। इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र साधन जुटाये जा सकेंगे। जहां तक किताबों पर लगे कर का सम्बन्ध है, सरकार ने उसको कम कर दिया है। अतः संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : संशोधन संख्या 628 को मतदान के लिये पृथक रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 628 और दस एक समान है।

श्री स० मो० बनर्जी : संशोधन संख्या 577 को मतदान के लिए पृथक रखा जाये।

श्री शिव चन्द्र झा : संशोधन संख्या 148 और 149 मतदान के लिये पृथक रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 97; विपक्ष में 173
Ayes 97; Noes 173

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 से 18, 34 से 37, 148 से 185, 329 से 335, 499,501 से 504 तथा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos 11 to 18, 34 to 37, 148 to 185, 329 to 335, 499, 501 to 504 and all other amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 32 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य खण्डों को मतदान के लिए रख रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33 से 39, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 33 से 39, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 33 to 39, First Schedule, Second Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री बलराज मधोक : मुझे पहले ही आशा थी कि वित्त विधेयक को पारित किया जाना है। यह सरकार समाजवाद का नारा लगाती है परन्तु सत्य तो यह है कि इन दो महीनों में सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ गया है तथा और भी बढ़ने की संभावना है। सरकार ऐसी कार्यवाही कर रही है जो सामान्य व्यक्ति के हित में नहीं है। सदन के प्रायः समस्त माननीय सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने की मांग की थी परन्तु सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकार सोचती है कि उसे बहुसंख्यकों एवं साम्यवादियों का समर्थन प्राप्त है। परन्तु इस प्रकार सरकार जनता को धोखा नहीं दे सकती। इस बजट का सामान्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पड़ा भी है। अतः जनता पेश किए गए जन-हित विरोधी बजट का प्रतिशोध अवश्य लेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : प्रस्तुत बजट और वित्त विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया है कि देश की कर व्यवस्था के आधार का विस्तार करना तथा कर से प्राप्त होने वाले राजस्व को बढ़ाना अनिवार्य तथा आवश्यक है। परन्तु इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये हैं, वे बहुत अपर्याप्त हैं। इससे न तो कर आय में वृद्धि होगी और न ही कर आधार में। यह कहना व्यर्थ है कि भारत में सब से अधिक कर लगाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कर्मचारियों ने जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार तो करों की दृष्टि से 52 विकास शील देशों के भारत का 21 वां नम्बर आता है। परन्तु मैं इतना फिर भी कहूंगा कि हमें अपनी कर-प्रणाली में आधार भूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जितना शीघ्र सम्भव हो, हमको उत्पादन के आधार पर या कुल प्राप्ति के आधार पर आयकर लगाना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु ने कहा कि 93.5 प्रतिशत कर लगाये गये हैं। अगर आप अमीरों को कोसते हैं तो गरीब बेचारे तो अपने आप कोसे जाते हैं। मैं उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। इस विधेयक का प्रभाव केवल अमीरों पर नहीं होगा, इससे तो केवल ईमानदार लोगों को ही क्षति होगी। हमें कर इस भांति लगाने चाहिये जिससे कि समाज के ईमानदार वर्ग पर उसका प्रभाव न रहे।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : श्रीमान जी, इस सदन में जितने भी विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं, उनमें से यह वित्त विधेयक सबसे बुरा है क्योंकि यह समाज के अहित में है और उसकी दुःख दुविधा की ओर बढ़ा देता है। हर वर्ष करों में वृद्धि करते जाना हमारे बजट की विशेषता बन गई है। इन बढ़ते हुये करों में हमें अपना भविष्य बहुत अन्धकारपूर्ण दिखाई दे रहा है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश की समृद्धि के लिए और अधिक संसाधन जुटाये जाने चाहियें। सम्भवत: उनका विचार है कि जितने अधिक कर लगाये जायेंगे, देश उतना अधिक समृद्ध होगा, लोग उतने समृद्ध होंगे। आज 20 वर्षों से देश में समाजवादी विचारधारा के लोग शासन कर रहे हैं। क्या इस शासन की उपलब्धि यही है कि आये वर्षों कर बढ़ाये जा रहे हैं? मूल्यों में तीव्र वृद्धि हो रही है? क्या साधारण मनुष्य ने कभी समृद्ध होने की कल्पना की है? वास्तविकता यह है कि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, लोग न पेट भर कर खा सकते हैं और नहीं सारा तन ढक सकते हैं। परिणाम यह है कि लोग आये दिन आत्महत्यायें कर रहे हैं, भूख के कारण अपने बच्चों का गला घोट रहे हैं। ऐसी घटनायें सारे देश में घट रही हैं। क्या यही 20 वर्ष के सामाजिक शासन का फल है?

प्रधान-मन्त्री को यह मालूम होना चाहिये कि मुद्रास्फीति मानवता की सबसे बड़ी शत्रु है। यह गरीब तथा साधारण लोगों की तो सबसे बड़ी शत्रु होती है। परन्तु प्रधानमन्त्री और हमारी सरकार इसके साथ निरन्तर खिलवाड़ कर रहे हैं। मुद्रा स्फीति का प्रमुख कारण अधिक कर, अधिक खर्च और कम आय होते हैं।

हमने अक्सर यह दलील पेश की है कि आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपया किया जाना चाहिये, परन्तु और अधिक धन इकट्ठा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री सहमत नहीं हुई है। यदि एक आदमी की वार्षिक आय 7500 रुपये है तो क्या उसे धनवान कहा जा सकता है? यदि आयकर की दर बढ़ाने के लिए मनमानी की गई तो देश की उत्पादन क्षमता कम हो जायेगी। संसार के किसी भी अन्य देश में दानकर अधिनियम के समान कोई अधिनियम नहीं है। वास्तव में बहुत से देशों में उपहार और दान को प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में हम उस व्यक्ति को दण्ड देना चाहते हैं जो उपहार व दान देता है। जितनी जल्दी दानकर अधिनियम को संविधिक पुस्तक से हटाया जायगा, उतना ही देश के लिए अधिक हितकर होगा।

अप्रत्यक्ष करों का सबसे अधिक प्रभाव साधारण व्यक्ति पर पड़ा है, उसकी दिनचर्या की सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए चाकलेट और बिस्कुट महगें हो गये हैं और हमारे लिए सिगरेट और पेट्रोल आदि।

अब न्याय की बात ही लीजिये। हमारे सम्पूर्ण राजस्व का 75 प्रतिशत सिविल कर्मचारियों और अधिकारियों पर खर्च हो जाता है, उसका बहुत थोड़ा भाग साधारण लोगों के उपयोग के लिए रह जाता है। जितना अधिक प्रशासन का खर्च होगा, टैक्स तो उतने ही बढ़ेंगे।

अत: प्रधानमंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि वह प्रशासन के व्यय में मितव्ययता लाने का प्रयास करे। उन्हें मुद्धास्फीति को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये जो मुख्यता अधिक करों, अधिक व्यय और कम आय के कारण उत्पन्न होती है।

श्री हिम्मतसिंहका : लोगों से कर के रूप में जो राजस्व प्राप्त किया जाता है, उसे प्रशासन पर खर्च किया जाता है। इस धन का अधिकांश तो सार्वजनिक क्षेत्रों पर ही लगा दिया जाता है। आज जनता से यह भावना है कि जो पैसा उससे कर के रूप में वसूल किया जाता है, उसे उचित रूप से व्यय नहीं किया जा रहा। यदि सरकार अपना व्यय कम कर दे और यह सुनिश्चित करने के उपाय करे कि सरकारी उपक्रम ठीक प्रकार से कार्य करें और लाभकारी सिद्ध हों तो इससे सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष कर वृद्धि की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : मैं प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि हमने जिस भावना से उसे पारित किया है, उसको उसी भावना से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जिससे कि हमने उसे पारित किया है। हमारे सामने कुछ उद्देश्य हैं, अतः सरकार को कुछ नीति सम्बन्धी निदेश जारी करने चाहियें ताकि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें या कम से कम उनके समीप पहुंच सकें। आज जब हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुये बीस वर्ष हो गये हैं, हमें यह अहसास हो जाना चाहिये कि हमारा लक्ष्य और कितनी दूर है।

आज जबकि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे पैमाने के उद्योगपतियों, कृषकों, किसानों तथा उन लोगों को, जिनको व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है, इन बैंकों से सुविधापूर्वक धन मिल सके।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह एक अच्छी बात है कि इस बजट सत्र में प्रधान मंत्री साफ-साफ बच निकली हैं परन्तु उनकी असली परेशानी आज से शुरू होती है क्योंकि अब सारे संसाधन उनकी मुट्ठी में हैं जैसे कि वे चाहती थीं और देश के लोगों ने विशेषकर मध्यम आय वर्ग वाले लोगों ने तथा गरीब लोगों ने जिनकी देश में बहुत बड़ी संख्या है, उनसे बहुत सी आशाएं बांध रखी हैं। यह आशा है कि वह निर्भीकता से प्रशासन की सब कमियों को दूर करेंगी ताकि संसाधनों का साधारण वर्गों को भलाई के लिये उपयोग किया जा सके।

आशा है कि प्रधान मंत्री उत्पादन शुल्क के मामले में गरीब लोगों को राहत देने का तरीका ढूंढ़ निकालेंगी। वास्तव में जब तक वह उत्पादन शुल्क को समाप्त नहीं करतीं तब तक वह इस देश में जनसाधारण का कोई हित नहीं कर सकतीं। कम से कम इन शुल्कों में तो वर्तमान स्तर बनाये ही रखना चाहिये।

Shri Achal Singh (Agra) : It is very unfortunate that every year we are having deficit budget. If the Prime Minister is really anxious for the prosperity of the country, she must come forward with a surplus budget. The Directors and Chairmen of the Public Undertakings should be instructed that they must come forward at least with 10 per cent profit. That way we can earn 750 crores of rupees and have a surplus budget.

Dr. Govind Dass (Jabalpur): I would congratulate the Prime Minister and Finance Minister that she has succeeded in getting the Budget and Finance Bill passed by the House.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : प्रधान मंत्री ने बताया है कि चीनी के मामले में वह पुर्न-विचार करेंगी । आशा है कि वह चीनी के साथ अन्य सम्बद्ध वस्तुओं के मामले में भी खुले दिमाग से काम लेंगी तथा लोगों की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करेंगी ।

कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही कृषि आय-कर लगा हुआ है । यदि यह काम राज्यों पर छोड़ दिया जाय तो वसूली आसान होगी तथा इस वर्ष शुरू होने वाली केन्द्र द्वारा सामूहिक वसूली की बजाय वह ढांचा अधिक विवेकपूर्ण होगा ।

आज लगभग सभी राज्य यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें उनका मुनासिब हिस्सा नहीं दिया जा रहा । वैसे इस प्रकार का सन्देह और शिकायतें गत बीस वर्षों से बनी हुई है । यह कोई अच्छी बात नहीं है । सरकार को इसके लिये कुछ करना चाहिये । अब समय आ गया है जबकि प्रधान मंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिये कि क्या कुछ वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का समय आ गया है या नहीं ?

सरकार ने हाल ही में वेतन आयोग की घोषणा की है । राज्यों की यह मांग पूर्णतया उचित है कि यदि केन्द्रीय सरकार के स्तर पर वेतन वृद्धि की गई तो राज्यों में भी इसे स्वतः प्रभावी बनाया जाय । इस प्रकार होने वाले अतिरिक्त व्यय को कम से कम आंशिकरूप केन्द्र द्वारा वहन किया जाये ।

Shri Shiv Narain (Basti): The Government has adopted a policy of discrimination against Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The Law and Order situation in every State is very critical.

The Foreign Policy of the Government is an utter failure. Our Government has not been able to express its viewpoint about Cambodia. It cannot have a free expression. Government should have accepted the demand of separate states for Manipur and Telengana. It must make arrangements for the employment of Harijans who are starving.

Shri Shiva Chandra Jha : We tried to develop our resources through Five Year Plans but the outcome of these plans was against the development. We are having public as well as private sector in this country. We must stick to either of them.

The Nationalisation of 14 major Banks is a good achievement. If we want to hit the capitalism. We must hit it with full force so that it is totally rooted out.

ी वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : गत कई सप्ताहों से हम बजट पर विचार-विमर्श कर रहें हैं । वैसे पिछले बजटों की अपेक्षा प्रस्तुत बजट में कोई मूल परिवर्तन दिखाई नहीं देता । हां, वैयक्तिक आय पर नये अतिरिक्त कर लगाकर कुछ संसाधन जुटाने का प्रयास अवश्य किया गया है । इस सदन के लगभग सभी सदस्यों के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी सरकार लोगों पर लगें भारी करों को कम करने और उन्हें किसी प्रकार की राहत देने की स्थिति में नहीं आ सकी। मेरे दल के लोगों का यह मत है कि भारी कर लगाने की अपेक्षा सरकार संसाधन जुटाने के लिये

और भी बहुत कुछ कर सकती है। आज देश में जितनी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घट चुकी हैं, उनकी पृष्ठभूमि में पहले ही यह भावना उत्पन्न हो रही है कि सभी बातें पुरानी ही रहेंगी। उनमें कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। उदाहरणार्थ निजी थैलियों के प्रश्न को ही लीजिये। सरकार ने वचन दिया है कि वे कम से कम निजी थैलियां तो बन्द कर ही देंगी। परंतु यह तो निश्चित ही है कि इस सत्र में यह विधेयक पास नहीं हो सकेगा और सरकार यह कह कर पीछा छुड़ा लेगी कि उन्हें तो इस सत्र में विधेयक पेश करने का ही वचन दिया था। इनके पीछे क्या राजनीतिक क्रिया चल रही है, इस का पता समाचार-पत्रों से लग जाता है। देश के लगभग सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि सरकार केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की कुछ अन्तरिम राहत दें। परन्तु सरकार ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और इसने बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है। इसीलिये सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर सरकार यह भी मानती है कि आई० ए० एस० अधिकारियों के वेतन में 200, 300 और 500 रुपये तक की वृद्धि स्वीकार की जा सकती है क्योंकि इसके लिये उतनी अधिक धनराशि की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार का यही रवैया है और वह समस्याओं के प्रति इसी प्रकार की मूलनीति अपनायेगी तो प्रधान मंत्री द्वारा कृषि-योग्य भूमि पर धन-कर में रियायत की घोषणा का अनुमोदन नहीं करते। हमारे विचार से सरकार किसी दबाव के नीचे आकर ऐसा कर रही है। अगर सरकार का समस्याओं के प्रति यही रवैया रहा तो सदन के अधिवेशन से पूर्व सरकार जिस समाजवाद का ढिंढोरा पीटती रही है वह केवल एक नारा ही रहेगा। उसे कभी हम क्रियान्वित रूप में नहीं देख सकेंगे और लोगों का ऐसे नारों से विश्वास उठ जायेगा। अतः अब समय आ गया है जबकि सरकार को अपनी सभी घोषणाओं को क्रियात्मकरूप देना होगा। आज हम सभी लोगों को एक होकर इसके लिये कार्य करना होगा, तभी हम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सक्रिय रूप दे सकेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सर्वप्रथम मैं सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूं। क्योंकि उन्होंने वित्त विधेयक के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद किया, वह निश्चय ही बड़े अच्छे स्तर का था। वाद-विवाद के समय जो सुझाव प्रस्तुत किये गये, वह भी बहुत लाभदायी थे और मैं उन्हें उनके प्रति उदारतापूर्ण प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना चाहती थी परन्तु माननीय सदस्यों इस तथ्य से पूर्णतया अवगत हैं कि हमारा कार्य बहुत कठिन है और जिस ढंग से हम उसे पूरा करना चाहते हैं—लोगों की सहमति से—वह और भी कठिन है। लोगों के विचारों में सदा विरोधाभास होता है, अतः कोई भी कार्य करने से पूर्व हमारा यह प्रयास रहता है कि इसके साथ सारे नहीं तो अधिक से अधिक लोग हमारे साथ हो। आज संसाधन जुटाने की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण हैं कि सरकार के लिये करों में राहत देने सम्बन्धी कुछ सुझाव स्वीकार करना कठिन है यद्यपि वे सुझाव कितने ही न्यायोचित क्यों न हो क्योंकि इन संसाधनों के बिना हम राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिये अपने कार्यक्रम पूरे नहीं कर सकते।

वाद-विवाद के समय माननीय सदस्यों के भाषणों से मुझे यह आभास मिला है कि वे करों को एक सजा मात्र समझते हैं परन्तु मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं कि जो अथाह कार्य हमें करना है, उसमें लोगों का सहयोग लेने का एक तरीका यह भी है। स्वतंत्र दल के एक

माननीय सदस्य ने इन करों की बोझ की संज्ञा भी दी है परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह ठीक है कि कर अधिक हैं परन्तु इसके अतिरिक्त एक बोझ और भी है जिसे भारत की जनता शताब्दियों से उठा रही है और वह है गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक अन्याय का बोझा। इस बोझ को केवल कुछ कार्यक्रम पूरे करके ही हटाया जा सकता है और हम उन्हें तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक इसके लिये लोग सहयोग न दें। हमने समाज के अमीर वर्ग पर अधिक कर लगाये हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऐसे बहनों और भाइयों से जो सहयोग करना चाहिये जो कुछ अधिक गरीब हैं। प्रस्तुत बजट का प्रमुख पहलू यही है और भारत में हमारे जीवन का भी यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कुछ समय के लिए उत्पादन-कर से मुक्ति की बात कही है। मेरे विचार से हमारे लिए इस तरह की कोई मुक्ति सम्भव नहीं है। मेरे पिताजी ने भी यही कहा था कि इस समय हमें कड़ा परिश्रम कर सभी प्रकार के भार झेलने हैं, चाहे वह भार आर्थिक हो या कार्य के रूप में।

प्रस्तुत बजट में हमने किसी को भी नहीं छोड़ा क्योंकि हमारी मान्यता यह रही है कि यह कर कोई बोझा नहीं वरन् नये भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं समझती हूं कि राष्ट्र-कार्य करने के लिए सब से बड़ा प्रलोभन यही है कि हम में यह भावना पैदा हो जाय कि राष्ट्र-निर्माण कार्य में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। फिर जब कभी भी दान देने या धन एकत्र करने का अवसर आता है तो गरीब लोग उसमें अधिक बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। 1965 में सीमा युद्ध के लिए जो धन एकत्र किया गया, उसमें गरीब लोगों का सहयोग बहुत अधिक रहा।

यह मेरे लिए एक प्रसन्नता की बात है कि कुछ सदस्यों ने सहयोग की बात भी की है। वास्तव में बिना सहयोग के कोई भी कार्य सम्भव नहीं हो सकता और हमें यही जानने का प्रयत्न करना चाहिये, हम कैसे अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं। मैं यह पहले ही कह चुकी हूं जो कार्य हमारे समक्ष है, वह अथाह है, उसका मार्ग दुर्गम है और हमें अपने सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिए वर्षों अधिक परिश्रम करना है। उसके लिए हमें अपने सभी संसाधनों को जुटाना है। यह कार्य एक दिन में नहीं किया जा सकता। आज तक हमारे जो कार्य अधूरे रहे, जिनके बारे में हम केवल बातें अधिक करते रहे हैं। आओ, आज हम इस सदन के सभी सदस्य आपसी सहयोग से उन अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"
"That the Bill, as amended, be passed"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय आधे घन्टे की चर्चा पर जोर देते हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं इसके लिये जोर नहीं दे रहा हूं, यद्यपि आप इसे किसी अन्य दिन के लिये रख लें ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । हम इसे अभी स्थगित करते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, 7 मई, 1970/16 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 7. 1970/Vaisakha 17, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 6-11-70—340.